मेरी आत्म कथा

रवीन्द्रनाथ टैगोर

मेरी आत्म कथा

□

रवीन्द्रनाथ टैगोर

□

देवनागर प्रकाशन
चौड़ा रास्ता, जयपुर

□

एलोरा प्रिण्टर्स
जयपुर

□

पच्चीस रुपये

□

प्राक्कथन

आत्मकथा जीवन का सत्यान्वेषण है, कल्पना के अवकाश की कोरी उडान नहीं है। आम आदमी का जीवन प्रेरणास्पद नहीं हो सकता, महान, व्यक्तियों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आम आदमी के लिए दिशाबोध का काम करता है; उनके जीवन के आदर्शनिष्ठ मूल्यों को स्वीकार करता हुआ उस पथ पर अपने आपको ढालने का प्रयास करता है। आत्मकथा-सत्य एवं स्पष्टवादिता को लेकर चलती है, अतः हर आदमी के लिए सम्भव भी नहीं है कि वह इस दिशा में कदम उठाने का अधिकारी हो, लेकिन सर्वसाधारण के लिए यह आवयश्यक है कि वह महापुरुषों की जीवनी एवं आत्मकथाओं का गम्भीर अध्ययन कर प्रेरणा प्राप्त करे! विश्व के महान व्यक्ति अपने त्याग उदारता और सेवा के कारण जन मानस पर अमिट छाप छोड सके, ऐसे महापुरुष एक देश में जन्म लेने पर भी किसी एक ही देश की निधि नहीं कहला सकते अपितु समस्त विश्व के लिए आदर्श एवं उदाहरणीय होते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेने वाले महापुरुषों में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, परमहंस विवेकानन्द दयानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, व महर्षि अरविन्द आदि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं—उनमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने सुलझे चिन्तन के माध्यम से विश्व को दर्शन क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर विश्वकवि होने का गौरव प्राप्त किया। 'गीतांजली' पढ़ कर विश्व जनीन प्रबुद्धवर्ग अचम्भित रह गया और संसार का प्रख्यात पुरस्कार 'नोबल पुरस्कार इस कृति पर प्रदान किया गया जिससे भारतीय साहित्यकारों की ही प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी अपितु समूचा राष्ट्र व विश्व का साहित्यकार गौरवान्वित हुआ। महाकवि रवीन्द्र इस राष्ट्र की महान आत्मा कहलाने लगे। यह सब कुछ उनके मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपालन कहा जायेगा कवि का मुख्य प्रयोजन 'यशसे' कहा गया है, लेकिन भारतीय कवि ने 'यश' को प्राप्त कर अपना अहोभाग्य कभी सिद्ध नहीं किया। इसी परम्परा में रवीन्द्र ठाकुर भी रहे। जब उन्हें नोबुल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो समूचा राष्ट्र हर्ष मना रहा था किन्तु रवीन्द्र बाबू उद्विग्न थे। उस समय उनके मुख से ये शब्द निकले 'they have taken

away my cafuge अर्थात इन लोगों ने तो मेरी शान्ति छीन ली। इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि रवि बाबू अपने जीवन में सदा शान्ति और एकांत-प्रियता के साथ तटस्थ जीवन जीते हुए अपने पिता महर्षि देवेन्द्र नाथ के आदर्शों की परिपालना में व्यस्त रहना चाहते थे।

रवि बाबू ने अपनी इस 'आत्मकथा में अपने परिवार एवं शैशवास्था का पूर्व वर्णन दिया है —एक सम्पन्न परिवार में जो राजर्षि की अपेक्षा महर्षि कहलाना अधिक पसन्द करता था, जन्म हुआ और ऐसे समृद्ध घराने में भारतीय संस्कृति के सूत्र जीवित थे, यह सौभाग्य की बात है। रवि बाबू अपने सात भाईयों से सबसे छोटे थे तथा प्रकृति में सभी से अलग। घर की भीड़ भरे वातावरण से विलग रह कर एकांत साधना में व्यस्त व आनन्दित रहने वाले रवि बाबू स्कूली शिक्षा को पसन्द नहीं करते थे। अपनी बाल्यावस्था के अनेक मनोरम संस्मरण इस आत्मकथा में लिखे हैं जो भावी पीढी के लिए प्रगति के सोपान सिद्ध होते हैं। रवि बाबू अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के आदेश को अपना धर्म समझ कर स्वीकार करते थे। नौकर चाकरों तक की बात को टालना इनके वश की बात न थी। एक बार एक नौकर ने इनको एक स्थान पर बैठा कर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा "यहीं बैठे रहो जब तक मैं न आऊँ" रवि बाबू उसके आदेश को स्वीकार करते हुए वहीं जमे रहे, न हिले न डुले, न खाना ही न पानी ही। रवि बाबू का बचपन सुखद नहीं कहा जा सकता है। बचपन में माता की स्निग्ध छाया दूर हो गई थी और पिता के द्वारा भी वांछित प्रेम न मिल सका। रवि बाबू के दो ही व्यसन थे, प्रथम विविध भाषाओ के ग्रंथों का अध्ययन और दूसरा एकांत के क्षणों में प्रकृति के मनोहर दृश्यों को हृदय में उतारना। इन्हें प्रकृति दर्शन में आनन्दित हो खोजाने की आदत बन गई थी।

युवावस्था में विद्यापति, चन्डीदास आदि कवियों का अनुकरण करते हुए अपने काव्य सृजन की यात्रा आरम्भ की। सर्व प्रथम प्रभात संगीत, और उसके बाद संध्या संगीत के नाम से दो कविता–संग्रह प्रकाशित हुए। गंगा नदी के प्रशांत तट पर रहते हुए इन्होंने लम्बी साहित्य साधना की। प्राय: १७ वर्ष में २० से अधिक कृतियों का निर्माण यहीं पर हुआ। साहित्य–साधना में जितने लीन रहते थे उससे अधिक दीन-दुखी व पिछडे समाज की सेवा करने में आनन्द अनुभव करते थे। मानव की सेवा ही मुख्य धर्म था और यही जीवन का उद्देश्य। सर्वहारा वर्ग किसान एवं मजदूरों में देवता की तरह इनका सम्मान था। किसानों के हितो की रक्षा के लिए ब्रितानी सरकार तक से संघर्ष किया और उस कारण बागी तक कहलाये।

यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसानों के हितों की रक्षा करने से पूर्व रवि बाबू स्वयं किसान के सादा जीवन की तरह सरल जीवन जीने के आदी हो चले थे, समृद्धि और ठाठ-वाट की ओर से अनासक्त हो गये थे।

रवि बाबू परिवार की दृष्टि से सदा विपन्नावस्था में रहे। हमेशा एक न एक परिस्थिति आक्रान्त करती रही। पत्नी का देहान्त हो गया, फिर एक लडकी का स्वर्गवास हो गया, कुछ दिनों बाद सबसे छोटा लड़का भी चल बसा। इन सभी घटनाओं से रवि बाबू अत्यन्त दुखी हो गये। इसके बाद इन्होंने कृषि क्षेत्र में कुछ नये अनुभवों को प्राप्त करने की दृष्टि से पश्चिमी देशों की यात्रा की, वहां इनके ग्रंथों में से कुछ का विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और इन्हें नोबुल पुरष्कार प्राप्त हुआ—इसके बाद तो इनकी अनेक कृतियां मुद्रित होने लगी और रायल्टी के रूप में काफी आय होने लगी। इन्होंने पुरष्कार एवं रायल्टी की समस्त आय को 'शान्ति निकेतन' की स्थापना में लगादी—जो आज रवि बाबू का प्रतीक है। रवि बाबू का महान त्याग रहा है कि ब्रितानी सरकार के विरूद्ध असहयोग आन्दोलन के दौरान उस महान गौरव नोबुल पुरष्कार को लौटा दिया और वाइसराय के विरुद्ध एक कडा पत्र लिखा। शान्ति निकेतन की स्थापना का मुख्य लक्ष्य प्राचीन भारत की आदर्शनिष्ठ शिक्षा प्रणाली—ऋषि कुल परम्परा की पुनःस्थापना रहा—जहां विद्यार्थी योग्यता के साथ जीवन का निर्माण करता हुआ राष्ट्र की सम्पत्ति बन सके। यह एक महान यज्ञ था जो रवि बाबू ने अपने जीवन में पूर्ण किया।

इन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास व निवन्ध आदि बहुत कुछ लिखा है। इन ग्रथों में भारतीय संस्कृति और सर्वहारा वर्ग की विषमताओं का स्पष्ट चित्रण है। इनके पात्र सजीव और भारतीयता के प्रतीक हैं। गीतांजली इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जो भारतीय दर्शन के चरम लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। गीताजंली में प्रार्थना करते हुए कवि लिखता है—

आमार माथा नत करे दाओ हे तोमार
चरण धूलार तसे,
सकल अहंकार, आभार हे डोबा ऊ,
चोखेर जले ॥

अपने सम्पूर्ण अहंकार आदि अपने आपको समर्पित कर परम सत्ता में लय की स्थिति व्यक्त कर देना सहज बात नहीं हो सकती है। रवि बाबू एक महान संत महा-कवि व महान लेखक रहे इसे कभी अस्वीकार नही किया जा सकता। इनका सरल

जीवन, आदर्शनिष्ठ व्यक्तित्व, अनुपम त्याग, महान उदारता, दलित के प्रति सेवाभाव सदा सराहनीय रहेगा। इनका अपना निजी चिन्तन दूसरों का अनुकरण न कर सका। सहज में ये दूसरों के विचारों अथवा सामयिक वाद से प्रभावित न होते थे। रवि बाबू ने अपनी इस आत्मकथा में स्वयं की लेखनी से जीवन के मनोरम संस्मरण उतारे है। यह कृति पाठकों के लिए वरदान सिद्ध होगी। चरित्र निर्माण में इसका महान योगदान सिद्ध हो सकेगा। यही कारण है कि इस दुर्लभ पुस्तक का प्रकाशन करने में हम हर्ष का अनुभव कर रहे हैं।

प्रकाशक

१

प्रारम्भ

हम तीन बालकों का लालन पालन एक साथ ही होना था। मेरे साथी मुझसे दो वर्ष बड़े थे। इन्हें पढ़ाने के लिये एक शिक्षक नियत किया गया था। इन दोनों के साथ ही मेरी शिक्षा का भी प्रारम्भ हुआ। परन्तु मैंने क्या पढ़ा यह मुझे बिलकुल स्मरण नहीं है। हाँ! केवल एक वाक्य मुझे बार-बार याद आता है कि:—

"पानी रिमझिम-रिमझिम पड़ता है, झाड़ों के पत्ते हिलते हैं," दो अक्षरी शब्दों का पाठ मैं सीख चुका था और आद्य कवि की यह पहली कविता पानी रिम-झिम, रिम झिम— मैं पढ़ा करता था। जब-जब उन दिनों के आनन्द की मुझे याद आती है तब-तब कविता में-यमकों की इतनी आवश्यकता क्यों है—यह मेरे ध्यान में आ जाता है। अर्थात् यमक के कारण एक प्रकार से शब्द का अन्त हो जाता है और दूसरे प्रकार से नहीं होता। अर्थात् शब्दोच्चार तो पूरा हो जाता है परन्तु उसका वाद घूमता रहता है। और कान व मन में यमक रूपी गेंद को एक दूसरे की ओर फेंकने की शरियत मानों लग जाती है। इसीलिये ऊपर बतलाई हुई कविता के शब्द दिन दिन भर मेरे कान के आगे गूंजते रहते थे।

मेरी बहुत छोटी अवस्था की एक बात मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे यहाँ एक वृद्ध जमादार था। उसका नाम था कैलाश। वह हमारे यहाँ कुटुम्बीजनों के समान ही माना जाता था। वह बड़ा ठठोरा था। और छोटे से बड़े तक सबकी दिल्लगी उडाता था। विशेष कर नये विवाहित जमाई और घर में आने जाने वाले नये मनुष्यों को वह खूब ही बनाता। लोगों का यह विश्वास था कि मरने के बाद भी कैलाश का यह स्वभाव नहीं छूटा। उनके विश्वास का कारण भी था। वह यह कि एक समय हमारे कुटुम्ब में प्लन्चेट नामक यन्त्र द्वारा परलोक गत व्यक्तियों से

पत्र-व्यवहार करने का काम बहुत जोर पकड़ गया था। एक दिन इस पेंसिल के द्वारा 'कैलाश' नाम लिखा गया। तब कैलाश से पूछा गया कि परलोक का जीवन क्रम किस प्रकार का है ? प्लन्चेट की पेंसिल ने उत्तर लिखा कि मैं तुम्हें बिलकुल नहीं बताऊंगा। भला, जिसे जानने के लिये मुझे स्वत: मरना पड़ा, वह मैं तुमको मुफ्त कैसे बतला सकता हूं ?

मुझे प्रसन्न करने के लिये कैलाश एक हलके दर्जे का गाना जोर जोर से गाया करता था। यह गाना उसी ने बनाया था। इस कविता का नायक मैं था और नायिका के आगमन की आशा बड़ी सुन्दरता से प्रकट की गई थी। कविता में उस नायिका का मोहक चित्र भी खींचा गया था। भविष्यकाल के दैदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान होकर उस सिंहासन को सुशोभित करने वाली उस जगन्मोहिनी कुमारी का वर्णन सुनकर मेरा चित्त उस ओर आकर्षित हो जाया करता था। उसमें नायिका के सिर से पैर तक के रत्नजड़ित आभूषणों का और मेरे विवाहोत्सव की तैयारी की अपूर्व शोभा का जो वर्णन था। उससे मेरी अपेक्षा अधिक वय वाले चतुर मनुष्य का मस्तिष्क भी घूम सकता था। परन्तु मेरे बालचित्त के आकर्षित होने और अन्तरचक्षु के सम्मुख आनन्दजनक चित्रों के घूमने का कारण केवल उस कविता के यमकों का मधुर नाद और उसके ताल का आन्दोलन ही था। काव्यानन्द के यह दो प्रसंग और 'पानी रिमझिम रिमझिम पड़ता है, नदी में पूर आता है, इस प्रकार के बालकों को श्रेष्ठ प्रति के मालूम होने वाले बाल वाङ्मय के काव्य आज भी स्मृति पटल पर घूम रहे हैं।

इसके बाद मुझे जो बात याद है वह मेरे पाठशाला जाने की बात है। मेरी बहिन का लड़का 'सत्य' मुझसे अवस्था में कुछ बड़ा था। एक दिन मेरे बड़े भाई को और उसे पाठशाला जाते हुए मैंने देखा। मुझे पाठशाला में जाने योग्य न समझकर वे दोनों चले गये। इसके पहले मैं कभी गाड़ी में नहीं बैठा था और न घर से बाहर ही गया था इसलिये सत्य ने घर में आने पर खूब नमक मिर्च लगाकर रास्ते के अपने साहस के कृत्यों का वर्णन किया। वह सुनने पर मुझे अब अपना घर मे रहना अशक्य मालूम होने लगा। मेरे पाठशाला जाने के भ्रम को दूर करने के लिये मेरे शिक्षक ने मुझे एक थप्पड़ मारकर कहा कि अभी तो पाठशाला जाने के लिये रोता है, परन्तु फिर पाठशाला से छूटने के लिये इससे भी ज्यादा रोएगा। इस शिक्षक का नाम, चर्या अथवा स्वभाव का मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है, परन्तु उसका जोरदार उपदेश और उससे भी ज्यादा जोरदार थप्पड़ मुझे आज तक याद है। शिक्षक ने जो भविष्य कहा था वह जितना ठीक उतरा, उतना ठीक भविष्य मेरे जीवन में दूसरा कोई नहीं उतरा।

मेरे रोने का यह परिणाम हुआ कि मुझे बहुत ही छोटी अवस्था में पौर्वात्य विद्यालय (*oriental Siminary*) में जाना पड़ा। वहां मैंने क्या पढ़ा इसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है परन्तु वहां बालकों को दंड देने की जो पद्धतियां थीं उनमें से एक अभी तक मेरे ध्यान में है। वह पद्धति यह थी कि जो बालक अपना पाठ नहीं सुना सकता था उसे हाथ आगे कर बेंच पर खड़ा करते थे और उसकी हथेलियों पर पट्टियों का ढेर लगाते थे। इस प्रकार के दंडों का उपयोग बालकों के मन की ग्राहक शक्ति बढ़ाने में कहाँ तक होना संभव है? इसका विचार मानस शास्त्री ही कर सकते हैं, यह मेरा विषय नहीं है। अस्तु इस प्रकार अति कोमल अवस्था में मेरा अभ्यास क्रम शुरू हुआ।

उस समय नौकर लोगों में जो पुस्तकें प्रचलित थीं उन्हीं के द्वारा मेरे वाङ्मय के अभ्यास का प्रारम्भ हुआ। उनमें से चाणक्य के सूत्रों का बंगाली भाषान्तर और कृत्तिवास की रामायण ये दो पुस्तकें मुख्य थीं। रामायण बांचने के एक प्रसंग का चित्र मुझे आज भी ज्यों का त्यों स्पष्ट दिखलाई देता है।

उस दिन आकाश मेघाच्छादित था। मार्ग के पास वाले बड़े बरामदे में मैं खेल रहा था। वहां मुझे किसी भी तरह से डराने की सत्य को इच्छा हुई और वह पुलिस! पुलिस!! पुकारते हुए मेरे पास आया। उस समय पुलिस के कामों के सम्बन्ध में मेरी कल्पना अत्यन्त स्पष्ट थी। केवल एक बात पर मेरा विश्वास था कि अपराधी बनाकर किसी मनुष्य को पुलिस के सुपुर्द करने पर फिर उसका सत्यानाश हो जाता है। जिस प्रकार मगर के जबड़ों में फंसे हुए दुर्दैवी मनुष्य की दशा होती है उसी प्रकार पुलिस के जाल में फंसे हुए की होती है। फौजदारी कायदे की चंगुल से किस प्रकार छुटकारा हो सकता है, भला इसे मेरे समान अज्ञान बालक कैसे जान सकता था। अत. पुलिस! पुलिस!! का शब्द सुनते ही मैं घर के भीतर भागा और मां से अपने संकट की बात कही। परन्तु माता मेरे कहने से कुछ भी विचलित नहीं हुई। वह पूर्णतया शान्त रही। इससे मुझे धीरज बंधा। तो भी मुझे बाहर जाने का साहस करना उचित नहीं मालूम हुआ। अत: माँ की मौसी के रंगे हुए पुट्ठे और मुड़े हुए पत्रों की रामायण की पुस्तक, जो वहां ही रखी थी—लेकर मैं माता की कोठरी की देहरी पर बैठकर पढ़ने लगा। भीतर के चौक के चारों ओर बरामदा था। इस बरामदे के पास यह कोठरी थी। आकाश मेघाच्छादित था और तीसरे पहर का मन्द प्रकाश वहां पड़ रहा था। रामायण में एक दुःखप्रद प्रसंग का वर्णन मैं पढ़ने लगा। बाँचते-बाँचते मुझे रोना आ गया। माँ ने यह देखकर वह पुस्तक मेरे हाथ से छीन ली।

———

२

बाल्यकाल

हमारे बाल्यकाल के समय प्रायः बहुतेरों को शान-शौकत नहीं मालूम थी। आज की अपेक्षा उस समय का रहन-सहन प्रायः बहुत सादा था। शान शौकत और ऐश-आराम का प्रश्न एक ओर रख देने पर भी आज जो बालकों की निरर्थक चिंता और देखभाल रखने की पद्धति प्रचलित है, उससे हमारे घर के बालक पूर्णतया अलिप्त थे। उन्हें इन बातों की गंध भी नहीं थी। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि बालकों की देखरेख रखने में पालकों को भले ही आनन्द मालूम हो, पर बालकों को तो उससे केवल पीडा ही होती है।

हमें नौकरों की सत्ता में रहना पड़ता था। अपना कष्ट बचाने के लिये उन लोगों ने हमारा नैसर्गिक स्वेच्छाचार का अधिकार प्राय अपनी मुट्ठी में ले रखा था। दूसरी ओर निरर्थक लाड़ प्यार— बार बार खाने, पीने, दिनभर कपड़ा पहनने से हम मुक्त थे। इस प्रकार एक की कमी दूसरा पूरी करता था।

हमारे भोजन में प्राय पकवान बिलकुल नहीं होते थे, और हमारे कपड़ों की सूची यदि देखी जाय तो आज कल के लड़के नाक-भौंह सिकोड़े बिना न रहेंगे। दस वर्ष की उम्र होने के पहले किसी भी कारण से हमने मोजे और बूट नहीं पहिने। ठन्ड के दिनों में भी बंडी के ऊपर एक सूती कुरता पहन लिया कि बस हुआ और उससे हमें अपनी दीनता भी नहीं मालूम होती थी। हाँ हमारा वृद्ध दर्जी 'न्यामत' यदि बंडी में खीसा लगाने को भूल जाता था तो उससे हमारा मिजाज जरूर बिगड़ जाता था। खीसे में खूब भरने के लिये जिसे कोई चीज न मिली हो, इतना दरिद्र बालक आज तक एक भी उत्पन्न नहीं हुआ होगा। कृपालु ईश्वर का संकेत यही मालूम होता है कि धनिकों के बालकों और गरीब माता-पिता के बालकों की सम्पत्ति में बहुत ज्यादा अन्तर न रहे। हममें से प्रत्येक बालक को 'चप्पल', की एक जोड़ी

मिलती थी परन्तु यह भरोसा नहीं था कि वह सदा पाँवों में ही रहेगी क्योंकि हम उसे पाँवों से ऊपर फेंकते और फिर झेला करते थे। हमारे इस रिवाज से चप्पलों का वास्तविक उपयोग यद्यपि नहीं होता था, तो भी उन्हें कम काम नहीं पड़ता था।

पहिनावा, खाना-पीना, रहन-सहन, व्यवसाय, संभाषण और विनोद में हमारे वृद्ध पुरुषों में और हममें आकाश-पाताल का अन्तर रहता था। बीच-बीच में उनके काम हमें दिखलाई पड़ जाते थे परन्तु वे हमारी शक्ति के बाहर होते थे। आज कल के बालकों के लिये तो उनके माता-पिता आदि बड़ी 'सहज प्राप्य वस्तु' सी हो गये हैं और उन्हें उनका समागम चाहे जब मिल सकता है। किंबहुना यह कहना भी उचित होगा कि आजकल बालकों को मनचाही चीज सुलभ होती है परन्तु हमारे जमाने में कोई भी वस्तु इतनी सुलभ नहीं थी। तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी हमारे लिये कठिन थी। हम लोग इसी आशा से अपने दिन निकालते थे, कि बड़े होने पर हमें ये सब मिलेंगी। विश्वास था कि भविष्यकाल इन सब वस्तुओं को हमारे लिये बहुत संभालकर रखेगा। इसका परिणाम यह होता था कि हमें जो कुछ भी मिलता था वह चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, उसका हम खूब उपयोग करते थे और उसका कोई भी हिस्सा यों ही नहीं जाने देते थे। आज-कल जो कुटुम्ब खाने-पीने से सुखी हैं उनके लड़कों को देखो तो मालूम होगा कि जो वस्तुएँ उन्हें मिलती हैं उनमें से आधी वस्तुएँ तो केवल निरर्थक ही खो देते हैं। और इस तरह उनकी संपत्ति के बहुत बड़े भाग का होना न होना समान हो जाता है।

बाहर की दालान के आग्नेय कोण में नौकरों के लिये जगह थी। हमारा बहुत सा समय उसी जगह जाता था। हमारा एक नौकर शरीर से भरा हुआ, काले रंग का था और लड़के के जैसा था। इसका नाम 'शाम' था। इसके बाल घूंघरवाले थे। यह खुलना जिले का रहने वाला था। यह एक स्थान नियत कर वहाँ मुझे बैठा देता था और मेरे आस-पास खड़िया से रेखा खींचकर बड़े गम्भीर स्वर से उंगली दिखाकर धमकाता था कि खबरदार, इस लकीर के बाहर मत जाना। मैं अच्छी तरह यह कभी न समझ पाया कि मेरा यह सकट ऐहिक है या परमार्थिक। मुझे इसका डर बहुत ज्यादा लगता था। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के बाहर जाने से सीता को जो संकट भोगना पड़ा, वह मैंने रामायण में बांचा था। इस कारण 'शाम' की खींची हुई रेखा की शक्ति के सम्बन्ध में भी मुझे किसी तरह की शका भला कैसे हो सकती थी ?

नौकरों की इस कोठरी की खिड़की के नीचे पानी का हौज था। जिसमें पानी की सतह तक पत्थर की सीढ़ियाँ लगी हुई थीं। इसके पश्चिम की ओर बाग की दीवाल के पास एक प्रचण्ड वटवृक्ष था और दक्षिण की ओर नारियल के वृक्षों की पंक्ति खड़ी थी। मेरे लिए नियत की हुई जगह इसी खिड़की के पास होने से मैं खिड़की में से उक्त दृश्य को एक चित्रों की पुस्तक के समान दिन भर देखा करता था। हमारे अड़ोसी-पड़ोसी सुबह होते ही वहाँ स्नान करने को आया करते थे। प्रत्येक के आने का वक्त मुझे मालूम था और प्रत्येक के पहिराव उढ़ाव का ढंग भी मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था। कोई तो वहाँ आकर कानों में उंगली डालकर गोता लगाता और किसी को पानी में मस्तक डुबोने तक का साहस ही नहीं होता था इसलिये वह अपना अंगोछा पानी में भिगोकर उससे अपने शरीर को पोंछकर ही स्नान की क्रिया पूरी कर लेता था। कोई आता तो पानी पर लेटने लगता और कोई ऊपर की सीढ़ी पर से ही पानी में कूद पड़ता था। एक स्रोत पढ़ता हुआ आता और एक-एक सीढ़ी नीचे उतरता। दूसरा सदा शीघ्रता में रहता था, आया गोता मारा, कपड़े पहिने और चला घर को। तीसरा एक ऐसा मनुष्य वहाँ आता था जिसे जल्दी करना शायद मालूम ही नहीं था। धीरे-धीरे आप आते, अंग को खूब रगड़ रगड़ कर साफ करते और फिर स्नान कर साफ वस्त्र और वह भी बहुत ठहर ठहर कर पहिनते थे। फिर धोती वगैरह खूब पछाड़ते और बड़ी चतुराई से उसकी घड़ी कर आप बगीचे में आते, वहीं कुछ देर टहलते और फूलों को बीनते थे और बडी स्वच्छता और स्फूर्ति के साथ आप घर जाते थे। दोपहर तक यही झगड़ा चला करता था। दुपहर के बाद उस स्थान पर शान्ति फैल जाती और केवल बतखें वहाँ तैरा करतीं और अपनी चोंचों से पंखों को साफ करती थीं तथा गोकुल गायों का पीछा करती थीं।

इस प्रकार जब पानी पर स्तब्धता फैल जाती थी, तब मेरा ध्यान उस प्रचण्ड वट वृक्ष के नीचे की छाया की ओर लगता था। इस वृक्ष की लटकती हुई लम्बी लम्बी शाखाएँ वृक्ष के तने से इस प्रकार लिपट गई थीं कि उनका जाल-सा बन गया था। उस गूढ़ प्रदेश में मानों सृष्टि-नियम का प्रवेश ही नहीं हुआ था और यह मालूम होता था कि मानो पुरातन काल के स्वप्न के समान स्पष्ट मालूम होने वाली भूमि विधाता की दृष्टि चुकाकर आधुनिक काल के प्रकाश में वहाँ टिकी हुई है। वहाँ मुझे कौन-कौन, क्या क्या करते हुए दीखते थे, इसका वर्णन संक्षेप में करना अशक्य है। आगे जाकर मैंने इसी वट वृक्ष पर एक कविता भी की थी।

हाय! अब वह वट-वृक्ष कहां है? अब वट-वृक्ष भी नहीं है और न उस वनराजी को प्रतिबिंबित करने वाला वह जलाशय ही है। वट वृक्ष की छाया के

समान वहाँ स्नान करने वाले बहुत-से मनुष्य लय हो चुके हैं और वह बालक (रवीन्द्रबाबू) अब बड़ा होकर निज के विस्तार द्वारा प्रसरित उलझनों के जाल में से दिखने वाली प्रकाश छाया के परिवर्तनों की गणना कर रहा है।

घर से बाहर जाने की हमें मनाई थी। यहाँ तक कि घर में भी चारों ओर फिरने की हमें आज्ञा नहीं थी। इस तरह के बन्धनों में से ही हमें सृष्टि सौंदर्य का दर्शन करना पड़ता था। बाह्य-सृष्टि रूप अमर्यादित वस्तु, मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात थी। उसकी ध्वनि तथा उसकी परिमल मेरे बंधन के छिद्रों में से क्षण भर के लिये मेरे पास आती और मुझसे भेंट कर चली जाती थी। मुझे मालूम होता था कि मानो वह अनेक चेष्टाएँ करके मेरे बंधन के सींकचों में से मुझसे खेलने की इच्छा करती है। परन्तु यह बाह्य सृष्टि स्वतंत्र थी और मैं बन्धन में था। एक दूसरे से मिलने का हमें कोई मार्ग ही नहीं था और इस कारण मुझे उसका मोह भी अधिक होता था। परन्तु उसका उपयोग ही क्या? आज यद्यपि 'शाम' के द्वारा खींची हुई वह खड़ी की रेखा पुंछ गई है, तो भी मर्यादा रचने वाले मंडल आज ज्यों के त्यों बने हुए हैं, दूरस्थ वस्तु आज उतनी ही दूर है, बाह्य-सृष्टि आज मेरी सामर्थ्य से अतीत है। इस सम्बन्ध में बड़े हो जाने पर मैंने जो कविता रची थी वह मुझे इस समय भी याद है।

हमारी गच्ची का कठड़ा मेरे सिर से भी ऊंचा था कुछ वर्षो बाद मैं भी ऊंचा हो गया। अब नौकरों का अत्याचार शिथिल हुआ। घर में एक नव परिणीत वधू आई। जिससे अवकाश के समय साथी के नाते चार बातें करने का महत्व मुझे प्राप्त हुआ। उन दिनों दुपहरी के समय मैं कभी-कभी गच्ची पर जाया करता था। उस समय घर के सब लोग भोजन कर चुकते थे। सब लोगों को घरू काम से अवकाश मिल जाता था। अन्तः पुर में इस समय सब लोगों के लेटने का समय होने से शान्ति रहती थी। कठड़े पर वस्त्र सूखने को लटका दिए जाते थे। आंगन के एक कोने में पड़ी हुई जूठन पर कौवे टूटते रहते थे। इस शान्त समय में पींजरे के पक्षी कठड़े की संधि में से स्वतंत्र पक्षियों के साथ चोंच-से-चोंच लगाकर अपने मन की बातें किया करते थे।

जब मैं वहाँ खड़ा होकर इधर-उधर देखने लगता तो पहले अपने घर के बाग के उस कोने पर की नारियल की वृक्षावली पर मेरी दृष्टि पड़ती थी। इस वृक्षावली में से 'बाग' व उसमें बने हुए झोंपड़े व हौज तथा हौज के पास वाला हमारी-'तारा' ग्वालियर का घर दिखलाई पड़ता था। इस दृश्य की उस ओर कलकत्ता

नगर के भिन्न-भिन्न ऊंचाई तथा आकार के गच्चीवाले घर भी दिखलाई पड़ते थे जिनके वीच वीच में सिर उठाए हुए वृक्षों की शिखरें पूर्व क्षितिज के कुछ नीले और कुछ भूरे रंग में विलीन होती हुई भी दीखती थीं। उन पर दुपहरी की धूप का उज्जवल प्रकाश भी पड़ता और उससे कुछ उनका रंग भी बदलता दिखलाई पड़ता था। उन अति दूरस्थ घरों के आगे की गच्चियों पर ऊपर से ढके हुए जीने ऐसे मालूम होते थे मानो वे घर मुझे अपनी तर्जनी उँगली दिखलाकर आँखें मिचकाते हुए अन्तर्भाग के रहस्य की सूचना दे रहे हों।

जिस तरह एक भिखारी राजभवन के सन्मुख खड़ा होकर यह कल्पना करता है कि इस महल के भण्डार गृह में कुबेर की सम्पत्ति संचित और सुरक्षित है, उसी प्रकार इन अज्ञात भवनों में मुझे जो स्वातन्त्र्य और लीला की संपत्ति भरी हुई मालूम होती थी, उसकी कल्पना भी मैं न करता था। इस समय मस्तक पर सूर्य के तपते रहने पर भी आकाश में खूब ऊंचाई पर चीलें उड़ा करती थी जिनकी कर्ण कठोर किकाली मेरे कानों के पर्दों को हिला देती थी। वाग से लगी हुई गली में से नीरव और शान्त घरों के आगे से फेरी लगाने वाले मनिहार' की 'चूड़ियाँ लो चूड़ियां' की दुपहरी की निद्रा भग करने वाली आवाज भी मुझे सुनाई देती थी। इन सब वातों से मेरी आत्मा नीरस जगत से दूर उड़ जाती थी।

मेरे पिता घर पर वहुत कम कभी-कभी रहते थे। वे सदा प्रवास ही करते थे। तीसरी मंजिल पर उनके सोने-वैठने के कमरे थे। मैं ऊपर जाकर खिडकियों की संधि में से हाथ डालकर दरवाजे की सिकड़ी खोल लेता था और दक्षिण कोने पर उनकी जो कोच पड़ी हुई थी उस पर शाम तक पड़ा रहता था। उस कमरे के वंद रहने व उसमें मेरे छिपकर प्रवेश करने से उसकी गूढ़ता की छटा विशेष मालूम होती थी। दक्षिण की ओर की चौड़ी और शून्य गच्ची को सूर्य किरणों से तप्त होती हुई देखते हुए मैं अपने मनोराज्य में मग्न होकर वहाँ वैठा रहता था।

इसके सिवाय मन को आकर्षित करने वाली और भी एक वात थी। वह यह कि उन दिनों कलकत्ते में पानी के नल कुछ दिनों से ही शुरू हुए थे और नल के प्रथम आगमन के प्रसंग पर अधिकारियों को जो विजयानन्द प्राप्त होता था—उस कारण उन्होंने पानी की इतनी रेल-पेल कर दी थी कि हिन्दू लोगों की वस्ती में भी पानी की कमी नहीं रही थी। नल के उस प्रथन शुभागमन में पानी मेरे पिता के उक्त कमरे तक ऊपर पहुंचता था। इसलिये चाहे जव फौव्वारे की टोंटी खोलकर चाहे जव तक उसके नीचे मैं खड़ा रहता था। यह सव मैं उससे होने वाले सुख के लिये नहीं करता था, किन्तु केवल कल्पना के अनुमार मेरी इच्छा को स्वैर संचार

करने देने के लिये करता था। उस समय पहले क्षण में जो स्वातंत्र्य सुख प्राप्त होता था, पर साथ ही दूसरे ही क्षण में यह भय उत्पन्न हो जाता था कि यदि कोई देख लेगा तो क्या होगा? इन दोनों कारणों से उस फौव्वारे के पानी द्वारा मेरे शरीर में आनन्द के रोमाँच खड़े हो जाया करते थे। बाह्य सृष्टि से सम्बन्ध होने की संभावना बहुत कम होने के कारण ही इन कार्यों से सम्बन्ध होता था और इसलिये उक्त कार्यों से होने वाले आनन्द का वेग भी तीव्र होता था। साधन सामग्री जब भरपूर होती है तब मन को मन्दता प्राप्त होती है। मन यह भूल जाता है कि आनन्द का पूर्ण उपयोग प्राप्त होने के कार्य में बाह्य-सामग्री की अपेक्षा अन्तः सामग्री का ही महत्व विशेष होता है और मनुष्य की बाल्यावस्था में मुख्यतया उसे यही पाठ सिखाना होता है। बाल्यावस्था में उसके स्वामित्व की वस्तुएँ थोड़ी और तुच्छ होती हैं, तो भी सुख प्राप्ति के अर्थ में उसे अधिक वस्तुओं की जरूरत नहीं मालूम होती। जो दुर्दैवी बालक खेलने की असंख्य वस्तुओं के भार से दब जाता है उसे उन वस्तुओं से कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता।

हमारे घर के भीतर के बाग को बाग कहना अतिशयोक्ति होगा क्योंकि उसमें केवल एक रेंड़ का पेड़, मुनक्का (अंगूर) की दो जातियों की दो बेलें और नारियल के पेड़ों की एक पंक्ति भी थी। बीच में वर्तुलाकार (गोल) फर्शी जड़ी हुई थी, जिसमें जगह-ब-जगह दरारें भी पड़ गईं थीं, घास व छोटे-छोटे पौधे भी ऊग आए थे, जो चारों तरफ फैल गए थे। और फूलों के पेड़ उसमें वही बचे थे जिन्होंने मानो यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि कुछ भी हो जाय, हम नहीं मरेंगे। वे अपना कर्तव्य इतनी तत्परता से पालन करते थे कि माली पर उनकी चिन्ता न करने के अपराध का आरोप करने का मौका ही नहीं मिलता था। इस बाग के उत्तर कोने में धान काटने के लिए एक छप्पर था। इस जगह आवश्यकता पड़ने पर अन्तःपुर के मनुष्य एकत्रित होते थे। ग्रामीण रहन-सहन का यह अंतिम अवशेष भाग आजकल पराजित होकर लज्जा से किसी को मालूम न होते हुए ही नष्ट हो गया है।

यद्यपि मेरे बाग की यह दशा थी, तो भी मुझे यह मालूम होता था कि 'एडम' का नन्दनवन भी हमारे बाग की अपेक्षा अधिक सुशोभित नहीं होगा क्योंकि 'एडम' और उसके बाग दोनों ही दिगम्बर थे। उन्हें बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं थी। ज्ञानवृक्ष का फल खाने के बाद ही मानव जाति के बाह्य साधनों और भूषणों की वृद्धि होती है और वह वृद्धि ज्ञान फल के पूर्णतया पच जाने तक ही होती रहेगी। हमारा यह घर के भीतर का भाग मेरा नन्दन वन ही था और वह मेरे लायक ठीक भी था। वर्षा ऋतु में सुबह के समय जागते ही इस बाग की ओर

मैं किस प्रकार भागता था, यह मुझे आज भी स्मरण है। मैं इधर से दौड़ता जाता था और उधर से ओस की घंटी से सुशोभित घास व पत्तों का परिमल मुझसे भेंट करने को आता था। इस समय नारियल के वृक्षों की हंसने वाली छाया के नीचे से और पूर्व के ओर की बाग की दीवार पर से उषा देवी नूतन व शीतल किरणों के साथ मेरी ओर उचक उचक कर देखती थी।

हमारे घर के उत्तर की ओर एक मैदान है। उसे हम आज भी 'गोलावरी' (कोठार) कहते हैं। इस नाम से यह मालूम होता है कि वहाँ बहुत दिनों पहिले धान्य का कोठार रहा होगा। जिसमें साल भर के लायक धान्य का संग्रह किया जाता होगा। जिस प्रकार बाल्यावस्था में बहिन-भाई में बहुत कुछ समानता रहती है, उसी प्रकार उस समय शहर और ग्राम के रहन-सहन में भी बहुत-कुछ समानता दिखलाई पड़ती थी। आजकल तो उस समानता का लेश भी नहीं दिखता। मुझे अवसर मिलने पर व छुट्टी के दिनों में गोलावरी मेरा निवास-स्थान ही बन जाता था। यह कहना भ्रमपूर्ण होगा कि मैं वहाँ केवल खेलने को जाता था क्योंकि मुझे वह स्थान ही आकर्षित करता था, खेल नहीं। उससे मैं क्यों आकर्षित होता था, यह कहना आशक्य है। शायद उस कोठार के एक कोने में गीली जमीन होने के कारण वहाँ जाने का मुझे मोह होता होगा। वह स्थान बस्ती से बिल्कुल अलग था और उपयुक्तता की छाप भी उस पर लगी हुई न थी। यह स्थान निरु-पयोगी था। फलफूल के पेड़ लगाकर किसी ने उस स्थान को सुशोभित भी नहीं किया था इसी कारण उस स्थान की भयानकता से मेरी कल्पना के स्वैर संचार में कभी विघ्न नहीं पड़ा। मेरे पर देख-रेख रखने वालों की नजर चुराकर जब मुझे उस स्थान पर जाने की संधि मिलती थी, तब मुझे छुट्टी मिलने के समान आनन्द होता था।

हमारे घर में और भी एक जगह थी। पर वह कहाँ थी, इसे ढूंढने में मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली। मेरी ही बराबरी की मेरे खेल की साथिन एक लड़की थी। वह इस जगह को राजवाड़ा कहती थी। वह कभी-कभी मुझसे कहा करती थी कि 'मैं अभी वहाँ से आ रही हूं।' पर मुझे वहाँ साथ ले जाने का सुप्रसंग उसे कभी नहीं मिला। यह एक अद्भुत जगह थी और वहाँ होने वाले खेल-खिलौने आश्चर्यजनक थे। मुझे यह मालूम होता था कि यह स्थान कहीं समीप ही पहिली या दूसरी मंजिल पर ही होना चाहिए और वहाँ जाने की किसी में सामर्थ्य भी नहीं है। मैं अपनी साथिन से कई बार पूछता था कि वह स्थान घर के भीतर है या बाहर? पर वह सदा यही उत्तर देती थी—"नहीं! नहीं!! वह घर में ही

है।" इस उत्तर से मैं विचारा करता था कि यह स्थान कहाँ होगा ? क्या ऐसा भी कोई घर में स्थान या कमरा है, जिसे मैं नहीं जानता ? इस राजवाड़े का राजा कौन था—इसकी तलाश मैंने कभी नहीं की। यद्यपि वह राजगृह कहाँ था-यह मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ। तो भी वह हमारे घर में ही था, यह बात सत्य है। बाल्यावस्था की आयुष्य की ओर दृष्टि फेंकने पर जीवन और जगत् में जो गूढ़ तत्व भरे हुए हैं, उनका ही विचार मुझे बारम्बार होता है। उस राजवाड़े के सामने मुझे यह भी मालूम होता कि जगत में एक ऐसी वस्तु सब स्थान पर व्याप्त है, जिसका स्वप्न में भी हमें दर्शन नहीं हुआ है और प्रतिदिन हमें यही प्रश्न अधिक महत्व का मालूम होता है कि वह वस्तु हमें कब मिलेगी ? मानो सृष्टि देवता अपनी मुट्ठी को बन्द कर हमसे सहर्ष मुद्रा से पूछते हैं कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है ? और हमें इसकी कल्पना भी नहीं होती कि ऐसी कौनसी वस्तु है, जो इसके पास नहीं होगी ?

दक्षिण के बरामदे के कोने में मैंने सीताफल का बीज बोया था। इसे मैं रोज पानी भी देता था, यह बात मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। इस बीज से झाड़ ऊगेगा या नहीं, इस बात पर मेरा कौतूहलपूर्वक ध्यान लगा रहता था। आज भी सीताफल के बीज में अंकुर फूटते हैं, परन्तु वह कौतूहल मात्र अब नहीं है। यह दोष सीताफल का नहीं है किन्तु हमारे मन का है। अपने चचेरे भाई के पत्थरों के ढेर में से उन्हें न मालूम होते हुए मैं कुछ पत्थर उठा लाया था और उनकी एक छोटी-सी टेकरी बना ली थी। उन पत्थरों की संधियों में कुछ पौधे भी लगाए थे। उनकी मैंने इतनी देख-रेख रखी थी कि जिससे वे असमय में ही गत प्राण होने से बच सकें। पत्थरों के इस छोटे ढेर से मुझे इतना आनन्द होता था कि उसका शब्दों से वर्णन करना कठिन है। मुझे इसमें बिलकुल सन्देह नहीं था कि मेरी उत्पन्न की हुई यह सृष्टि हमारे बड़े बूढ़ों को भी चकित कर देगी। मेरे इस विश्वास की प्रतीति के लिये जो दिन मैंने नियत किया था उसी दिन मेरी कोठरी के कोने में बनी हुई यह छोटी-सी टेकरी—उसके पत्थर और पौधे—एकदम नष्ट हो गए। पढ़ने की कोठरी की जमीन पर्वतस्थापना करने के योग्य स्थान नहीं है—इसकी जानकारी हमारे बड़े बूढ़ों ने मुझे इतनी कठोरता और शीघ्रता से कराई कि उस टेकरी को नाम शेष कर देने से हृदय को एक बहुत भारी धक्का बैठा। यद्यपि पत्थरों के भार से जमीन मुक्त हो गई; परन्तु उस भार से मेरा मन दब गया और तब मुझे अच्छी तरह विदित हुआ कि हमारी स्वैर आकांक्षा और बड़ों की इच्छा में कितना भारी अन्तर है।

सृष्टि का जीवन उस हमारे मन को थर्रा दिया करता था। जमीन, पानी, हरियाली, आकाश - ये सब वस्तुएँ हमसे सम्भाषण करती थीं। इनकी ओर हम दुर्लक्ष नहीं कर सकते थे। हमें इस सम्बन्ध में कितनी ही बार तीव्र दुख हुआ होगा कि हमें पृथ्वी का ऊपरी भाग तो दिखता है, परन्तु अन्त: भाग का कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता। पृथ्वी के धूल धूसरित आच्छादन के भीतर हम अपनी दृष्टि किस प्रकार पहुचा सकेंगे, इसका विचार मन में सदा हुआ करता था और कभी-कभी यह विचार उत्पन्न भी होता था कि यदि पृथ्वी के भीतर एक के बाद एक बांस डाले जाँय तो शायद अप्रत्यक्ष रीति से हम उसके अन्तर्भाग का स्पर्श कर सकेंगे।

माघोत्सव में दीपमालिका के लिये आँगन के बाहिर लकड़ी के खंबों की पंक्ति लगाई जाती थी। इन्हें लगाने के लिये माघ शुद्ध प्रतिपदा से गढ्ढे खोदने का काम प्रारम्भ होता था। किसी भी उत्सव की तैयारी मे बालकों को विशेष आनन्द होता ही है। परन्तु मेरा ध्यान इन प्रतिवर्ष खुदने वाले गड्ढों की ओर विशेष जाता था। यह काम मैं प्रतिवर्ष होता हुआ देखता था। कई बार खोदते-खोदते गड्ढा इतना गहरा होता हुआ दिखलाई पड़ता था कि उसमें खोदने वाले भी अदृश्य हो जाते थे। इनमें कोई वस्तु मुझे ऐसी नहीं दीखती जो राजपुत्र अथवा किसी साहसी वीर के ढूढने योग्य हो, तो भी प्रत्येक बार मुझे यही मालूम होता था कि गूढ़ता की पेटी का ढक्कन खोला जा रहा है और मन में यह आता था कि यदि थोड़ा और खुदे तो ढक्कन अवश्य खुलेगा। इसे वर्षों पर वर्ष बीत गए, पर अधिक गहरे खुदने का काम पूरा नहीं हुआ। पर्दे पर धक्का मारा जाता था, परन्तु वह हटता नहीं था। हमें आश्चर्य होता था कि हमारे बुजुर्ग जो चाहे सो कर सकते हैं, फिर वे इतना थोड़ा खोद कर ही क्यों रह जाते हैं? हम छोटे बालकों के हाथ में यदि यह बात होती तो पृथ्वी के गर्भ की गूढ़ता हम कभी धूल के नीचे दबी हुई नहीं रहने देते।

हमारी कल्पना को इस विचार से भी स्फूर्ति मिलती थी कि आकाश के प्रत्येक प्रदेश के पीछे उसकी गूढ़ता छिपी हुई है। बंगाली शास्त्रीय प्राथमिक पुस्तक के एक पाठ का विवरण करते हुए हमारे पंडितजी ने जब हमसे कहा कि आकाश में दिखलाई पडने वाली यह नीलिमा कोई वेष्ठन नहीं है, तब हमें बहुत भारी आश्चर्य हुआ। उसके बाद फिर पंडितजी ने कहा कि कितनी ही नसेनियाँ लगाने और उन पर चढ़ने से आकाश में कभी कोई वस्तु सिर से नहीं टकरायेगी। तब मैंने मन में सोचा कि वहाँ तक पूरी नसेनियाँ शायद ये नहीं लगा सकते होंगे। इसी से जरा उपेक्षा की दृष्टि से पूछा "यदि एक पर एक असख्य नसेनियाँ लगाई जाँय तो क्या होगा?" परन्तु जब मुझे यह कहा गया कि उनका कुछ भी उपयोग नहीं हो सकेगा, तब मैं विचार करते हुए चुप हो गया, और अन्त में मैंने यही निश्चय किया कि जो सम्पूर्ण जगत् का शिक्षक होगा उसे ही यह आश्चर्यकारक रहस्य मालूम होगा।

———

नौकरों का साम्राज्य

जिस प्रकार हिन्दुस्तान के इतिहास में गुलाम घराने का शासन सुखावह नहीं था उसी प्रकार मेरे आयुष्य के इतिहास में भी नौकरों के शासन का काल भी विशेष आनन्द अथवा वैभव में व्यतीत नहीं हुआ। यद्यपि हमारे राजाओं-नौकरों की बार-बार बदली होती थी, परन्तु हमें सतानेवाली दण्ड-विधि में कभी भी फर्क नहीं पड़ता था। इस विषय के सत्या-शोधन का उन दिनों हमें अवसर ही नहीं मिला। हमारे पीठ पर पड़ते हुए धौल को हम जहाँ तक हो सकता, सहन करते और यह समझकर अपने आप समाधान भी कर लेते थे कि जगत् का नियम ही है कि बड़ा आदमी दुःख दे और छोटा सहन करे। इस नियम के हम अपवाद नहीं थे, परन्तु इस नियम के विरुद्ध यह तत्व सीखने में मुझे बहुत दिन लगे कि दुःख सहन करने वाले बड़े और दुःख देने वाले छोटे होते हैं।

शिकारी और शिकार, इन दोनों की दृष्टि नीति के तत्व ठहराने में सदा परस्पर विरुद्ध होती है। एक चाणाक्ष पक्षी का बंदूक छूटने के पहिले ही झिकाली फोड़कर उड़ जाना और अपने साथियों को सचेत कर देना, शिकारी की दृष्टि में नालायकी या बदमाशी का चिन्ह है। इसी तरह हमें जब मार पड़ती तब हम भी चिल्लाते थे और हमारे इस व्यवहार को दंड देने वाले नौकर अच्छा नहीं समझते थे, किन्तु इसे वे अपने राज्य के विरुद्ध राजविद्रोह मानते थे। इस प्रकार के राज-द्रोह को नष्ट करने के लिये हम लोगों के सिर पानी से भरी हुई नांदों में किस प्रकार डुबाए जाते थे, वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। दण्डदाताओं को हमारा रोना

कभी अच्छा नहीं लगता था, उनके इस प्रकार के दण्ड-विधान मे कभी कुछ भयानक परिणाम निकलने की भी संभावना रहती तो भी नौकर लोग इस प्रकार की कठोरता-निष्ठुरता क्यों करते हैं ? इसका मुझे अब भी कभी कभी आश्चर्य होता है। हमें अपने निज के व्यवहार में ऐसी कोई खटकने योग्य बात नहीं मालूम देती थी, जिससे हम मानवीय दया से वंचित रखे जांय। तो फिर इस व्यवहार का कारण क्या ? इसका उत्तर मुझे यही मालूम होता है कि हमारा सब भार नौकर लोगों पर था और यह भार इस प्रकार का होता है कि उसे घर के लोगों को भी सहन करना कठिन हो जाता है। बालकों को बालकों के ही समान यदि अल्हड़ रहने दिया जाय और उन्हें भागने, दौड़ने, खेलने व जिज्ञासा तृप्त करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय, तो उन्हें संभालना बहुत सरल हो जाता है। परन्तु यदि उन्हें घर में दबाकर रखा जाय तो एक विकट प्रसग खड़ा हो जाता है। बालकों की अल्हड़ वृत्ति से जो भार हलका हो जाता है वही उन्हें दबाकर रखने से एक कहानी के घोड़े के समान बालकों को दुस्सह मालूम होने लगता है। कहानी के घोड़े को उसके निज के पांवों से न चलाकर उठाकर ले चलने वाले भाड़ेतू भार-वाहक यद्यपि मिल गये थे, परन्तु पद-पद पर उन्हें वह भार क्या बिना खटके रहा होगा ?

हमारी बाल्यावस्था के इन जुल्मी लोगों के सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही स्मरण है कि ये लोग प्राय आपस में लठ्ठबाजी करते रहते थे। इसके सिवाय और मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति की, प्रमुखता से अब भी मुझे याद है।

इसका नाम ईश्वर था। पहिले वह एक गांव में अध्यापक था। बड़ा ऐंठबाज, साफ-सूफ, गंभीर मुद्रा का और अहंमन्य गृहस्थ था। इसकी यह समझ थी कि यह पृथ्वी केवल मृत्तिकामय है और इसे जल भी शुद्ध नहीं कर सकता। इसीलिये पृथ्वी की इस मृत्तिकामय स्थिति से उसका निरन्तर झगड़ा हुआ करता था। वह अपने बर्तन बड़े वेग से हौज में डाल देता था ताकि संसर्ग रहित गहरे पानी में से उसे पानी मिले। स्नान करते समय पानी के ऊपर का सब कचरा दूर कर एकदम वह डुबकी मारता था। रास्ते में चलते समय वह अपना दाहिना हाथ शरीर से अलग रखकर चलता था। उससे हमें यह मालूम होता था कि मानो इसे अपने कपड़ों की स्वच्छता के सम्बन्ध में ही संशय हो। इसके व्यवहार से यह मालूम होता था कि पृथ्वी, जल, वायु और मानवीय रहन-सहन में अलक्षित भाव से घुसे हुए दोषों से भी यह अपने आपको अलिप्त रखने का प्रयत्न करता है। इसका गांभीर्य अगाध था। मस्तक को जरा तिरछा कर गंभीर स्वर से संभालते संभालते चुने हुए शब्द यह बोलता था। इसके पीछे खड़े होकर सुनने से हमारे

कुटुम्ब के वृद्ध पुरुषों को बड़ा आनन्द मिलता था। इसकी शब्दाडम्बरपूर्ण उक्तियों ने हमारे कुटुम्ब के मार्मिक भाषण के भाण्डार में सदा के लिये स्थान पा लिया था। इसके तैयार किये हुए शब्द-समूह आज के समय में उतने अच्छे मालूम होंगे या नहीं, इसकी मुझे शंका है और इस पर से यह दिखता है कि पहिले जो लिखने और पढ़ने की भाषा में जमीन आसमान का अन्तर रहता था, वह अब दूर होता जा रहा है और एक दूसरे के पास आ रहा है।

पडिताई का जाप किए हुए इस मनुष्य ने संध्या के समय हमें चुप बैठाने की एक युक्ति ढूंढ निकाली थी। यह रोज शाम को हमें अरंडी के तेल की जली हुई बत्ती के आस-पास बिठाकर रामायण य महाभारत की कथा सुनाया करता था। उस समय दूसरे नौकर भी वहाँ आकर बैठते थे। छप्पर की मुंडेर पर उस बत्ती की बहुत बड़ी छाया फैल जाती थी और भीतर छिपकली छोटे छोटे कीड़े पकड़ा करती थी और हम ध्यानपूर्वक कथा सुनते रहते थे।

एक दिन शाम को कुश और लव की कथा प्रारम्भ हुई। उस कथा में शूर बालकों द्वारा जब अपने पिता और काका के यश को तृण के समान समझने की धमकी देने का वर्णन आया तब इसके आगे क्या हुआ ? यह जानने के लिए हम सब बालक उत्कंठित होने लगे। अत आगे क्या हुआ—की आवाज से हम लोगों ने उस मंद प्रकाश वाली कोठरी की निस्तब्धता किस प्रकार भंग की, यह मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत देर हो गई थी। हमारे सोने का ममय प्राय समीप था और कथा का अन्त बहुत दूर था। ऐसे प्रसंग पर मेरे पिता का किशोरी नामक एक वृद्ध नौकर हमें लेन वहाँ आ पहुँचा। अत. ईश्वर ने भी बड़ी शीघ्रता से यह कथा पूरी की। उस कविता की पक्ति के चौदह पद थे और वह बहुत धीरे-धीरे पढ़ी जाने योग्य थी। परन्तु शीघ्रता से ईश्वर ने सब पढ़ डाली और हम लोग यम वक अनुप्रास के पूर में गोते खाते रहे।

इस कथा वांचने से कभी-कभी शास्त्रीय-चर्चा भी होती थी और उसका निर्णय ईश्वर की गम्भीरता और प्रचुर विद्वता के द्वारा होता था। वह लड़कों का नौकर था इसलिये उसका पद हमारे घर के लोगों में बहुत नीचा था, तो भी उसकी अपेक्षा वय और ज्ञान में कम योग्यता रखने वालों पर उसका महाभारत के भीष्म के समान प्रभाव स्थापित हो जाता था।

हमारे इस गम्भीर और सम्माननीय नौकर में एक दोष था और इस दोष को ऐतिहासिक सत्यता के लिये उल्लेख करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। यह

अफीम खाता था, इसलिये मिठाई खाने की इसकी बहुत लालसा रहती थी। इसका परिणाम यह होता था कि जब यह प्रतिदिन सुबह दूध का प्याला भरकर हमारे पास लाता था तो उसके मन का और प्याले का झगड़ा बहुत होता था और अन्त में प्रत्याकर्षण शक्ति को आकर्षण शक्ति के आगे पराजित होना पड़ता था। दूध पीने की हमें स्वतः ही अरुचि थी। यह अरुचि प्रकट करने को देर न होती कि तुरन्त वह प्याला हमारे आगे से दूर होकर 'ईश्वर' के पेट में पहुंच जाता था। यह कभी भी हमारे आरोग्य के लिये हितकारक बतला कर उस दूध को पीने के लिये हमसे दुबारा आग्रह तक नहीं करता था। पौष्टिक पदार्थ के पचाने की हमारी शक्ति के सम्बन्ध में भी 'ईश्वर' के कुछ संकुचित विचार थे। सन्ध्या को जब हम जीमने को बैठते तो गोल-गोल और मोटी-मोटी कड़ी पूरियाँ वह हमारी थालियों में परोसता था और कहीं पूड़ी छूट न जाय इसलिये बहुत ऊंचे से वह प्रत्येक की थाली में एक-एक पूरी परोसना आरम्भ करता था। भक्त के बहुत हठ करने पर भी आराध्य देव के द्वारा बड़ी अप्रसन्नता से वह मिलने के समान एक-एक टुकडा हमारी थाली में डालता था। फिर वह हमसे पूछता था कि और भी कुछ चाहिए? हम यह अच्छी तरह समझते थे कि वह किस उत्तर से प्रसन्न होगा। इसलिये उससे यह कहने में कि 'और परोस' मुझे अत्यन्त खेद हुआ करता था। दुपहर के फलाहार के लिए भी इसके पास दाम रख दिए थे। यह सुबह होते ही रोज हमसे पूछता कि तुम्हें आज क्या चाहिए? हमें यह मालूम था कि जितनी ही सस्ती चीज मगायेंगे उतना ही इसे आनन्द होगा। इसलिये चावल की लाई और कभी कठिनाई से पचने वाले चने और मूंगफली लाने के लिये हम इसे कहते थे। आँखों में तेल डालकर शास्त्र-विहित आचार का पालन करने वाला ईश्वर हमारे खाने-पीने के शिष्टाचार का पालन करने की विशेष चिन्ता नहीं करता था।

पाठशाला

जिस समय मैं 'ओरियंटल सेमिनरी' में था, मैंने 'पाठशाला में जाने वाला लड़का' इस तुच्छता दर्शक सम्बोधन से छुटकारा करा लेने का एक मार्ग ढूंढ निकाला था। मैंने अपने बरामदे के एक कोने में अपनी एक पाठशाला खोल दी थी, जिसमें लकड़ी के गज मेरे विद्यार्थी थे। हाथ में छड़ी लेकर मैं उन गजों के सामने कुर्सी पर शिक्षक बनकर बैठ जाता था। मैंने यह भी निश्चित कर लिया था कि उन विद्यार्थियों में अच्छे और बुरे विद्यार्थी कौन कौन हैं ? इतना ही नहीं, मैंने यह भी ठहरा दिया था कि उनमें से बदमाश, चतुर, सीधे, मूर्ख विद्यार्थी कौन हैं । मैं उनमें से बदमाश विद्यार्थियों पर छड़ियों का इतना प्रहार करता था कि यदि वे सजीव होते तो उन्हें अपना जीवन भारी हो जाता। मैं उन्हें जितना ही अधिक मारता था उतना ही मुझे अधिक क्रोध आता था और मैं इतना चिढ़ जाता था कि मुझे यह समझना कठिन हो जाता था कि मैं इन्हें किस प्रकार दबाऊँ। मैंने अपने उन मूक विद्यार्थियों पर कितना भारी जुल्म किया था, यह बतलाने के लिये उनमें से अब कोई भी नहीं बचा है क्योंकि बरामदे में उन लकड़ी के छड़ों के स्थान पर लोहे के छड़ लगा दिए गए हैं। इस नवीन पीढ़ी में से किसी को पहले की शिक्षापद्धति के लाभ की संधि नहीं मिली है और यदि मेरे जैसा शिक्षक इन्हें मिला भी होता तो इन पर इनके पूर्वजों जैसा परिणाम भी नहीं हुआ होता।

मुझे उस समय इस बात का ज्ञान हो गया कि असल की अपेक्षा नकल करना सुलभ होता है क्योंकि मैंने अपने आप में, सिखाने की हथोठी के सिवा शिक्षकों

के जल्दबाजी, चंचलता, पंक्ति प्रपंच अन्याय, आदि जो गुण मैंने अपने शिक्षकों में देखे थे—सहज रीति से पैदा कर लिए थे। मुझे अब यह जानकर संतोष होता है कि मुझ में उस समय किसी सजीव पर उक्त अज्ञानपूर्ण प्रयोग करने की शक्ति नहीं थी। मैं अब विचार करता हूँ तो मालूम होता है कि प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों और मेरे लकड़ी के गज रूपी विद्यार्थियों में अतर अवश्य था, पर इन दोनों के शिक्षकों के मानसशास्त्र में कुछ अंतर न था। दुर्गुणों की उत्पत्ति कितनी शीघ्रता से होती है, इसका यह एक उत्तम उदाहरण है।

मुझे विश्वास है कि मैं 'ओरियंटल सेमिनरी' में बहुत दिनों तक नहीं पढ़ा, क्योंकि जब नार्मल स्कूल में जाने लगा था, तब भी मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। वहाँ की मुझे एक ही बात याद है कि शाला लगने के पहले विद्यार्थी गेलरी में एक पंक्ति में बैठकर कुछ पद्य गाया करते थे। यह एक दैनिक कार्यक्रम से ऊबे हुए मन को ताजा करने का प्रयत्न था। बालकों के दुर्दैव से वे पद्य अंग्रेजी में थे और उनकी चाल (तर्ज) भी परदेशी ही थी, इसलिए हमें इस बात की कल्पना ही नहीं होती थी कि हम क्या बोल रहे हैं। बिना समझे-बूझे एक मन्त्र के समान हम वे पद्य पढ़ा करते थे। उससे हमें यह क्रिया अर्थशून्य और उकता देने वाली मालूम होती थी। इसप्रकार के कार्यक्रम की योजना विद्यार्थियों में उत्साह उत्पन्न करने के लिए की गई थी और शालाधिकारी समझते थे कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, अब विद्यार्थियों का काम है कि वे इस कार्यक्रम से आनन्द और उत्साह प्राप्त करें। शालाधिकारी लोग अपने कर्तव्य की इस पूर्ति के कारण निश्चित थे और इसलिये उन्हें यह जानने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्यक्ष व्यवहार में कितने अंशों में पूर्ण हो रहा है। शाला में अभ्यास शुरू होने के पहले इस प्रकार के गायन कराने का प्रस्ताव जिस अंग्रेजी पुस्तक में उन्होंने पढ़ा होगा, उसी पुस्तक से शायद पद्यों को भी ज्यों-के-त्यों शाला के अधिकारियों ने अपने यहाँ भी प्रचलित करके अपना कर्तव्य पूरा कर लिया होगा। विदेशी भाषा में होने के कारण उन पद्यों के शब्द ज्यों-के त्यों बोलना हमारे लिये कठिन था, इसलिये उन शब्दों को एक विचित्र रूप प्राप्त हो गया था। हमारे उन अंग्रेजी शब्दों के उच्चारणों से भाषा तत्व-वेत्ताओं के ज्ञान में भी अवश्य कुछ-न-कुछ वृद्धि ही होती। उन पद्यों में से मुझे इस समय एक ही पंक्ति याद है। वह यह कि:—

Kallokee Pullokee Singill Mellalling Mellalling Mellalling.

बहुत विचार करने के बाद इस पंक्ति के एक भाग का मूल शुद्ध रूप मैं जान

पाया हूं। *Kallokee* शब्द किस मूल शब्द का अपभ्रंश है, यह मैं अभी तक नहीं जान पाया। मेरा अनुमान है कि इस शब्द के सिवा बाकी के भाग का मूल रूप इस प्रकार का होगा—

Full of glee Singing merrily, merrily merrily.

इस पाठशाला के संबंध में ज्यों-ज्यों मेरी स्मृति अधिक स्पष्ट होती जाती है, त्यों-त्यों मुझे अधिकाधिक दुःख भी होता है, क्योंकि उस शाला में बिल्कुल माधुर्य नहीं था। यदि मैं इस शाला के विद्यार्थियों में मिलजुल गया होता तो मुझे वहाँ सीखने का दुख इतना अधिक प्रतीत नहीं होता, परन्तु मेरे लिये यह अशक्य था क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के चालचलन का ढंग और उनकी आदतें बहुत ही घृणित थीं। इसलिये बीच में अवसर मिलते ही मैं दूसरी मंजिल पर जाकर एक खिड़की में बैठ जाता था और अपना समय व्यतीत किया करता था तथा यह गिना करता था कि एक वर्ष हो गया, दो वर्ष व्यतीत हुए, तीन वर्ष हो गए। इस तरह गिनते गिनते मुझे जब यह विचार होता था कि अब कितने वर्ष और व्यतीत करने पड़ेंगे, तब आश्चर्य होता था।

शिक्षकों में से मुझे सिर्फ एक ही शिक्षक की याद है। उसकी भाषा इतनी निंद्य थी कि मुझे उससे घृणा हो जाती थी और इसलिये मैं उसके प्रश्नों का उत्तर देना सदा अस्वीकार ही कर देता था। इस प्रकार पूरे एक वर्ष मैंने अपनी कक्षा में सबसे अन्त के नम्बर पर बैठकर निकाला था। मेरी कक्षा के अन्य विद्यार्थी पढ़ा करते थे और मैं चुपचाप बैठा अकेला न मालूम क्या-क्या सोचा करता था। साथ में कुछ उलझन के प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न भी किया करता था। ऐसे ही प्रश्नों में से एक बार मेरे सामने यह प्रश्न भी आया कि "निःशस्त्र स्थिति में शत्रु का पराभव किस प्रकार करना चाहिए।" कक्षा के विद्यार्थी अपना पाठ पढ़ रहे हैं हल्ला गुल्ला मचा हुआ है और मैं इस प्रकार के प्रश्न हल करने में लगा हुआ हूं। उस समय की यह स्थिति आज भी मेरे नेत्रों के सामने खड़ी हो जाती है। यह प्रश्न मैंने इस प्रकार हल किया था कि बहुत से कुत्ते, सिंह आदि क्रूर पशु, योग्य शिक्षण देकर रणक्षेत्र में पंक्तिबद्ध खड़े किए जांय और फिर हम अपना पराक्रम दिखलाना प्रारम्भ करें, बस फिर तुरन्त ही जय मिल जाने की संभावना है। आश्चर्यजनक सहज रीति से यह उलझन सुलझाई जा सकती है। इस बात की कल्पना जब मेरे मन में आती, तब अपने पक्ष की जय प्राप्ति पर मुझे किंचित भी सन्देह नहीं रहता था। अब तक एक भी जवाबदारी का काम मेरे सिर पर नहीं पड़ा था, इसलिये ये सब बातें मुझे सूझती थीं। अब मुझे यह पक्का विश्वास हो गया है कि जवाबदारी जब तक नहीं

आ पड़ती, तब तक सिद्धि प्राप्ति के लिये नजदीकी का मार्ग ढूंढ़ निकालना सहज है परन्तु जवाबदारी आ पड़ने पर जो कठिन है वह कठिन और सदा कठिन रहेगा। यद्यपि यह ठीक है कि इस प्रकार का विश्वास कुछ अधिक आनन्ददायक नहीं है पर सिद्धि प्राप्त करने का नजदीकी मार्ग ढूंढ़ निकालना भी तो कम त्रासदायक नहीं है। राजमार्ग छोड़कर अंड़-बंड़ रास्ते चलने से यद्यपि चलना थोड़ा पड़ता है, पर उस रास्ते में जो कांटे, पत्थर आदि से सामना करना पड़ता है, उसका क्या उपाय ?

इस प्रकार उक्त कक्षा में एक वर्ष पूर्ण कर लेने पर पंडित मधुसूदन वाचस्पति ने हमारी 'बंगाली' भाषा की परीक्षा ली। सम्पूर्ण कक्षा में मुझे सबसे अधिक नम्बर मिले। इस पर शिक्षक ने शालाधिकारियों से यह शिकायत की कि मेरे सम्बन्ध में पक्षपात किया गया है। इसलिये शाला के व्यवस्थापक ने अपने सामने परीक्षक के द्वारा मेरी फिर परीक्षा ली और इस बार भी मैं पहले नंबर में उत्तीर्ण हुआ।

———

५

काव्य रचना

उस समय मेरी अवस्था आठ वर्ष से अधिक नहीं थी। मेरे पिता की बुआ का एक 'ज्योति' नामक लड़का था। वह मेरी अपेक्षा अवस्था में बहुत बड़ा था। अंग्रेजी साहित्य में उसका अभी प्रवेश ही हुआ था, इसलिये वह हेम्लेट का स्वागत-भाषण बड़े आविर्भाव के साथ बोला करता था। यद्यपि मेरी अवस्था छोटी थी, तो भी ज्योति को यह विश्वास हो गया था कि मैं अच्छी कविता कर सकूंगा। वास्तव में देखा जाय तो इस प्रकार के विश्वास का कोई भी कारण नहीं था। एक दिन दुपहर के समय ज्योति ने मुझे अपनी कोठरी में बुलाया और एक कविता की रचना करने के लिये कहा। साथ में चौदह अक्षरों के वृत की रचना करना भी उसने मुझे बता दिया।

उस दिन तक छपी हुई पुस्तकों के सिवाय दूसरी जगह मैंने लिखी हुई कविता नहीं देखी थी। छपी हुई पुस्तकों की कविता में लिखने की भूल, काटा-पीटी, कुछ नहीं होती। कितना ही प्रयत्न करने पर भी इस प्रकार की कविता, मैं कर सकूंगा, इस बात की कल्पना करने की धृष्टता भी मुझसे नहीं हो सकती थी। एक दिन हमारे घर में एक चोर पकड़ा गया। उस समय चोर कैसा होता है? यह देखने की मुझे बड़ी भारी जिज्ञासा थी। अतः जहाँ पर वह चोर रखा गया था मैं डरते-डरते वहाँ गया। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह भी एक सामान्य मनुष्य जैसा मनुष्य है। उसमें और दूसरे मनुष्यों में कुछ भी अन्तर मुझे नहीं दिखलाई पड़ा, इसलिये दरवाजे पर के पहरे वालों को उसके साथ बुरा व्यवहार करते देखकर मुझे बड़ी दया आई। काव्य रचना के सम्बन्ध में भी मुझे इसी प्रकार का अनुभव हुआ। पहले तो इस सम्बन्ध में मुझे बड़ा भय मालूम होता था, परन्तु

ज्योति के कहने पर मैंने अपनी इच्छा के अनुसार कुछ शब्द एक स्थान पर एकत्रित किए देखता हूं तो पामर वृत्त, बाहरी पापर वृत्त जिसकी रचना के नियम ज्योति ने मुझे समझा दिए थे, तैयार हो गया है। अब तो काव्य-रचना में यश-प्राप्ति होने के सम्बन्ध में मुझे कुछ भी संदेह नहीं रहा। जिस तरह पहरेदारों को चोर के साथ बुरा व्यवहार करते देख मुझे खेद हुआ था, उसी प्रकार अयोग्य लोगों के द्वारा काव्य देवता की विड़म्बना होते देख मुझे आज भी बहुत खेद होता है। देवता के प्रति होने वाले व्यवहार को देखकर मुझे कई बार अनुकम्पा आई होगी पर मैं कर ही क्या सकता हूं ? आक्रमण करने के लिये अधीर होने व ले हाथों को बलात् रोक रखने की शक्ति मेरे में कहाँ है ? काव्य-देवता को आज तक जितने कष्ट सहन करने पड़े होंगे, उसे जितने हाथों ने कुरूप बनाने की चेष्टा की होगी उतने कष्ट चोरों को भी नहीं उठाने पड़े होंगे और न उतने हाथों का उन्हें स्पर्श ही हुआ होगा।

पहले पहल मालूम होने वाला भय इस प्रकार नष्ट हो जाने पर काव्य रचना के सम्बन्ध में मैं स्वैर संचार करने लगा। मुझे रोकने वाला भी कौन था ? हमारी जमींदारी की व्यवस्था करने वाले एक अधिकारी की कृपा से मैंने एक नीले कागज की कोरी किताब प्राप्त की और उस पर पेंसिल से लकीरें खींचकर छोटे लड़कों के लिखने के समान मैं कविता लिखने लगा। तुरन्त के निकले हुए छोटे-छोटे सींगों के बल इधर-उधर छलांगें मारने वाले हिरण के बालक के समान मेरी नवीन उदय में आने वाली काव्य रचना का मेरे बड़े भाई को इतना अभिमान हुआ कि उसने उस रचना को एक जगह पड़े रहने नहीं दिया। सारे घर में उसके लिये हमें श्रोता ढूढने पड़े। मुझे ऐसा याद है कि जमींदारी के अधिकारियों पर हम दोनों के विजय प्राप्त कर लेने पर जब हम जमींदारी के कार्यालय से बाहर निकले तो हमें रास्ते में नेशनल पेपर के सम्पादक नवगोपालमित्र आते हुए मिले। कुछ प्रस्तावना न करते हुए मेरे भाई ने उनसे कहा, देखो नवगोपाल बाबू, हमारे रवि ने एक कविता की है। वह तुम्हें सुननी चाहिये। बस उत्तर का रास्ता कौन देखता है ? तुरन्त ही मैं कविता पढ़ने लगा। मेरी काव्य रचना इस समय प्रचण्ड नहीं हुई थी। वह बहुत ही मर्यादित दशा में थी। कवि अपनी सब कविता अपने खीसे में रख सकता था। कविता को रचने वाला, छापने वाला और उसे प्रसिद्ध करने वाला अकेला मैं ही था।

मेरा भाई इस काम में भागीदार था। वह मेरी कविता के प्रचार के लिये विज्ञापन का काम करता था। यह कविता कमल पुष्प पर बनाई गई थी। जितने

उत्साह से मैंने इसकी रचना की थी, उतने ही उत्साह से मैंने यह कविता उसी समय और उसी स्थान पर, जीने के नीचे ही नवगोपाल बाबू को गाकर सुना दी। नवगोपाल बाबू ने हंसते-हंसते कहा कि 'बहुत अच्छी है', यह 'द्विरेफ' क्या चीज है? द्विरेफ शब्द की उत्पत्ति मैंने कहाँ से की थी, यह मुझे आज भी याद नहीं है। यद्यपि एकाध दूसरे सादे शब्द से भी वह छन्द जम सकता था, परन्तु उस कविता में 'द्विरेफ' शब्द पर हमारी आशा का डोरा झूल रहा था। हमारे कार्यालय के कर्मचारियों पर तो इस शब्द ने बहुत ही अधिक प्रभाव डाला था, परन्तु नवगोपाल बाबू ने, आश्चर्य है कि उस शब्द का कुछ भी मूल्य नहीं समझा और इतना ही नहीं वे साथ में हंसे भी। उनके इस व्यवहार से मैंने निश्चय किया कि काव्य में इन महाशय की कुछ भी गति नहीं है। इसके बाद मैंने फिर कभी अपनी कविता उन्हें नहीं सुनाई। इस बात को आज बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और मेरी अवस्था भी बहुत अधिक हो गई है, तो भी मुझे इस बात का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ कि मेरी कविता पढ़ने वालों की रसिकता किस प्रकार आजमाई जाय, और उन्हें काव्यानन्द प्राप्त हुआ है या नहीं, यह किस प्रकार जाना जाय? नवगोपाल बाबू भले ही और कितना ही हँसे हों, पर मधुपान में लीन हुए मधुकर के समान द्विरेफ शब्द अपने स्थान पर चिपटा ही रहा।

६

विविध शिक्षक

हमारी शाला का अध्यापक हमें घर पर सिखाने को आया करता था। उसका शरीर रुखा था। उसकी नाक, आँख आदि में चमक नहीं थी। आवाज में कठोरता थी। मूर्तिमान बेंत की छड़ी सा उसका शरीर था। सुबह साढ़े छः बजे से नौ बजे तक उसका समय नियत था। उसने हमें बंगाली वाङ्मय विषयक—शास्त्रीय क्रमिक पुस्तकों को छोड़कर—'मेघनाद वध' महा काव्य पढ़ाना शुरू किया। मेरा तीसरा भाई मुझे भिन्न-भिन्न विषयों का ज्ञान कराने में बहुत तत्परता दिखलाता था। इस कारण शाला के अभ्यास की अपेक्षा हमें घर पर बहुत अधिक सीखना पड़ता था। बड़ी सुबह उठकर लँगोट पहिन, एक अंधे पहलवान के साथ हमें कुश्ती की एक दो पकड़ भी सीखनी पड़ती थी। उसके बाद मिट्टी से भरे हुए शरीर पर ही कपड़े पहिन कर भाषा, गणित, भूगोल और इतिहास का अभ्यास करने में जुटना पड़ता था। शाला से घर वापस आने पर हमें चित्रकला और व्यायाम सिखाने वाले शिक्षक तैयार मिलते थे। इस तरह रात के नौ बजे के बाद हमें सब कामों से छुट्टी मिलती थी। रविवार के दिन सुबह, विष्णु हमें गायन सिखाता था। उसी प्रकार वैज्ञानिक प्रयोग बतलाने के लिये प्राय: सीतानाथ दत्त भी प्रत्येक रविवार को आया करते थे। उनके दिखलाए हुए प्रयोगों में से एक प्रयोग मुझे बहुत ही पसंद आया। एक काँच के बरतन में पानी भरकर उसमें उन्होंने लकड़ी का भूसा डाला और उस बरतन को आग पर चढ़ा दिया। हमें यह दिखलाया गया कि ठंडा पानी किस तरह ऊपर आया तथा यह क्रम चलते हुए पानी किस तरह उबलने लगा। उनके इस प्रयोग से मुझे कितना आश्चर्य हुआ था—यह मुझे आज भी याद है। दूध से पानी अलग किया जा सकता है और दूध को औटाने पर दूध से पानी

भाप बनकर अलग हो जाता है और दूध औट जाता है, इतना भारी ज्ञान उस दिन होने पर मैं बहुत चकरा गया था । सीतानाथ बाबू यदि रविवार को नहीं आते थे, तो वह दिन रविवार सा प्रतीत नहीं होता था ।

शरीर की हड्डियों का परिचय कराने के लिये भी एक घन्टा समय नियत था । यह परिचय कराने के लिये केवल मेडिकल स्कूल का एक विद्यार्थी आया करता था । तारों से बधा हुआ मनुष्य देह का अस्थि पिंजर हमारे कमरे में रख दिया गया था । इन सबमे अन्त की बात यह है कि संस्कृत व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराने के लिये भी हेरंब तत्वरत्न ने समय नियत कर दिया था । संस्कृत व्याकरण के नियम कठस्थ करने में मुझ को अधिक श्रम करना पड़ता है या हड्डियों के नाम याद करने में यह मैं निश्चयपूर्वक कहने में असमर्थ हूं, पर मुझे यह विश्वास है कि इस सम्बन्ध में व्याकरण के सूत्र ही पहला नंबर प्राप्त करेंगे । उक्त सब विषय हमें बंगाली में सिखाए जाते थे । इनमें हमारी प्रगति हो जाने पर, हमें अंग्रेजी पढ़ाना आरम्भ हुआ । हमें अंग्रेजी सिखाने के लिये अघोर बाबू नियत किए गए थे । अघोर बाबू स्वतः मेडिकल कालेज के विद्यार्थी होने चे कारण हमें सिखने के लिये संध्या समय आते थे। पुस्तकों में हम यह पढ़ा करते हैं कि मनुष्य की सम्पूर्ण खोजों में अग्नि की खोज अधिक महत्व की है । मैं इस विषय में शंका नहीं करना चाहता; परन्तु मुझे तो छोटे पक्षियों के माता-पिताओं को जो संध्या समय दिया जलाना नहीं आता—सो यह उन बच्चों का सौभाग्य ही मालूम होता है । प्रात काल होते ही उन्हें अपनी मातृ भाषा के पाठ सीखने को मिलते हैं और प्रत्येक ने देखा होगा कि वे अपने पाठ कितने आनन्द से सीखते हैं । हाँ, अवश्य ही उन्हें अंग्रेजी नही आती । वे तो अपनी मातृभाषा ही सीखते हैं ।

हमारे अंग्रेजी भाषा के शिक्षक का शरीर हट्टा-कट्टा था । अगर हम तीनों विद्यार्थी मिलकर कोई षडयन्त्र करते और चाहते कि कम से कम एक दिन ये न आवें तो भी हमें सफलता नहीं मिलती । हाँ, एक बार कुछ दिनों तक ये न आ सके थे क्योंकि मेडिकल कालेज के हिन्दू और ईसाई लड़कों के झगड़े में किसी ने इनके सिर पर कुरसी फेंक कर मारी थी. जिससे इनका सिर फट गया था । यह एक प्रकार का उन पर संकट ही आ गया था, पर थोड़े ही दिनों में उन्हें आराम हो गया । उनके इस संकट से हमें यह नहीं मालूम हुआ कि यह सकट हमारे पर आया है, किन्तु हमें तो यही आश्चर्य हुआ कि यह इतने शीघ्र तन्दुरुस्त कैसे हो गए ? एक दिन की मुझे अच्छी तरह याद है कि संध्या हो गई थी। पानी बरस रहा था । हमारे मुहल्ले में घुटने तक पानी भरा हुआ था । हौज का पानी बाग में

बहने लगा था। वेले के झाड़ों के झुब्बेदार सिरे पानी पर तैरते हुए मालूम होते थे। कदम्ब पुष्प से निकलती हुई सुगंधि के समान इस आल्हादकारक वर्षा युक्त संध्या काल मे हमारे हृदय में आनन्द के झरने फूटने लगे और हम सोचने लगे कि अब दो तीन मिनटों के बाद ही शिक्षक बाबू के आने का समय निकल जायगा। परन्तु यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता था। हम दुखित नेत्रों से अपने मुहल्ले की ओर देखते हुए शिक्षक महाशय की बाट जोह रहे थे। इतने ही में हमारी छाती में धड़ाका हुआ। हमें मालूम हुआ कि मूर्छा आई जाती है, क्योंकि इस मूसलाधार वर्षा की परवाह नहीं करते हुए हमारी चिरपरिचित काली छत्री हमारी ओर आती हुई दिखलाई पड़ी। सन्देह हुआ कि आने वाला व्यक्ति कोई दूसरा होगा पर नहीं, इस समय दूसरा कौन घर से बाहर निकलेगा। ऐसे तो हमारे शिक्षक ही थे, जिनके समान शायद ही जगत में कोई दुराग्रही हो।

उनके कार्य-काल की सब ओर से परीक्षा करने पर यह नहीं कहा जा सकेगा कि अघोर बाबू कटु स्वभाव के पुरुष थे। उन्होंने हमसे कभी कठोर व्यवहार नहीं किया। यद्यपि वे हमसे नाराजी के स्वर में बोला करते थे; परन्तु उन्होंने हमसे रगड़ पट्टी कभी नहीं कराई। उनमें प्रशंसा के योग्य गुण भले ही भरे हों; पर उनके पढ़ाने का समय और विषय अवश्य ऐसे थे, जो हमें कभी रुचिकर नहीं हुए। पाठशाला में सम्पूर्ण दिवस त्रास पाकर ऊबे हुए चित्त से संध्या के समय घर पर आए हुए बालक को यदि देवदूत भी पढ़ाने आवे और टिमटिमाते हुए दीपक के प्रकाश में अंग्रेजी पढ़ाना प्रारम्भ करे, तो वह उसे यमदूत सा ही प्रतीत होगा। हमारे उक्त शिक्षक महाशय ने अंग्रेजी भाषा की मोहकता का हमें विश्वास कराने के लिये एक बार कितना प्रयत्न किया था, इसका मुझे अच्छा स्मरण है। वह प्रयत्न यह था कि उन्होंने एक अंग्रेजी पुस्तक में से कुछ अंश हमें इस रीति से सुनाये, जिससे कि हमें आनन्द मालूम हो। उसे सुनकर हम नहीं समझ सके कि यह गद्य है या पद्य, साथ में उस सुनाने का परिणाम भी विपरीत ही हुआ; अर्थात् सुनकर हम लोग इतने ज्यादा हँसे कि हमारे शिक्षक महाशय को उस दिन पढ़ाना ही छोड़ना पड़ा। उन्हें यह जानना चाहिए था कि बालकों का मन अपने समान एक-दो रोज में नहीं हो सकता, किन्तु यह विवाद तो वर्षों तक मिटने वाला नहीं है। हमारी पाठशाला में सिखाए जाने वाले सारे विषय प्रायः रूखे ही थे। इसलिये अघोर बाबू शाला के नीरस विषयों की अपेक्षा दूसरे विषयों से ज्ञाना-मृत का हम पर सिंचन करके हमारी थकावट मिटाने का कभी-कभी प्रयत्न भी किया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने खीसे में से कागज से लिपटी हुई कोई चीज निकाली और कहा कि आज तुम्हें मैं विधाता का एक चमत्कार बतलाता हूं। ऊपर

का कागज निकाल डालने पर उसमें से मनुष्य का चेहरा उन्होंने बाहर निकाला और चेहरे के द्वारा मनुष्य के मुख की इन्द्रिय रचना उन्होंने हमें समझाई। उस समय मेरे मन पर जो धक्का लगा, उसकी मुझे आज तक याद है। मुझे यह विश्वास था कि मनुष्य का सम्पूर्ण शरीर ही बोलता है। कोई एकाध इंद्रिय के द्वारा बोलने की स्वतंत्र क्रिया होती है, इसकी मुझे कल्पना ही नहीं थी। किसी अवयव की रचना भले ही चमत्कार पूर्ण हो, पर वह सम्पूर्ण मनुष्य शरीर की अपेक्षा तो हीन ही रहेगी, इसमें संदेह नहीं। यह विचार उत्पन्न होने के लिये उस समय मुझे इतने शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ा था पर यह एक कारण था, जिससे मेरे मन पर उस समय भारी धक्का लगा था। दूसरी बार एक दिन वे हमें मेडिकल कालेज में मनुष्य के शव को फाड़ने चीरने की जगह पर ले गए थे। एक वृद्ध स्त्री का शव टेबिल पर रखा हुआ था। उसे देखकर मुझे कुछ भी अटपटा सा नहीं मालूम हुआ, परन्तु जमीन पर काटकर डाली हुई उसकी टगड़ी देखते ही मैं बेहोश हो गया। छिन्न भिन्न स्थिति में किसी मनुष्य को देखने का यह प्रसंग मुझे इतना भय-प्रद और घृणित प्रतीत हुआ कि कितने ही दिनों तक वह पूरा दृश्य और वह काले रंग की टगड़ी मेरी दृष्टि के आगे से दूर नहीं हुई। 'प्यारी सरकार' द्वारा रचित पहली और दूसरी पुस्तक पढ़ लेने के बाद हम 'मेककुलों' की पुस्तकें पढ़ने लगे। शाम के समय हमारा शरीर थका हुआ रहता था पर जाने के लिये हमारा मन उत्सुक होता था। ऐसे समय में काले पुट्ठे की कठिन शब्दों से भरी हुई पुस्तक हमें सीखनी पड़ती थी। उसमें भी विषय इतना नीरस होता था, जिसकी सीमा नहीं। इसका कारण यह था कि उस समय श्री सरस्वती देवी ने अपना मधुर मातृभाव प्रकट नहीं किया था। आजकल के समान उस समय पुस्तकें सचित्र नहीं रहती थीं। इसके सिवाय प्रत्येक पाठरूपी चौकी पर शब्दों रूपी द्वारपालों की पंक्ति संधि और स्वराघातों के आड़े तिरछे चिन्हों की संगीनों को कंधों पर रखकर बालकों को अड़ाने के लिये रास्ते में खड़ी रहती थीं। उन पंक्तियों पर मैं (एक के बाद दूसरी पर) आक्रमण करता था, पर मेरे सब आक्रमण व्यर्थ जाते थे। हमारे शिक्षक दूसरे विद्यार्थियों का उदाहरण देकर हमें लज्जित करते थे और उनसे हमें विषाद होता, ग्लानि होती और उस चतुर विद्यार्थी के सम्बन्ध में मन कलुषित भी होता था, पर इसका उपयोग क्या ? इससे उस काले पुट्ठे की पुस्तक का दोष थोड़े ही हमारे मन से दूर हो सकता था।

मानव जाति पर दया करके जगत की सम्पूर्ण दवा देने वाली बातों में विधाता ने बेहोशी की औषध डाल दी है। हमारा अंग्रेजी पाठ प्रारम्भ होते ही हम ऊंघने लगते थे। आँखों में पानी लगाना और बरामदे के नीचे दौड़ लगाना आदि उदासी को दूर करने के उपाय थे और इससे निद्रा का नशा क्षण मात्र के लिये कम भी हो जाता था; पर फिर वही क्रम शुरु होता था। कभी-कभी हमारे बड़े भाई उधर से निकलते और हमें निद्राकुल देखते तो 'बस अब रहने दो' यह कहकर हमारा छुटकारा करा देते थे और जहाँ इस प्रकार हमें छुट्टी मिली कि फिर ऊंघाई भी न मालूम कहाँ भाग जाती थी।

———

७

मेरा प्रथम बहिर्गमन

एक बार कलकत्ते में ज्वर की बीमारी फैली, इसलिये हमारे बड़े भारी कुटुम्ब में से कुछ लोगों को छटटू बाबू के नदी तीर वाले उद्यान गृह में जाकर रहना पड़ा था। इन लोगों में हम बालक भी शामिल थे।

अपना घर छोडकर दूसरी जगह रहने का यह मेरा पहला ही प्रसंग था। पूर्वजन्म के प्रेमी-मित्र के समान गंगा नदी ने मुझे अपनी गोद में बैठाकर मेरा स्वागत किया। उस उद्यान गृह में नौकर-चाकरों के रहने की जगह के आगे जाम के झाड़ों का एक बाग था। बरामदे में इन वृक्षों की छाया के नीचे बैठकर उनकी डालियों के बीच में से गंगा नदी को देखता हुआ मैं दिन निकाला करता था। रोज सुबह उठने पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि मानो सुनहरी बार्डर से विभूषित कुछ नवीन समाचार देने वाले पत्र के समान दिन मेरे पास आ रहा है। ऐसे अमूल्य दिन को क्षण भर भी व्यर्थ न जाने देने के लिये मैं जल्दी-जल्दी स्नान करता था और बरामदे में अपनी कुर्सी पर जा बैठता था। गंगा मे रोज भरती ओटी (ज्वार भाटा) आया करती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत-सी नौकाएं इधर से उधर घूमती दिखलाई पड़ती थीं। प्रातः काल में पश्चिमाभिमुख दिखने वाली वृक्षों की छाया शाम के समय पूर्वाभिमुख दिखलाई पड़ती थी। सूर्यनारायण की किरणें सायंकाल के समय आकाश से पृथक होकर उस ओर के तट पर के वृक्षों की छाया के पास जा पहुंचती थी। कभी कभी सुबह से ही आकाश मेघों से व्याप्त हो जाता था। ऐसे समय में उस ओर की झाडी में अन्धकार रहता था और वृक्षों की काली छाया नदी के जल में हिलती हुई दिखलाई पड़ती थी। इतने में ही जोर से वृष्टि होने लगती

थी। चारों दिशाओं के धूसर हो जाने के कारण क्षितिज का दिखना भी बंद हो जाने पर वृक्ष-छाया में से अश्रु से पड़ने लगते। नदी का पानी बाढ़ के कारण बढ़ने लगता था और वृक्ष की छाया को हिलाती हुई ठंडी ठंडी भीनी हवा बहुत जोर से चलने लगती थी।

मुझे प्रतीत होता था कि घर की दीवालों, मगरों और म्यालों के पेट में से घर से बाहर के जगत में मेरा नवीन जन्म हुआ है। साथ मे ऐसा मालूम होता था कि बाह्य वस्तुओं से नूतन परिचय करने के कारण मेरी घृणित एवं हीन आदतों का आच्छादन जगत और मेरे बीच में से दूर हो रहा है। सुबह के समय मैं पूड़ी के साथ साथ राब खाता था। उसका स्वाद अमृत से कम नहीं होता था क्योंकि अमरत्व अमृत में नहीं है, किंतु प्राशन करने वाले में है और इसलिये वह ढूंढ़ने-फिरने वालो के हाथ नहीं लगता है।

घर के पीछे दीवालों से घिरा हुआ एक चौक था, जिसमें एक छोटा-सा हौज बना हुआ था। इसके ऊपर स्नान करने की जगह थी और पानी तक सीढ़ियां बनी हुई थीं। एक ओर जामुन का विशाल वृक्ष खड़ा हुआ था और हौज के आसपास कई प्रकार के घने फल के वृक्ष लगे हुए थे जिनकी कि छाया में वह हौज ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई छिप कर बैठा हो। घर के भीतरी भाग के इस छोटे से एकान्त बगीचे के झुरमुट में जो सौन्दर्य छिपा हुआ था, उसने घर के सामने के नदी किनारे पर के सौन्दर्य ने मुझ पर जो मोहजाल डाला था, उससे भिन्न प्रकार से मोहजाल फैला रखा था। स्वत: काढ़े हुए कशीदे वाले तकिऐ पर दुपहर के साथ एकान्त स्थान में अंत करण के छुपे हुए विचारों को गुनगुनाती हुई विश्राम करने वाली नववधू के समान उस बाग की रमणीयता मालूम होती थी। उस हौज के भीतर कहीं छिपे हुए यक्ष के भीत-प्रद राज्य का स्वप्न देखता हुआ मैं जामुन के वृक्ष के नीचे दुपहर के समय घटों व्यतीत कर देता था। बंगाली खेड़े कैसे होते हैं, यह देखने की मुझे बहुत इच्छा रहती थी। उनके घरों का समूह, वहाँ के घरों के आगे के मण्डप, छोटे छोटे मुहल्ले, स्नान करने के पानी के छोटे छोटे हौज, खेल, बाजार, खेत, दूकान, वहाँ का साधारण जीवन, रहन-सहन आदि बातों का मेरी कल्पना ने जो चित्र खींच रखा था उससे मेरा चित्त और भी अधिक आकर्षित होता था। ठीक इसी प्रकार का खेड़ा हमारे घर की दीवाल के सामने दिखलाई पड़ता था, पर वहाँ जाने की मनाही थी। यद्यपि हम कलकत्ते से बाहर तो आ गए थे, पर हम बन्धन-मुक्त नहीं हुए थे। पहले हम (कलकत्ते में रहते समय) पिंजरे में बन्द थे। इस समय पिंजरे से तो बाहर हो गए थे; पर हमारे पांव में जो सिकड़

पड़ी हुई थी उसमे हम मुक्त नहीं हुए थे। एक दिन सुबह हमारे वृद्धजनों में से दो पुरुष घूमने फिरने के लिए उस खेड़े की ओर जाने को निकले। उस समय मैं अपनी इच्छा एक क्षण भर के लिए भी न रोक सका। इसलिए उन्हें बिना मालूम हुए, मैं धीरे से उनके पीछे कुछ दूर तक चला गया।

मैंने देखा कि एक मनुष्य नंगे वदन पानी में खड़ा हुआ अपने शरीर पर इधर उधर पानी डाल रहा है और दन्तौन को चवाता हुआ दाँत घिस रहा है, यह दृश्य आज भी मेरी आँखों के सन्मुख खड़ा हो जाता है। मैं यह सब देखते देखते उन लोगों के पीछे जा रहा था। इतने में ही उन लोगों को यह बात मालूम हो गई कि मैं भी उनके पीछे-पीछे आ रहा हूँ। बस नाराज होकर कहने लगे कि 'जा वापिस लौट जा।' उस समय मैं नँगे पाँव था। धोती भी नहीं पहिनी थी। सिर्फ कोट ही पहिने हुए था। अर्थात वाहर जाने योग्य पोशाक मैंने नहीं पहनी थी। बस, इसी पर वे कहने लगे कि ऐसी हालत में हमारे साथ चलते से लोग हमें हँसेगे, पर यह क्या मेरा अपराध था। अभी तक मुझे पैरों के मोजे नहीं खरीद दिए थे और न दूसरे कपड़े ही थे जिन्हें पहन कर मैं सभ्य लगूं। मुझे भगा देने पर मैं निराश होकर अपने स्थान पर लौट आया और फिर कभी वाहर निकलने का मुझे अवसर ही नहीं मिला। इस प्रकार यद्यपि घर के उस ओर क्या है यह देखने की मुझे मनाही हो गई, पर घर के आगे वाली गंगा नदी ने इस गुलामी से मेरी मुक्तता कर रखी थी। आनन्द से घूमने वाले मछुए (डोंगे) में बैठकर मेरा मन अपनी इच्छा के अनुसार भूगोल की किसी भी पुस्तक में न मिलने वाले दूर दूर के देशों में जा पहुंचता था। इस बात को चालीस वर्ष हो चुके हैं, चम्पकच्छाया से आच्छादित उद्यान-गृह में उसके वाद फिर मैंने कभी पाँव भी नहीं रखा। संभव है कि वही जूना पुराना घर और उसके आस पास के पुरातन वृक्ष आज भी वहाँ होंगे; पर मुझे यह विश्वास नहीं होता कि वे सब वस्तुएँ पहिले के ही समान होंगी, क्योंकि जिस दिन-व-दिन नए नए आश्चर्य होते थे वह मैं अब पहले जैसा कहा रहा हूं? मेरी वहिर्गमन की यह स्थिति पूर्ण हो गई। मैं शहर के 'जोड़ासांकू' वाले घर में लौट आया। मगरमच्छ के समान फैले हुए शाला के मुँह में मेरे दिन कौर के समान एक के वाद एक जाने लगे।

८

श्रीकंठ बाबू

मेरे सुदैव से मुझे इस समय एक श्रोता मिल गया था। उसके समान दूसरा श्रोता मुझे कभी नहीं मिलेगा। इनमें सदा आनन्दमय रहने की इतनी अमर्यादित शक्ति थी कि हमारे मासिक पत्रों में से किसी भी मासिक पत्र ने टीकाकार के स्थान के लिये उन्हें अयोग्य ही माना होता। वह वृद्ध मनुष्य ठीक पके हुए आर्य-फान्सो आम के समान था। इस आम में रेसा और खटाई बिल्कुल ही नहीं होती। इनकी खोपड़ी व दाढ़ी खूब घुटी हुई और चिकनी थी। इनके मुंह में दांत एक भी नहीं था। उनके बड़े बड़े हसते हुए से नेत्र सदा आनन्द से चमकते रहते थे। मृदु गम्भीर स्वर में जब वे बोलने लगते थे तब ऐसा मालूम होता था कि उनके मुंह आँख आदि सब बोल रहे हैं। उन पर पहले की मुगलपानी सभ्यता का संस्कार था। अंग्रेजी का उनसे स्पर्श भी नहीं हुआ था। कभी न भूले जाने वाले उनके दो साथी थे। एक दाहिने हाथ में हुक्का और दूसरी गोदी में सितार। इनकी जोड़ी मिलते ही श्रीकन्ठ बाबू अलापने लगते थे।

श्रीकन्ठ बाबू को किसी से भी औपचारिक परिचय करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी, क्योंकि उनके आनन्दी और उत्साही अन्तःकरण के आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर सकता था। एक बार फोटो निकलवाने के लिए वह हमें एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर की दूकान पर ले गए और अपनी गरीबी का व फोटो की अत्यन्त आवश्यकता का दुकानदार के आगे कुछ हिन्दी और कुछ बंगला भाषा में ऐसा सरस वर्णन किया कि दुकानदार मोहित हो गया और उसने हंसते-हंसते अपनी निश्चित दर से कुछ कम दर पर फोटो खींचना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी दुकानदारों के यहां प्रायः भाव पहले से ही ठहरे हुए रहते हैं और कभी ज्यादा या

कम करने की गुंजाइश ही नहीं रहती, परन्तु श्रीकन्ठ बाबू ने वहां भी अपने मृदुल भाषण से काम बना लिया और यह नहीं मालूम होने दिया कि उनका बोलना नियम विरुद्ध है। श्रीकन्ठ बाबू अत्यन्त भावुक, सहृदय और दूसरे उपमर्द करने के लिए स्वपन में भी विचार करने वाला मनुष्य न था। वे कभी कभी हमें एक यूरोपियन मिशनरी के घर ले जाया करते थे। वहां भी उनका वही क्रम रहता था हंसना गाना खेलना, उनकी छोटी लड़की को खिलाना, मिशनरी की स्त्री के पैरों की खूब स्तुति करना आदि। दूसरों से न हो सकने वाली बातों से वे मिशनरी के घर बैठे हुए लोगों को प्रसन्न कर दिया करते थे। इस तरह हीनतापूर्वक व्यवहार करने वाला यदि वहां कोई दूसरा होता, उसकी पशुओं में ही गणना होती, पर श्रीकन्ठ बाबू के सहज रीति से दिखलाई पड़ने वाले निष्कपट भाव से लोग खुश हो जाते और उनकी बातों में शामिल होते थे।

लोगों की उद्दंडता का श्रीकन्ठ बाबू पर कुछ भी परिणाम नहीं होता था। उन दिनों हमारे यहां एक साधारण गवैया वेतन पर नियत किया गया था। शराब के नशे में अंट-शंट बोलकर वह श्रीकन्ठ बाबू के गाने का मनमाना मज़ाक उड़ाया करता था, परन्तु श्रीकन्ठ बाबू प्रत्युत्तर देने का कुछ भी प्रयत्न न करके उसकी सब बातें बड़े धैर्य के साथ सहन करते थे। इतना ही नहीं, जब उसके उद्दंड व्यवहार के कारण उसे निकाल दिया गया, तब श्रीकन्ठ बाबू ने बड़ी सहानुभूति के साथ यह कह कर उसकी सिफारिश की कि यह उसका दोष नहीं, उसके दारु पीने का दोष था।

किसी का दुःख देखने अथवा सुनने से उन्हें बहुत दुःख होता था। इसलिये यदि हम बालकों में से कोई बालक उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहता तो वह विद्यासागर के वनवास में से कुछ भाग उनके आगे पढ़ने लगता था। बस श्रीकन्ठ बाबू एकदम उसे पढ़ने से रोक देते थे।

यह वृद्ध मनुष्य, मेरे पिता, बड़े भाई और हम सब बालकों का प्यारा था। इस आयु में भी हम सब में मिल जाया करता था। बड़ों में बड़ा और छोटों में छोटा बन जाना इसके लिए मामूली बात थी। जिस प्रकार पानी की लहरों के साथ खेलने और नाचने में सब प्रकार के पाषाण खण्ड एक से ही होते हैं, उसी प्रकार थोडी सी उत्तेजना मिलने पर श्रीकन्ठ बाबू आनन्द में भी बेहोश से हो जाया करते थे। एक प्रसंग पर मैंने एक स्त्रोत की रचना की इस स्त्रोत में मैंने इस जगत में मनुष्य पर आने वाले संकटों और उसकी परीक्षा की कसौटियों के प्रसंगों का उल्लेख करने में कसर नहीं की थी। मेरे इस भक्ति-विषयक सुन्दर काव्य-रत्न से मेरे पिताजी को

अवश्य बहुत आनंद होगा, इसका श्रीकन्ठ बाबू को पक्का विश्वास हो गया और इस अनिवार्य आनन्द के पूर में उन्होंने वह स्त्रोत स्वत. जाकर मेरे पिता को बतलाना स्वीकार किया। सुदैव से उस समय वहां मैं नहीं था परन्तु पीछे से मैंने सुना कि इतनी छोटी अवस्था में अपने पुत्र को जगत के दुखों ने इतना व्यथित किया कि उससे उसमें कवित्व शक्ति की स्फूर्ति उत्पन्न हो गई यह जानकर मेरे पिता को बहुत हँसी आई। हमारी पाठशाला के व्यवस्थापक गोविन्द बाबू ने इतने गभीर विषय पर कविता करने के सम्बन्ध में मेरे प्रति अवश्य आश्चय दिखलाया होता और मेरी प्रतिष्ठा की होती।

गायन के सम्बन्ध में श्रीकन्ठ बाबू का मैं खास शिष्य था। उन्होंने मुझे एक गायन भी सिखाया था और वह सुनाने के लिये वे हर एक के पास मुझे ले जाया करते थे। जब मैं गाने लगता था तब वे सितार बजा कर ताल देने लगते थे और जब मैं धुरपद पर्यन्त आता था तब वे भी मेरे साथ गाने लगते थे। बार-बार एक ही पद को बोलकर प्रत्येक सुननेवाले की ओर वे गर्दन हिला-हिला कर जिस प्रकार हँसते थे, उससे यह मालूम होता था कि मानो श्रीकन्ठ बाबू यह चाहते हैं कि लोग उनके गुण को जानें और उनकी प्रशंसा करें।

श्रीकन्ठ बाबू मेरे पिता के बड़े प्यारे भक्त थे। 'वह ईश हमारे हृदयों का भी हृदय' इस भाव के बंगाली गायन को उन्होंने अच्छी तरह बैठा लिया था। मेरे पिता को यह गायन सुनाते समय श्रीकन्ठ बाबू को ऐसा कुछ आनन्द का पूर आता था कि वे अपने स्थान पर से एक दम कूद कर खडे हो जाते थे और बीच-बीच में बडे ज़ोर से सितार बजाते हुए 'वह ईश हमारे हृदयों का भी हृदय यह पद्य बोलते हुए मेरे पिता की ओर अपना हाथ बढ़ा देते थे।

जिस समय यह वृद्ध पुरुष मेरे पिता से अंतिम भेंट करने के लिए आया उस समय पिताजी चिंसुरा के नदी-तट वाले उद्यान-गृह में रोगशय्या पर पड़े हुए थे। श्रीकन्ठ बाबू भी उस समय इतने बीमार थे कि दूसरे की सहायता के बिना उनसे उठा-बैठा तक नहीं जाता था। ऐसी स्थिति में भी वे वीरभूमि से चिंसुरा अपनी पुत्री को साथ लेकर आए थे। बड़े कष्ट से उन्होंने मेरे पिता की चर्ण धूलि ली और फिर अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद वहीं उनका अन्त भी हुआ। उनकी पुत्री के द्वारा पीछे से मैंने सुना था कि अंत समय 'कितनी मधुर दया प्रभु तेरी' यह स्त्रोत बोलते हुए उन्होंने प्राणोत्सर्ग किया था।

९

मैं कविता करने लगा

आड़ी खड़ी रेखाओं के जाल में टेढ़े-तिरछे अक्षरों के लिखने से मधु मक्खी के छत्ते के समान वह नीली कोरी पुस्तक भर गई और फिर शीघ्र ही बाल लेखक के उत्कंठापूर्ण दवाव से उसके पन्ने भी फट गए। उसके बाद कोने भी घिस कर जीर्ण हो गए और भीतर की लिखी हुई कविता को खूब पकड़ रखने के लिए ही मानो उस पुस्तक की गुडी-मुडी भी हो गई। फिर मालूम नहीं किस वैतरणी नदी में दयालु काल ने उस पुस्तक के पृष्ठ हड़प कर लिए। कुछ भी हुआ हो, पर यह ठीक है कि छापेखाने की वेदना से उसका छुटकारा हो गया और इस संसारगर्त में फिर जन्म लेने का भी भय उसे नहीं रहा।

सत्कारीवावू हमारे वर्ग के शिक्षक नहीं थे, तो भी मैं उन्हें बहुत प्रिय था। उन्होंने प्राणीशास्त्र के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी थी। कोई भी निर्घृण विनोदी लेखक इस पुस्तक में मुझ पर के प्रेम का कारण ढूंढने का प्रयत्न नहीं करेगा ऐसी आशा है। एक दिन उन्होंने मुझे बुलवाया और पूछा कि 'तू कविता बनाता है न?' मैं भी सच्ची बात क्यों छिपाऊं? मैंने कहा—हां! तब से समस्यापूर्ति करने के लिए मुझे सदा दो दो चरण देने लगे।

हमारी पाठशाला के गोविन्द बाबू रंग के काले, कद के ठिगने और शरीर के खूब मोटे थे। वे व्यवस्थापक थे। काली पोशाक पहिनकर दूसरी मंजिल पर कार्यालय की कोठरी में हिसाब की बहियां देखते हुए वे बैठे रहते थे। अधिकार-दंड ग्रहण किए हुए न्यायाधीश के समान उनकी गम्भीर मुद्रा से हम सब बहुत डरते थे। पाठशाला में कुछ बदमाश विद्यार्थी भी थे। वे हमें बहुत त्रास दिया करते थे, इसलिये

एक वार उनके त्रास से अपना छुटकारा कराने के लिए उन लोगों की नजर चुराकर मैं गोविन्द वाबू की कोठरी में घुस गया। वे विद्यार्थी मुझ से अवस्था में वड़े थे। उन्होंने मेरे विरुद्ध षड़यन्त्र रचा था। उस समय मेरे आंसुओं के सिवाय दूसरा कोई विद्यार्थी मेरी ओर से बोलने वाला नही था। परन्तु मेरी विजय हुई और तव से गोविन्दबावू के अन्त करण में एक छोटा सा कोमल स्थान मुझे भी प्राप्त हो गया।

एक दिन बीच की छुट्टी में उन्होंने मुझे अपनी कोठरी में बुलाया। डर से कांपते-कांपते मैं उनके पास गया। मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि 'क्या तू कविता भी बनाता है ?' तव मैंने भी किसी प्रकार की आना-कानी न कर कहा कि 'हां बनाता हूं'। उन्होंने एक उच्च नीति-तत्व पर कविता वनाने की मुझे आज्ञा दी वह तत्व कौन सा था, इसका मुझे अव स्मरण नहीं है। उनकी इस विनती में कितनी सौजन्यता और निरभिमानता थी, यह उनके विद्यार्थी ही समझ सकते हैं। मैं दूसरे दिन कविता बनाकर ले गया। तव उन्होंने सवसे वड़ी कक्षा में ले जाकर मुझे वहाँ के विद्यार्थियों के आगे खड़ा किया और कविता पढ़ने का हुक्म दिया। तव मैंने वह कविता उच्च स्वर से पढ़ कर सुना दी।

इस नैतिक कविता की प्रशंसा करने में अव एक ही हेतु है और वह यह कि वह कविता तुरन्त ही खो गयी उस कक्षा के विद्यार्थियों के मन पर कविता का परिणाम निराशाजनक ही हुआ। उनमें कविता रचने वाले के प्रति आदर बुद्धि उत्पन्न न होकर उन्हें यही विश्वास हुआ कि कविता किसी दूसरे की बनाई हुई होगी, और एक विद्यार्थी ने तो यह भी कहा कि जिस पुस्तक में से कविता उतारी गई है उस पुस्तक को कल मैं ला भी दूंगा। परन्तु उससे पुस्तक लाने के सम्बन्ध में किसी ने आग्रह नहीं किया। जिन्हें किसी वात पर विश्वास ही करना होता है उन्हें उसके प्रमाण एकत्रित करना त्रासदायक मालूम होता है ! अन्त में काव्यकर्ता की कीर्ति के पीछे पड़नेवालों की संख्या वहुत अधिक वढ़ गई और उन्होंने इसके लिए नैतिक मार्ग से भिन्न मार्ग का आश्रय लिया।

आजकल छोटे वालक द्वारा कविता रचना कोई विशेष महत्व का कार्य नहीं माना जाता। काव्य का असर भी प्राय: नष्ट सा हो गया है। उस समय जो थोडी सी स्त्रियां कविता वनाया करती थीं उन्हें विधाता 'की अलौकिक सृष्टि' की पदवी किस-प्रकार प्राप्त होती थी, इसका मुझे आज भी अच्छी तरह स्मरण है। आज तो यह दशा है कि यदि किसी से कहा जाय कि अमुक तरुण स्त्री कविता नहीं वना सकती तो उसे इस वात पर विश्वास ही नहीं होगा। आजकल तो वंगला-भाषा की उच्च कक्षाओं में जाने के पहले ही लड़के और लड़कियों में कवित्व का अंकुर फूटने लगता है, इसलिए मैंने जो ऊपर काव्य-विजय का वर्णन किया है, उस ओर आज का कोई भी गोविन्द वावू उझक कर भी नहीं देखना चाहेगा।

———

१०

बंगला शिक्षा का अन्त

उस समय हम सबसे ऊंची कक्षा की नीची श्रेणी में पढ़ाए जाने वाले विषयों की अपेक्षा घर पर बंगला में हमारी बहुत अधिक प्रगति हो गई थी। अक्षय बाबू की 'सुगम पदार्थ विज्ञान' नामक पुस्तक सीख चुके थे। इसके सिवा मेघनाद वध' नामक महाकाव्य भी हम पूरा बाँच चुके थे। 'पदार्थ विज्ञान-शास्त्र' में वर्णित पदार्थों की सहायता के बिना उक्त 'सुगम पदार्थ बिज्ञान' नामक पुस्तक पढ़ने के कारण हमारा ज्ञान कोरा पुस्तकीय ज्ञान ही था और इस कारण उसके पढ़ने में जो समय लगा, वह व्यर्थ ही गया। मुझे तो यह मालूम होता है कि यदि कुछ न पढ़कर समय यों ही व्यतीत किया होता तो इससे अच्छा हुआ होता। 'मेघनाद वध' का विषय भी हमें आनन्ददायक नहीं था। भाषा की अत्यन्त सरलता का ज्ञान केवल बुद्धि सामर्थ्य से ही नहीं होता। भाषा सीखने के लिये महाकाव्य का उपयोग करना और सिर मूंडने के लिये तलवार का उपयोग करना, दोनों ही समान हैं। तलवार का अपमान और सिर का दुर्दैव। उसी प्रकार महाकाव्य की अपेक्षा और सीखने वाले के हिस्से में लाभ के नाम शून्य, काव्य सिखाने का उद्देश्य सुन्दर भावनाओं की उत्पत्ति और उनकी सार संभाल होना चाहिए। व्याकरण अथवा शब्द-कोश का काम काव्य देवता से लेने पर सरस्वती देवी संतुष्ट नहीं हो सकतीं।

अध्यापक शाला में हमारा जाना एकाएक बन्द हो गया। कारण यह हुआ कि हमारे एक शिक्षक को श्रीयुत मित्र रचित हमारे पितामह के जीवन चरित्र की प्रति की आवश्यकता थी। यह पुस्तक हमारी लायब्रेरी में थी। अतः इसके लिये मेरे भांजे और सहाध्यायी सत्य ने बड़ी हिम्मत करके यह बात मेरे पिता से कहना

स्वीकार किया। सत्य का यह मत था कि मेरे पिता से सदा के अनुसार सादी बंगला में विनती करने से कुछ अधिक लाभ नहीं होता। अतः उसने पुरानी भाषा पद्धति के द्वारा इतनी अच्छी तरह अपनी बात पिताजी से कही कि उससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारा बंगला भाषा का अभ्यास इतना अधिक हो गया है कि अब इससे अधिक पढ़ना लाभदायक नहीं है। अतः दूसरे ही दिन सदा के नियमानुसार दक्षिण की ओर के बरामदे में हमारा टेबिल रख दिया गया था, दीवाल के खीले पर पटिया रखा हुआ था और नीलकमल बाबू से सीखने की सब प्रकार की तैयारी हो रही थी कि पिताजी ने हम तीनों को ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में बुलवाया और कहा कि आगे से तुम्हें बंगला सीखने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही हम भी आनन्द से नाचने लगे।

हमारी पुस्तकें टेबिल पर खुली हुई पड़ी थीं। नीलकमल बाबू नीचे हमारी बाट देख रहे थे और उनके हृदय में निःसंशय यह विचार उत्पन्न हो रहे थे कि इन लड़कों से एक बार मेघनाद-वध और बंचवा लिया जाय. परन्तु जिस प्रकार मृत्यु पथ में जाने वाले मनुष्य को नित्यक्रम की बातें भी असत्य मालूम होने लगती हैं, उसी प्रकार क्षण मात्र में हमें भी हमारे पंडित जी से लेकर खीले तक सब वस्तुएं मृगजलवत् मिथ्या प्रतीत होने लगीं। अब हमारा उनका सम्बन्ध ही क्या रहा? हम उनके अब कौन हैं? इस समय सिर्फ एक चिन्ता हमें थी कि यह बात नीलकमल बाबू से किस प्रकार शिष्टाचारपूर्वक कही जाय। अन्त में झिझकते हुए हमने यह बात उनसे कह दी। उस समय बोर्ड पर की भूमिति की आकृति आश्चर्य से और मेघनाद वध के अनुष्टुप छन्द की कविता निःशब्द होकर हमारी ओर देख रही थी। जाते समय पंडितजी ने नीचे लिखे उद्गार निकाले.—

'मेरा कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करने के लिये कभी-कभी मैंने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार किया होगा। परन्तु उस पर तुम अधिक ध्यान मत देना। मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया है उसका मूल्य तुम्हें बड़े होने पर मालूम होगा।'

वास्तव में उनकी शिक्षा की कीमत मुझे आगे जाकर मालूम हुई। हमारे मन के विकास का कारण हमें मातृ भाषा में मिली हुई शिक्षा ही है। सीखने की पद्धति, हो सके वहाँ तक खाने की पद्धति के समान होनी चाहिये। कौर को मुंह में रखने पर ज्योंही चबाना प्रारम्भ होता है त्यों ही मुंह में लार उत्पन्न होती है और अन्न का दबाव पड़ने के पहिले ही पेट भी अपना काम शुरू कर देता है, जिसके कारण पाचन क्रिया के लिये आवश्यक रस उत्पन्न होकर आहार का कार्य

व्यवस्थित रीति से होने लगता है। बंगाली लड़के को मातृ भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा देने से उत्कृष्ट कार्य सिद्धि नहीं हो पाती। इससे पहले ही कौर में चर्वर के साथ-साथ दांतों की पंक्तियों के ढीले पड़ जाने का डर मालूम होने लगता है मानो मुंह में भूकंप ही हो रहा हो। मानो मुंह में डाला हुआ पदार्थ पाषाण की जाति का न होकर पचने योग्य है, इसका ज्ञान उसे (बंगाली बालक को) होने के पहले ही उसकी आयुष्य का आधा समय निकल जाता है। वर्ण-रचना और व्याकरण पर सिर फुटौअल करना पड़ने से उसका पेट भूखा ही रहता है और अन्त में जब उस कौर को चबाते समय उसके मुंह में लार पैदा होने लगती है तब भूख मर जाती है। पहले से ही जो संपूर्ण मन का उपयोग नहीं किया जाय तो उसकी शक्ति आखिर तक अविकसित ही रहती है। अंग्रेजी में शिक्षा देने के सम्बन्ध में आन्दोलन होते हुए भी हमारे तीसरे भ्राता ने जो हमें मातृ भाषा में शिक्षा देने का साहस किया, उसके लिये मैं उस स्वर्गवासी आत्मा के प्रति कृतज्ञता पूर्ण साष्टांग प्रणाम करता हूं।

११
प्रोफेसर

अध्यापक शाला में हमारा शिक्षण समाप्त होने के पश्चात् हमें 'बँगाली एकेडमी' नामक एक अधगोरी (यूरेशियन) शाला में भर्ती किया गया। अब हम बड़े हो गए थे और हमें कुछ महत्व भी प्राप्त हो गया था। अब हमें मालूम होने लगा कि हम स्वतन्त्रता के मंदिर की पहली मंजिल पर पहुंच गए हैं। वस्तुस्थिति ध्यान में लेकर यदि कुछ कहना पड़े तो हम यही कहेंगे कि इस संस्था में भर्ती होने के बाद यदि किसी विषय में हमारी प्रगति हुई तो वह स्वतन्त्रता में ही हुई, दूसरे किसी में नहीं। क्योंकि हमें जो पढ़ाया जाता था उसे हम बिलकुल ही नहीं समझते थे, और न समझने का कभी प्रयत्न ही करते थे। हमारे कुछ न सीखने पर किसी को अपना हानि लाभ भी नहीं मालूम होता था। यहां के लड़के यद्यपि खुरचाली करते थे पर यह सन्तोष की बात है कि वे तिरस्करणी नहीं थे। वे अपनी हथेली पर *ASS* 'गधा' शब्द लिखते और हमारी पीठ पर उसका छापा मार कर हंस देते अथवा पीछे से हमें धक्का देकर ऐसे शान्त बन जाते थे मानो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। धीरे से पीछे आकर सिर पर चपत जमाकर भाग जाते थे, इस प्रकार एक नहीं बीसों तरह की खुरचालें वे किया करते थे। इस स्कूल में भर्ती होने के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि हम आग में से निकलकर भूंवल में आ पड़े। यद्यपि इससे हमें त्रास हुआ पर कोई ईजा नहीं हुई।

इस पाठशाला में एक बात मेरे सुभीते की थी। वह यह कि हमारे समान बड़ों के लड़के कुछ सीखेंगे, इसकी वहां कोई आशा नहीं करता था। यह शाला एक छोटी सी संस्था थी, जिसकी आमदनी खर्च के बराबर भी नहीं थी। हमारी फीस ठीक समय पर दी जाती थी। इसलिये वहां के अधिकारी हमारे प्रति आभार

दृष्टि से देखा करते थे। यह भी एक बड़ा फायदा था। बड़े आदमी के लड़के और समय पर फीस देने वाले होने से यदि लैटिन व्याकरण हमें नही आता था तो भी हमें कोई दंड नहीं देता था। हम कितनी ही गलतियां करें, पर हमारी पीठ को उसके लिये कभी इनाम नहीं दिया जाता था। इसका कारण यह नहीं था कि लैटिन सीखना हमें कठिन मालूम होता था इसलिये हम पर कोई दया करता था, किन्तु हमारे साथ व्यवहार करने के सम्बन्ध में शालाधिकारियों ने शिक्षकों को विशेष सूचनाएं दे रखी थीं।

कितनी भी निरुपद्रवी हुई तो भी आखिर तो वह शाला ही थी। इस शाला की इमारत आनन्द देने वाली न थी। कक्षा की कोठरियाँ अत्यन्त मलिन थीं और आस पास की दीवालें पुलिस के पहरेदार सिपाहियों के समान मालूम होती थीं। उस स्थान को मनुष्य के रहने का स्थान न कहकर यदि कबूतरखाना कहा जाय तो अधिक वस्तुस्थिति दर्शक होगा। वहां न तो कोई शोभा उत्पन्न करने वाली वस्तु थी और न चित्र, तसवीरें, रंग बिरंगापन आदि था, जिससे बालकों के मनों का आकर्षण हो सके।

इस बात की ओर पूर्णतया दुर्लक्ष किया गया था कि मनमोहक वस्तुओं के चुनाव से लड़कों का मन लगता है। इसका सहज परिणाम यह होता था कि दरवाजे में से भीतर के चौक में जाते हमारा शरीर और मन उत्साह-शून्य हो जाता था और इस कारण स्कूल में गैरहाजिर रहने का हम प्राय: सदा प्रयत्न करते थे।

ऐसी परिस्थिति में हमें युक्ति भी सूझ गई थी। मेरे बड़े भाई ने फारसी सिखाने के लिये एक शिक्षक नियत किया था। उसे हम 'मुंशी कहा करते थे। यह मध्यम वय का दुबला-पतला पुरुष था। उसमें न तो मांस का चिन्ह था और न रक्त का अंश ही। उसका सारा शरीर काला ठीकरा हो गया था, शायद वह फारसी अच्छी जानता होगा। अंग्रेजी का ज्ञान भी उसे अच्छा था। पर इन दोनों बातों में उसका विशेष ध्यान नहीं था। अपने गायन पटुत्व का सिर्फ लाठी के खेल से ही वह साम्य समझता था। हमारे यहाँ आँगन के बीचों-बीच गर्मी में वह खड़ा हो जाता और छाया को अपना प्रतिस्पर्धी मानकर उसे अपने मजेदार लकड़ी के हाथ दिखलाया करता था। मेरे यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि उसके बेचारे प्रतिपक्षी को कभी भी विजय नहीं मिलती थी। खेलते खेलते अन्त में वह बड़े ज़ोर से चिल्लाने भी लगता था और विजयी मुद्रा से हंसते-हंसते प्रतिपक्षी के सिर पर लाठी का प्रयोग भी करता था। इससे उसकी लाठी उसके पैरों के पास आकर टकराने लगती थी। इसी प्रकार नाक के स्वर से निकलने वाले उसके बेसुरे गाने

को भी गाना कौन कहेगा ? वह श्मशान भूमि में से निकलने वाली भयानक किकालियों का एक तरह से मिश्रण ही था। हमारे गायन-शिक्षक कभी कभी मजाक में उससे कहा करते थे कि देखो मुन्शीजी ! तुम यदि इसी तरह का क्रम रखोगे तो फिर हमारी गुजर होना मुश्किल है। इस पर तिरस्कारयुक्त मुद्रा से वह कुछ हंस दिया करता था। वस यही उसका उत्तर था अधिक नहीं।

उसके व्यवहार से हमने यह समझा कि मुंशीजी से जरा नियमपूर्वक बोलने से काम बन जाता है। बस इसी युक्ति से जब हम पाठशाला को नहीं जाना चाहते थे तब कोई एक कारण बताकर मुन्शीजी को इस बात के लिये राजी कर लेते थे कि वहाँ शाला के अधिकारियों को हमारे न आने का कारण सूचित कर दें। शाला के अधिकारियों के पास वह जो पत्र भेजता था, उसमें बतलाए हुए कारण ठीक हैं या नहीं. इसे जानने की वहाँ के अधिकारी पर्वाह नहीं करते थे और पाठशाला में हमारे अभ्यास की जैसी-कुछ प्रगति होती थी, उस पर विचार करने से यह मालूम होता है कि शाला में जाने और न जाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता था।

आजकल मेरी भी एक शाला है। उस शाला में भी सब प्रकार की खुरचालें करने वाले लड़के हैं। लड़के खुरचालें करने वाले होते ही हैं और उनके शिक्षक भी आंखों में तेल डालकर बैठे रहते हैं। लड़कों के अव्यवस्थित व्यवहार से जब हमारा सिर फिर जाया करता है और हम दंड देने का निश्चय करने लगते हैं, तब पाठशाला में रहकर की हुई मेरी सब खुरचालें पंक्तिबद्ध होकर मेरे आगे कल्पना रूप में खड़ी हो जाती हैं और मेरे पूर्वावस्था की याद दिलाती हुई मेरी ओर देखकर हंसने लगती हैं।

अनुभव से मुझे अब विश्वासपूर्वक यह मालूम होने लगा है कि बहते हुए प्रवाह के समान छोटे बालक, चालाक और कोमल होते हैं, यह बात भूलकर, हम लोग बड़ी अवस्था वाले आदमियों के व्यवहार की कसौटी से छोटे बालकों के भले-बुरे व्यवहार की परीक्षा करते हैं पर यह भ्रम है और इसलिए बाल चरित्र में कुछ कमी होने पर आकाश-पाताल एक करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रवाह का जोर ही सुधार करने का - दोष दूर करने का—उत्कृष्ट साधन बन जाता है। परन्तु जब प्रवाह बंद होकर पानी के छोटे-छोटे डबके बन जाते हैं, तब वास्तव में बहुत अड़चन पड़ती है। इसलिये अव्यवस्थित व्यवहार के सम्बन्ध में सावधानी की आवश्यकता विद्यार्थियों की अपेक्षा शिक्षक को ही अधिक है।

सब लोग अपनी अपनी जाति के नियम पालन कर सकें, इस दृष्टि से बंगाली विद्यार्थियों के उपहार के लिये हमारी पाठशाला में स्वतंत्र स्थान नियत था। अपने

दूसरे बंगाली बन्धुओं से मैत्री करने का यही स्थान था। वे सब लड़के अवस्था में मुझसे बड़े थे। उनमें से एक लड़के के सम्बन्ध में कुछ लिखना हानिकारक न होगा, ऐसी आशा है।

इस लड़के में यह विशेषता थी कि वह जादू का खेल करने में बहुत ही निपुण था। इस विषय पर इसने एक पुस्तक भी लिखी थी और वह छप भी गई थी। पुस्तक के मुख पृष्ठ पर उसके नाम के पहले 'प्रोफेसर' शब्द भी झलक रहा था। इसके पहिले किसी भी लड़के का नाम छपा हुआ मैंने नहीं देखा था। इसलिए 'जादू के प्रोफेसर' के नाते से उसके प्रति मुझमें एक विशेष प्रकार का आदरभाव उत्पन्न हो गया था। उस समय मैं समझता था कि ऐसी कोई बात नहीं छप सकती जो संशययुक्त हो। कभी न पुछने और उड़ने वाली स्याही से अपने नाम के शब्दों को छापकर सदा के लिये स्थायी बना देना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है और न अपने छपे शब्दों द्वारा जग के आगे खड़े होने में कम पुरुषत्व ही है। इस प्रकार का आत्मविश्वास आँखों के आगे खड़े होने पर कौन उस पर विश्वास न करेगा। एक बार मैंने एक छापेखाने में से अपने नाम के अक्षर छापने के लिए मगाए और जब उन पर स्याही लगाकर मैंने अपना नाम छापा तो उसे देखकर मैं समझा वाह, यह कितनी स्मरणीय बात हुई।

हमारे इस गुरु बंधु और ग्रन्थकार मित्र को कभी कभी हम अपनी गाड़ी में स्थान दिया करते थे। इस कारण हम दोनों का प्रेम बढ़ने लगा और बराबर मुलाकात होने लगी। वह नाटक में भी अच्छा स्वांग लेता था। उसकी सहायता से हमने अपने तालीमखाने में एक स्टेज रंगभूमि बनाई थी। इसकी चौखट बांस की थी, जिस पर कागज चिपका दिए थे, पर ऊपर से नाटक करने की मनाही का हुक्म आने से हम इस रंगभूमि में खेल न कर सके, अतः हमें बड़ी निराशा हुई।

इसके बाद बिना स्टेज के ही हमने 'भ्रान्ति कृत चमत्कार' नामक नाटक खेला। पाठकों को इस नाटक के रचयिता का परिचय इस जीवन स्मृति में पहले ही दिया जा चुका है। वह हमारा भांजा 'सत्य' था। इसकी आजकल की शांत और गभीर प्रकृति को यदि कोई देखेगा तो उसे यह सुनकर अवश्य ही आश्चर्य होगा कि बाल्यवास्था में यही प्राणी अनेक खुरचालों का जनक रहा है। मैं यह जो कुछ लिख रहा हूं, यह घटना मेरी बारह-तेरह वर्ष की अवस्था के बाद की है। हमारे जादूगर मित्र ने कितनी ही वस्तुओं के चमत्कारपूर्ण गुण, धर्म बतलाए थे। उन चमत्कारों को देखने की मुझे बड़ी जिज्ञासा थी। परन्तु उसने जो चीजें

वतलाई थीं, उन चीजों का प्राप्त करना वड़ा ही कठिन था। एक वार ऐसी दिल्लगी हुई कि प्रोफेसर साहव प्रयोग में इतने तल्लीन हो गए कि प्राप्य वस्तु का नाम ही उन्हें याद नहीं रहा। उस वस्तु के रस में इक्कीस वार वीज को भिगो देने पर तुरन्त ही उसमें अंकुर फूटते हैं, फिर फूल आते हैं और उसके वाद फल लगने लगते हैं और यह सव क्रिया एक घडी के भीतर ही भीतर हो जाती है। भला इस वात पर कौन विश्वास करेगा ? यद्यपि जिसका नाम पुस्तक पर छपा हुआ है, हमारे उस प्रोफेसर की वात पर मैंने अविश्वास तो नहीं किया, पर इस वात की आजमाइश करने का निश्चय अवश्य किया।

हमने अपने माली के द्वारा उस वनस्पति का वहुतसा रस मंगवाया और एक रविवार के दिन आम की गुठली पर प्रयोग करने के लिए मैं ऊपर के एक कोने में जादूगर वन कर वैठा। गुठली को रस में डुवाने और सुखाने के काम में मैं विलकुल गड़-सा गया था। मेरी इस क्रिया का क्या परिणाम हुआ, यह जानने के लिए वयस्क पाठकों को ठहरने की जरुरत भी नहीं है। इधर दूसरे कोने में सत्य ने स्वतः जादू का वृक्ष तैयार किया था, उसमें एक घड़ी के अन्दर अंकुर फूट निकला था, यह वात मुझे मालूम नहीं हुई। आगे जाकर इस अंकुर में चमत्कारिक फल लगने वाले थे।

इस प्रयोग के वाद प्रोफेसर साहव हमसे अलग रहने लगे। यह वात धीरे-धीरे हमारे भी ध्यान में आ गई। गाडी में वह हमारे पास वैठने से झिझकने लगा। वह हमें देखकर गर्दन नीची कर लिया करता था।

एक दिन पाठशाला में उसने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि सव अपनी-अपनी वारी से वेंच पर से कूदें। उसमें इसने प्रत्येक का कौशल आजमाने का उद्देश्य वतलाया था। जादू के प्रोफेसर में इस प्रकार की शस्त्रीय जिज्ञासा होगी - आश्चर्यजनक नहीं था। खैर ! हम सव कूदे। मेरे कूदने पर उसने 'हूं' कहकर गर्दन हिलाई, हमने उसके मन का अभिप्राय जानने को उसे वहुत कुछ हिलाया-डुलाया, पर उसके मुंह से इससे ज्यादा कुछ न निकला।

फिर एक दिन उसने हमसे कहा कि हमारे कुछ भले मित्रों की आपसे परिचय करने की इच्छा है, अतः आप मेरे घर चलें। हमारे घर से भी हमें आज्ञा मिल गई और हम उसके साथ गए। वहां वहुत से लोग एकत्रित थे और कौतूहलोत्सुक दिखलाई पडते थे। उन लोगों ने मुझसे कहा कि हमें तुम्हारा गाना सुनने की वडी इच्छा है। उनकी इच्छा के अनुसार मैंने एक दो पद गाए। मैं एक छोटा वालक था, अतः

मैं बैल के समान थोड़े ही डकार सकता था। मेरे स्वर को सुनकर सब लोग वाह! वाह! करने लगे और कहने लगे कि बहुत मधुर आवाज है।

फिर हमारे आगे नास्ते का सामान रखा गया। हमारे खाने के समय सब लोग हमारे आस पास बैठ गए और हमें बड़े ध्यान से देखने लगे। मैं स्वभावतः लजालू था। इसके सिवा दूसरे लोगों के सहवास का मुझे अभ्यास भी नहीं था और भी एक बात थी कि हमारे नौकर ईश्वर के कारण मुझे थोड़ा खाने की आदत पड़ गई थी। अतः वहां मैंने बहुत थोडा खाया। मेरे इस व्यवहार पर उन लोगों का यह पक्का मत हो गया कि मैं खाने के काम में बडा नाजुक हूँ।

इस नाटक के अंतिम अंक में मुझे उस प्रोफेसर ने कुछ प्रेम-पूर्ण पत्र भेजे। उन पर से सब बात खुल गई और हमारे उनके परिचय का अंतिम पर्दा गिर गया।

आगे जाकर सत्य से मुझे मालूम हुआ कि अच्छी तरह से शिक्षा देने के लिये मेरे पिता ने मुझे लडकों जैसे कपड़े पहिना रखे हैं, वास्तव में मैं लडकी हूँ। आम की गुठली पर जादू का प्रयोग करते समय सत्य ने यह बात मेरे मन पर अच्छी तरह जमा दी थी।

जादू के खेल में मजा का अनुभव करने वालों से ऊपर की बात का इस प्रकार खुलासा करना उचित मालूम होता है कि लोगों का यह विश्वास है कि लड़कियां बांया पैर आगे करके कूदती हैं। प्रोफेसर ने जब मुझसे कूदने को कहा था, तब मैं भी इसी प्रकार कूदा था। यही देखकर उसने 'हूं' कहा था। उस समय मेरी कितनी भारी भूल हुई कि यह बात मेरे ध्यान तक में नहीं आई।

१२
मेरे पिता

मेरा जन्म होने के बाद तुरंत ही मेरे पिता ने बारहों महीने इधर-उधर प्रवास करना प्रारंभ किया। इस कारण यदि यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी कि बाल्यावस्था में उनसे मेरा बिलकुल ही परिचय नहीं हो पाया था। कभी-कभी आकस्मिक रीति से वे घर पर आते थे। उस समय उनके साथ प्रवासी नौकर-चाकर भी रहते थे। उन नौकरों के साथ मिलाप करने की मुझे बड़ी इच्छा रहती थी। एक बार लेनू नामक तरुण पंजाबी नौकर उनके साथ आया था। हमने जो उसका प्रेम-पूर्ण स्वागत किया था, वह महाराजा रणजीत सिंह के स्वागत से कम नहीं था। वह जाति से ही परदेशी नहीं था, किंतु नखशिख से भी परदेशी था। इस कारण उस पर हमारा बहुत प्रेम हो गया था। सम्पूर्ण पंजाबी राष्ट्र के प्रति महाभारत के भीमार्जुन के समान ही हमारा आदर भाव था, क्योंकि वे लड़वैये लोग हैं। यदि समरांगण में लड़ते-लड़ते उनका कभी पराभव हुआ तो उसमें उनके शत्रु का ही दोष समझना चाहिये। ऐसे शूर पंजाबी का हमारे घर में होना, हम अपना भूषण समझते थे। मेरी भौजाई के पास लड़ाऊ जहाज की नकल का खिलौना था। वह कांच की अलमारी में रखा रहता था। चाबी देते ही नीले रंग की रेशमी लहरों पर वह टिक्-टिक् आवाज के साथ चलने लगता था।

कौतुकपूर्ण लेनू को उस खिलौने का चमत्कार दिखाने के लिए थोड़े समय के वास्ते वह खिलौना देने को मैं भौजाई से बड़ी अनुनय-विनय किया करता था। सदा घर में रहने के कारण किसी भी नूतन बाह्य वस्तु का सम्बन्ध होते ही मेरे मन पर उसका विलक्षण प्रभाव पड़ा करता था। लेनू के प्रभाव का यही एक कारण था। रंग-बिरंगा, ढीला-ढीला चोगा पहिने हुए, इत्र और तेल बेचने के लिए आने वाले

डीब्रिथल नामक यहूदी इत्र वाले की ओर भी मेरा मन इसी प्रकार आकर्षित होता था। इसका भी कारण यही था। थैले के समान ढीले-ढाले पाजामे पहिनकर और कंधों पर बड़ी-बड़ी पोटलियां लटका कर आने वाले कावुली लोगों को देखकर भी मेरा मन विलक्षण रीति से मोहित हो जाता था।

मेरे पिता जब घर आते थे, तव उनकी सवारी के लवाजमे के आस-पास चक्कर लगाने से और उनके नौकरों के साथ परिचय करने से हमें समाधान हो जाता था। प्रत्यक्ष पिताजी के पास जाने का हमें साहस ही नहीं होता था।

एक वार हमारे पिताजी हिमालय गये हुए थे। उन दिनों हिन्दुस्तान पर रूस की चढ़ाई करने की अफवाह उड़ी थी। यह अफवाह लोगों के प्रक्षुब्ध चर्चा का एक विषय बन गया था। मेरी माता की एक मंत्रिणी ने उसके पास आकर सद्हेतु-पूर्वक नमक-मिर्च मिलाते हुए भावी संकट का काल्पनिक वर्णन किया कि तिब्वत की किस पहाडी में से रशिया का सैन्य-समूह धूम्रकेतु के समान कव आ पहुंचेगा, यह कौन कह सकता है? मेरी माता इस अफवाह से एकदम घबरा गई थी। संभव है कि कुटुम्ब के दूसरे लोग उसके भय के भागीदार वने न होंगे, इसलिये जब उसने देखा कि बडे लोगों की सहानुभूति उसके प्रति नहीं है तब उसने मेरा—लड़के का—आश्रय लिया।

उसने बडे अनुनयपूर्ण भावों से मुझसे कहा कि रशिया की चढ़ाई के संवंध में तू अपने पिताजी को पत्र लिख। आज तक मैंने पिताजी को कभी पत्र नहीं लिखा था। माता के कहने से लिखा हुआ मेरा यही पहला पत्र था। पत्र का प्रारंभ किस प्रकार किया जाए और उसका अंत किस प्रकार हो—वह मुझे विलकुल मालूम नहीं था। अत. मैं अपनी जमींदारी के मुंशी महानंद के पास गया और उसकी सहायता से मैंने सिरनामा लिखा। यद्यपि लिखा हुआ सिरनामा विलकुल ही ठीक था पर उसमें दरवारी झोंक आ गई थी। समाचारों में मनोविकार मेरे थे, पर उस पर दरवारी भाषा का आवरण था।

मेरे पत्र का मुझे उत्तर मिला कि तुम कुछ चिन्ता मत करो। यदि रशियन लोग चढ़ाई करके आते ही होंगे तो मैं स्वत उन्हें भगा दूंगा। इस अभय वचन से भी मेरी माता का भय दूर नहीं हुआ, पर मेरे मन में पिता के सम्वन्ध में जो भय था, वह दूर हो गया। इसके वाद पिताजी को रोज पत्र देने की मेरी इच्छा होती थी और इसके लिए मैं महानंद को सताया करता था। मेरा आग्रह वहुत अधिक होता था अत: उसका तोडना कठिन होने के कारण वह मुझे लिख दिया करता था। वह

मसौदा तैयार कर देता था, मैं उसकी नकल करता था, परन्तु मुझे यह नहीं मालूम था कि पत्र पर पोस्ट की टिकटें भी लगानी पडती हैं । मेरी यह कल्पना थी कि महानन्द को पत्र दे देने पर वे अपने स्थान पर जा पहुंचते हैं। उनके लिए फिर विशेष त्रास करने की जरुरत नहीं होती । महानंद मेरी अपेक्षा अवस्था में बडा था और वह सब बात समझता था अतः मेरे पत्र अपने स्थान पर पहुंच जाया करते थे ।

बहुत दिनों के बाद मेरे पिता घर पर थोड़े दिनों तक रहने के लिए आया करते थे । वे थोडे ही दिनों के लिए क्यों न आवें, पर उनका दबदबा घर भर पर रहा करता। हमारे घर के दूसरे बड़े आदमियों को भी कपडे पहिन कर, चबाये हुए पान को थूककर धीरे-धीरे सौम्य मुद्रा से पिता के कमरे में जाते हुए हम देखते थे। सब लोग उस समय बहुत तत्वपर दिखने लगते थे और रसोईघर में किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने देने के लिए स्वत मेरी मां उस पर देख-रेख करने लगती थी। किनू नामक एक वृद्ध चोबदार सफेद अंगरखा पहिने और सिर पर तुर्रेदार पगडी लगाए हुए पिताजी के कमरे के पास खडा रहता था और दुपहर के समय, जबकि पिताजी सो जाया करते थे, वह हमें बरामदे में शोर न करने के लिए चेतावनी दिया करता था। जब हमें पिताजी के कमरे के आगे से निकलना होता था तो पैरों की आवाज न करते हुए धीरे-धीरे बिना कुछ बोलें हम लोग निकलते थे। उनके कमरे में झुककर देखने की भी हमें हिम्मत नहीं होती थी ।

एक बार हम तीनों भाइयों का व्रतबंध करने के लिए पिताजी घर पर आए। व्रतबंध की क्रिया के लिए उन्होंने पंडित वेदान्त वागीश की सहायता से वेद की प्राचीन विधि संकलित की थी। उपनिषदों में से कुछ सूक्तियां स्वतः ढूंढकर उन्होंने उसका संग्रह किया था और उस सग्रह का नाम ब्रह्म-धर्म रखा था। प्रार्थना मंदिर में विचार बाबू की अधीनता में यह सग्रह स्वर-पाठ सहित हमें सिखाने का काम कितने ही दिनों तक चला था। अंत में हमारी क्षौर करवाकर और हमारे कान में सोने की बाली डालकर तथा ब्राह्मण की दीक्षा देकर हम तीनों को तीसरे मंजिल पर एक एकान्त स्थान में तीन दिनों तक रखा गया था। वह एक बड़ी सजा थी। बाली पकड़कर हम तीनों एक दूसरे के कान खींचा करते थे। दूसरी दिल्लगी यह करते थे कि बरामदे में खड़े होने पर नीचे की मंजिल में जब हम किसी नौकर को इधर से उधर जाते आते देखते तो ऊपर से पड़धम पर हम एक थाप मार देते थे।*

---

*नोट — बंगालियों में व्रतबंध के समय कान छेदने की भी क्रिया होती है और कानों में सोने की बालियां डालते है। तीन दिनों तक एकान्त में वेद पाठ करते हुए उस बालक को व्रतस्थ रहना पडता है। व्रतबंध की विधि पूर्ण होने के पहले ब्राह्मणेतर यदि व्रतस्थ को देखते हैं तो उन्हें पाप लगता है, ऐसा उन लोगों का विश्वास है ।

नीचेवाला आवाज सुनकर ऊपर देखने लगता था और हमें देखते ही सिर झुका लेता था। साधारणतया यह नहीं कहा जा सकता कि एकान्त काल के दिन हमने विरक्तिपूर्वक ध्यानस्थ रहकर व्यतीत किए। प्राचीन काल के आश्रमों में भी हमारे समान कम लडके न होंगे। दस दस, बारह-बारह वर्ष की अवस्था वाले अपनी पूर्ण बाल्यावस्था वलिसमर्पण और मंत्र पाठ करने में ही व्यतीत कर देते थे। यह बात किसी प्राचीन काल के लेख में लिखी हुई मिलने पर भी उस पर अंध-श्रद्धा रखना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि अन्य पुस्तकों की अपेक्षा बाल-स्वभाव की पुस्तक अधिक प्राचीन और विश्वसनीय है।

ब्राह्मणत्व की पूर्ण दीक्षा मिलने पर मैं तत्परता और एकाग्रता से गायत्री का जप करने लगा। गायत्री की भाषा ही ऐसी है कि उस अवस्था में उसका अर्थ मालूम होना बिलकुल अशक्य था। भुर भुवर और स्वर्ग से आरंभ हुए उस मंत्र की सहायता से मैंने अपनी ज्ञान शक्ति के मर्यादित क्षेत्र को विस्तृत करने का जो प्रयत्न किया था, उसकी मुझे अच्छी तरह याद है। गायत्री के शब्दों का अर्थ करना मुझे कितना कठिन क्यों न हो गया, पर इतनी बात बिलकुल निश्चित है कि शब्द का स्पष्ट अर्थ जान लेने का काम, मनुष्य की आकलन शक्ति का मुख्य काम नहीं है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, यह शिक्षा का मुख्य ध्येय न होकर, मन के द्वार को खटखटाना ही उसका मुख्य ध्येय है। इस खटखटाने से किस बात की जागृति हुई, यदि यह किसी बालक से पूछा जाय तो उसका वह उत्तर कुछ का कुछ देगा। वह अपने मन का वर्णन यथोचित शब्दों से नहीं कर सकेगा। इसका कारण यह है कि मनुष्य शब्दों से जो बात प्रकट कर सकता है उसकी अपेक्षा कितना ही अधिक उलट फेर अन्तरंग में होता रहता है। मन में बहुत सी बातें उत्पद्यन्ते विलीयंते होती हैं। मन बहुत सी बातों को समझता भी है, परन्तु उन सब को इच्छा होते हुए भी शब्दों से प्रकट नहीं कर सकता। मनुष्य की शिक्षा माप विश्वविद्यालयों की परीक्षा को मानने और उसपर पूर्ण विश्वास रखने वाले लोग ऊपर की बात को बिलकुल ध्यान में नहीं रखते। ऐसी बहुत सी बातें, जिन्हें मैं बिलकुल नहीं समझता था, पर जो अन्तरंग में खलबली पैदा कर देती थीं, मुझे याद हैं। एक बार गंगा किनारे के उद्यान-गृह की गच्ची पर मैं खड़ा हुआ था, आकाश में बादलों का समूह एकदम जमते देखकर मेरे बड़े भाई ने कालीदास की मेघदूत के कुछ श्लोक पढ़े। उस समय संस्कृत का एक भी शब्द मैं नहीं समझता था और न समझने की जरूरत ही थी। परन्तु स्पष्ट और तेज आवाज में उन श्लोकों को स्वर के साथ बोलने में उन्होंने जो अत्यानन्द दर्शक वक्तृत्व का प्रदर्शन किया था, वही मेरे लिए काफी था। इसके बाद एक दिन

इसी प्रकार मेरे अंग्रेजी समझने के पहले *The old curiosity shoo* नामक पुस्तक की एक सचित्र प्रति मेरे हाथ में आई। कम से कम नवदशांश शब्द मुझे नहीं आते थे तो भी मैंने वह पुस्तक अथ से इति पर्यन्त पढ़ डाली थी। समझे हुए शब्दों की सहायता से कुछ स्पष्ट कल्पनाओं को अस्पष्ट किया व उनकी सहायता से पुस्तक के विषय को गूंथने के लिए चित्र-विचित्र रंग का धागा मैंने तैयार किया। विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षक ने मुझे, मेरे इस पुस्तक के वाचने के सम्बन्ध में नम्बरों की जगह अंडाकार शून्य ही दिया होता, पर वास्तव में देखा जाय तो मेरा पुस्तक का वाचन निरुपयोगी नहीं हुआ।

एक समय मैं अपने निजी डोंगे पर पिताजी के साथ गंगानदी में सैर करने के लिये गया हुआ था। उन्होंने अपने साथ जो पुस्तकें ली थीं, उसमें गीत गोविन्द की एक फोर्टविलियम प्रति भी थी। वह पुस्तक बंगला लिपि में छपी हुई थी। उस समय मुझे संस्कृत नहीं आती थी, परन्तु बंगाली का बहुत कुछ ज्ञान हो गया था। इसलिए उसमें बहुत से मेरे परिचित शब्द थे। यद्यपि मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने गीत गोविन्द के कितने पारायण किये थे, पर एक पंक्ति मुझे अच्छी तरह स्मरण है:—

निभृत निकुंज गृहं गतया निशि रहसि विलीय वसतम।

इस पंक्ति से स्पष्ट सौंदर्य का वातावरण मेरे मन के चारों ओर फैल गया था। वन में की निर्जन कुटी, इस अर्थ का एक ही संस्कृत शब्द 'निभृत निकुंज गृहम्' मेरे लिए काफी था। यह पुस्तक गद्य के समान छपी हुई होने के कारण वृत्तों के भिन्न-भिन्न चरण एक दूसरे से मिल गए थे और उन्हें मुझे ही ढूंढ़ना पड़ा था। इस खोज से मुझे बहुत आनन्द हुआ। यद्यपि जयदेव के सम्पूर्ण अर्थ को समझना तो दूर रहा, उसके थोड़े से भी अर्थ को भी मैं समझ सका, यह निश्चयपूर्वक कहना सत्य के विरुद्ध होगा, तो भी शब्दों की ध्वनि और छन्दों की मधुरता ने अपूर्व सौंदर्य-युक्त चित्र निर्माण करके मेरे मन को इतना मोहित कर लिया था कि मेरे निज के उपयोग के लिये शुरू से आखिर तक उस पुस्तक की नकल किये बिना मुझे चैन नहीं पड़ा।

मेरी कुछ अधिक वय हो जाने पर कालिदास के कुमारसम्भव का एक श्लोक मेरे बांचने में आया। उस समय भी मेरी यही दशा हो गयी थी। उस श्लोक ने मेरे मन को बहुत चालन दिया था। इस श्लोक की पहिली दो पंक्ति का अर्थ मेरी समझ में आ गया था। वह यह था कि—'पवित्र मंदाकिनी के प्रवाह के तुषार को उड़ा ले जाने वाला और देवदार के पत्रों को हिलाने वाला वायु।' समग्र

श्लोक में कहे हुए सौंदर्य के आस्वादन की मुझे उत्कण्ठा हुई। कुछ समय बाद एक पंडित ने मुझे आगे की पंक्तियों का यह भावार्थ बतलाया कि 'व्याध के सिर पर लगे परों को उडाने वाला वायु।' इस अर्थ से मुझे बड़ी निराशा हुई। इससे तो अर्थ जानने के लिये जब मैं अपनी कल्पना शक्ति पर ही अवलंबित था, तभी मुझे आनंद होता था।

बाल्यावस्था की बातों को स्मरण करने का जो प्रयत्न करेगा उसका यही मत होगा कि बाल्यावस्था में जो अपूर्व लाभ हुए हैं उनके और आकलन शक्ति के विकास के प्रमाण परस्पर में कभी नहीं मिलते। हमारे भाट लोग यह तत्व अच्छी तरह जानते हैं। इसलिये उनके वर्णन में संस्कृत शब्द और गहन विषयों का प्रतिपादन ओत-प्रोत भरा रहता है। सादे और भावुक श्रोताओं को वे बातें समझ में नहीं आतीं, फिर उनका उपयोग क्या? बड़े-बड़े लम्बे संस्कृत शब्द और गहन प्रतिपादन, इनका यदि श्रोतागण आकलन न कर सकें तो भी उनसे उनके संलग्न विचार सूचित होते हैं और विचारों को चालन मिलता है, यह क्या कम लाभ है।

जो लोग शिक्षा की नाप-जोख आदि-भौतिक हानि-लाभ की तराजू में डालकर करते हैं, वे भी इस सूचक शक्ति की अवहेलना नहीं कर सकते। यद्यपि सीखे हुए पाठ में से कितने अंश का बालक आकलन कर सके हैं, इसका गणित के द्वारा निश्चय करने का ये लोग आग्रह करते हैं, परन्तु इससे ज्ञान के उस नंदन-वन-ज्ञान की अन्तर शक्ति का ह्रास हो जाता है, जिसमें बालक और अधिक शिक्षा नहीं पाए हुए लोग रहते हैं। परिणाम यह होता है कि ज्ञान की अन्तर-शक्ति नष्ट हो जाती है और आकलन शक्ति के बिना किसी भी बात का ज्ञान न होने का दुर्दिन प्राप्त हो जाता है।

आकलन शक्ति के भयानक मार्ग के अवलंबन के बिना वस्तुज्ञान करा देने वाला मार्ग, राजमार्ग है। यह मार्ग बन्द कर देने पर जगत का व्यवहार सदा के अनुसार चलते रहने पर भी स्वैरगति सागर और पर्वत की उत्तुङ्ग शिखरें भी अपने वश में न रहेंगी।

मेरे ऊपर कहे अनुसार, उस अवस्था में यदि मैं गायत्री के सम्पूर्ण अर्थ का आकलन नहीं कर सका, तो भी उससे कोई हानि न होकर कुछ न कुछ लाभ ही हुआ। मनुष्य मात्र में ऐसी एक शक्ति रही हुई है कि किसी विषय का पूर्णतया

आकलन न होने पर भी उसका काम नहीं रुकता, प्रत्युत अच्छी तरह चलता ही रहता है। एक दिन का मुझे स्मरण है कि उस दिन हमारे पढ़ने के कमरे के एक कोने में चूने गच्ची की जमीन पर बैठकर गायत्री के शब्दों का मैं विचार कर रहा था। उस समय मेरे नेत्र आंसुओं से भर गए। वे आंसू क्यों आए थे? इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया और यदि किसी ने आग्रहपूर्वक अश्रु आने का कारण पूछा ही होता तो मैंने गायत्री से उसका कोई सम्बन्ध भी नहीं बतलाया होता। मेरे आंसू आने के कारण का ज्ञान न होने में वास्तविक तत्व यह है कि अंतरंग में ज्ञान शक्ति के जो व्यापार चलते रहते हैं, उनका ज्ञान बाह्य जगत् में रहने वाले 'मैं' को नहीं हो पाता।

१३

पिताजी के साथ प्रवास

मेरे सिर मुंडन के कारण, मौजी बन्धन समारंभ के बाद मुझे एक बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई। गाय के दूध से तैयार होने वाले 'सन्देश, रसगुल्ला' आदि पदार्थों के सम्बन्ध में यूरेशियन लड़कों का कितना ही अच्छा मत हुआ तो भी ब्राह्मणों के सम्बन्ध में उनमें आदर बुद्धि का पूर्ण अभाव रहता है। हमसे छेड़खानी करने के उनके पास जो अनेक शस्त्रास्त्र होते हैं, उन पर विचार न भी किया जाय तो भी हमारा मुंडन किया हुआ सिर ही छेड़खानी के लिये काफी था। इसलिये मुझे चिन्ता थी कि शाला में जाते ही अपनी छेड़खानी बिना हुए न रहेगी। ऐसी चिन्ता के दिनों में एक दिन मेरे पिता ने मुझे ऊपर बुलाकर पूछा कि क्या तुझे मेरे साथ हिमालय चलना रुचिकर मालूम होता है? मैं विचारने लगा 'बंगाल एकेडेमी' से दूर जाना और सो भी हिमालय' पर इस बात से मुझे जितना आनन्द हुआ है वह बतलाने के लिये यदि मुझमें आकाश को आनन्द स्वर से गुंजा देने की आज शक्ति होती तो कितना अच्छा होता।

हमारे जाने के दिन मेरे पिता ने सदा के रिवाज के अनुसार परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिये घर के सब लोगों को प्रार्थना मन्दिर में एकत्रित किया। प्रार्थना समाप्त हो जाने पर अपने गुरुजनों का चरण स्पर्श करके पिताजी के साथ मैं गाड़ी में जा बैठा। मेरे लिये सम्पूर्ण पोशाक बनने का मेरे अब तक के जीवन में यह पहला ही अवसर था। मेरे पिताजी ने स्वतः कपड़े और रंग का चुनाव किया था। नवीन वस्त्रों में जरी के बेल बूटों वाली मखमली टोपी भी थी। उस पर मेरे केश रहित मस्तक के सान्निध्य से न मालूम क्या परिणाम हो, इस भय से मैंने वह टोपी हाथ में ही ले ली थी। परन्तु गाड़ी में बैठते ही टोपी लगाने की पिताजी की

आज्ञा मिलने से मुझे टोपी लगानी ही पड़ी। पिताजी की नजर फिरते ही टोपी भी सिर से अलग हो जाती थी और ज्योंही उनकी नजर इस ओर हुई कि वह भी अपने स्थान पर विराजमान हो जाती थी।

अपनी व्यवस्था और आज्ञा के सम्बन्ध में मेरे पिता बड़ी छानबीन करते थे। कोई भी बात संदिग्ध अथवा अनिश्चित रहने देना, उन्हें पसन्द नहीं था और न कुछ सबब बतलाकर टालमटूल करना ही उन्हें अच्छा लगता था। परस्पर के सम्बन्ध को नियमित करने के लिये उन्होंने नियम बना दिये थे। अपने देश बंधुओं के बहु-जन-समाज से इस बात में वे बिलकुल ही भिन्न थे।

हम लोग, यदि एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में बेपरवाही कर जाते हैं तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। परन्तु उनके साथ व्यवहार करने में हमें परिश्रम करके भी बहुत कुछ व्यवस्थित रहना ही पड़ता था। काम थोड़ा हुआ या बहुत, इसके सम्बन्ध में वे कुछ नहीं बोलते थे, पर काम जिस प्रकार का होना चाहिये, यदि उस प्रकार का नहीं होना था तो वे बिगड़ उठते थे। वे जो काम करवाना चाहते थे, उसकी छोटी से छोटी बात निश्चित कर देने की उनकी आदत थी। घर में यदि कोई उत्सव होने वाला होता और वे उस समय यदि घर में नहीं रह सकते होते तो कौन सी वस्तु कहां रखी जाय, कौनसा अतिथि कहां ठहराया जाय आदि सब बातें स्वयं निश्चित कर देते थे। कोई भी बात उनकी नजर से नहीं छूटती थी। उत्सव हो जाने पर सब लोगों को बुलाते और अपने ठहराये हुए कामों का सब वर्णन सुनकर फिर अपने मन में निश्चित करते थे कि उत्सव किस प्रकार का हुआ होगा। इसी कारण प्रवास में उनके साथ रहते समय मुझे मनोविनोद करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं थी, पर दूसरी बातों में उन्होंने जो मार्ग निश्चित कर दिया था, उससे दूर जाने का मुझे बिलकुल ही अवसर नहीं था।

हमारा पहला मुकाम बोलपुर में होने वाला था। थोड़े दिनों पहिले सत्य भी अपने माता-पिता के साथ बोलपुर जाकर लौट आया था। उसने हमसे अनेक प्रवास का जो वर्णन किया था, उस वर्णन को उन्नीसवीं शताब्दी के किसी भी स्वाभिमानी बालक ने रत्तीभर भी महत्व नहीं दिया होता। हमारी मनोभावना ही भिन्न प्रकार की थी। शक्यता और अशक्यता के अन्त को जान लेने की क्रिया सीखने का पहले हमें कभी अवसर ही नहीं मिला था। यद्यपि महाभारत और रामायण की पुस्तकें हमने वांची थीं, पर उन्होंने भी हमें इस विषय में कुछ नहीं सिखलाया था। लड़कों को अनुकरण करने का मार्ग सिखाने वाली बालकोपयोगी सचित्र

पुस्तकें भी उस काल में प्रचलित नहीं थीं। इसलिए जगत के नियमन करने वाले नकद नियमों का ज्ञान हमें ठोकरें लगने से ही हुआ।

सत्य ने हमसे कहा था कि जो मनुष्य बहुत अनुभवी न हो उसका रेलगाड़ी में चढ़ना बहुत धोखे का काम है। जरा चूके कि गए, मामला खत्म हुआ। उसने हमसे यह भी कहा था कि रेलगाड़ी के चलते समय अपनी जगह को जितना हो सके, उतने बल से पकड़कर रखना चाहिये, नहीं तो गाड़ी के धक्के से मनुष्य कहां जा गिरेगा, यह नहीं कहा जा सकता। उसके इस कहने पर से जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो थर-थर कांपने लगा। हम लोगों के इतनी सहज रीति से डिब्बे पर चढ़ जाने पर भी मुझे यही विश्वास रहा कि कठिन प्रसंग तो अब आगे आने वाला है। अंत में जब गाड़ी चलने लगी और संकट का कोई भी चिन्ह दिखलाई नहीं पड़ा, तब मुझे धीरज बंधा और बड़ी निराशा हुई।

गाड़ी वेगपूर्वक चलने लगी। दूर दूर तक फैले हुए बड़े-बड़े खेत, उनकी मेड़ों पर के जामुनी और हरे रंग के वृक्ष, उन वृक्षों की गहरी छाया में स्थिर गांव, चित्र के समान एक के बाद एक आते और मृग-जल के पूर के समान हो जाते थे। हम जब बोलपुर पहुंचे, तब संध्या हो गई थी। म्याने में बैठते ही मेरे नेत्र झपकने लगे। जगने पर प्रातःकाल के प्रकाश में मेरा देखा हुआ दृष्य ज्यों का त्यों दिखे, इसलिये उस आश्चर्यजनक दृश्य को सम्हालकर रखने की मेरी इच्छा थी। मुझे यह भय मालूम होने लगा कि संध्याकाल के धुंधले प्रकाश में यदि नेत्र खुले रख कर उस दृश्य के कुछ भाग का हम अवलोकन करेंगे तो प्रातःकाल के आनन्ददायक समय में उस सौंदर्य का जो मधुर अनुभव हमको मिलेगा, उसकी नवीनता कम हो जायेगी।

सुबह जगकर जब मैं बाहर आया तो उस समय भी अंतःकरण थर-थर कांप रहा था। मेरे पहले जिन्होंने बोलपुर देखा था, उन्होंने कहा था कि जगत् में कहीं न मिलने वाली एक बात बोलपुर में है। वह एक रास्ता है जो कि मुख्य भवन से लेकर नौकरों के रहने के स्थान तक गया है। इस पर चलने वाले को न तो धूप लगती है और न वर्षा के दिनों में पानी की बूंद उन पर गिरती है। जब मैं बोलपुर पहुंचा तो रास्ते को ढूंढने लगा, पर मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया और यह सुनकर शायद पाठकों को आश्चर्य न होगा कि आजतक भी उस रास्ते का मुझे पता न लगा।

मेरा पालन-पोषण शहर में होने के कारण इस समय तक मैंने गेहूं के खेत नहीं देखे थे। ग्वालों के बच्चों के सम्बन्ध में मैंने पुस्तक में पढ़ा था और अपनी

कल्पना-शक्ति के चित्रपट पर उनकी एक सुन्दर प्रतिमा भी मैंने बनाई थी। सत्य ने मुझसे कहा था कि बोलपुर में घर के आस पास पके हुए गेहूं के खेत हैं, उनमें ग्वालवालों के साथ रोज खेल खेला करते हैं। खेत में मुख्य काम बाल को तोड़ना, भूंजना और फिर मसलकर खाने का होता है। बोलपुर में जाकर जब मैंने बड़ी उत्सुकता से देखा तो वहां पड़ती जमीन पर गेहूं के खेत का नाम भी नहीं, आस-पास भले ही ग्वालों के लड़के होंगे पर दूसरे लड़कों के समूह में उन्हें कैसे पहि-चाना जाय, यह एक बड़ा प्रश्न था।

मुझे जो बात नहीं दिखी, उसे मन में से निकाल लेने को बहुत समय नहीं लगा, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा, मेरे लिए वही भरपूर था। इस स्थान पर नौकरों का शासन नहीं था और मेरे आस-पास जो रेखा खिची हुई थी, वह इस एकान्त स्थान की अधिष्ठात्री स्वामिनी (प्रकृति) द्वार खींची हुई क्षितिज पर की रेखा थी। इस रेखा के भीतर अपनी इच्छानुसार इधर-उधर भटकने को मैं स्वतन्त्र था।

इस समय मैं छोटा बालक ही था. तो भी मुझे भटकने में पिताजी की कोई रोक टोक नहीं थी। रेतीली जमीन में बरसाती पानी के कारण जगह-जगह गड्ढे हो गये थे और स्थान-स्थान पर छोटी-छोटी टेकरियां बन गई थीं, जिन पर बहुत से भिन्न-भिन्न आकार के पत्थर पड़े हुए थे। इन टेकरियों पर छोटे-छोटे झरने बहते थे, जिन सबों से मानो गुलिव्हर के वृत्तान्त को बड़ी शोभा प्राप्त हो गई थी।

मैं इस स्थान से भिन्न-भिन्न आकार और रंग के छोटे-छोटे पत्थर इकट्ठे करके अपने कोट में भरकर पिताजी के पास ले आता था। पिताजी ने इस परिश्रम की कभी अवहेलना नहीं की, प्रत्युत उत्साहपूर्ण शब्दों में वे सदा यही कहते थ— वाह! क्या अच्छे हैं। अरे! तुझे ये कहाँ मिले?

मैं तुरन्त ही उत्तर देता था कि अभी तो और भी वहाँ मिलेंगे, हजारों लाखों मिल सकते हैं, कुछ कमी थोड़े ही है। मैं रोज इतने ही ले आया करूंगा। इसके उत्तर में वे कहते थे बहुत अच्छी बात है। हमारी उस छोटी सी टेकरी को इन पत्थरों से तू क्यों नहीं सिंगारता है?

हमारे बाग में एक हौज बनवाने का प्रयत्न हुआ था, परन्तु जमीन में पानी बहुत गहरा होने के कारण खोदने का काम बीच में ही बन्द कर दिया गया। खोदने से निकली हुई मिट्टी का एक स्थान पर ढेर कर दिया था। इस ढेर की एक टेकरी सी बन गई थी, जिसकी शिखर पर बैठकर पिताजी प्रातःकाल उपासना

किया करते थे । उनकी उपासना के समय ही, उनके सम्मुख पूर्व दिशा में क्षितिज से घिरे हुए और आन्दोलित होने वाले भूपृष्ठ पर सूर्योदय हुआ करता था। मुझे जिस टेकरी को सिंगारने के लिये कहा गया था, यह वही टेकरी थी। जब हम वोलपुर छोड़कर जाने लगे, तब मेरे इकट्ठे किये हुए सब पत्थर मुझे वहीं छोड़ने पड़े। इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ। वस्तुओं को संग्रह करने के एक मात्र कारण से उन वस्तुओं से निकट सम्बन्ध रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है -- इस बात का ज्ञान होना आज भी मुझे कठिन प्रतीत होता है। इतने भारी आग्रह से की हुई मेरी विनती मेरे दैव ने यदि स्वीकार की होती और उन पत्थरों का बोझ वह सदा मेरे पास रहने देता तो आज दैव को मैं जितना निष्ठुर मानता हूं, उतना निष्ठुर मानने का शायद प्रसंग ही नहीं आया होता।

एक वार एक दर्रे में मुझे एक झिरा दिखा। उसमें से छोटी नदी के समान पानी बह रहा था। छोटी छोटी मछलियां भी थीं और प्रवाह के विरुद्ध चलने का प्रयत्न कर रही थीं।

मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक सुन्दर झिर मिली है। क्या वहाँ से आपके स्नान और पीने के लिये पानी नहीं लाया जा सकता ?

मेरे विचार उन्हें मान्य हुए और वे कहने लगे कि मैं भी तुझसे यही कहना चाहता था। फिर उस झिरे से पानी लाने के लिये उन्होंने नौकर को आज्ञा दे दी।

पहले जिन बातों का ज्ञान नहीं हुआ था उन अज्ञात बातों पर प्रकाश डालने की इच्छा से उन छोटी-छोटी टेकरियों और पहाड़ियों पर मैं निरंतर भटकता रहता था। इस भटकने से मैं कभी नहीं ऊबा। उस दिन सौंची हुई भूमि में फिरते समय मुझे सब वस्तुएँ दूरबीन की उलटी बाजू से देखने के समान छोटी-छोटी दिखलाई पड़ती थीं। देखने वाला भी छोटा था और टेकरियों के नीचे के पदार्थ भी छोटे दिखलाई पड़ते थे। नारियल, बेर, जामुन आदि के वृक्ष पर्वत श्रेणी, बब घवे, नदियाँ, नाले और उनमें की मछलियाँ सब छोटी-छोटी दिखती थीं। मानो आपस में ये सब छोटी अवस्था के सम्बन्ध में चढ़ा ऊपरी कर रही हों।

मेरे पास थोड़े पैसे और थोड़े रुपये देकर उनका हिसाब रखने की पिताजी ने आज्ञा दी थी। उनके इस कार्य का उद्देश्य यह था कि मैं यह सीख जाऊं कि परवाह के साथ काम किस प्रकार करना चाहिए। इसके सिवा अपनी ऊंची कीमत की घड़ियों को चाबी देने का काम भी उन्होंने मेरे सुपुर्द कर रखा था। मेरे में

जवाबदारी की कल्पना उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने हानि की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हम दोनों साथ-साथ घूमने को जाते थे। उस समय रास्ते में जो भिखारी मिलता, उसे कुछ देने के लिये वे मुझे आज्ञा देते थे। वे घर आकर मुझसे हिसाब पूछते थे। मेरा बतलाया हुआ हिसाब कभी बराबर नहीं मिलता था। एक दिन मैंने खर्च का हिसाब दिया, पर खर्च की रकम घटाकर रोकड़ में जितना बचना चाहिये, उससे रोकड़ में अधिक पैसे थे। इस पर पिताजी ने कहा कि 'तुझे ही मेरा खजांची बनना चाहिए, क्योंकि तेरे हाथ के स्पर्श से पैसे की बढ़ती होती है।'

उनकी घड़ियों में मैं इतनी जोर से चाबी लगाता था कि तुरन्त ही उन्हें घड़ीसाज के पास कलकत्ते भेजना पड़ता था।

मुझे स्मरण है कि जब मैं बड़ा हो गया, तब एक बार जमींदारी के काम की देख रेख करने के लिए मेरी नियुक्ति हुई। उस समय पिताजी की दृष्टि क्षीण हो गई थी, अतः प्रत्येक मास की दूसरी या तीसरी तारीख को मुझे जमा-खर्च का आँकड़ा पिताजी को सुनाना पड़ता था। पहले तो मैं प्रत्येक खाते की जोड़ की रकम सुनाता था, फिर जिस कलम पर उन्हें शंका होती, उसकी तफसील पढ़ने की वे मुझे आज्ञा देते थे। उस समय मैं उन्हें वही खर्च बतलाया करता था जो उन्हें पसन्द थे। उनकी नापसन्द के खर्चे टालकर मैं झट से दूसरी कलम पढ़ने लगता था, पर यह बात उनके ध्यान में आये बिना नहीं रहती थी। इस कारण प्रत्येक महीने के प्रारंभ के दिन मुझे बड़ी चिन्ता में व्यतीत करने पड़ते थे। मैं ऊपर कह चुका हूं कि पिताजी को छोटी से छोटी बात भी पूछने और उसे अपने ध्यान में रखने की आदत थी। फिर वह हिसाब का आंकड़ा हो, जमा-खर्च की रकम हो, उत्सव की व्यवस्था हो, जायदाद बढ़ाने की बात हो या उसमें रद्दोबदल करना हो, कुछ भी हो, बिना पूछे वे नहीं मानते थे।

बोलपुर में नया बनवाया हुआ उपासना मन्दिर उन्होंने कभी नहीं देखा था, तो भी बोलपुर से आने वाले लोगों से पूछ पूछ कर उन्होंने वहां का सब परिचय प्राप्त कर लिया था। उनकी स्मरण शक्ति बड़ी ही विलक्षण थी। कोई बात समझ लेने पर फिर उनकी स्मरण शक्ति से उसका निकल जाना शक्य नहीं था।

अपनी भगवद्गीता की पुस्तक से उन्होंने अपने प्रिय श्लोकों का भाषान्तर करने और उनकी नकल करने के लिए मुझसे कहा था। घर में मुझे कोई पूछता भी नहीं था, पर प्रवास में जब ऐसे महत्व के काम मेरे सुपुर्द किए जाते थे तब मुझे वह प्रसंग अपने लिये बड़ी धन्यता का प्रतीत होता था।

इस समय मेरे पासवाली नीले रंग की वही पूरी हो गई थी और जिल्द बंधी डायरी की एक प्रति मुझे प्राप्त हुई थी।

मुझे अपनी कल्पना शक्ति के आगे कवि के रूप में खड़ा होना था। अतः बोलपुर में रहते समय जब मुझे कविता बनानी होती तो नारियल के वृक्ष के नीचे इधर-उधर हाथ-पांव फैलाकर कविता बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था।

मुझे यही मालूम होता था कि इस प्रकार हाथ पाँव तान कर व अस्त व्यस्त रीति से पड़कर कविता करना ही कवित्व का सच्चा मार्ग है। इसी प्रकार कड़ी गर्मी में रेतीली जमीन पर पड़कर 'पृथ्वीराजपराभव' नामक वीर रस प्रचुर कविता मैंने बनाई। उसमें वीररस ओतप्रोत भरा था. तो भी उस कविता का अंत शीघ्र हो गया। अर्थात् उस डायरी ने भी अपनी बहिन उस नीली वही के मार्ग का अनुसरण किया। उसका पता भी नहीं कि वह कहाँ खो गई।

हम बोलपुर से चलकर रास्ते में साहबगंज. दिनापुर, इलाहाबाद और कानपुर में थोड़े-थोड़े दिन ठहरते हुए अमृतसर जा पहुंचे।

रास्ते में एक घटना हुई, वह मेरे स्मृति पटल पर अभी तक मौजूद है। एक बड़े स्टेशन पर हमारी गाड़ी रुक गई। तब एक टिकिट कलेक्टर आया और उसने हमारी टिकिटें काटीं। वह मेरी ओर अजीब तरह से देखने लगा। उस पर से ऐसा मालूम हुआ कि उसे कुछ सन्देह हुआ। वह चला गया और फिर अपने एक साथी के साथ आया और हमारे डब्बे के सामने कुछ चुलबुलाहट करके वे दोनों फिर चले गये। अन्त में स्वयं स्टेशन मास्टर आया और उसने मेरा आधा टिकिट देखकर पूछा कि क्या इस बालक की अवस्था बारह वर्ष से अधिक नहीं है ?

पिताजी ने कहा —'नहीं।'

उस समय मेरी अवस्था ग्यारह वर्ष की थी, परन्तु अवस्था की अपेक्षा मैं अधिक बड़ा दिखता था।

स्टेशन मास्टर ने कहा कि तुम्हें उसका भाड़ा पूरा देना चाहिये। पिताजी के नेत्र लाल हो गए, पर एक भी शब्द न कहकर उन्होंने अपनी पेटी में से एक नोट निकालकर स्टेशन मास्टर को दिया। उसने नोट का खुर्दा मेरे पिताजी को लाकर दिया। पिताजी ने लेकर तुच्छतादर्शक मुद्रा से उसके आगे फेंक दिया। तब अपने संशय की क्षुद्रता इस प्रकार प्रकट होते देख लज्जा से स्टेशन मास्टर वहां का वहां स्थगित हो गया।

अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर, स्वप्न के समान मेरी आंखों के आगे आता है। सरोवर के मध्यभाग में विराजमान गुरु दरबार को मैं अपने पिता के साथ सुबह के वक्त कई बार गया था। वहां पवित्र गीता की अखण्ड ध्वनि सदा होती रहती थी। कभी कभी उपासकों के बीच में मेरे पिता भी बैठ जाते और उनके साथ-साथ स्तुति स्त्रोत पढ़ने लगते थे। एक परकीय गृहस्थ को इस प्रकार मिलते देख वहां वालों को आनन्द होता था। शक्कर तथा मिठाई के प्रसाद का बोझ लेकर हम अपने डेरे पर लौट आते थे।

एक दिन पिताजी ने उक्त उपासना गीत गाने वालों में से एक मनुष्य को अपने स्थान पर बुलाकर उससे उन पवित्र गानों में से कुछ गाने सुने। उसे जो विदाई दी गई उससे वह खूब सतुष्ट हुआ होगा, इसमे सन्देह नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि गवैयों ने हमारा इतना पीछा किया कि हमें अपनी रक्षा के लिये कठोर उपायों को काम में लाना पड़ा। जब उन गवैयों को मालूम हुआ कि हमारे स्थान पर आने की सख्त मनाही है, तब वे हमें रास्ते में ही गांठने लगे। सुबह हम ज्योंहीं फिरने को जाते त्योंहीं हमें कन्धे पर तम्बूरा लटकाये हुए लोग मिलते। उन्हें देखते ही वधिक की बन्दूक की नली देखकर, जिस प्रकार शिकार की अवस्था होती है उस प्रकार की हमारी भी अवस्था होती। हम ज्योंही तबूरे की आवाज सुनते त्योंही घबड़ाकर भागना शुरु कर देते थे, तभी हमारी उन लोगों से रक्षा हो पाती थी।

संध्या होते ही पिताजी बगीचे की ओर के बरामदे में आ बैठते और मुझे गाने के लिये बुलाते थे। चन्द्र का उदय हो गया है, उसकी किरणें वृक्ष राजी के बीच में से बरामदे के फर्श पर पड़ रही है और ऐसे समय में मैं विहग राग गा रहा हूं।

पिताजी उस समय गर्दन नीची डालकर और अपने हाथ में हाथ मिलाकर एकान्त चित्त से सुना करते थे। सायंकाल के उस दृश्य का आज भी मुझे अच्छी तरह स्मरण है।

मैं ऊपर एक जगह बता चुका हूं कि जब मैंने एक बार भक्ति के सम्बन्ध में कविता बनाई थी और उसका वर्णन श्रीकंठ बाबू ने पिताजी से किया था, तब बड़े आनन्द से उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई थी। आगे जाकर उसकी भरपाई किस तरह हुई, उसका मुझे अच्छी तरह स्मरण है। माघ मास में एक उत्सव के समय पढ़े जाने वाले स्त्रोत में से बहुत से स्त्रोत मेरे रचे हुए थे।

इस समय पिताजी चिन्सुरा में रुग्ण शय्या पर पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे और मेरे भाई ज्योति को बुलाया। मुझे अपने बनाये हुए स्त्रोत हारमोनियम पर गाकर सुनाने की आज्ञा दी और ज्योति को हारमोनियम बजाने के लिए कहा। उनमें से कितने ही गाने मुझे दो-दो बार गाने पड़े थे।

गायन समाप्त होने पर उन्होंने मुझसे कहा कि अपने देश के राजा को यदि अपनी भाषा का ज्ञान होता और उसके साहित्य की मधुरता वह समझता होता तो उसने अवश्य ही कवि का सम्मान किया होता। परन्तु वस्तु स्थिति इस प्रकार न होने से यह काम मुझे ही करना पड़ेगा, यह कहकर उन्होंने मेरे हाथ में एक दर्शनी हुंडी दी।

मुझे सिखाने के लिये 'पीटर पार्ले' नामक पुस्तकमाला की कुछ पुस्तकें पिताजी साथ लाये थे। शुरू में ही बैंजामिन फ्रेंकलिन नामक पुस्तक उन्होंने चुनी। उन्हें यह मालूम हुआ कि इस पुस्तक से शिक्षा और मनोरंजन दोनों होंगे।

परन्तु हमारे पढ़ना शुरु करने के थोड़े ही दिनों बाद उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। बैंजामिन फ्रेंकलिन अत्यन्त व्यवहार दक्ष मनुष्य था। उसके हिसाबी नीति-तत्वों की सकुचितता से मेरे पिता को उसके प्रति घृणा हो गई थी। कुछ बातों के सम्बन्ध में उसका ऐहिक सयानापन देखकर पिताजी इतने अधीर हो जाते थे कि उसके प्रति निन्दाव्यंजक शब्द कहे सिवाय उनसे रहा नहीं जाता था।

इसके पहले व्याकरण के नियमों को कण्ठस्थ कर लेने के सिवाय मैं संस्कृत बिलकुल नहीं सीखा था। प्रवास के समय पिताजी ने एकदम संस्कृत वाचन पुस्तक का दूसरा भाग पढ़ाना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते स्वतः ही शब्दों के रूप भी बनाने के लिये उन्होंने मुझ से कहा। बंगाली भाषा का जो मुझे अधिक ज्ञान हो गया था। उससे इस समय मुझे बहुत सहायता प्राप्त हुई। पिताजी ने मुझे प्रारम्भ से संस्कृत में लिखने का प्रयत्न करने के लिये बहुत उत्तेजन दिया था। संस्कृत पुस्तकों में मिले हुए शब्दभांडार में कहीं-कहीं अम् और अन् का मनमाना उपयोग करके मैंने बड़े-बड़े सामासिक पद बना डाले थे। उन्हें देवभाषा की खिचडी ही कहना चाहिये। परन्तु मेरी इस जल्दबाजी से, उतावलेपन से, पिताजी ने मेरा कभी उपहास नहीं किया।

इसके बाद 'प्रोक्टर' की सुलभ ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकें हमने पढ़ीं। इन पुस्तकों को पिताजी ने सरल भाषा के द्वारा मुझे समझा दिया था। फिर इन पुस्तकों का मैंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया।

मेरे पिताजी, अपने स्वतः के उपयोग के लिये जो पुस्तकें लाये थे, उनमें *'Givin and rome'* 'गिविन और रोम' नामक एक दस-बारह भागों को बडी पुस्तक भी थी। इस पुस्तक की ओर मेरा ध्यान खिंचा करता था। यह बडी नीरस पुस्तक थी। मोहकता तो उसमें नाम मात्र को भी न थी। मेरे मन में उस समय यह विचार उत्पन्न होता था कि मैं अभी छोटा हूं, असमर्थ हूं और परावलम्बी हूं, अतः मुझे पुस्तकें बांचना भर है पर जिन्हें बिना अपनी तीव्र इच्छा के पुस्तकें बांचने की जरूरत नहीं है, वे अवस्था प्राप्त मनुष्य पुस्तकें बांचने का कष्ट क्यों उठाते हैं ?

———

१४

हिमालय के ऊपर

लगभग एक माह तक अमृतसर में रहकर १५ अप्रैल के करीब हम लोग डलहौजी हिल्स की ओर जाने के लिये निकले। अमृतसर में पीछे-पीछे तो हम बिलकुल ही ऊब गये थे और ऐसा दिल होने लगा था कि यहां से कब रवाना हों, क्योंकि हिमालय पर जाने की मुझे बहुत उत्कंठा थी।

झंपान में बैठकर पहाड़ी पर चढ़ते समय दोनों ओर पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। वसंत ऋतु के सुन्दर पुष्पों से उस समय वे खूब सुशोभित थीं। प्रतिदिन सुबह दूध रोटी खाकर हम चलने को निकल पड़ते थे और सूर्यास्त के पहिले रात्रि में विश्राम करने के लिये आगे के मुकाम के बंगले में आश्रय लेते थे। सारे दिन भर मेरे नेत्रों को विश्राम नहीं मिल पाता था, क्योंकि मैं समझता था कि जरा प्रमाद हुआ कि कुछ न कुछ देखने को रह जायगा। पहाड़ी की ओर ज्योंही हमारा रास्ता मुड़ता था, त्योंही हमें रमणीय शोभा देखने को मिलती थी। विशाल वन-वृक्षों के समूहों की शोभा देखते ही बनती थी। तपोवन में वृद्ध ध्यानस्थ ऋषियों के चरणों में बैठकर एकाध छोटी आश्रमकन्या के खेलने के समान वृक्षों की छाया के नीचे से पानी के छोटे-छोटे से धवधवे काई जमे पत्थरों पर से आवाज करते हुए गिरते थे। ऐसे स्थानों पर झंपान उठाने वाले लोग विश्राम करने के लिए ठहर जाते थे। ऐसे स्थानों को देखकर मेरा तृषित अंतःकरण भीतर ही भीतर कहा करता था कि अरे! ऐसे रमणीय स्थानों को पीछे छोड़कर आगे क्यों जा रहे हो? यहीं हम सदा के लिये क्यों नहीं रहते।

प्रथम दर्शन से बड़ा लाभ यह होता है कि उस समय मन को यह ज्ञान नहीं होता कि ऐसे-ऐसे अनेक दृश्य आगे आने वाले हैं। परन्तु जब मन को यह विश्वास

हो जाता है कि आगे ऐसे बहुत से दृश्य देखने को मिलनेवाले हैं तो वह अपना सर्व लक्ष एक स्थान पर न लगाकर दूसरे दृश्यों के लिए भी रख छोड़ता है । जब किसी वस्तु के अभाव का मन को विश्वास हो जाता है तभी वस्तु की कीमत अजमाने की उसकी कंजूसवृत्ति नष्ट होती है । कलकत्ते के रास्तों में जाते समय जब कभी-कभी अपने आपको उस स्थान पर अपरिचित कल्पित करता हूँ, तब मुझे मालूम होता है कि लक्षपूर्वक अवलोकन न करने से अपने से दूर रहने वाली कितनी ही ऐसी बातें हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं । अपरिचित और लोकोत्तर स्थानों के देखने के लिए मन प्रेरणा करनेवाली चीज उस स्थान को देखने की तीव्र इच्छारूपी क्षुधा के अलावा दूसरी कोई नहीं है ।

पैसे रखने की एक छोटी सी थैली पिताजी ने मेरे सुपुर्द कर दी थी । प्रवास में खर्च करने के लिए उन्होंने उसमें बहुत से पैसे रख दिये थे । उन्हें यह कल्पना करने का कोई कारण नहीं था कि उस थैली को सम्हाल रखने में मैं ही एक योग्य मनुष्य हूँ । उन्होंने यदि अपने नौकर 'किशोरी' के पास उसे रखा होता तो वह और अधिक सुरक्षित रह सकती थी । इसपर भी उन्होंने जो उसे मेरे पास रखा, इसमें मुझे उनका एक उद्देश्य यह दिखता है कि उससे मुझे कुछ शिक्षा प्राप्त हो । एक दिन ठहरने के स्थान पर पहुंचने के बाद वह थैली पिताजी को देना भूल गया और वह टेबिल पर पड़ी रह गई । इस अपराध पर मुझे शब्दों की मार सहन करनी पड़ी ।

प्रवास के मुकाम पर जब हम लोग डंडी से उतरते तब बंगले में से कुर्सियां बाहर लाने के लिए पिताजी आज्ञा देते थे । कुर्सियों के आ जाने पर हम उनपर बैठते थे । सन्ध्या का प्रकाश पड़ते ही पर्वतों के स्वच्छ वातावरण में तारागण स्पष्ट रीति से चमकने लगते थे । ऐसे समय में पिताजी मुझे नक्षत्रों का ज्ञान कराते थे अथवा ज्योतिषशास्त्र पर मुझसे बातचीत करते थे ।

बेक्रोटा में जो घर ले रखा था वह उच्च शिखर पर था । मई मास को बहुत थोड़े दिन रह गये थे, तो भी वहाँ इतनी अधिक ठंड थी कि शीत ऋतु का बर्फ वृक्षों से आच्छादित स्थानों पर अभी जमा हुआ ही था ।

ऐसे स्थानों पर भी स्वतंत्रता से मुझे घूमने-फिरने देने में पिताजी को बिलकुल भय नहीं मालूम होता था । हमारे बंगले के नीचे की ओर पास-पास लगे हुए देवदारु के वृक्षों से भरे पर्वत का सिकुड़ा, परन्तु लम्बा भाग था । इस जंगल में लोहे की सामी लगी हुई लकड़ी लेकर मैं स्वच्छन्द होकर भागता रहता था । कहां तो वह वन वृक्षराजी, आकाश से जाकर लगे हुए राक्षस के समान दिखने वाले बड़े-बड़े

वृक्षों की छाया और शताब्दियों से जो शिर ऊंचा किये खड़े हुए हैं, इतनी उनकी पुरातनता और कहाँ आजकल का एक लडका जो उन वृक्षों के तनों के आस-पास निर्भय होकर स्वच्छन्द रीति से घूम रहा है। उन वृक्षों की छाया में पैर रखते ही मुझे वहां किसी अन्य व्यक्ति के अस्तित्व का भान होता था ।

मुझे जो कमरा दिया गया था, वह बंगले के एक सिरे पर था। बिछौने पर पड़े-पडे, बिना परदोंवाली खिडकियों में से तारागरण के धुंधले प्रकाश में दूर-दूर की हिममय पर्वत शिखरें लक लक करती हुई मुझे दिखलाई पडती थीं । कभी-कभी निद्रा से यदि मैं अध-जगा हो जाता और देखता तो पिताजी बरामदे में लाल रंग के दुशाले को चारों ओर लपेटे हुए उपासना करने के लिए बैठे दिखलाई पडते थे। उस समय कितने बजे होंगे, यह मैं निश्चित रुप से नहीं कह सकता था। जब इसके बाद एक नींद पूरी लेकर मैं जागता था तो पिताजी मुझे अपने बिस्तर पर जगाते हुए दिखलाई पड़ते थे। इस समय भी कुछ रात्रि शेष रहती थी। सस्कृत के शब्दों के रूप लेने और उन्हें कण्ठस्थ करने के लिए यह समय नियत था। कड़ाके की ठंड में रजाई में से उठाना जी लेने के बराबर है । पिताजी की उपासना समाप्त हो जाने पर सूर्योदय के समय हम लोग दूध पीते थे । इसके बाद मैं उनके पास खड़ा रहता था और वे उपनिषदों का पाठ पढ़ते-पढ़ते ईश्वर में संलग्न हो जाते थे ।

फिर हम लोग घूमने के लिए जाते थे । परन्तु मैं उनके साथ चल कैसे सकता था। मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी उनके साथ चल नहीं सकते थे। अतएव कुछ समय बाद उनके साथ चलनेकी इच्छा मुझे छोड देनी पड़ती थी और किसी समीपी आड़े-तिरछे पहाडी मार्ग से मुझे घर लौट आना पडता था।

पिताजी के लौट आने पर मैं उनसे अंग्रेजी सीखता था। दस बज चुकने पर बर्फ के समान ठन्डा पानी स्नान के लिए मिलता था। पिताजी की आज्ञा के बिना चुल्लू भर भी गर्म पानी यदि नौकर से मांगा जाय तो नहीं मिल पाता था। मुझे साहस बंधाने के लिए पिताजी कहा करते थे कि जब हम छोटे थे, तब ठण्डे पानी से ही स्नान किया करते थे ।

वहां दूध पीना भी एक तरह की तपश्चर्या थी। पिताजी को दूध बहुत प्रिय था और वे बहुंत पिया करते थे। मुझमें यह आनुवंशिक गुरण न होने के कारण कहो अथवा पहले वर्णन की हुई परिस्थिति में मेरा लालन-पालन होने के कारण कहो, मुझे दूध बिलकुल नहीं रुचता था, परन्तु दुर्दैव से मुझे एकदम दूध पीना पड़ता था। इस कारण मुझे नौकर की कृपा पर अवलंबित रहना पड़ता था। वे

मेरे दूध का प्याला आधे से अधिक फेन से भर देते थे। उनकी इस कृपा के संबंध में मैं उनका बहुत आभारी रहता था।

दुपहर का भोजन हो चुकने पर फिर मेरा पढ़ना शुरू होता था, परन्तु हाड़ मांस के इस शरीर को यह बात सहन नहीं होती थी। सुबह की बाकी रही हुई निद्रा देवी इस समय अपना बदला चुकाने की इच्छा करती और मैं ऊंघने लगता था। यह देखकर पिताजी मुझे छोड़ देते थे। उनके छोड़ते ही निद्रा भी न मालूम कहां भाग जाती थी और हमारी सवारी फिर पर्वतों पर घूमने को निकल पड़ती थी।

हाथ में सोंटा लेकर पर्वत की एक शिखर पर से दूसरे शिखर पर मैं भटकता रहता था। पिताजी ने मेरे इस काम में कभी रोक-टोक नहीं की। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता में कभी हाथ नहीं डाला। मैंने अनेक बार उन्हें न रुचने वाली बातें कही और करी हैं। यदि वे चाहते तो एक शब्द से मुझे उन बातों को कहने या करने से रोक सकते थे, परन्तु उन बातों की अयोग्यता, मेरी सदसद विवेक बुद्धि द्वारा मुझे मालूम होने तक उनके सम्बन्ध में कुछ न कहना ही उन्हें ठीक मालूम होता था। उन्हें पसन्द नहीं था कि हम किसी बात को योंही ठीक मान लें। उनकी यही इच्छा रहती थी कि हम लोगों को किसी बात की सत्यता का निश्चय हो जाने पर ही सत्य पर मनपूर्वक प्रेम करना चाहिये। वे यह बात समझते थे कि प्रेम के सिवा कोरी अनुमति निष्फल है। वे यह भी जानते थे कि सत्य रास्ते को छोड़कर कितना भी भटका जाए तो भी आखिर यह पुनः मिले नहीं रहता। मन की प्रतीति हुए बिना बलात्कारपूर्वक या अन्धश्रद्धा या विश्वास से सत्य ग्रहण करने से सत्य के अन्तरतम भाग में प्रवेश करने का मार्ग बिलकुल बंद हो जाता है।

तारुण्य अवस्था में अभी मेरा प्रवेश ही हुआ था। मुझे यह कल्पना उठी कि बैलगाड़ी के द्वारा बड़े मार्ग से ठेठ पेशावघर तक प्रवास किया जाए। मेरे इस प्रस्ताव का अन्य किसी ने समर्थन नहीं किया और उस कल्पना को अव्यवहार्य ठहराने के लिए उसमें निःसंशय अड़चनें भी बहुत थीं, परन्तु जब पिताजी से इस सम्बन्ध में मेरी बात-चीत हुई तो उन्होंने उत्तेजना देते हुए कहा कि 'बड़ी मजेदार कल्पना है, रेलगाड़ी से प्रवास करना सचमुच प्रवास नहीं है'। इसके साथ ही साथ उन्होंने घोड़े पर या पैदल किए हुए अपने निज के प्रवास का वर्णन किया। उन्होंने वर्णन में यह बिलकुल नहीं आने दिया कि प्रवास में त्रास होता है या संकट आते हैं।

एक दूसरे अवसर पर नीचे लिखी हुई घटना हुई। उस समय पार्कस्ट्रीट वाले मकान में पिताजी रहते थे और मुझे 'आदि ब्रह्म समाज' का मन्त्री बने थोड़े ही दिन

हुए थे। मैं पिताजी के पास गया और मैंने कहा कि मुझे समाज में दूसरी जाति के लोगों को त्याज्य समझ कर सिर्फ ब्राह्मण द्वारा उपासना होने का जो रिवाज है, वह पसन्द नहीं है। पिताजी ने मुझे यह रिवाज, यदि मुझमे हो सके तो रोकने की, बिना किसी प्रकार की आना-कानी के आज्ञा दी, मुझे अधिकार तो मिल गया पर पीछे से मुझे मालूम हुआ कि मेरे में यह रिवाज बंद करने की बिलकुल शक्ति नहीं है। दोष का तो मुझे ज्ञान था, पर उसके निराकरण की मेरे में शक्ति नहीं थी और न योग्य मनुष्य को खोजकर उसके द्वारा काम निकलवा लेने की ही मेरे में शक्ति थी। किसी बात को तोडकर उसके स्थान पर दूसरी को रखने के साधन भी मेरे पास नहीं थे। योग्य मनुष्य प्राप्त होने तक, न होने की अपेक्षा कोई पद्धति का होना ही श्रेष्ठ है पिताजी का भी उक्त पद्धति के सम्बन्ध में यही मत रहा होगा, परन्तु मेरे आगे मार्ग की अडचनों को रखकर मुझे निराश करने का उन्होंने कभी प्रयत्न ही नहीं किया।

जिस प्रकार पर्वतों में मन-मानी तरह से भटकने की उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दे रखी थी, उसी प्रकार तत्वान्वेषण के काम में भी अपना मार्ग आप खोजने की मुझे स्वतंत्रता थी। मैं भूल करुंगा, इस भय से वे कभी मेरे आड़े नहीं आए और न मेरे संकट में फंस जाने का उन्हें भय ही हुआ। उन्होंने मेरे आगे आदर्श रख दिया था पर व्यवस्था का दण्ड उनके हाथ में न था।

प्रवास में मैं बीच-बीच में पिताजी से घर के सम्बन्ध में बात चीत करता रहता था। घर से यदि किसी का मेरे नाम पत्र आता तो मैं उन्हें बतलाता था। मुझे ऐसा पक्का विश्वास है कि जो मजेदार बातें उन्हें दूसरों से नहीं मालूम होती थीं, उनके मालूम होने का मैं एक साधन बन गया था। मेरे बडे भ्राता के, पिताजी के नाम पत्र आते थे। उन्हें बांचने के लिए पिताजी ने मुझे मंजूरी दे दी थी। मुझे पिताजी को किस प्रकार पत्र लिखना चाहिये, यह सिखाने का वह एक मार्ग था क्योंकि बाह्य रीति-रिवाज और शिष्टाचार का महत्व उन्होंने किसी भी प्रकार कम नहीं होने दिया था।

मुझे स्मरण है कि एक बार मेरे दूसरे बडे भाई का पिताजी के पास पत्र आया था, जिसमें उन्होंने अपनी नौकरी के संबन्ध में और काम की ज्यादती के सम्बन्ध में शिकायतें करते हुए लिखा था कि मरने तक का अवकाश नहीं है। इस पत्र में उन्होंने संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी थी। पिताजी ने इस पत्र का अभिप्राय समझाने की मुझे आज्ञा दी। मुझे जैसा मालूम हुआ, वैसा अर्थ मैंने पिताजी

को समझाया, परन्तु उन्होंने कहा कि इसका अधिक सहज रीति से निकलने वाला अर्थ दूसरा ही है। परन्तु मैं अपने मिथ्या अभिमान के वश अपने अर्थ को ठीक बतलाता रहा और उक्त पत्र के मुद्दे के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने लगा। दूसरा कोई होता तो मुझे डाँटकर बंद कर देता, परन्तु पिताजी ने शांतिपूर्वक मेरा कहना सुन लिया और अपना कहना मुझे समझा देने का खूब प्रयत्न किया।

कभी-कभी पिताजी बड़ी मजेदार बातें मुझसे कहा करते थे। उनके समय के कई रंगीले तरुण लोगों के सम्बन्ध में उन्हें बहुतसी बातें मालूम थीं। वे कहा करते थे कि उस समय कुछ सुन्दर लोगों के अंग इतने नाजुक हो गये थे कि ढाके की मलमल की किनारें भी उन्हें चुभा करतीं और इस कारण मलमल की किनार निकाल कर पहनने का रिवाज उस समय शिष्टजनसम्मत बन गया था।

मैंने अपने पिताजी के मुंह से दूध में पानी मिलाने वाले एक गौली का वर्णन पहले पहल सुना, तब मुझे बड़ा आनन्द आया। लोगों को उस गौली के सम्बन्ध में संशय था कि वह दूध में पानी मिलाता है। इस समय एक ग्राहक ने अपने नौकर को चेताया कि आगे से ऐसा न हो, जरा ध्यान रखना। इस कहने का फल यह हुआ कि दूध और अधिक पानी मिला हुआ आने लगा। अंत में जब ग्राहक ने स्वत. गौली से इस सम्बन्ध में कहा तो गौली ने उत्तर दिया कि यदि देख-रेख करने वालों की संख्या बढ़ी और उनको मुझे संतुष्ट करना पड़ा तो दूध अधिकाधिक नीले रंग का होकर अन्त में उसमें मछलियां पैदा होने का अवसर आयेगा।

इस प्रकार पिताजी के पास कुछ दिनों तक रहने के बाद उन्होंने मुझे किशोरी नौकर के साथ वापस भेज दिया।

१५

मेरा घर पर वापिस आना

घर में रहते समय नौकरों के जुल्मी राज्य की जिस शृंखला ने मुझे बांध रखा था, वह घर से बाहर पैर रखते ही टूट गई थी। यह शृंखला मुझे फिर बद्ध नहीं कर सकी। घर वापिस आने पर मुझे थोड़े से अधिकार प्राप्त हुए। इसके पहले तक तो मेरी यह स्थिति थी कि पास रहने के कारण मेरी ओर किसी की दृष्टि ही नहीं जाती थी, परन्तु अब कुछ दिनों तक दृष्टि से अलग रह आने के कारण पलड़ा ही फिरा हुआ नजर आया। अब सबकी दृष्टि मेरी ओर फिरने लगी।

स्वातन्त्र्य की मधुरता का पूर्वानुभव मुझे लौटते हुए प्रवास के समय ही मार्ग में होने लगा था। एक नौकर साथ लेकर मैं अकेला ही घूमने को जाया करता था। शरीर की दृढ़ता और मन के उत्साह से मेरे चेहरे पर एक प्रकार से तेज झलकने लगता था। मेरी टोपी पर मोहक बेल-बूटे होने के कारण मैं तुरन्त लोगों की निगाह में भर जाता था। टोपी के कारण मुझे जो जो गृहस्थ मिले, उन सबों ने मेरी बड़ी ही हंसी उड़ाई। मैं लौट आया। मेरा यह लौटकर आना केवल प्रवास से लौटकर आना ही नहीं था, किन्तु एक तरह से नौकरों की कोठरी में से निकल कर अपने घर के अन्तर भाग में अपने योग्य स्थान पर वापस आना था। मेरी माता के कमरे में जब सब घर की स्त्रियां एकत्रित होतीं, तब मुझे सम्मान मिलता था और सबसे छोटी भोजाई मेरे ऊपर प्रेमामृत का सिंचन भी करने लगती थी।

बाल्यावस्था में स्त्री जाति की प्रेमपूर्ण सार-संभाल की आवश्यकता होती है। प्रकाश और दया के समान ही संभाल की आवश्यकता होने के कारण छोटे

बालक बिना पता दिए ही उसे प्राप्त कर लेते हैं। बालक ज्यों ज्यों बड़े होते हैं, त्यों-त्यों स्त्रियों द्वारा फैलाये हुए आस्था रूपी जाल से अपना छुटकारा कराने को अधिक उत्सुक होते हैं, ऐसा कहना अधिक योग्य है, परन्तु जिस अवस्था में सार संभाल होने की आवश्यकता है, उस अवस्था में जिस दुर्दैवी मनुष्य की सार-संभाल नहीं हो, उसकी बहुत अधिक हानि होती है। मेरी भी ऐसी ही स्थिति थी। जब नौकरों से छुटकारा हुआ और अन्तर्गृह में मातृ प्रेमामृत की मेरे पर वर्षा होने लगी, ऐसे आनन्द का अनुभव और ज्ञान, मेरी अन्तरात्मा को बिना हुए कैसे रह सकता था।

जब तक अन्तर्गृह के दालानों में स्वतंत्रतापूर्वक मैं आ जा नहीं सकता था, तब वे इन्द्रभवन से ही प्रतीत होते थे। मुझे बाहर से कारागृह के समान दिखलाई पड़ने वाला अन्तर्गृह स्वतंत्रता की जन्मभूमि ही मालूम पड़ता था। जहां न तो पाठशाला थी और न अध्यापक थे। जहां किसी को भी अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने की जरूरत न थी। उस भय रहित एकान्त स्थान के निकम्मेपन के आस-पास मुझे गूढ़ता फैली हुई प्रतीत होती थी। वहाँ किसी को भी अपने काम का हिसाब देने की जरूरत न थी। यह बात विशेषकर मेरी सबसे छोटी बहिन पर लागू होती थी। वह हमारे साथ नील कमल पंडित के पास पढ़ा करती थी। वह चाहे अपना पाठ ठीक तरह याद करे या न करे, पर पंडितजी के साथ के उसके बराबरी के व्यवहार में बिलकुल अन्तर नहीं पड़ता था। जब दस बजे हम भोजन से निवृत्त होकर शाला जाने की गड़बड़ में होते, तब वह अपनी खुली चोटी को पीठ पर इधर उधर हिलाती हुई कभी भीतर जाती तो कभी बाहर आती और अपने को साथ ले चलने के लिये हमें रोका करती थी। इतने पर भी कभी हमारे साथ स्कूल जाती भी नहीं थी।

जब सुवर्णालंकारों से सुशोभित एक नवीन वधू हमारे घर में आई, तब तो अन्तर्गृह की गूढ़ता पहिले से भी अधिक गंभीर हो गई। वह आई दूसरे घर से थी, पर वह हमारे में से ही एक बन गई थी। अपरिचित होने पर भी पूर्ण परिचित हो गई थी। इस नव वधू की ओर मेरा चित्त आकर्षित होने लगा। इसके साथ मित्रता करने के लिये मैं अधिक उत्सुक हो गया था। मैं बड़ी युक्ति-प्रयुक्ति और प्रयास से उसके पास किसी तरह जाता कि इतने में ही मेरी वही छोटी बहिन आ धमकती और 'तुम लड़कों का यहां क्या काम है ? जाओ, बाहर जाओ' ऐसा कहकर वह मुझे वहां से निकाल देती। इस अपमान और निराशा के कारण मेरे हृदय को बड़ा धक्का लगता था। उनके कमरे के दरवाजों की सधियों

में-से उनके भीतरी खेलों को हम क्या, कोई भी अच्छी तरह देख सकता था, पर उन लोगों के चित्र-विचित्र भपकेदार खिलौनों का स्पर्श करने के ही जब हम पात्र नहीं थे तो फिर उनमें से खेलने के लिये एक खिलौना मांगने का साहस भला हमें क्यों कर हो सकता था। हम लड़कों को कभी न मिलने वाली आश्चर्यजनक वस्तुऐं अन्तर्गृह में होने के कारण हमें अन्तर्गृह अधिकाधिक प्रिय मालूम होना और उसकी ओर चित्त का अधिक झुकाव भी होता था।

इस प्रकार बारंबार अन्तर्गृह से निकाले जाने के कारण मैं इन सब वस्तुओं से दूर पड़ गया था। गहन सृष्टि के समान अन्तर्गृह भी मेरी शक्ति के बाहर की चीज बन गया था। इसी कारण मेरे मन पर चित्र के समान उसकी छाप पड़ गई थी।

रात्रि के नौ बजे, अघोरबाबू के पास पढ़ लेने के बाद मैं सोने के लिये भीतर जाता था। बाहर के दालान से भीतर के दालान तक जाने का एक लंबा रास्ता था। इस रास्ते में टिमटिमाता हुआ दीया टंगा रहता था। इस रास्ते के अन्त में चार पांच सीढ़ियां थीं, इन पर उस दिये का उजाला नहीं पड़ा करता था। इन सीढ़ियों पर से उतरकर भीतर के पहले चौक में जाते थे। इस चौक के आसपास बरामदा था जिसके पश्चिम के कोने में पूर्व की ओर से चंद्र प्रकाश पड़ा करता था। इसके सिवाय और सब जगह अंधकार व्याप्त रहता था। इस चंद्र प्रकाश में घर की नौकर स्त्रियां एकत्रित होतीं और पैर फैलाकर रुई की बत्ती बटा करतीं और अपने घर द्वार की बातें किया करती थीं, ऐसे अनेक चित्र मेरे हृदय पट पर नक्श हैं।

भोजन के बाद और सोने के पहले हम इसी बरामदे में हाथ पैर धोया करते थे। फिर अपने लम्बे-चौडे बिछौने पर पड़ जाते थे। इसी समय तिकरी या शंकरी नाम की एक दाई आती और कहानियां या कविता कहकर हमें सुलाने का प्रयत्न करती थी। उस कहानी के खतम होते ही चारों ओर सुनसान हो जाता। इस समय मैं दीवाल की ओर मुंह करके पड़ा रहता। चूना निकल जाने के कारण दीवाल में जो कहीं-कहीं काले और सफेद खड्डे हो गये थे, उनको देख देख मैं सोते-सोते उनमें से काल्पनिक चित्र बनाया करता था। कभी-कभी जब मेरी आंख खुल जाती तो स्वरूप नामक वृद्ध चौकीदार बरामदे के आस-पास फिरता और गश्त लगाकर जो आवाज देता, वह भी मुझे सुनाई पड़ती थी।

हिमालय से लौटकर आने पर युग परिवर्तन हो गया था। मैं जिस मान-सम्मान की आकांक्षा करता था और जिसकी मेरे मन में बड़ी उत्कंठा थी, वह इस

अपरिचित स्वप्न सृष्टि रूप अन्तर्गृह से मुझे मिलना आरम्भ हो गया था और वह भी क्रम से नहीं, एकदम। मानो मेरे पहले सब असंतोषों को मिटाना ही हो। इसी कारण मेरा दिमाग भी आसमान पर चढ़ गया।

इस छोटे से यात्री के पास प्रवास-वर्णन का बड़ा भारी संग्रह था। पुनरुक्ति हुई कि वास्तविकता में शैथिल्य आया और वह भी इतना कि फिर सत्यता का और वर्णन का मेल नहीं बैठ सके। किसी वर्णन मे शिथिलता आई कि फिर उसमें रस भी नहीं रहता। इसीलिये वर्णन की सरसता और नवीनता बनाए रखने को वर्णन करने वाला कोई न कोई नवीन बात उस वर्णन में मिलाया ही करता है। मेरी भी यही दशा थी।

हिमालय से लौटने पर जब गच्ची पर खुली जगह में संध्या के समय मेरी माता और अन्य स्त्रियों का सम्मेलन होता, तब वहाँ मुख्य वक्ता मैं ही हुआ करता था। अपनी माता की दृष्टि में अपना बड़प्पन कायम करने की मनुष्य में तीव्र इच्छा होती है। बड़प्पन प्राप्त करना जितना सहज होता है, उतना ही अपनी इस इच्छा को रोकना भी कठिन होता है। मैंने नार्मल स्कूल में एक पुस्तक में पढ़ा था कि सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा हजारों गुना बड़ा है। मैंने दौड़कर यह बात अपनी माँ से कही कि इस बात से यह सिद्ध हुआ कि दिखने में जो छोटा दिखता है, उसमें बड़प्पन की भी कुछ सम्भावना है। हमारे बंगाली व्याकरण के ग्रंथ में छंदालंकार-शास्त्र के नियमों के उदाहरण स्वरूप कविताएं दी गई थीं। मैं इन्हें अपनी माता को सुनाया करता था। कभी कभी प्राक्टर के ज्योतिष शास्त्र में मुझे जो नई बातें मालूम हुई थीं, उन्हें भी मैं सायंन इस संध्याकालीन स्त्री-सम्मेलन में सुनाया करता था। मेरे पिता का किशोरी नौकर किसी समय दाशरथी का किया हुआ महाकाव्य का प्रासादिक अनुवाद मौखिक पढ़ने वालों में से एक था। जब हिमालय में मैं और वह इकट्ठे बैठते तो वह मुझसे कहा करता था कि 'दादा ! तुम जो हमारी मंडली में होते तो अपने ऐसा कोई सुन्दर नाटक किया होता कि कुछ न पूछो।' यह सुनकर मुझे भी इच्छा होती कि अपने भी शायर बन कर अपनी कविता को जगह-जगह गाते फिरते तो कितना मजा आता। किशोरी से मैंने बहुत से पद्य सीखे थे। उक्त स्त्री-सम्मेलन के श्रोताओं को सूर्य के तजोमंडल अथवा शनि, चद्र आदि ग्रहों के वर्णन की अपेक्षा यह पद्य अधिक प्रिय मालूम होते थे और उन्हें सुनने के लिये वे बहुत आग्रह भी किया करती थीं।

घर की दूसरी औरतों को रामायण के कृत्तिवास कृत बंगाली अनुवाद से ही संतुष्ट रहना पड़ता था। वे मूल ग्रंथ का अनुभव करने में असमर्थ थीं। मैंने अपनी

माता से कह रखा था कि मैं पिताजी के पास वाल्मीकि महर्षि कृत मूल रामायण पढ़ा करता था। उसमें सब संस्कृत ही संस्कृत है मेरी माता इस समाचार से अपने आपको धन्य समझती और मुझे बड़ा कर्तव्यशील बतलाती। वह मुझसे कहा करती कि अरे, उस रामायण में से मुझे भी कुछ सुना।

पर मेरा तो उस रामायण का वाचन नाममात्र को ही हुआ था। संस्कृत पुस्तक में रामायण के उदाहरण दिये गये थे। मैंने उतनी ही रामायण पढ़ी थी और वह भी मैं अच्छी तरह समझ भी नहीं पाया था। माता के कहने पर जब मैंने इस भाग को फिर देखा तो मैं थोड़ा बहुत समझा हुआ भी भूल गया हूं—ऐसा मालूम पड़ा। जिसे मैं यह समझता था कि मुझे अच्छी तरह याद है, वही मैं भूल चुका था। इतने पर भी अपने अद्वितीय पुत्र की बुद्धि का पराक्रम देखने की इच्छा रखने वाली माता से मुझे यह कहने का साहस नहीं होता था कि मैं पढ़ा पढ़ाया भी भूल गया हूं। आखिर मैंने ज्यों-त्यों माता को पढ़ सुनाया। मैंने जो अर्थ किया, वह महर्षि के अर्थ से बहुत ही भिन्न था। मैं समझता हूं कि माता से प्रशंसा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले बालक के साहस पर बस मृदु अन्त करण के ऋषि ने स्वर्ग में अवश्य क्षमा किया होगा, परन्तु गर्व परिहार करने वाले मधुसूदन ने क्षमा नहीं किया।

मेरा यह लोकोत्तर पराक्रम देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। वह अपने समान दूसरों को भी मेरे इस आश्चर्यमय कार्य के आनन्द में हिस्सेदार बनाना चाहती थी, अतएव उसने आज्ञा दी कि तुझे यह द्विजेन्द्र (मेरे सबसे बड़े भाई) को सुनाना ही चाहिये।

अब मैं घबड़ाया। मेरे गर्व परिहार का अवसर आते देख मैं बहाने बनाने लगा, परन्तु मेरी माता ने एक भी नहीं सुनी और द्विजेन्द्र को बुलवा ही तो लिया। द्विजेन्द्र के आने पर गद्‌गद् स्वर से कहने लगी कि 'देख, रवी कितने अच्छे ढंग से रामायण बाँचता है, तू भी सुन।

मेरे लिये अब कोई गति नहीं थी। मुझे वांचना ही पड़ा। मालूम होता है कि आखिर उस मधुसूदन को मुझपर दया आ गई और वह गर्व परिहार करने के लिये उतारू नहीं हुआ। उस समय मेरे भाई को भी कुछ पढ़ने-लिखने का जरूरी काम था। माता के बुलाने पर वह आ तो गया, पर मेरे भाषान्तर के कार्य में उसने कुछ उत्सुकता नहीं दिखलाई, अतः मेरे थोड़े से श्लोक बाँचते ही वह 'बहुत अच्छा' कहकर चला गया।

अन्तर्गृह में प्रवेश हो जाने के बाद मुझे शाला में जाकर पढ़ने का काम बहुत कठिन प्रतीत होने लगा। लकेडेसी से छुटकारा कराने के लिए मैंने अनेक बहाने बनाए। इसके बाद मैं सेंट जूनियर स्कूल में भर्ती किया गया, पर वहां भी वही हालत थी।

लहर आते ही मेरे भ्राता मेरे सुधार के लिये क्षणिक प्रयत्न करते और फिर छोड़ देते। इस प्रकार कुछ दिनों तक चला। अंत में उन्होंने मेरी आशा छोड़ दी। मेरी एक सबसे बड़ी बहिन थी। एक दिन उसने कहा कि "हम सबों को आशा थी कि रवी कोई बड़ा आदमी होगा, पर इसने पूर्ण निराश कर दिया।" मैं भी अनुभव करने लगा कि कुटुम्ब में अपनी कीमत कम होती जा रही है। इतने पर भी पाठशाला रूपी चक्की के डंडे से अपने आपको बाँध लेने का मुझसे निश्चय नहीं हो सका। वास्तव में वह शाला चक्की ही थी, उसमें न केवल सौंदर्य ही नहीं था, किन्तु रुग्णालय और जेल के समान घृणा एव क्रूरता का संगम हो गया था।

सेंट जूनियर स्कूल की एक महत्वपूर्ण बात मुझे आज भी ज्यों की त्यों याद है। वह बात वहाँ के शिक्षकों के संबंध की है। यद्यपि सब शिक्षक एक ही वृत्ति के नहीं थे, विशेषतः हमारे वर्ग के शिक्षकों में तो संयस्त वृत्ति का अंश भी मुझे नहीं दिखाई पड़ता था। उन शिक्षकों में 'शिक्षण यंत्र' की अपेक्षा मुझे कुछ भी भिन्नता नहीं दिखलाई पड़ी। यह शिक्षण यंत्र (शिक्षक) पहिले ही बलाढ्य है। यदि यह यंत्र धार्मिक बाह्य विधि रूपी पाषाण की चक्की से संलग्न हो जाय तो फिर तरुण बालकों का अंतःकरण पिलकर शुष्क हुए बिना नहीं रह सकता। बाह्य शक्ति से चालन पाने वाली तेल की घानी का यह सेंट जूनियर शाला एक उत्कृष्ट नमूना थी, तो भी उस शाला में कुछ ऐसी बातें थीं, जिनमें मेरा मत वहाँ के शिक्षकों के संबंध में उच्च प्रकृति का था।

मेरी उक्त स्मृति 'फादर डी पेनेरंड" के सम्बन्ध में है। हमसे उनका बहुत कम सम्बन्ध आता था। यदि मेरी स्मृति ठीक है तो मुझे इतना ही याद है कि उन्होंने हमारे वर्ग के एक शिक्षक के स्थान पर कुछ दिनों तक काम किया था। ये जाति के स्पेनिअर्ड थे। ऐसा मालूम होता था कि उन्हें अंग्रेजी बोलने में कुछ कष्ट होता था। इसलिये शायद उनके पढ़ने की ओर लड़कों का बहुत कम ध्यान जाता था और इस पर उन्हें मन में कुछ दुःख भी हुआ करता था। इस दुःख को उन्होंने चुपचाप बहुत दिनों तक सहन किया। मुझे इनके प्रति बहुत सहानुभूति रहती थी और मेरे मन का खिंचाव इनकी ओर हुआ करता था। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों हुआ करता था। वे कुछ नाक कान से खूबसूरत भी नहीं

थे, पर उनके चेहरे में ऐसा कुछ आकर्षण था कि मेरा मन उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रहता था। जब जब मैं उनकी ओर देखता, मुझे ऐसा भान होता कि मानो उनकी आत्मा उपासना में लीन है और अन्तर-बाहर शान्ति ही शान्ति फैली हुई है।

कापी लिखने के लिये आधे घंटे का समय नियत था। यह समय हाथ में कलम लेकर इधर-उधर देखने अथवा कुछ विचार करते हुए बैठे रहने में व्यतीत कर दिया जाता था। एक दिन फादर डी पेनेरंड इस कापी के वर्ग में आए। वे हमारी बैठक के पीछे इधर-उधर घूम रहे थे। उन्होंने शायद यह देखा ही होगा कि बहुत समय तक मैंने कापी में कुछ नहीं लिखा। अतएव वे एकाएक मेरे पीछे ठहर गए और झुककर धीरे से उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और प्रेम से पूछा कि 'ठाकुर क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है?' प्रश्न अत्यंत सीधा-सादा था, पर वह अभी तक मेरी स्मृति पर ज्यों का त्यों मौजूद है।

इनके संबंध में दूसरे लड़कों का क्या मत था, यह मैं नहीं कह सकता, पर मुझे तो उनमें परमात्मा के अस्तित्व का भान होता था और आज भी उनकी स्मृति मुझे परमात्मा के नितांत रमणीय एवं प्रशान्त आलय में प्रवेश करने का परवाना दे रही है, ऐसा मालूम होता है।

इस स्कूल में और भी एक वृद्ध 'फादर' थे। इन पर भी सब बालकों का प्रेम था। इनका नाम फादर हेनरी था। ये उच्च कक्षाओं को सिखाते थे। इस कारण मैं इन्हें अच्छी तरह नहीं जानता था। इनकी एक ही बात मुझे याद है। इन्हें बंगाली भाषा आती थी। इन्होंने 'नीरोद' नामक एक बालक से पूछा कि तेरे नाम की व्युत्पत्ति बता। बेचारा नीरोद, अपने नाम की व्युत्पत्ति के संबंध में अब तक बिलकुल ही बेफिक्र था। इसलिये इस प्रश्न का उत्तर देने में वह आगा-पीछा करने लगा। इसके सिवाय गहन और अपरिचित शब्दों से भरे हुए कोष ग्रंथों पर से भला कौन अपने नाम की छान-बीन करेगा? यह कहाँ की खटखट? यह तो अपनी गाड़ी के नीचे दबकर ऊपर से गाडी निकलने के समान ही दुर्दैव की बात है! आखिर नीरोद ने धृष्टतापूर्वक उत्तर दिया कि 'नि' यह अभावदर्शक शब्द और रोद अर्थात सूर्य की किरण, अतएव निरोद का अर्थ हुआ—सूर्य की किरणों को नष्ट करने वाला। *

*'नीरद' संस्कृत शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है—नीर=पानी, द=देनेवाला, अर्थात पानी देनेवाला। बंगाली में इसका उच्चारण 'निरोद' होता है।

१६
घरु पढ़ाई

इन दिनों पंडित वेदान्त वागीश के सुपुत्र ज्ञानबाबू हमारे गृहाध्यापक थे। उन्हें जब यह मालूम हो गया कि स्कूल के शिक्षण-क्रम की ओर मेरा चित्त लगना अशक्य है और इसके लिये प्रयत्न करना निरर्थक है, तब उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना प्रयत्न करना बन्द कर दिया और दूसरे ही मार्ग का अवलंबन किया। उन्होंने मुझे महाकवि कालिदास का 'कुमार सम्भव' काव्य पढ़ाना प्रारम्भ किया और उसका अर्थ मुझे बताया। इसके बाद 'मॅकबेथ' (इंग्लिश काव्य) पढ़ाया। पहिले तो वे मुझे मूल पुस्तक का भाव बंगाली में समझा देते थे और फिर समझाए हुए अंश का मुझसे पद्यानुवाद कराते थे। जब तक पद्यानुवाद पूरा न होता तब तक वे मुझे अपने कमरे में घेरे रखते थे। इस प्रकार उन्होंने मुझसे पूर्ण नाटक का अनुवाद कराया। सुदैव से यह अनुवाद कहीं खो गया और अपने उस कर्म के भार से मुक्त हो गया।

हमारी संस्कृत पढ़ाई की प्रगति देखने का भार पं० रामसर्वस्व को सौंपा गया था। उन्होंने भी अपनी पढ़ाई से अप्रसन्न विद्यार्थी (मुझ) को व्याकरण सिखाने का निरुपयोगी काम छोड़ दिया और उसके बदले में हमें 'शाकुन्तल' पढ़ाना प्रारम्भ किया। एक दिन इन्हें मेरे द्वारा किया हुआ 'मॅकबेथ' का पद्यानुवाद पं० विद्यासागर को बताने की इच्छा हुई और वे मुझे लेकर उनके घर गए। उस समय पं० विद्यासागर के पास राजकृष्ण मुकर्जी भी आये हुए थे और वहाँ बैठे थे। पुस्तकों से खचाखच भरे हुए उनके कमरे को देखते ही मेरी छाती धड़कने लगी और उनकी गम्भीर मुद्रा देखकर मुझे भय भी हुआ। परन्तु साथ ही अपने काव्य के लिये ऐसे प्रतिष्ठित श्रोता मिलने का पहला ही प्रसंग होने के कारण मुझे कीर्ति

प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा भी उत्पन्न हुई। यहाँ से मैं नवीन उत्साह प्राप्त कर घर को लौटा। राजकृष्ण बाबू ने मुझे विदूषक-पात्रों की भाषा व काव्य दूसरे रूपों में करने का ध्यान रखने की सूचना देकर अपना समाधान किया।

मेरी इस अवस्था में बंगाली साहित्य बहुत ही बाल्यावस्था में था। उस समय बांचने और न बांचने योग्य जितनी भी पुस्तकें थीं शायद मैंने सभी पढ़ डाली थीं। उस समय केवल बालकों के पढ़ने योग्य कोई भिन्न पुस्तकें नहीं बनी थीं। मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इस प्रकार के बांचने से मेरी कोई हानि नहीं हुई। आजकल बालकों के उपयोग के लिये वाग्मय रूपी अमृत में मिलाकर उसकी स्निग्धता कम करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार के साहित्य में केवल बालकों के ही योग्य बहुत सी बातों का वर्णन रहता है, परन्तु बालक वृद्धिशील मानव प्राणी है, इस दृष्टिबिन्दु से उनके उपयोग में आने लायक कोई भी बात इस प्रकार के साहित्य में नहीं होती। बाल-साहित्य इस प्रकार का होना चाहिये कि उसमें कुछ बातें उनकी समझ में आने योग्य हों और कुछ आने योग्य न हों। हमें अपनी बाल्यावस्था में जो पुस्तक मिलती उसे अथ से इति तक बांच डालते थे और उसमें का समझ में आया हुआ और न आया हुआ दोनों प्रकार का भाग हमारे में विचार लहर पैदा करता था। बालकों की ज्ञान-शक्ति पर बाह्य सृष्टि का प्रत्याघात इसी रीति से हुआ करता है। बालक को पुस्तक की जो बात समझ में आ जाती है, उसे वह पचा लेता है और जो बात उसक ग्राहक शक्ति के बाहर की होती है, वह उसे एक पैर आगे बढ़ाने में सहायता करती है।

दीनबन्धु मिश्र के जो समालोचनात्मक निबन्ध प्रकाशित हुए, उन्हें बाँचने योग्य अवस्था उस समय मेरी नहीं थी। हमारी एक रिश्तेदार स्त्री उन्हें पढ़ा करती थी। मैं कितना भी आग्रह करूं तो भी वे पुस्तकें मुझे देने की उन्हें इच्छा ही न होती थी। उन्हें वे ताले में बन्द करके रखा करती थीं। उन पुस्तकों को अप्राप्य समझने से मुझे और भी अधिक आग्रह हुआ कि किसी तरह से इन पुस्तकों को प्राप्त करना और बाँचना चाहिये!

एक दिन दुपहर के समय वे ताश खेल रही थीं। साड़ी के पल्ले से चाबी बन्धी हुई थी, और उनके कंधे पर वह पल्ला पड़ा हुआ था। मैं ताश के खेल में कभी ध्यान नहीं लगाता था। इतना ही नहीं, मुझ इस खेल से घृणा भी थी। परन्तु उस दिन का मेरा व्यवहार मेरी इस मनोवृत्ति से सर्वथा विरूद्ध था। मैं खेल में तल्लीन हो गया था। जब वे बाई एक दाँव के जीतने की गड़बड़ में थीं, तब मैंने चाबियाँ उनके पल्ले से खोलने का प्रयत्न किया, परन्तु मैं इस काम में निपुण नहीं

था, अतः पकड़ा गया, । उन्होंने साड़ी के पल्ले को और चाबियों को अपनी गोदी में रख लिया और फिर खेलने में तल्लीन हो गईं।

मुझे तो वह पुस्तक पढ़ने की धुन थी। अतः मैंने फिर एक तरकीब सोची। उस बाई को पान खाने का भी शौक था, अतः मैंने उन्हें पान के बीड़े दिए। उन्हें खाकर वे थूकने को उठीं। इस बार उन्होंने अपने पल्ले को फिर कंधे पर डाल लिया। अब मैंने अपना काम सफाई से किया, और उसमें सफल हुआ। उनकी चोरी हो गई। पुस्तकें मैंने पढ डालीं। जब उन्हें मालूम हुआ, तब वे मुझ पर नाराज होने का प्रयत्न करने लगीं। परन्तु असफल ? क्योंकि उन्हें और मुझे दोनों को ही उस समय हंसी आ गई।

राजेन्द्रलाल मित्र एक विविध विषय पूरित मासिक पत्र प्रकाशित करते थे। वर्ष के सम्पूर्ण अंकों को एकत्रित कर उनकी जिल्द बंधा ली गई थी और वह मेरे तीसरे भाई की आलमारी में थी। इसे भी मैंने प्राप्त किया और पढ़ा। इसे बार-बार आद्यंत पढ़ने से मुझे जो आनन्द होता था, उसकी स्मृति आज भी मुझे हुआ करती है। बिस्तरे पर चित्त लेट जाता और उस चौकोनी पुस्तक को छाती पर रखकर पढ़ा करता था। उसमें से नावेल, व्हेल मछली का वर्णन, पूर्वकाल के काजियों का न्याय और कृष्णकुमारी की कथा आदि पढ़ने में कितनी ही छुट्टियों के दुपहर का समय मैंने व्यतीत किया है।

आजकल हमारे यहां इस प्रकार के मासिक पत्र प्रकाशित नहीं होते। आज कल मासिक पत्रों में या तो तत्वज्ञान विषयक शास्त्रीय चर्चा रहती है, या नीरस कहानियां या प्रवास वर्णन आदि की रेलपेल। इंगलैंड में जिस प्रकार चेम्बर्स, कंसलस, स्टंड आदि सर्वसाधारण, सुलभ ध्येय का आडंबर न कर विविध विषयों का ऊहापोह करने वाले मासिक पत्र प्रकाशित होते हैं, उस प्रकार हमारे यहां नहीं होते।

मैंने अपनी बाल्यावस्था में एक और छोटा सा मासिक पत्र पढ़ा था। इसका नाम था 'अबोध बाल्यूम'। इसका संग्रहित बाल्यूम (जिल्द) मुझे अपने सबसे बड़े भाई के पुस्तक-संग्रह में मिला। उसे मैंने उन्हीं के पठन-गृह के दक्षिण की ओर जो गच्ची थी, उसके द्वार की देहरी में बैठकर कितने ही दिनों तक पढ़ा। बिहारीलाल चक्रवर्ती की कविता से मेरा प्रथम परिचय इसी पत्र से हुआ। इस समय तक मैंने जितनी कविता पढ़ी थीं, उन सबों से मेरा मन इसी ने अधिक आकर्षित किया। उनके रसात्मक काव्य का अकृत्रिम वीनारव मेरे अन्तर में वन्य-संगीत के द्वारा कल्लोल पैदा करता था।

इसी मासिक पत्र में 'पॉल और व्हर्जिनीया' नामक पुस्तक का करुण रस पूरित अनुवाद पढ़ते-पढ़ते कितनी ही बार मेरे नेत्रों में पानी भर आया है। वह विस्मय कारक समुद्र, उसके किनारे पर वायु के झोंकों से लहलहाता हुआ नारियल के झुंड का ऊपर से उतरने का वह दृश्य, आदि वर्णन ने कलकत्ते में हमारे घर की उस गच्ची पर मृग जल की मोहिनी निर्माण कर दी थी। बंगाली बाल-वाचक और रंग-बिरंगे रूमाल को सिर पर लपेटे हुए 'व्यर्जिनी' इन दोनों में उस निर्जन द्वीप के पनपथ में जो रमणी प्रेमाकर्षण की कथा चल रही थी, वह अद्‌भुत ही थी।

इसके बाद जो पुस्तक मैंने पढ़ी, वह थी बंकिमबाबू का बंगदर्शन' नामक मासिक पत्र। इस पत्र ने बंगालियों के अन्त:करण को आन्दोलित कर रखा था। पहिले तो नया अंक आने तक की बाट जोहना ही कष्ट दायक होता था। उसके बाद जब वह आ जाता, तब पहिले बड़ों के हाथ में जाता और उनके पढ़ लेने तक मुझे जो बाट देखनी पड़ती, वह तो एक दम असह्य हो जाती थी। आज कल तो इच्छा होने पर चाहे जो 'चन्द्रशेखर' और निषवृक्ष' को एक साथ पढ़ सकता है, परन्तु वह बहुत समय तक टिकने वाला आनन्द अब किसी को नहीं मिल सकता, जब कि हर महिने उत्कंठित रहना पड़ता था। आज आयगा, कल आयगा -ऐसी मार्ग प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। कुछ हिस्सा इस अंक में पढ़ा, और कुछ आगे के अंक में। उनका संदर्भ याद रखना पड़ता था। और एक बार पढ़ लेने पर भी तृप्ति न होने तक बार-बार पढ़ने की इच्छा पूर्ण करनी पड़ती थी।

शारदा मित्र और अक्षय सरकार ने प्राचीन कवियों की कविताओं का संग्रह पुस्तक-माला के रूप में प्रकाशित करना प्रारम्भ किया था। इस माला के भी हम ग्राहक थे। इस माला की पुस्तकों को हमारे बड़े-बूढ़े नियमित रूप से नहीं पढ़ा करते थे, अतः इन पुस्तकों को प्राप्त करने में मुझे कठिनाई नहीं पड़ती थी। विद्यापति की मैथिली भाषा अजीब तरह की थी और दुर्बोधता के कारण ही मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हुआ करता था। मैं इसके संपादकों की टिप्पणियाँ बिना देखे ही अर्थ लगाने का प्रयत्न किया करता था और दुर्बोध तथा संदिग्ध शब्द जितनी बार आते, उतनी ही बार उन्हें मैं संदर्भ सहित अपनी नोट बुक में लिख लिया करता था। साथ में व्याकरण से सम्बन्ध रखने वाली विशेष बातें भी मैं अपनी समझ के अनुसार लिख लेता था।

— —

१७

घर की परिस्थिति

मेरी बाल्यावस्था में मेरे हित की बात यह थी कि हमारे घर का वातावरण साहित्य और ललित कला से ओतप्रोत भरा हुआ था। मिलने को आने वालों से भेंट करने के लिये एक भिन्न-गृह था। जब मैं बिलकुल छोटा था, तब इस गृह के अन्दर बरामदे के कठड़े से टिककर किस तरह खड़ा रहता था, यह मुझे अच्छी तरह याद है। यहां रोज शाम को दीप प्रकाश रखा जाता और सुन्दर-सुन्दर गाड़ियाँ आकर खड़ी होतीं। मिलने के लिये आने वाले लोगों का बराबर आवागमन जारी रहता। भीतर क्या होता था, यह मैं अच्छी तरह नहीं समझ पाता था, तो भी प्रकाशित खिड़कियों के पास अन्धेरे में खड़ा होकर मैं बराबर भीतर के हालात देखता रहता था। यद्यपि भीतर का स्थान मुझसे कुछ अधिक दूर न था, परन्तु मेरे बाल्यावस्था के जगत से इसका अन्तर बहुत अधिक था। मुझसे बड़ा मेरा एक चचेरा भाई था। इसका नाम था गणेन्द्र। पंडित तर्करत्न का लिखा हुआ एक नाटक यह हाल ही में लाया था और उस नाटक को घर में जमाने का उसका काम चालू था। साहित्य और ललित कला के सम्बन्ध में उसके उत्साह की सीमा नहीं थी। वह उन लोगों में मेरुमणि के समान था, जो दिखाई देने वाले पुनरुज्जीवन को सब ओर से व्यवहार में आया हुआ देखना चाहते हैं। इसमें और इसके साथियों में पोशाक, साहित्य, संगीत, कला और नाट्य-सम्बन्धी राष्ट्रीय भावना बड़े जोश के साथ उत्पन्न हुई थी। इसने भिन्न-भिन्न देशों के इतिहास का सूक्ष्म रीति से परिशीलन किया था, और बंगाली में इतिहास लिखने का काम प्रारम्भ भी कर दिया था, परन्तु उसके हाथ से यह काम पूरा न हो सका।

'विक्रमोर्वशीय' नामक संस्कृत नाटक का अनुवाद कर के उसने प्रकाशित

किया था। प्रसिद्ध स्तोत्रों में से बहुत से स्तोत्र उसी के रचित है। यह कहने में कोई हानि नहीं है कि स्वदेश भक्ति पूर्ण कविता या पद बनाने का उदाहरण हमने उसी से लिया। यह उन दिनों की बात है जब कि वर्ष में एक बार हिन्दू मेला लगता और उसमें "हिन्दू भूमि का यश गाने में लज्जा हम को आती है" यह उसका बनाया हुआ पद गाया जाता था।

मेरा यह चचेरा भाई भर जवानी में मरा। उस समय मैं बहुत ही छोटा था। परन्तु जिसने उसे एक बार देखा होगा, वह उसकी लम्बी, सुन्दर और प्रभावशाली आकृति कभी नहीं भूलेगा। समाज पर उसका अनिवार्य प्रभाव था। लोगों का मन अपनी ओर खींचने और उसे अपनी ओर बनाये रखने की कला उसे अच्छी तरह सिद्ध हो गई थी। जब तक उसकी आकर्षित मूर्ति किसी मंडल में होती, तब तक उसमें फूट पड़ना शक्य ही नहीं था। अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा जो अपने कुटुम्ब, ग्राम या नगर के केन्द्र स्थान बन जाते हैं, ऐसे लोगों में से वह भी एक था। जिन जिन देशों में राजकीय, व्यापारिक अथवा सामाजिक संस्थाएं उत्कर्ष रूप में रहती हैं, उन देशों में जन्म प्राप्त होने पर ऐसे लोग राष्ट्र के नेता बने बिना नहीं रहते। बहुत से लोगों को एकत्रित कर उनका प्रभावशाली और कर्तृत्ववान संघ बनाने में किसी विशेष प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। हमारे देश में इस प्रकार की प्रतिभा व्यर्थ चली जाती है। आकाश से तारा तोड़कर उससे एक तुच्छ दियासलाई का काम लेने के समान ही हमारे देश में ऐसे व्यक्तियों का करुणास्पद दुरुपयोग होता है। गरोन्द्र के छोटे भाई गुरोन्द्र सुप्रसिद्ध चित्रकार गरोन्द्र और अवनीन्द्र के पिता) की मुझे उससे भी अधिक याद है। गरोन्द्र के समान इसने भी हमारे घर में अपना विशिष्टत्व स्थापन कर रखा था। वह अपने अन्तःकरण से अपने स्नेही, मित्र, कुटुम्बी रिश्तेदार सबों का ध्यान रखता था। यही कारण था जो सदा उसके आस-पास बिना बुलाये ही लोगों का जमघट लगा रहता था, चाहे वह कहीं पर भी क्यों न हो, उन लोगों में वह ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वयं आदर ही मूर्तिमान होकर अवतरित हुआ है। कल्पना और बुद्धिमत्ता, इन दोनों गुणों का वह बड़ा आदर करता था और इसलिये उसमें सदा उत्साह झलका करता था। उत्सव हो, त्यौहार हो, विनोद नाटक हो अथवा दूसरा कुछ हो। जहां कोई नवीन कल्पना निकली कि उसने उसे आश्रय दिया। उसकी सहायता से वह कल्पना वृद्धि को प्राप्त होकर सफल हुए बिना नहीं रहती थी।

इस हलचल में शामिल होकर कुछ करने योग्य अवस्था अभी हमारी नहीं थी, परन्तु इससे उत्पन्न होने वाले नवजीवन और आनन्द की लहरें हमारे तक

आतीं और कौतूहल के द्वार को धक्का दिया करती थीं। मुझे ऐसी याद है कि हमारे सबसे बड़े भाई के रचे हुए एक प्रहसन की तालीम चचेरे भाई के दीवान-खाने में दी जाती थी। मैं अपने घर के बरामदे के कठरे के पास खड़ा रहता। वहाँ मुझे उस दीवान-खाने में जो जोर से हंसी चलती, वह और हास्योत्पादक गाने का अलाप सुनाई पड़ा करता था। साथ में अक्षय मजूमदार की विनोदी बातों की भनक भी हमारे कान पर बीच-बीच में पड़ जाती थी। हम उन गानों को बराबर उस समय समझ तो न सके, परन्तु पीछे से कभी न कभी उन गानों को ढूंढ निकालने की उम्मीद हममें जरूर थी।

मेरे मन में गुणेन्द्र के प्रति विशेष आदर उत्पन्न करने वाली एक छोटी सी बात हो गई, यह मुझे अच्छी तरह स्मरण है। मुझे अच्छे चालचलन के सम्बन्ध में एक बार पारितोषिक मिलने के सिवाय और कभी कोई भी पारितोषिक पाठशाला में नहीं मिला था। हम तीनों में 'सत्य' अभ्यास करने में अच्छा था। एक परीक्षा में उसे अच्छे नम्बर मिले, और इस कारण उसे पारितोषिक भी मिला। घर में पहुंचते ही बगीचे में गुणेन्द्र था, उससे कहने के लिए में गाड़ी में से कूदकर जोर से भागा और भागते-भागते ही चिल्लाकर मैंने उससे कहा कि सत्य को इनाम मिला है। उसने हसते हुए मुझे अपने पास खींचकर पूछा कि क्या तुझे कोई इनाम नहीं मिला ? मैंने उत्तर दिया कि मुझे नहीं, सत्य को मिला है। सत्य को मिली हुई विजय से मुझे जो आनन्द हुआ, उसे देखकर उसका गला भर आया। उसने अपने मित्र से उसी समय कहा कि इसके स्वभाव की यह कितनी श्रेष्ठ बाजू है। मुझे यह सुनकर एक आश्चर्य ही हुआ, क्योंकि मैंने अपनी मनोभावना की ओर इस दृष्टि से कभी नहीं देखा था। पाठशाला में इनाम न मिलने पर भी घर पर जो मुझे यह इनाम मिला, उसमे मेरा कुछ भी लाभ नहीं हुआ। बालकों को देनगी देना बुरा नहीं है, परन्तु इनाम के रूप में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल छोटी अवस्था में अपने गुणों की जानकारी होना कुछ विशेष लाभदायक नहीं होता।

दुपहर का भोजन समाप्त हो जाने पर गुणेन्द्र जमींदारी कचहरी में जा बैठता था। हमारे वृद्ध पुरुषों की कचहरी एक प्रकार का क्लब ही था। यहाँ हंसना, खेलना, गप्पें मारना, वगैरह सब कुछ हुआ करता था। गुणेन्द्र एक कोच पर पड़ जाता था। उस समय मौका देख मैं भी उसके पास धीरे से चला जाता था। प्रति-दिन वह मुझे हिन्दुस्तान के इतिहास की बातें बताया करता था। 'क्लाइव' का हिन्दुस्तान में आना, उसका यहाँ ब्रिटिश राज्य का जमाना, फिर विलायत लौटकर आत्मघात करना आदि बातें सुनकर मुझे कितना आश्चर्य हुआ था, इसका मुझे

अभी स्मरण है। जिस दिन मैंने यह सब बातें सुनी, उस दिन मैं दिनभर इसी विचार में गुम रहा कि यह कैसे हो सकता है कि एक ओर तो नवीन इतिहास का उदय है, और दूसरी ओर अन्त:करण के गहन अंधकार में दुख पर्यवसायी भाग दबा हुआ है। एक ओर अंतरंग में इस प्रकार गहन अपयश और दूसरी ओर देश की उत्तंग फड़कती हुई ध्वजा ?

मेरे खीसे में क्या रखा हुआ है, इस सम्बन्ध में गुणेन्द्र को संशय न होने पावे, इसलिए मैं उत्तेजना मिलते ही अपने हाथ की लिखी पोथी बाहर निकाल लेता था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गुणेन्द्र कठोर या गर्मागर्म समालोचक नहीं था। वास्तव में पूछा जाय तो उसके मत का उपयोग तो किसी दिशा न के समान लाभदायक होता था, परन्तु मेरी कविता तो बिलकुल ही लड़कपन की होती थी। इसलिए वह मन:पूर्वक "अहाहा" यही उद्गार निकालता था। एक दिन "हिन्द माता" पर मैंने एक रचना की। उसकी एक पक्ति के अन्त में रखने के लिए हाथी गाड़ी वाचक एक शब्द के सिवाय दूसरा उसी तरह का शब्द मुझे याद न आया। वह शब्द बिलकुल ही योग्य नहीं था। तो भी 'यमक' के निर्वाह के लिए मैंने जबरन उसी शब्द को घुसेड़ दिया। 'यमक' अपने घोड़े को बराबर आगे रखना चाहते थे और अपने हक का समर्थन कर रहे थे। इसलिये यमक निर्वाहन करने के तर्क की कोई बात नहीं मानी गई और यमक का हक बराबर बना रहा।

उन दिनों मेरे सबसे बड़े भाई अपनी 'स्वप्नप्रयाण' नामक पुस्तक लिख रहे थे। यह उनकी पुस्तकों में सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है। इसे वे दक्षिण की ओर के बरामदे में गद्दी पर बैठकर और अपने सामने डेस्क रखकर लिखा करते थे। गुणेन्द्र भी इस जगह प्रति दिन सुबह आकर बैठता था। सदा आनन्द में रहने की उसकी विलक्षण शक्ति, वसंत की वायु की लहरों के समान काव्य लता में नवीन अंकुर फूटने में उपयोगी पड़ती थी। मेरे ज्येष्ठ भ्राता का प्राय: यह सदा का क्रम था कि वे पहिले लिखते, फिर उसे जोर जोर से बाँचते और बाँचते बाँचते अपनी कल्पना की विलक्षणता पर खूब जोर से हंसते, जिसके कारण सारा बरामदा गजगजा उठता था। उनकी कवित्व शक्ति इतनी उर्वरा थी कि पहिले तो वे बहुत ज्यादह लिख डालते फिर उसमें से छांटकर पुस्तक की असल प्रति में लिखते थे। वसन्त ऋतु में जिस तरह आम्र वृक्ष पर अधिक आया हुआ भौर झड़कर पृथ्वी पर बिखर जाता है, उसी प्रकार उनके 'स्वप्नप्रयाण' के छोड़े हुए भाग के पन्ने घर भर में बिखरे हुए थे। यदि किसी ने उन्हें एकत्रित कर संभाल कर रखे होते तो उनका हमारे बंगला साहित्य के लिये भूषणभूत एक पुष्प-कांड ही बन गया होता।

द्वार की संधियों में से अथवा कोनों में से देख देख कर हम इस काव्यमय मिजवानी का रसास्वादन करते रहते थे। इस मिजवानी में इतने अधिक पकवान बनाये जाते कि वे आखिर बच ही रहते। मेरे ज्येष्ठ भ्राता इस समय अपने महान सामर्थ्य-वैभव की उच्च शिखर पर पहुंच गये थे। उनकी लेखनी से कवि कल्पना का जोरदार प्रवाह बहने लगता था। उसमें यमक और सुंदर भाषा की लहरों पर लहरें उठती थीं, और किनारे से टकराकर विजय गीत की आनन्द ध्वनि से दसों दिशाओं को गुंजित कर डालती थीं। हमें क्या 'स्वप्नप्रयाण' समझ में आता था? और न समझें तो भी क्या हुआ? उसके रसास्वादन के लिये समग्र समझने की आवश्यकता थोड़े ही थी। समुद्र की अत्यन्त गहराई में रखी हुई सम्पत्ति डुबकी मारने पर यदि हमें प्राप्त भी होती तो भी हमें उससे क्या लाभ होता, जब कि किनारे पर टकराने वाली लहरों के आनन्दातिशय में ही हम गर्क हो चुके थे और उनके आघात से हमारी रक्त-वाहिनी नाड़ियों में जीवन रक्त खूब बह रहा था।

उन दिनों का मैं जितना अधिक विचार करता हूं, उतना ही मुझे अधिक विश्वास होता है कि अब आगे 'मजलिश' नामक वस्तु मिलने वाली नहीं है। अपने सामाजिक बंधुओं से हिलमिल कर व्यवहार करने का जो हमारे पूर्वजों में विशेष गुण था, उस गुण की अन्तिम किरण मैंने अपनी बाल्यावस्था में देखी। उस समय अपने अड़ोसियों-पड़ोसियों के प्रति प्रेमपूर्ण मनोवृत्ति इतनी नजदीक थी कि 'मजलिश' एक आवश्यकीय बात बन गई थी और जो इसकी उत्कृष्टता को जितना अधिक बढ़ाता, उसकी उतनी ही अधिक चाह होती थी। समाज को ऐसे ही लोगों की बहुत आवश्यकता रहती है। आजकल या तो किसी कार्य विशेष के कारण अथवा सामाजिक कर्तव्य के लिहाज से लोग एक दूसरे से मिलने को जाया करते हैं। एकत्रित होकर कुछ काल व्यतीत करने के उद्देश्य से कोई किसी के पास नहीं जाता। या तो आजकल के लोगों को समय ही नहीं रहता अथवा पहिले जैसा प्रेम ही नहीं रहा। उस समय यह हालत थी कि कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई गप्पें मार रहे हैं, हंसी उड़ रही है। गप्पों और हंसी की आवाज से कमरे गजगजा रहे हैं। एकत्रित लोगों में अगुआ बनकर मनोरंजक कहानियाँ इस तरह से कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि कहीं विरसता पैदा न होने पावे। उस समय के मनुष्यों की यह शक्ति आज कल नष्ट हो रही है। आज भी लोग आते जाते हैं, परन्तु आज वे कमरे शून्य और भयानक दिखलाई पड़ते हैं।

उस समय दीवानखाने से लेकर रसोईघर तक की सब वस्तुएं सब लोगों के उपयोग में आ सकने की व्यवस्था की गई थी। इसलिये ठाठ-बाट और भपके में कभी कोई रूपांतर नहीं होता था। आजकल श्रीमती के उपकरण तो बहुत बढ़

गये हैं, परन्तु उनमें प्रेम नहीं रहा। और न इन साधनों में सब श्रेणी के लोगों में हिलमिल जाने की कला ही रह गई है। जिनके अंग पर वस्त्र नहीं हैं अथवा जो मैले कुचैले हैं, उन्हें बिना मंजूरी लिये केवल अपने हंसते हुए चेहरे के बल पर श्रीमती के उपकरणों का उपयोग करने का हक आजकल नहीं रह गया है। हम इन दिनों अपनी इमारतों, सजावटों में जिनका अनुकरण करने लगे हैं, उनमें भी समाज है और ऊंचे दरजे की मेहमानदारी की पद्धति है, परन्तु हमारे में बड़ा दोष यह हो गया है कि जो हमारे नजदीकी साधन थे, उन्हें तो छोड़ दिया और पाश्चात्य पद्धति के अनुसार सामाजिक-बन्धन तैयार करने में लग गये, जिसके साधन हमारे पास हैं नहीं। परिणाम यह हुआ कि हमारा जीवन आनन्द शून्य हो गया। आजकल भी काम धंधे के सबब से अथवा राष्ट्रीय-सामाजिक बातों के विचार के लिये हम एकत्रित होते हैं, परन्तु एक दूसरे से केवल मिलने के उद्देश्य से हम कभी एकत्रित नहीं होते। अपने देशबन्धुओं के प्रेम से प्रेरित होकर उन्हें एकत्रित करने के प्रसंग हमने बन्द कर दिये हैं। इस सामाजिक बुराई की अपेक्षा मुझे कोई दूसरी बात बुरी नहीं मालूम होती। जिनके ठेठ अन्त.करण से निकलने वाला हास्य हमारी गृह चिन्ता के भार को हलका करता था, उसका स्मरण आते यही बात ध्यान में आती है कि वे मनुष्य किसी भिन्न जगत से आये होंगे।

———

१८

मेरे साहित्यिक साथी

मुझे बाल्यावस्था में एक मित्र प्राप्त हुए थे जिनकी मुझे अपनी वांङमय-प्रगति के कार्य में बहुमूल्य सहायता मिली। इनका नाम था 'अक्षय चौधरी'। यह मेरे चौथे भाई के समवयस्क साथी थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। ये इंग्लिश भाषा और साहित्य में एम ए. थे। इन्होंने इंग्लिश साहित्य में जितनी प्रवीणता प्राप्त की थी, उतना ही उस पर इनका प्रेम भी था और दूसरी ओर देखा जाय तो बंगला के प्राचीन ग्रंथकार और वैष्णवी कवियों पर भी उनका उतना ही प्रेम था। उन्हें ऐसे सैकड़ों बङ्गला पद याद थे, जिनके कर्ताओं के नाम उपलब्ध नहीं हैं। न वे राग और तालों को देखते, न परिणाम को और न इसकी पर्वाह ही करते कि श्रोता लोग क्या कह रहे हैं। श्रोताओं के मना करने पर भी वे आवाज चढ़ा-चढ़ा कर गाया करते थे। अपने गाने की आप ही ताल लगाने में उन्हें कोई भी बात परावृत नहीं कर सकती थी। श्रोताओं के मन में उत्साह पैदा करने के लिए वे पास में रखी हुई टेबिल या पुस्तक को ही अपना तबला बना लेते थे।

तुच्छ अथवा श्रेष्ठ किसी श्रेणी की वस्तु से सुख प्राप्त कर लेने का निग्रह रखने की विलक्षण सामर्थ्य वाले जो लोग होते हैं उनमें से अक्षय बाबू भी एक थे। वे किसी बात की भलाई की स्तुति करने में जितने उदार थे उतने ही उसका उपयोग कर लेने में तत्पर भी थे। बहुत से पद और प्रेमल काव्य शीघ्रता से रचने की विलक्षण हथौटी उन्हें प्राप्त हुई थी। परन्तु कवि होने का उन्हें बिलकुल ही अभिमान नहीं था। पेंसिल से लिखे हुए कागजों के टुकड़ों के ढेर इधर-उधर पड़े रहते थे, जिनकी ओर वे फिर कर देखते भी नहीं थे। उनकी शक्ति जितनी विस्तृत थी, उतना ही वे उसके प्रति उदासीन भी थे।

उनकी कविताओं में से जब एक कविता 'बंगदर्शन' में प्रकाशित हुई तो पाठकों को वे अधिक प्रिय हुए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को पद गाते हुए देखा है, जिन्हें पदों के कर्त्ता का बिलकुल ही परिचय नहीं था।

विद्वता की अपेक्षा साहित्य से अधिक आनंद प्राप्त करने का गुण बहुत थोड़े मनुष्यों में होता है। अक्षय बाबू के उत्साहपूर्ण सामर्थ्य के कारण कविता का आस्वाद लेने और साहित्य का मर्म जानने की शक्ति मुझे प्राप्त हुई। वे जिस तरह साहित्य-समालोचना के कार्य में उदार थे, उसी तरह स्नेह-संबंध में भी उदार थे। अपरिचित व्यक्तियों में उनकी दशा पानी में से निकाली हुई मछली के समान हो जाती थी और परिचित व्यक्ति, फिर चाहे ज्ञान और वय का कितना ही अन्तर क्यों न हो, उन्हें समान प्रतीत होते थे। हम बालकों में वे भी बालक बन जाते। ज्योंही सायकाल के समय वे हमारे वृद्ध पुरुषों की मंडली में से निकलते, त्योंही उनका कोट पकड़कर मैं अपने पढ़ने की जगह पर ले जाता। वे वहां पर टेबिल पर बैठ जाते और उत्साहपूर्वक हमारे साथ व्यवहार कर हमारे बाल समाज के प्राण बन जाते। ऐसे अवसरों पर कई बार मैंने उन्हें बड़े आनंद से इंग्लिश कविता बोलते हुए देखा है। कभी-कभी हम उनसे मार्मिक वाद-विवाद भी करने लगते और कभी-कभी अपने लिखे हुए लेखों को पढ़कर सुनाते। इसके बदले में बिना चूके वे मेरी अपार स्तुति करते और पारितोषिक भी देते।

मुझे साहित्य और मनोभावना के संबंध में उचित रास्ते से लगने वाले व्यक्तियों में-से मेरा चौथा भाई ज्योतिरिन्द्र मुख्य था। वह स्वयं भी धुन का पक्का आदमी था और दूसरों में भी धुन पैदा करना चाहता था। बौद्धिक और भावात्मक विषयों पर विवाद करके अपने साथ विशेष परिचय करने के कार्य में वह अवस्था का अंतर बाधक नहीं बनने देता था। उसने स्वातंत्र्य की जो यह उदार देनगी दी, वह दूसरा नहीं दे सकता था। इस संबंध में बहुतों ने उसे दोष भी दिया। इसके साथ मैत्री करने के कारण पीछे रखने के लिये बाध्य करने वाला डरपोकपन झाड़ फेंकना मुझे शक्य हुआ। अत्यंत तीव्र गरमी के बाद जिस प्रकार वर्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बाल्यावस्था में जकड़ी हुई आत्मा को स्वातंत्र्य की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से यदि बेड़ियां नहीं टूटी होतीं तो मैं जन्म भर के लिये पगु हो गया होता। स्वतंत्रता देना अस्वीकार करते समय सदा उसके दुरुपयोग की संभावना का कारण बतलाने में अधिकारी लोग आगे-पीछे नहीं देखते। परन्तु इस दुरुपयोग की संभावना के अभाव में स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता कभी प्राप्त नहीं होती। कोई वस्तु जब योग्य

रीति से उपयोग में लाना सिखलाना हो तो उसका एक ही मार्ग है, वह है उसका दुरुपयोग करना। कम-से-कम मेरे सम्बन्ध में तो यही कहा जा सकता है कि मुझे मिली हुई स्वतंत्रता का जो कुछ दुरुपयोग हुआ, उसी दुरुपयोग में मुझे पार होने के मार्ग से लगाया। मेरे कान पकड़कर अथवा मेरे मन पर दबाव डालकर जो काम करने के लिए लोगों ने मुझे बाध्य किया, उन कामों को मैं कभी ठीक तौर पर नहीं कर सका। जब-जब मुझे परतंत्र रखा, तब-तब सिवाय दुःख के मेरे अनुभव में और कुछ नहीं आया।

आत्म-ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में ज्योतिरिंद्र मुझे उदार मन से संचार करने देता था और इसी समय से प्रायः पुष्प उत्पन्न करने की तैयारी मेरी मनःसृष्टि की हो गई। इस आत्म-ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग का जो मुझे अनुभव मिला, उसने मुझे यही सिखाया कि अच्छाई के लिए किये गये महान प्रयत्नों की अपेक्षा साक्षात बुराई से भी डरने की जरूरत नहीं है। राजनैतिक अथवा नैतिक अपराधों को दण्ड देने वाली पुलिस का भय, लाभदायक होते हुए भी, मुझे भय ही मालूम होता है। आत्म ज्ञान प्राप्त करते समय स्वावलंबन न किया जाय तो जो गुलामी प्राप्त होती है, वह एक प्रकार की दुष्टता ही है। मनुष्य प्राणी इस गुलामी की प्रायः बलि हो जाया करते हैं।

एक बार मेरा भाई 'नवीन' स्वर—लिपि तैयार करने में कितने ही दिनों तक संलग्न रहा। उसके पियानो पर बैठते ही उसकी चलने वाली उंगलियों के द्वारा मधुर आलाप की वर्षा होने लगती। उसकी एक ओर अक्षय बाबू और दूसरी ओर मैं बैठता था। पियानो में से स्वरों के निकलते ही हम लोग उसके अनुरूप शब्द ढूंढने में लग जाते, जिससे कि स्वरों के ध्यान में रहने के लिये सहायता मिले। इस प्रकार पद्य रचना का शिष्यत्व मैंने ग्रहण किया।

जिस समय हम जरा बड़े होने लगे, उस समय हमारे कुटुम्ब में संगीत शास्त्र की प्रगति शीघ्रता से होने लगी थी। इस कारण बिना प्रयत्न के ही मेरे सर्वाङ्ग में उसके भिद जाने का मुझे लाभ हुआ परन्तु साथ में उससे एक हानि भी हुई, वह यह कि मुझे संगीत शास्त्र का क्रमपूर्वक प्राप्त होने वाला शुद्ध ज्ञान न मिल सका।

हिमालय से लौटने पर क्रमशः मुझे अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती गई। नौकरों का शासन दूर हो गया और मैंने अनेक युक्ति-प्रयुक्तियों के द्वारा पाठशाला के जीवन की शृंखला तोड़ने की भी व्यवस्था कर डाली। घर पर

सिखाने वाले शिक्षकों को भी अब अधिक शासन करने का मैंने अवसर नहीं दिया। 'कुमार-संभव' पढ़ाने के बाद ज्ञान बाबू ने ज्यों-त्यों करके एक-दो पुस्तकें और पढ़ाईं। फिर वे भी वकालात पढ़ने के लिए चल दिये। उनके बाद व्रज बाबू आए। इन्होंने पहिले ही दिन मुझे 'विकार आफ् वेकफील्ड' नामक पुस्तक का अनुवाद करने के कार्य में लगाया। जब उन्होने देखा कि मैं उक्त पुस्तक से घबड़ाता नहीं हूं, तब उन्हें अधिक उत्साह हुआ और वे मेरे शिक्षण की प्रगति करने की अधिक व्यवस्थित तजवीज करने लगे। यह देखकर मैं उन्हें भी टालने लगा।

मैं ऊपर कह ही आया हूं कि मेरे बुजुर्गों ने मेरी आशा छोड़ दी थी। मेरे भावी जीवन की कर्तृत्व शक्ति के सम्बन्ध में उन्हें और मुझे कुछ विशेष आशा नहीं थी। अपने पास की कोरी पुस्तक येन-केन प्रकारेण लिखने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, ऐसा मैं समझने लगा। परन्तु वह पुस्तक मेरी कल्पना की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ लेखों से नहीं भरी गई। मेरे मन में गरम-गरम भाप के सिवाय और था भी क्या? इस भाप के द्वारा बने हुए बुदबुदे मेरी आलस्यपूर्ण कल्पना के आस-पास उद्देश्य और अर्थ रहित होकर चक्कर मारा करते थे। उनके द्वारा कोई आकृति निर्माण नहीं होती थी। बुदबुदे उठते और फूट कर फेन बन जाते थे। मेरे कवित्व में यदि कुछ होता भी तो वह मेरा न होकर इतर कवियों के काव्य से उधार लिया हुआ भाग ही होता था। उसमें यदि मेरा कुछ होता भी तो केवल मेरे मन की छटपटाहट अथवा मन को क्षुब्ध करने वाला दबाव। मन:शक्ति की समतोल अवस्था का विकास होने के पहिले ही जहां हलचल प्रारम्भ हो जाती है, वहां निश्चयत. अन्धकार ही रहता है।

मेरी भौजाई (चौथे भाई की स्त्री) को साहित्य से बड़ा प्रेम था। वह केवल समय व्यतीत करने के लिये ही नहीं पढ़ा करती थी, किन्तु जो बंगला पुस्तक पढ़ती उसे मन में पचाती भी जाती थी। साहित्य सेवा के कार्य में उसका मेरा साहचर्य था। 'स्वप्नप्रयाण' नामक पुस्तक के सम्बन्ध में उसका बहुत ऊंचा मत था। मेरा भी उस पुस्तक पर बहुत प्रेम था। उस पुस्तक के जन्म काल में ही मेरी वृद्धिगत अवस्था को उसका स्वाद चखने का अवसर मिला था और मेरे अन्त:करण के तन्तुओं ने उस पुस्तक की उत्तमोत्तम पुष्प कलिकाओं को गूंथ लिया था, इसलिये उस पर मेरा प्रेम और भी अधिक हो गया था। उसके (स्वप्नप्रयाण के) समान लिखना मेरी शक्ति के बाहर था, इसलिये सुदैव से ऐसा प्रयत्न करने का मुझे विचार तक पैदा नहीं हुआ।

'स्वप्नप्रयाण' की तुलना किसी ऐसे रूपकातिशयोक्तिपूर्ण भव्य प्रसाद से

की जा सकती है, जिसमें असंख्य दालान, कमरे, छज्जे वगैरह हों और जो आश्चर्य-जनक तथा सुन्दर मूर्तियों, चित्रों आदि से खूब भरा हुआ हो। जिसके चारों ओर बगीचे हों, जिसमें स्थान-स्थान पर लताकुंज, फव्वारे, प्रेम कथा के लिये गुफायें आदि सामग्री हो। यह ग्रंथ केवल काव्यमय विचारों और कवि-कल्पनाओं से ही भरा हुआ नहीं है, प्रत्युत इसकी सुन्दर भाषा-शैली और नानाविध शब्द रचना आश्चर्यजनक है। सब तरह से पूर्णत्व प्राप्त और चमत्कृतिजनक इस रमणीय काव्य को जन्म देने वाली शक्ति कोई साधारण बात नहीं है। शायद इसलिए इसकी नकल करने की कल्पना मुझे पैदा नहीं हुई।

इन्हीं दिनों श्री बिहारीलाल चक्रवर्ती की 'शारद-मंगल' नामक पद्य माला 'आर्य-दर्शन' में प्रकाशित होती थी। इसके प्रेमपूर्ण गीतों ने मेरी भौजाई का मन बहुत ही मोहित कर लिया था। बहुत से गीत तो उसने जुबानी याद कर लिये थे। वह इन गीतों के रचयिता कवि को निमंत्रण देकर बुलाया करती थी और इनके बैठने के लिये अपने हाथ से बेलबूटे काढ़कर एक गादी तैयार की थी। इसी-लिये मुझे इनसे परिचय प्राप्त करने का अपने आप अवसर मिल गया। मेरे पर भी उनका प्रेम जम गया। मैं किसी भी समय उनके घर पर चला जाता था शरीर के समान उनका अन्तःकरण भी भव्य था। काव्यरूप काम देह के समान कवि प्रतिभा का उज्ज्वल तेजोमंडल उनके चारों ओर फैला हुआ रहता था और यही उनकी वास्तविक प्रतिभा मूर्ति है—ऐसा मालूम होता था। वे काव्यानन्द से सदा भरे रहते थे। जब-जब मैं उनके पास जाता मुझे भी काव्यानंद का आस्वाद मिलता था। दुपहर के समय कड़क गर्मी में तीसरी मंजिल पर एक छोटी सी कोठरी में चूना गच्ची की कोमल जमीन पर पड़कर कविता लिखते मैंने कई बार उन्हें देखा है।

यद्यपि उस समय मैं एक छोटा बालक ही था, तो भी वे मेरा ऐसे अकृत्रिम भाव से स्वागत करते थे कि मुझे उनके पास जाने में कभी संकोच नहीं होता था। ईश्वरीय प्रेरणा में तल्लीन होकर और अपने पास कौन है और क्या हो रहा है, इसकी ओर न देखकर एक सामाधिस्थ के समान वे अपनी कविताएं अथवा पद सुनाते थे। यद्यपि उन्हें मधुर गायन की कोई देनगी प्रकृति ने नहीं दी थी, तो भी वे बिल्कुल बेसुरा भी नहीं गाते थे और उनके गायन से कोई भी गायक यह कल्पना कर सकता था कि उन्हें कौन सा आलाप निकालना है। जब वे आँखे मींचकर आवाज ऊंची चढ़ाते थे तब उनकी गति की कमजोरी छिप जाती थी। मुझे अभी भी यह भान हो जाता है कि उन्होंने मुझे जैसे गाने सुनाये थे वैसे ही मैं अब भी सुन रहा हूं। कभी कभी मैं भी उनके गाने जमाकर उन्हें गाकर सुनाया करता था।

वे वाल्मीकि और कालिदास के भक्त थे। मुझे स्मरण है कि एक बार उन्होंने कालिदास के काव्यों में से हिमालय का वर्णन बड़े जोर से पढ़ा और इसके बाद बोले कि:—

'अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः' इस श्लोकार्ध में कालिदास ने जो 'आ' इस दीर्घ स्वर का मुक्त-हस्त से प्रयोग किया है वह यों ही नहीं किया, किंतु 'देवतात्मा' से नागाधिराज' तक कवि ने जान बूझकर यह दीर्घ स्वर हिमालय का दीर्घत्व प्रकट करने के लिये प्रयुक्त किया है।

इस समय मेरी मुख्य महत्वाकाँक्षा केवल बिहारी बाबू के समान कवि होने की ही थी और मुझे यह स्थिति प्राप्त भी हो जाती कि मैं अपने आप समझने लगता कि मैं बिहारी बाबू के समान कविता कर सकता हूं। परन्तु मेरी भोजाई जो उनकी भक्त थी, इसमें आड़े आती थी। वह बार-बार मुझे कहती कि 'मंदः कवि यशः प्रार्थी गमि ष्युत्युपहास्यताम्" अर्थात् योग्यता न होते हुए कीर्ति प्राप्त करने की महत्वाकाँक्षा रखने वाले कवि का उपहास होता है। वह शायद यह बात अच्छी तरह जानती थी कि यदि कभी महत्वाकांक्षा के साथ वृथाभिमान ने सिर उठाया तो फिर उसका दाबना कठिन हो जायगा।

अतः वह मेरे गायन अथवा काव्य की सहसा प्रशंसा नहीं किया करती थी इतना ही नहीं, वह दूसरे के गायन की प्रशंसा कर मेरी त्रुटि दिखाने का अवसर कभी यों ही नहीं जाने देती थी, उसका तो वह उपयोग कर ही लेती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे अपनी आवाज में दोष है, इसका पूरी तरह विश्वास हो गया और काव्य रचना के सामर्थ्य में भी संदेह होने लगा, परन्तु यही एक उद्योग था जिसके कारण मैं बड़प्पन प्राप्त कर सकता था। अत दूसरों के निर्णय पर मैं सब आशा छोड़ देने के लिए भी तैयार न था। इसके सिवाय मेरे अन्तःकरण की प्रेरणा इतने जोर की थी कि काव्य रचना के साहस से मुझे परावृत्त करना अशक्य था।

———

१९

लेख प्रसिद्धि

इस समय तक मेरे लेख मंडली के बाहर नहीं गए थे। इन्हीं दिनों "ज्ञानांकुर" नामक मासिक पत्र निकला और उसके नामानुकूल गर्भावस्थित एक लेखक भी उसे मिला। यह पत्र बिना भेदोपभेद किए मेरी सब कविता प्रसिद्ध करने लगा। इस समय तक मेरे मन के एक कोने में ऐसी भीति छिपी हुई पड़ी है कि जिस समय मेरा न्याय करने का अवसर आयगा, उस दिन कोई साहित्यिक पुलिस अधिकारी निजी बातों के हक की ओर ध्यान न देकर विस्मृति के अंधकार में पडे हुए साहित्य के अन्त पुर में जांच पड़ताल शुरू करेगा और उसमें से मेरी सब कविता ढूंढ कर निर्दय जनता के सामने रख देगा।

मेरा पहिला गद्य लेख भी 'ज्ञानांकुर' में ही प्रकाशित हुआ। वह समालोचनात्मक था और उसमें थोड़ी ऐतिहासिक चर्चा भी की गई थी।

एक 'भुवन मोहिनी प्रतिभा' नामक काव्य पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसकी अक्षय बाबू ने 'साधारणी' में और भूदेवबाबू ने 'एज्युकेशन गजट' में खूब प्रशंसा की थी, तथा इसके रचयिता नूतन कवि का स्वागत किया था। मेरा एक मित्र था। अवस्था में वह मुझसे बडा भी था। वह मेरे पास बारम्बार आता और 'भुवन मोहिनी' के द्वारा उसके पास भेजे हुए पत्रों को वह मुझे दिखलाता था। यह भी 'भुवन मोहिनी प्रतिभा' नामक पुस्तक पर मोहित होने वाले में से एक था और वह इस पुस्तक की प्रसिद्धि-प्राप्तकर्त्री के पास पुस्तकें व कीमती कपड़ों की भेंट भेजता रहता था।

इस पुस्तक की कुछ कविताओं की भाषा इतनी अनियंत्रित थी कि मुझे यह विचार ही सहन नहीं होता था कि इस प्रकार लिखने वाली कोई स्त्री हो सकती है

और फिर मैंने अपने स्नेही के पास आये हुए जो पत्र देखे, उन पर से मेरा उसके स्त्रीत्व के सम्बन्ध में विश्वास और भी कम हो गया, परन्तु मेरे स्नेही के विश्वास में मेरे अविश्वास से कुछ धक्का नहीं लगा और उसने अपने आराध्य देवता की पूजा उसी प्रकार चालू रखी।

अब मैंने भुवन-मोहिनी-प्रतिभा पर समालोचना लिखना प्रारंभ किया। मैंने भी अपनी कलम को स्वच्छंद छोड़ दिया। इस लेख में रसात्मक काव्य और इतर काव्य के विशेष लक्षणों का व्युत्पन्न रीति से ऊहापोह किया। इन लेखों में मेरे अनुकूल यही बात थी कि वे बिना संकोच के छपकर प्रकाशित हुए थे और वे इस से तरह लिखे गये थे कि उन पर से लेखक के ज्ञान का पता नहीं लग सकता था। एक दिन मेरा उक्त स्नेही गुस्से से भरा हुआ मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि इन लेखों का प्रत्युत्तर कोई विद्वान ग्रेज्युएट लिख रहा है। ग्रेज्युएट प्रत्युत्तर लिख रहा है यह सुनकर मैं अवाक् हो गया और बालपन में जिस तरह 'सत्य' ने पुलिस-पुलिस कह कर मुझे डराया था, उसी तरह इस समय भी मेरी दशा हुई। मुझे ऐसा भास होने लगा मानो ग्रेज्युएट ने अपने पक्ष के समर्थन के लिए अधिकारी मनुष्यों के जो उद्धरण दिए हैं ; उनकी मार से, मेरे लेखों में सूक्ष्म भेद के पायों पर जो मुद्दों का जयस्तम्भ मैंने खड़ा किया है, वह मेरी दृष्टि के आगे गिरा हुआ पड़ा है और पाठकों के आगे मुझे अपना मुंह दिखाने का मार्ग कुंठित हो गया है। हाय रे समालोचक ! मैंने कितने दिनों तक दारुण संशय के साथ तेरी कैसी प्रतीक्षा की ? न मालूम कौन से अशुभ ग्रह में तूने लिखना प्रारम्भ किया था, जो आज तक तेरे लेख सामने नहीं आ पाये।

२०

भानुसिंह

मैं एक बार ऊपर बतला चुका हूँ कि मैं बावू अक्षय सरकार और सरोदमित्र द्वारा प्रकाशित प्राचीन काव्यमाला का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने वाला विद्यार्थी था। उस पर से मुझे मालूम पड़ा कि मैथिली की भाषा वहुत कुछ मिश्रित है अतः उसका समझना एक कठिन काम है। उसका अर्थ समझने के लिए मैं खूब कस कर प्रयत्न करता था। बिल के भीतर छिपे हुए शिकार की ओर अथवा पृथ्वी के धूलिकामय आच्छादन के नीचे छिपे हुए रहस्य की ओर मैं जिस उत्कंठ जिज्ञासा से देखता था, उसी जिज्ञासा से इस काव्यरत्नाकर के गूढ़ अन्धकार में मैं ज्यों-ज्यों भीतर जाता, त्यों-त्यों कुछ अप्रसिद्ध काव्यरत्नों को प्रकाश में लाने की मेरी आशा और उसके कारण उत्पन्न उत्साह वढ़ता ही जाता था।

इस काव्य के अभ्यास में लगे हुए रहने की अवस्था में ही एक कल्पना मेरे सिर में घूमने लगी कि अपने लेख भी इसी प्रकार के गूढ़ वेष्टनों में लपेटे हुए रहना चाहिये। अंग्रेजी वाल कवि चाटरटन (*chatartan* का हाल अक्षय चौधरी से मैंने सुन रखा था। उसकी कविता के सम्वन्ध में मुझे कोई कल्पना नहीं थी और शायद अक्षय वावू को भी न होगी। यह भी संभव है कि यदि उसकी कविता का स्वरूप हम समझ गये होते तो उसकी निज की कथा में कुछ मजा भी न रहता। हाँ, इतनी वात जरुर है कि मनोविकारों में हलचल पैदा कर देने वाले उसके विशिष्ट गुणों से मेरी कल्पना शक्ति प्रज्जवलित हुई। सर्वमान्य ग्रन्थों का वेमालूम रीति से अनुकरण कर उक्त चाटरटन ने अनेक लोगों को चकित किया और अन्त में उस अभागे तरुण ने अपने आप आत्म-घात कर डाला। इसके चरित्र का आत्म-घातक हिस्सा छोडकर उसके मर्दानगी भरे साहस को भी पीछे ढ़केलने के लिए मैं कमर कसकर तैयार हो गया।

एक दिन दुपहर के समय आकाश मेघाच्छादित था, दुपहर के समय विश्रांति के समय प्रकृति देवता ने उष्णता के ताप से इस प्रकार हमारी रक्षा की, अतः मेरा अन्तःकरण कृतज्ञता से भर गया और मुझे बड़ा आनन्द मालूम होने लगा। मैं अपने भीतर के कमरे में बिस्तरे पर उलटा पड़ गया और पट्टी पर मैंने मैथिली की एक कविता का अनुवाद लिख डाला। इस रूपांतर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि उसके बाद मुझे जो पहले पहल मिला, उसे ही मैंने वह कविता तुरंत सुना दी। कविता में एक भी शब्द ऐसा न था, जिसे वह न समझ सके, अतः उसने भी सिर हिलाकर 'बहुत अच्छी' कह दिया।

ऊपर मैं अपने जिस मित्र का वर्णन कर आया हूँ, एक दिन मैंने उससे कहा कि आदि ब्रह्म समाज की पुस्तकें ढूंढ़ते-ढूंढ़ते मुझे फटे पुराने कागजों पर लिखी एक पुस्तक मिली है। उस पर से भानुसिंह नामक एक प्राचीन वैष्णव कवि की कुछ कविता की मैंने नकल कर डाली है। ऐसा कहकर मैथिली कवि की कविता के अनुकरण स्वरूप मैंने जो कविता की थी, वह उसे सुनाई। वह आनन्द से बेहोश होकर कहने लगा कि विद्यापति या चंडीदास भी ऐसी कविता नहीं कर सकते थे। इन्हें प्रकाशित करने के लिए अक्षय बाबू को देने के अर्थ वह मुझसे मांगने लगा। परन्तु जब मैंने अपनी पुस्तक बतलाकर यह कहा कि वास्तव में विद्यापति या चंडी-दास नहीं रच सकते थे, यह मेरी रचना है, तब उसका मुंह उतर गया और फिर कहने लगा कि हां, यह कविता इतनी कुछ बुरी नहीं है।

जिन दिनों भानुसिंह के नाम से कविताएं प्रकाशित हो रही थीं। उन्हीं दिनों डॉ० निशिकांत चटर्जी जर्मनी गये हुए थे। वहां उन्होंने यूरोपियन रसात्मक काव्यों के समर्थन में एक निबन्ध लिखा। इस निबन्ध में किसी भी अर्वाचीन कवि की दृष्टि न पहुंच सके, इतने सम्मान का स्थान भानुसिंह को प्राचीन कवि कहकर दिया गया था और आश्चर्य यह है कि इसी निबन्ध पर निशिकांतबाबू को पी. एच. डी. की सम्माननीय पदवी मिली।

कवि भानुसिंह कोई ही क्यों न हो, परन्तु मेरी बुद्धि के प्रगल्भ होने पर यदि वह कविता मेरे हाथों में आई होती तो मुझे विश्वास है कि उसके कर्ता के संबन्ध में मैं कभी नहीं फंसता। भाषा के सम्बन्ध में, मेरी जांच पड़ताल में वह ठीक उतरी होती, क्योंकि वह प्राचीन कवियों की भाषा उनकी मातृ भाषा न होकर भिन्न-भिन्न कवियों की लेखनी से परिवर्तित होने वाली अस्वाभाविक भाषा थी। हाँ, उनकी कविता के भावों में अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं थी और यदि काव्यानन्द पर से भानुसिंह की कविता की परीक्षा की होती तो उसकी हीनता तुरंत ही दृष्टि में आये बिना नहीं रहती, क्योंकि उसमें हमारे प्राचीन वाद्यों की मोहक आवाज न निकल कर अर्वाचीन परकीय प्राचीन कवियों की भाषा के समान ही, नलिका की क्षुद्र ध्वनि निकलती थी।

२१

स्वदेशाभिमान

ऊपराऊपरी देखने से हमारे कुटुम्ब में बहुत से विदेशी रीति-रिवाज प्रचलित दिखलाई पड़ेंगे, परन्तु अंतरंग दृष्टि से देखा जाय, तो उसमें राष्ट्राभिमान की ज्योति, मंद स्वरूप में कभी दिखलाई नहीं पड़ेगी। स्वदेश के प्रति मेरे पिता में जो अकृत्रिम आदर था, वह उनके जीवन में अनेक क्रान्तियां होने पर भी कम नहीं हुआ और वही आदर उनके पुत्र-पौत्रों में भी स्वदेशाभिमान के रूप में अवतरित हुआ है। मैं जिस समय के सम्बन्ध में लिख रहा हूं, उस समय स्वदेश प्रीति को कोई विशेष महत्व प्राप्त न था। उस समय देश के सुशिक्षित लोगों ने अपनी जन्मभूमि की भाषा और भावना का बहिष्कार कर रखा था, परन्तु ऐसी अवस्था में भी मेरे ज्येष्ठ भ्राता ने बंगला साहित्य की वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न किया। मुझे याद है कि एक बार हमारे किसी नवीन सम्बन्धी के यहां से आये हुए अंग्रेजी पत्र को पिताजी ने ज्यों-का-त्यों वापिस कर दिया था।

हमारे घराने की सहायता से स्थापित 'हिन्दू मेला' नामक एक वार्षिक यात्रा भरा करती थी। इसके व्यवस्थापक बाबू नवगोपाल मित्र बनाये गये थे। संभवत: बड़े अभिमान से भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि प्रकट करने का पहिला प्रयत्न होगा। इन्हीं दिनों मेरे दूसरे ज्येष्ठ भ्राता ने 'भारतेजय' नामक लोकप्रिय राष्ट्र-गीत की रचना की। इस मेले के मुख्य उद्देश्य जन्म भूमि की धवलकीर्ति से भरे हुए पद गाने, स्वदेश प्रीति से लबालब भरी हुई कविता पढ़ने, देशी उद्योग-धंधे और हुनर की प्रदर्शनी करने तथा राष्ट्रीय बुद्धिमत्ता और कौशल को उत्तेजना देना आदि थे।

लार्ड कर्जन के दिल्ली दरबार के अवसर पर मैंने एक गद्य लेख लिखा। यही

लेख लार्ड लिटन के समय पद्य में लिखा था। उस समय की अंग्रेजी सरकार रशिया से भले ही डरती हो, परन्तु वह एक चौदह वर्ष के वालक से थोड़े ही डरती थी। इसलिए उस कविता में मैंने अपनी वय के अनुसार कितने ही तीव्र विचार क्यों न प्रगट किये हों, मगर उसका प्रभाव 'कमांडर इन चीफ' से लेकर पुलिस कमिश्नर पर्यन्त किसी भी अधिकारी पर दिखलाई नहीं पड़ा और न लंदन टाइम्स ने ही साम्राज्य रक्षकों को इस उदासीनता पर कोई अश्रुमय पत्र-व्यवहार प्रकाशित किया। मैंने हिन्दू मेले में अपनी यह कविता एक वृक्ष के नीचे पढ़ी। उस समय श्रोताओं में नवीनसेन नामक एक कवि भी थे। उन्होंने ही मेरे वड़े होने पर इस घटना की मुझे याद दिलाई थी।

मेरा चौथा भाई ज्योतिरिन्द्र एक राजकीय संस्था का जनक था। इस संस्था के अध्यक्ष राजनारायण वोस थे। कलकत्ते की एक आडी-तिरछी गली के टूटे-फूटे मकान में इस सभा की वैठकें हुआ करती थीं। इसके कार्यक्रम के सम्वन्ध में लोग सर्वथा अनजान थे। इसके विचार गुप्त रीति से हुआ करते थे। इसी कारण इस सभा के सम्वन्ध में गूढ़ता और डर भाग गया था। वास्तव में देखा जाय तो हमारे आचार-विचार में सरकार और जनता के भय का कारण कुछ भी नहीं था। दुपहर का समय हम कहाँ व्यतीत करते हैं, इसकी कल्पना हमारे घर के दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं थी। सभा-स्थान के आगे वाले दरवाजे पर सदा ताला लगा रहता था। सभा के कमरे में आने के चिन्ह स्वरूप एक 'वेदमंत्र' नियत था और हम सव आपस में धीरे धीरे संभाषण करते थे। हमको भयभीत करने के लिए इतनी ही वातें काफी थीं। दूसरी वातों की जरुरत ही न थी। यद्यपि मैं वालक था तो भी इस संस्था का सभासद हो गया था। हमारे आस-पास एक प्रकार की उन्माद वायु का ऐसा कुछ वातावरण फैल गया था कि हम उत्साह रूपी पखों पर वैठे हुए उड़ते दिखाई पडते थे। हमें संकोच, अपने सामर्थ्य पर अविश्वास या भय का नाम भी मानो मालूम न था। केवल उत्साह की उष्णता में तपते रहना ही हमारा एक मात्र साध्य था।

शौर्य में ही भले ही कभी-कभी कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हों, परन्तु शौर्य के सवन्ध में प्रतीत होने वाला आदर मनुष्य के अन्त करण के अन्तरतम प्रदेश में छिपा रहता है, इसमें सदेह नहीं। सव देशों के वाङमय में यह दिखलाई पड़ेगा कि इस आदर को वनाये रखने के लिये अविश्रांत प्रयत्न किये जा रहे हैं. और विशिष्ट लोक समाज किसी भी विशेष परिस्थिति में इन उत्साहजनक आधातों की अविश्रांत मार को किसी भी तरह टाल नहीं सकता। हमको भी अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा कर,

इकट्ठे बैठकर बड़ी-बड़ी बातें बनाकर और खूब तेजस्वी गाने गाकर इन आघातों का उत्तर देना पडता और इस रीति से संतोष करना पड़ता था।

मनुष्य जाति के शरीर में भरी हुई और अत्यन्त प्रिय शक्ति को बाहर प्रकट न होने देकर उसके निकलने के सर्व द्वारों को बंद करने से हीन श्रेणी के उद्योगों के अनुकूल अस्वाभाविक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसमें संदेह नही। साम्राज्य की व्यापक राज्य-व्यवस्था में केवल क्लर्की का रास्ता खुला रखने से ही काम न चलेगा। यदि साहस पूर्ण उत्तरदायित्व के काम शिर पर लेने का अवसर नहीं मिले तो मनुष्य की आत्मा बन्धन से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगती है और इसके लिए वह कंकरीले पथरीले एवं अविचारपूर्ण साधनों के अवलम्बन की इच्छा करने लगता है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने यदि उस समय संशयग्रस्त होकर कोई भयदायक मार्ग ग्रहण किया होता तो इस मंडल के तरुण सभासद अपने कार्य का पर्यवसान जो सुखमय करना चाहते थे, वह दुखरूप हुआ होता। इस मंडल के खेलों का अब अन्त हो गया है, परन्तु उससे फोर्ट विलियम की एक भी ईंट हिलने नही पाई है। इस मंडल के कार्यों का स्मरण होने पर आज भी हमें हंसी आये बिना नहीं रहती।

मेरे भाई ज्योतिरिंद्र ने भारतवर्ष के लिए 'राष्ट्रीय पोशाक' का आविष्कार किया था और उसके नमूने उक्त मंडल के पास भेजे थे। उसका कहना था कि धोती ढीली ढाली है और पायजामा विदेशी। उसने इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा ही ढग निकाला। जिससे धोती की तो बेइज्जती ही हुई पर पायजामे का कुछ भी सुधार न हो सका। उसने पायजामे के आगे पीछे भी धोती की कृत्रिम पटली लगा कर पायजामे को सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया। उधर पगड़ी और टोपी का मिश्रण करके उसने एक भयकर शिरस्त्राण की रचना की। हमारे मंडल के उत्साही सभासदों ने भी उसकी सराहना करने में जरा भी आगा-पीछा नहीं किया। मेरा भाई बिना किसी संकोच के दिन दहाड़े मित्र, परिजन, नौकर-चाकर सबके सामने उनके आंखें बिचकाते रहने पर भी यह पोशाक पहिनने लगा। साधारण ढंग के मनुष्य ऐसा धैर्य नहीं दिखा सकते। अपने देश के लिए प्राण देने वाले बहुत से भारतवासी शायद निकलेंगे, पर मेरा विश्वास है कि अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए एक नवीन तरह की राष्ट्रीय पोशाक पहिन कर आम रास्ते पर निकलने का साहस बहुत थोड़े लोग कर सकेंगे।

मेरा भाई हर रविवार को अपनी मंडली के साथ शिकार को जाया करता था। इस मंडली में कुछ अनिमंत्रित लोग भी शामिल हो जाते थे, जिनमें से बहुतों को

हम पहिचानते भी न थे। हमारी इस मंडली में एक सुनार, एक लुहार, और दूसरे समाजों के सब तरह के लोग रहते थे। इस शिकार के दौरे में रक्तपात कभी नहीं होता था। कम से कम मैंने तो रक्तपात होते कभी नहीं देखा। इस मंडली के कार्यक्रम में विचित्रता और मजा बहुत रहता था। किसी को विना मारे या विना घायल किए शिकार कैसा? परन्तु हमारा शिकार तो ऐसा ही होता था। मारने या घायल करने का महत्व हमारी इस मंडली में नहीं माना जाता था। बिलकुल सुबह शिकार पर जाने के कारण मेरी भौजाई हमारे साथ पूड़ियां व खाने के दूसरे पदार्थ खूब बांध दिया करती थी। शिकार में मिलने वाली जय-पराजय से इन वस्तुओं का कोई सम्बन्ध नहीं था। अतः हमें भूखे पेट कभी नहीं आना पड़ता था।

माणिक टोला के आस-पास बगीचों या उद्यान गृहों की कमी नहीं है। शिकार खतम होने पर हम किसी एक उद्यान गृह में चले जाते और जांतपांत का भेद किए विना किसी एक तालाव के घाट पर बैठकर साथ वाले पदार्थों पर हाथ साफ करते थे। इनमें से हम रत्तीभर भी नहीं छोड़ते थे। हां इस सामान को रखने के लिए जो बरतन लाते, वे अवश्य बच रहते थे।

इस रक्त पिपासा रहित शिकारी मंडली में विशेष उत्साही और सहृदय, बृजबाबू थे। ये मेट्रो पालिटिन इन्स्टिट्यूट के व्यवस्थापक थे और कुछ दिनों तक हमारे निजी शिक्षक भी रहे थे। एक दिन विना मालिक की परवानगी के एक बाग में हम लोग चले गये। अपने इस दोष को ढ़ांकने के लिए इस बाग के माली से बातचीत शुरू करने की एक मजेदार कल्पना बृजबाबू को सूझी। वे उससे पूछने लगे—क्यों रे? क्या काका अभी यहां आए थे। यह सुनते ही माली ने तुरंत ही उन्हें झुककर सलाम किया और कहा कि नहीं सरकार! इन दिनों मालिक यहां नहीं आए।

बृजबाबू बोले —अच्छा ठीक है, अरे जरा झाड़ पर से हरे नारियल तो तोड़।

उस दिन पूरियों पर हाथ साफ करने के बाद हमें नारियल का सुन्दर मजेदार पानी पीने को मिला।

हमारी इस मंडली में एक छोटा सा जमींदार भी था। नदी किनारे इसका भी एक बगीचा था एक दिन जाति निबन्ध तोड़कर उस जगह हमने भोजन किया। दुपहर के बाद भयकर मेघ उमड़ आये। हम भी मेघ-गर्जना के साथ जोर-जोर से पद गाने लगे। यह तो मैं नहीं कह सकता कि राजनारायण बाबू के गले से एक साथ ही सातों सुर निकलते थे या नहीं, पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह संस्कृत भाषा में मूल ग्रंथ टीका टिप्पणियों के जाल में छिप जाता है उसी तरह

उनकी ध्वनि निकलते ही शरीर के अंग विक्षेप में उनका गायन भी लुप्त हो जाता था। ताल को प्रगट करने के लिए उनकी गर्दन इधर से उधर हिलती थी। वर्षा ने उनकी दाढ़ी की दुर्दशा कर डाली थी। जब बहुत रात बीत गई, तब भाड़े की गाड़ियों से हम अपने घर आये। उस समय बादल बिखर गये थे। तारे चमकने लगे थे। अंधेरा मिट रहा था और वातावरण भी निश्चित हो गया था। गांवों के रास्तों पर पशु-पक्षी भी नहीं दिखलाई पड़ते थे। हाँ, दोनों ओर की निःशब्द झाड़ी में बारूद की चिनगारी के समान जुगनू चमक रहे थे।

आगपेटी तैयार करना और दूसरे छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को उत्तेजना देना भी हमारे मंडल का उद्देश्य था। इस कार्य के लिए मंडल के प्रत्येक सभासद को अपनी आमदनी का दशवाँ हिस्सा देना पड़ता था। दियासलाई की पट्टी तैयार करने का तो निश्चय हो गया था, पर उसके लिये लकड़ी मिलना कठिन था। हम यह अच्छी तरह जानते थे कि खाड़ू की सींक की बुहारी योग्य हाथों में रहने पर अपना प्रखर प्रभाव दिखलाती है, परन्तु उसके स्पर्श से दीये की बत्ती नहीं जल सकती।*

बहुत से प्रयोग करने के बाद हम एक पेटी भर सलाई बना सके। इसमें न केवल हम लोगों का उत्कृष्ट देशाभिमान ही खर्च हुआ, प्रत्युत जितना पैसा खर्च हुआ, उससे साल भर का दीया-बत्ती का खर्च भी चला होता। एक दोष इनमें और था, वह यह कि इनके जलाने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत पड़ती थी। जिस स्वदेशाभिमान की ज्योति से इनकी उत्पत्ति हुई थी, यदि उस ज्योति का अल्पांश भी उन्होंने ग्रहण किया होता तो आज भी वे बाजार में लाने योग्य रही होतीं।

एक बार हमें यह समाचार मिला कि कोई तरुण विद्यार्थी भाप से चलने वाला हाथ का करघा तैयार करने का प्रयत्न कर रहा है। समाचार मिलते ही तत्क्षण हम उसे देखने को गये। उस करघे के प्रत्यक्ष उपयोग के सम्बन्ध में हममें से किसी को भी ज्ञान न था तो भी उसके उपयोग होने की विश्वासपूर्ण आशा में हम किसी से हटने वाले नहीं थे। यंत्रों की खरीद करने के कारण उस बेचारे पर थोड़ा सा कर्ज हो गया था, हमने वह चुकवा दिया। कुछ दिनों बाद वृज बाबू अपने सिर पर एक मोटा सा टॉविल लपेटे हुए आये और 'देखो यह अपने करघे पर बना हुआ है' इस तरह जोर से चिल्लाते हुए हाथ ऊंचा कर प्रसन्नता की धुन में नाचने लगे। उस समय

---

*बंगाल में यह धारणा है कि जिस स्त्री के हाथ में खड़ू की सींकों की बुहारी होती है और उसका उपयोग पति पर किया जाता है तो उसका पति सदा उसके आगे नम्र रहकर गृह कार्य करता रहता है।

वृज बाबू के बाल सफेद होने लगे थे, तो भी उनमें इस प्रकार का उत्साह खेल रहा था। अन्त में कुछ व्यवहार चतुर लोग हमारे समाज में आ मिले और उन्होंने अपने व्यवहार ज्ञान का फल चखाना शुरू करके हमारा यह छोटा सा नन्दन वन उध्वस्त कर डाला।

जिस समय राजनारायण बाबू से मेरा पहले-पहल परिचय हुआ, उस समय उनकी बहुगुण-सम्पन्नता ग्रहण करने योग्य मेरी अवस्था न थी। अनेक विसदृश गुणों का उनमें मिश्रण हुआ था। उनके सिर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गये थे, तो भी हममें से छोटे से छोटे बालक जितने वे छोटे थे। तारुण्य को मानो अखंड बनाए रखने के लिए उनके शरीर ने शुभ्र कवच को धारण किया हो। उनकी अगाध विद्वता का उन बातों पर जरा भी परिणाम नहीं हुआ था और रहन-सहन भी ज्यों का त्यों सादा था। उनमें वृद्धावस्था का गांभीर्य, अस्वास्थ्य, सांसारिकक्लेश, विचारों का गूढ़त्व और विविध ज्ञान संचय काफी तायदाद में था, तो भी इन बातों में से किसी एक भी बात के कारण उनके निर्व्याज मनोहर हास्य रस में कभी कमी नहीं हुई इगंलिश कवि रिचर्डसन के वे अत्यन्त प्रिय शिष्य थे। इंगलिश शिक्षा के वाताथरण में ही उनका लालन-पालन हुआ था, तो भी बाल्यावस्था के प्रतिकूल संस्कारों को दूर कर बडे प्रेम और भक्ति के साथ वे बङ्गाली वाङमय के भक्त बने थे। यद्यपि वे अतिशय सौम्य वृत्ति के थे, तथापि उनमें तीक्ष्णता कम न थी और देशाभिमान की ज्वाला ने उनमें इतनी जगह करली थी कि यह मालूम देता था कि मानो वह ज्वाला देश की अरिष्ट और दीन दशा को जलाकर राख में मिला देने के विचार में है। वे सुहास्य विलसित, मिष्ट स्वभावी, उत्साहपूर्ण और आमरण तारुण्य से भरे हुए थे। उनकी ऐसी योग्यता थी कि मेरे देश बांधव इस साधुश्रेष्ठ व्यक्ति का चरित्र अपने स्मृति पटलपर खोदकर उसका सदा जय-जयकार करते रहें।

२२

भारती

मैं जिस समय के सम्बन्ध में लिख रहा हूं, वह समय प्राय मेरे में आनन्द की लहरें उत्पन्न करने वाला था। बिना किसी हेतु-विशेष के प्रचलित बातों के विरूद्ध जाने की प्रबल इच्छा से मैंने अनेक निद्रारहित रात्रियाँ इन दिनों में व्यतीत की होगी। पढ़ने की जगह धुंधले प्रकाश में मैं अकेला ही बैठा बहुत देर तक पढ़ा करता था। बहुत दूर ईसाइयों का एक चर्च था। वहाँ हर पन्द्रह मिनट पर घंटे बजते थे। मानों व्यतीत होने वाले प्रत्येक घंटे का नीलाम पुकारा जाता हो। उधर नीमटोला श्मशान भूमि की ओर चितपुर मार्ग से शव को ले जाने वालों की 'हरि बोलो भाई हरि बोलो' की कर्कश ध्वनि भी आकर कान पर बीच-बीच में टकरा जाती थी। कभी-कभी गर्मी की उजली रातों में गच्ची पर हुए कुंडों की छाया और चन्द्र प्रकाश में मैं एक अस्वस्थ पिशाच के समान घूमता रहता था।

इसे यदि कोई निरी कवि कल्पना समझकर इसकी उपेक्षा करेगा तो वह भूल होगी। इतनी विशाल और अतिशय प्राचीन पृथ्वी भी कभी-कभी अपनी शान्ति और स्थिरता को छोड़कर हमें विस्मित कर डालती है। जिस समय पृथ्वी तारुण्यावस्था में थी, उसका ऊपरी आवरण बढ़कर उसे काठिन्य प्राप्त नहीं हुआ था, उस समय उसके गर्भ में से भी ज्वालाएं फूटती थीं और भयानक लीलायें करते हुए उसे बड़ी मजा मालूम होती थी। मनुष्य की भी ऐसी ही दशा है। जब वह तारुण्य में प्रवेश करता है, तब उसमें भी यही बात होती है। आयुष्य क्रम की दिशा को निश्चत करने वाली बातों को जब तक कोई स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य में भी खलबली पैदा होना एक स्वाभाविक बात है।

इन्हीं दिनों मेरे भाई ज्योतिरिंद्र ने बड़े भाई के संपादकत्व में 'भारती'

नामक मासिक पत्र प्रकाशित करने का निश्चय किया। हमारे उत्साह के लिये यह एक नवीन खाद्य मिला। इस समय मेरी अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी। मेरा नाम भी संपादकों की सूची में रखा गया था। थोड़े ही दिनों बाद मैंने अपने तारुण्य के गर्व को शोभा देने वाली धृष्टता से 'मेघनाद वध' की समालोचना भारती में लिखी। जिस तरह कच्चे आमों में खटाई होना स्वाभाविक है, उसी तरह दुर्वचन और निरर्थक टीका टिप्पणियां अप्रगल्भ समालोचकों के गुण हैं। मालूम होता है कि अन्य शक्तियों के अभाव में दूसरों का उपमर्द करने वाली शक्ति अधिक तीव्र होती है। इस प्रकार मैंने उस अमर महाकाव्य पर शस्त्रप्रहार कर स्वयं अमर होने का प्रयत्न किया। बिना किसी संकोच के भारती में लिखा हुआ यह मेरा पहिला गद्य लेख था।

भारती के प्रथम वर्ष में मैंने 'कवि कहानी' नामक एक लम्बी चौड़ी कविता भी प्रकाशित की थी। इस समय इस कविता के लेखन ने अपने अस्पष्ट और अतियोशक्ति प्रचुर काल्पनिक चित्रों की अपेक्षा जगत् का और किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं किया था। अतएव यह स्वाभाविक था कि इस 'कवि कहानी' नामक कविता के नायक कवि का चित्र लेखक की वर्तमान दशा का प्रतिबिंब न होकर उसकी भावी कल्पना अथवा महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब हो। परन्तु इस पर से यह भी नहीं कहा जा सकता कि लेखक स्वयं उस चित्र के समान होने की इच्छा रखता था। लेखक के सम्बन्धी लोगों को जितनी उससे आशा थी उससे कहीं अधिक भड़कीले रंगों में यह चित्र चितेरा गया था। इस कविता में अपने सम्बन्ध में लोगों से कहलाया गया था कि वाह! कवि हो तो ऐसा हो। विश्व प्रेम की बातें कहने में बड़ी सहल और देखने में भव्य हुआ करती हैं। अत उस कविता में इसकी भी खूब रेल-पेल थी। जब तक किसी भी सत्य बात का मन पर प्रकाश नहीं पड़ता और दूसरों के शब्द ही निज की संपत्ति हुआ करते हैं, तब तक सादगी विनयशीलता और मर्यादा होना अशक्य है, और इस कारण जो बात स्वभावत: भव्य हुआ करती है, उसे और भी अधिक भव्य प्रकट करने का मोह होता है। इस मोह के प्रदर्शन में उस कवि की कमजोरी और उपहास का प्रदर्शन हुए बिना नहीं रहता।

मैं यदि लज्जित होकर बाल्यावस्था के अपने लेखन प्रवाह की ओर देखता हूं तो मुझे बाल्यावस्था और उसके बाद के लेखों में भी परिणाम की ओर विशेष लक्ष देने के कारण रहा हुआ अस्पष्ट स्वरूप का अर्थ विपर्यास देखने को मिलता है, और उससे मुझे भय ही होता। यद्यपि यह निःसंदेह है कि बहुत सी बार मेरे विचार मेरी आवाज की कठोरता में दब जाते हैं, परन्तु मुझे विश्वास है कि कभी-न कभी 'समय मेरा सच्चा स्वरूप प्रगट किये बिना न रहेगा।

यह 'कवि कहानी' ही पुस्तक रूप में जगत के सम्मुख आने वाली मेरी पहिली कृति थी। जब मैं अपने बड़े भाई के साथ अहमदाबाद गया हुआ था तब मेरे एक उत्साही स्नेही ने उसे छपवा डाला और एक प्रति मेरे पास भेजकर मुझे आश्चर्य चकित कर दिया था। मेरा कहना यह नहीं है कि उसने यह काम अच्छा किया था परन्तु उस समय मेरी भावना संतप्त न्यायाधीश के समान भी नहीं थी जो मैं उसे दंड देता। तो भी उसे दंड मिल ही गया। मेरे द्वारा नहीं, पर पाठकों के द्वारा, क्योंकि मैंने यह सुना था कि पुस्तकों का भार विक्रेताओं की आलमारी पर और अभागे प्रकाशक के मन पर बहुत दिनों तक रहा।

जिस अवस्था में मैं भारती में लेख लिखने लगा, उस अवस्था में लिखे हुए लेख प्राय प्रकाशित करने योग्य नहीं होते। बड़ी अवस्था में पश्चाताप करने के लिये बाल्यावस्था में लिखी हुई पुस्तक छाप कर रखने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। परन्तु इससे एक लाभ भी है वह यह कि अपने लेख छपे हुए देखने की मनुष्य में जो अनिवार्य इच्छा होती है वह बाल्यकाल में ही इस तरह नष्ट हो जाती है और साथ में अपने पाठकों की, उनके अपने सम्बन्ध के मतों की, छपाई की, शुद्धि-अशुद्धि की चिन्ता भी बाल्यावस्था के रोगों के समान नष्ट हो जाती है। फिर बड़ी अवस्था में लेखक को निरोगी और स्वस्थ्य मन से लेखन व्यवसाय करने का सुअवसर प्राप्त होता है।

बंगाली भाषा अभी इतनी पुरातन नहीं हुई कि वह अपने सामर्थ्य से अपने उपासकों के स्वैर-साधन को रोक सके। लेखक को अपने लेखन के अनुभव पर से ही स्वय: को नियंत्रण करने वाली शक्ति पैदा करनी पड़ती है। इसलिए बहुत समय तक हीन श्रेणी का साहित्य उत्पन्न करने से रोकना अशक्य हो जाता है। शुरू-शुरू में मनुष्य में अपने मर्यादिय गुणों से ही चमत्कार दिखाने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती ही है इसका परिणाम यह होता है कि यह अपनी नैसर्गिक शक्ति को पद पद पर उलांघन करता और सत्य तथा सौंदर्य का अतिक्रमण करता है। अपने सच्चे स्वरूप और वास्तविक शक्ति की पहिचान समय आने पर ही हुआ करती है, यह एक निश्चित बात है।

कुछ भी हुआ तो भी आजकल लज्जित करने वाला मूर्खपना उन दिनों की भारती में संचित कर रखा है। उसके साहित्य-दोष ही मुझे लज्जित नहीं कर रहे हैं प्रत्युत उद्धता, मर्यादातिक्रक अभिमान, और कृत्रिमता के दोष भी लज्जित करते हैं। इतना होने पर भी एक बात स्पष्ट है कि उस समय के मेरे लेख उत्साह से ओत-प्रोत भरे हुए हैं। जिसकी योग्यता कोई भी कम नहीं कर सकता। वह समय ही ऐसा था कि उसमें गलती होना जितना स्वाभाविक था, उतना आशा-वादिता श्रद्धालूपना और आनन्दोवृत्ति का होना भी स्वभाविक था। उत्कंठा की ज्वाला के पोषण के लिए स्खलन (भूल) रूपी ईंधन की जरूरत थी। उससे जलने योग्य पदार्थ जलकर राख हो जाने पर भी उस ज्वाला से जो कार्य-सिद्धि हुई है वह मेरे जीवन में कभी निरर्थक नहीं जायगी।

———

२३

अहमदाबाद

'भारती' का दूसरा वर्ष प्रारम्भ होने पर मेरे ज्येष्ठ भ्राता ने मुझे विलायत ले जाने का विचार किया। पिताजी की सम्मति के सम्बन्ध में संदेह था, परन्तु उन्होंने भी सम्मति दे दी। इसे मैं परमेश्वर की एक देनगी ही मानता हूं। इस अकल्पित योगायोग से मैं चकित हो गया। जब मेरा विलायत जाना निश्चित हुआ उन्हीं दिनों मेरे भाई की नियुक्ति न्यायाधीश के पद पर अहमदाबाद में की गई थी। अत: पहिले मैं उनके पास अहमदाबाद गया। वहाँ वे अकेले ही रहते थे। मेरी भौजाई उन दिनों अपने बाल बच्चों सहित इंग्लैंड में थी। इसलिये उनका घर एक तरह से सूनासा था।

अहमदाबाद में न्यायाधीश के रहने के लिए एक 'शाहीबाग" नामक स्थान निश्चित है। यह स्थान बादशाही जमाने का है और उन दिनों इनमें बादशाह रहते थे। अब यह बड़ी और भव्य इमारत है। इसके चारों ओर कोट और गच्ची थी। कोट के एक ओर उससे लगी हुई साबरमती नदी है। वे गर्मी के दिन थे। अत: नदी का जल सूख गया था और क्षीण धारा के रूप में एक ओर बहता था। जब मेरे भाई दुपहर के समय कचहरी चले जाते, तब मैं अकेला ही रह जाता। घर सुनसान हो जाता और जहां तहां स्तब्धता फैल जाती। इस स्तब्धता को भंग करते हुए कभी कभी कबूतरों की आवाज बीच बीच में आया करती थी। इस स्तब्धता में मेरा समय इधर उधर अज्ञात वस्तुओं को देखने-जानने में ही व्यतीत हुआ करता था। इससे मेरा मन भर जाता था। और इसी मन-भरोती के उत्साह में मैं सुनसान दालानों में इधर-उधर घूमा करता था।

एक बड़े दालान के एक कोने में मेरे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी पुस्तकें रख दी थीं। उसमें एक 'टेनिसन' के लेखों का संग्रह भी था। यह संग्रह ग्रन्थ सचित्र मोटे अक्षरों में छपा हुआ और काफी बड़ा था। उस राजभवन ने जिस तरह मुग्धता धारण कर ली थी, उसी तरह इस पुस्तक ने भी। उस भवन में जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैं उसके दालानों में इधर-से-उधर घूमता रहता, पर मन को समाधान नहीं मिलता। उसी तरह इस पुस्तक के चित्रों को भी मैं बारम्बार देखता, पर उनके सूत्र को नहीं समझ पाता था। यह बात नहीं है कि मैं उसे बिल्कुल ही नहीं समझ पाया, पर इतना कम समझा कि उसे बांचते समय वह अर्थ पूर्ण शब्दों से भरी हुई है, यह भास होने के बजाय मुझे उसमें पक्षियों की चुलबुलाहट का भान होता था। इन्हीं पुस्तकों में मुझे एक संस्कृत कविता की पुस्तक मिली। इसे डाक्टर हवरलिन ने श्रीरामपुर के छापेखाने में छपाकर प्रकाशित की थी। यह पुस्तक भी बिलकुल समझ में आने योग्य नहीं थी तो भी अपनी सदा की जिज्ञासा से आतुर होकर मैं इसे बांचने लगा। इसमें संस्कृत शब्दों की खनखनाहट द्रुत गति के भिन्न भिन्न छन्दों और अमरूशतक के पदों की मंजुल व धीमी चाल, इतनी बातें एक साथ मिल जाने पर फिर क्या पूछना है। समझ में आओ या मत आओ, मैं तो इसे बार बार पढ़ने लगा।

उस प्रासाद के मीनार के सबसे ऊपर के कमरे में मेरा निवास स्थान था। यह स्थान बिलकुल एकांत में था। यहां मुझे किसी का भी साथ न था। हाँ, यहाँ मधुमक्खी का छत्ता था, वह जरूर मेरा साथी था। रात्रिक निविद अंधकार में मैं वहाँ अकेला ही सोता या बीच बीच में एक दो मक्खी उस छत्ते में से मेरे पर गिर पड़ती थी। ज्योंही नींद में मैं करवट बदलता त्योंही वह मेरे नीचे दबी हुई मिलती। हम दोनों को ही यह आपसी भेंट त्रासदायक होती थी। मेरे शरीर के नीचे दब जाने से उसे वेदना, और उसके काटने से मुझे वेदना।

मेरे में अनेक लहरें उठा करती थीं। उनमें से चांदनी के प्रकाश में नदी से लगी हुई गच्ची पर इधर से उधर घूमने की भी एक लहर थी। चंद्र प्रकाश में आकाश की ओर देखते हुए कुछ न कुछ विचार में मग्न होकर मैं घूमता रहता था और इस घूमने में कितना समय निकल जाता था, इसका भान भी नहीं रहता था। इसी घूमने में मैंने अपनी कविताओं के लिए अपना गायन स्वर मिलाया और बहुत से पदों की रचना की। इन्हीं में से 'गुलाब प्रमदा' के संबोधन में लिखा हुआ पद भी है, जो आगे जाकर छपा, और अब भी मेरे दूसरे पदों के साथ-साथ वह छापा जाता है। अहमदाबाद में मेरा दूसरा कार्यक्रम अंग्रेजी पुस्तकों को बांचने

का था। जब मुझे यह मालूम हुआ कि मेरा अंग्रेजी का ज्ञान बिलकुल अपूर्ण है और उसे बढ़ाने की जरूरत है, तब मैंने 'कोश' की सहायता से पुस्तकें बांचना शुरू किया। बहुत छोटी अवस्था से मुझे एक ऐसी आदत पड़ गई थी कि न समझने पर भी मैं पुस्तक पूरी किए बिना नहीं छोड़ता था। समग्र पुस्तक का अर्थ न समझने पर भी बीच-बीच में जो कुछ मैं समझता था, उसी के आधार पर आगे पीछे का संदर्भ, कल्पना से मिला लेता था और उससे जो मुझे अर्थज्ञान होता, उसी से मैं संतोष प्राप्त कर लेता था। इस आदत का भला बुरा परिणाम आज भी मुझे भोगना पड़ता है।

२४

विलायत

इस प्रकार अहमदाबाद में छ: महीने निकाल कर हम विलायत को रवाना हुए। बीच-बीच में मैं अपने आप्तजनों को और 'भारती' को प्रवास वर्णन लिखा करता था। अब मुझे मालूम होता है कि यदि मैंने उस समय प्रवास वर्णन नहीं लिखा होता तो अच्छा होता. क्योंकि मेरे हाथ से निकलते ही वे वर्णन जग जाहिर हो गये। उनका वापिस आना मेरे हाथ नहीं रहा। इन पत्रों के सम्बन्ध में मुझे जो चिन्ता हुई उसका कारण यह है कि वे यौवनोचित दर्पोक्ति के एक दृश्य चित्र ही थे। तारुण्य के प्रारम्भ का काल ऐसा ही होता है। उस समय जगत का अनुभव नहीं रहता और न यह कल्पना ही होती है कि बौद्धिक जगत की अपेक्षा व्यवहारिक जगत भिन्न प्रकार का होता है। उस समय कल्पना शक्ति का ही अवलम्बन रहता है। नवीन रक्त उछाले मारता है। ऐसे समय में मानसिक उन्नति का क्षेत्र बढ़ाने के लिए विनय सम्पन्नता एक सर्वोत्कृष्ट साधन है, यह सादी बात भी मन को नहीं पटती। इस समय दूसरे के कहने को समझना, उसके गुण का आदर करना, उसकी कृति के सम्बन्ध में उच्च मत रखना दुर्बलताओं और पराजय का चिन्ह माना जाता है और दूसरे के प्रभाव को स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। वाद-विवाद करके दूसरे को पराजित करने और अपना प्रभाव जमाने की जब इच्छा होती है तब शाब्दिक अग्नि बाणों की वर्षा हुए बिना नहीं रहती। मेरे पत्रों की भी करीब-करीब यही स्थिति थी। दूसरे को नाम रखकर दूसरे के कहने का खण्डन करके अपना बड़प्पन जमाने की खुमखुमी मेरे रक्त में भी खेल रही थी। यदि सरलतापूर्वक और दूसरे की मुहब्बत का ख्याल करके मैंने अपने मत प्रतिपादन करने का उन पत्रों में प्रयत्न किया होता तो आज उन्हें देखकर मुझे एक

प्रकार का आनन्द होता और हँसी आये बिना नहीं रहती परन्तु बात इसके बिलकुल खिलाफ थी। इसीलिये अब मुझे यह मालूम होता है कि मैंने किसी कुमुहूर्त में उन पत्रों को लिखना प्रारम्भ किया था।

इस समय मेरी अवस्था सत्रह वर्ष की थी। जग का मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था, क्योंकि इस समय तक बाह्य जगत से मेरा कभी कोई सम्बन्ध नहीं हुआ था। जगत के व्यवहारों से मैं एकदम अलिप्त था। ऐसी व्यवहार ज्ञान शून्य स्थिति में विलायत सरीखे देश को, जहाँ की परिस्थिति एवं समाज अपने देश की परिस्थिति एवं समाज से भिन्न है, मैं जा रहा था। वह ठहरा विलायत। वहां का समाज एक महासागर! जब कि एक सादे और उथले प्रवाह में भी चार हाथ नहीं मार सकता तो फिर उस महासागर की क्या बात? वहां मैं कैसे तैर सकता था। इसी बात का भय मुझे रह रह कर लगता था, परन्तु 'ब्रामटन' में मेरी भौजाई अपने बाल-बच्चों के साथ रहती थी। पहले-पहल हम वहीं गये और उसके आधार से मैं पहिली झंझट से तो पार हो गया।

उस समय शीत ऋतु नजदीक आ पहुंची थी। एक दिन शाम को बैठे हम गप्पें मार रहे थे कि लडके 'बर्फ गिर रहा है' यह कहते हुए हमारे पास दौड़कर आये। यह सुनकर मैं चकित हो गया और उसे देखने के लिये बाहर गया। बाहर की ओर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह शरीर को भेदे डालती थी। श्वेत शुभ्र प्रचण्ड प्रकाश से आकाश व्याप्त था और सृष्टि प्रदेश बर्फमय हो जाने के कारण ऐसा मालूम होता था मानो उसने शुभ्र कवच धारण किया हो। इमारतें उपवन, वृक्षलता, पल्लव आदि कुछ न दिखकर जहाँ-तहाँ शुभ्रता ही शुभ्रता दिखलाई पड़ती थी। सृष्टि का यह दृश्य मेरे लिये अपरिचित था। भारतवर्ष में जो सृष्टि सौंदर्य मेरे अनुभव में आया था, वह इससे भिन्न था। उस समय मुझे यह भान हुआ कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। मैं अपनी सजगता पर भी संदेह करने लगा। उस समय नजदीक की चीज भी बहुत दूर पर मालूम होती थी। दरवाजे से पैर बाहर रखते ही मन को चकित कर देने वाला सृष्टि-सौंदर्य दिखलाई पड़ता था। इसके पहिले सृष्टि-सौंदर्य का ऐसा संग्रह मैंने कभी नहीं देखा था।

अपनी भौजाई के प्रेमपूर्ण छत्र के आश्रय में लड़कों के साथ खेलते-कूदते, रोते-रुलाते और ऊधम मचाते हुए मेरे दिन आनन्द में व्यतीत होने लगे। मेरे इंगलिश के उच्चारण को सुनकर उन्हें बड़ा आनन्द आता था। यद्यपि मैं उनके खेल कूद में अन्तःकरणपूर्वक शामिल होता था और उससे मुझे आनन्द भी मिलता था, परन्तु मेरे इंगलिश उच्चारण से उन्हें बड़ा आनन्द आता और वे मेरी मजाक

उड़ाते। *Warm* शब्द में *a* (ए) और *Worm* शब्द में के *o* (ओ) के उच्चारण में तर्क शास्त्र की कसौटी पर ठहर सकने योग्य कोई फर्क नहीं है। मुझे उन बालकों को यह समझाते-समझाते नाक में दम आ जाता था कि भाई इस तरह के उच्चारण के लिये कोई एक खास नियम नही है। परन्तु वे क्या समझने वाले थे? और इसमें मेरा भी क्या दोष था। अंग्रेजी की वर्ण रचना-पद्धति ही जब कि सदोष है। इसकी न तो कोई पद्धति और न नियमबद्धता। परन्तु ऐसी सदोष पद्धति का उपहास न होकर उपहास की मार मुझे सहन करनी पड़ती थी। इसे मैं अपने दुर्दैव के सिवाय और क्या कह सकता हूं?

इस अर्से में बालकों को किसी-न-किसी बात में लगा रखकर उनका मनोरंजन करने के भिन्न-भिन्न मार्ग ढूंढ निकालने में मैं निष्णात हो गया। इसके बाद कई बार मुझे इस स्वयं सम्पादित कला की जरूरत पड़ी और आज भी इसकी बहुत जरूरत प्रतीत होती है। परन्तु उस समय जिस प्रकार अगणित नई नई युक्तियां सूझा करती थीं, वह बात अब नहीं रही। बालकों के आगे अपने अन्तःकरण को खोल रखने का यह मुझे पहला ही अवसर था और इस अवसर का मैंने यथेष्ठ उपयोग भी किया।

हिन्दुस्तान में मिलने वाले गृह-सौख्य के बजाय समुद्र पार के गृह-सौख्य को प्राप्त करने के लिए तो मैं विलायत भेजा ही नहीं गया था, और न चार दिन हंसी-मजाक में बिताकर लौट आने के उद्देश्य से भेजा गया था। वहां भेजने का तो यह उद्देश्य था कि मैं कानून का अभ्यास करूं और बैरिष्टर बनकर लौटूं। अतः अब मेरे पढ़ने की बारी आई और बायरन नगर की एक शाला में मैं दाखिल किया गया। पहिले ही दिन वहां की रीति के अनुसार मुझे पहले पहल हेड मास्टर साहब के पास जाना पड़ा। एक दो प्रश्नों के बाद मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए वे बोले कि 'तेरा मस्तक कितना सुन्दर है?' पाँच शब्दों का यह एक ही वाक्य था, परन्तु वह वाक्य और वह प्रसंग मुझे इस तरह याद है, मानो आजकल की बात हो, क्योंकि घर में रहते समय मेरी भौजाई सदा मेरे वृथाभिमान को रोकने की कोशिश किया करती थी। वह मेरे स्वाभिमान को कभी सिर न उठाने देती थी। यह काम अपने आप ही अपने ऊपर ले लिया था। वह कहा करती कि तुम्हारे सिर के हिस्से और कपाल को देखते यह मालुम होता है कि दूसरों के बजाय तुम्हारी बुद्धि मध्यम श्रेणी की है। उसने अपना यह मत मेरे हृदय पर अच्छी तरह जमा दिया था। मैं भौजाई के इस कहने पर आंख मीचकर विश्वास भी करता था और मुझे बनाते समय विधाता ने जो कंजूसी की, उस पर मन-ही-मन दुखी हुआ करता

था। मैं दूसरे के कहने को चुपचाप मान लेता हूं। आशा है कि मेरे इस सौजन्य की पाठक कद्र करेंगे। मेरी भौजाई के द्वारा मेरे गुणों की जितनी सराहना होती थी, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक सराहना विलायत में कई बार मेरे परिचित लोगों के द्वारा हुई है। दोनों देशों के लोगों की गुण-ग्राहकता में यह अन्तर देखकर मेरे मन को बार-बार कष्ट होता था।

इस पाठशाला में भी मैं अधिक नहीं रहा, परन्तु यह शाला का दोष नहीं था। बात यह थी कि उस समय 'श्री तारक पालित' विलायत में ही थे। उन्हें यह भास हुआ कि इस रीति से मेरे कानून पढ़ने का उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः उन्होंने मेरे भाई को इसके लिये तैयार किया कि मैं लंडन भेजा जाऊं और वहाँ किसी के घर पर रहकर अभ्यास करूं। अतः मैं लंडन भेजा गया। लंडन में रहने की व्यवस्था तारक बाबू ने की। जिस कुटुम्ब में यह व्यवस्था की गई थी, यह रिजेंट बाग के सामने रहा करता था। जब मैं लडन गया तब खूब सर्दी पड़ रही थी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर सर्दी के जोर के मारे एक भी पत्ता नहीं रहा था और उनकी शाखाएं बर्फ से ढक गई थीं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखलाई पड़ती थी।

पहले पहल जाने वाले के लिए लंडन की ठंड बड़ी त्रासदायक होती है। शीत ऋतु में इतना त्रासदायक स्थल शायद ही कोई दूसरा होगा। अड़ोस-पड़ोस में मेरी किसी से भी जान-पहिचान नहीं थी और किसी से पहिचान करूं भी कैसे। अतः बाह्य जगत को एकटक दृष्टि से देखते हुए खिड़की में अकेले बैठे रहने के दिन मेरे जीवन में पुनः प्राप्त हुए। इस समय सृष्टि-वैभव चित्ताकर्षक नहीं था। सृष्टि देवता क्षुब्ध हो रहे थे। और मालूम होता था कि मानो उसके मस्तिष्क पर क्रोध के चिन्ह स्वरूप सलें पड़ी हुई हैं। आकाश धूमर हो गया था और मृत मनुष्य के निस्तेज नेत्रों के समान प्रकाश फीका पड़ गया था। क्षितिज प्रदेश संकुचित हो गया था। इस तरह वह सब दृश्य भयंकर दिखलाई पड़ता था और इस बड़े भारी विशाल जगत में आदरातिथ्य से भरे हुए मधुर स्मित का पूर्ण अभाव हो गया था। घर के बाहर की यह दशा थी और घर के भीतर उत्तेजन मिलने का कोई साधन नहीं था। मेरे रहने का स्थान बहुत साधारण रीति से सजा हुआ था। दीवान खाने को सजाने लायक प्राय कोई वस्तु वहाँ नहीं थी। हाँ, कहने के लिये एक बाजे की पेटी जरूर थी। दिन अस्त होते ही मैं पेटी लेकर बैठ जाता और चाहे जिस तरह उसे बजाता था। कभी-कभी कोई हिन्दुस्तानी गृहस्थ मुझसे मिलने को आया करते थे और इधर-उधर की बातें करके जब वे जाने को तैयार होते तो उनसे

अल्प परिचय होने पर भी, उन्हें न जाने देने की मुझे इच्छा होती और इसके लिये उनका पल्ला पकड़कर बैठने की बार-बार उत्कंठा हुआ करती थी।

यहाँ मुझे लैटिन सिखाने के लिये एक शिक्षक नियत किये गये थे। इनका शरीर बहुत ही कृश था। कपड़े जून पुराने पहिनते थे। सर्दी का कड़ाका सहन करने के लिए पत्र विहीन वृक्षों की अपेक्षा उनमें अधिक शक्ति नहीं थी। उनकी उम्र यद्यपि मुझे मालूम नहीं है, पर जितनी थी उससे अधिक वयस्क दिखलाई पड़ते थे। पढ़ाते-पढ़ाते बीच में ही उन्हें एकाध शब्द अड़ जाता था। अतः वे शून्य मनस्क होकर लज्जित हो जाते थे। उनके घर के आदमी उन्हें प्राय सनकी समझा करते थे। इन्होंने एक तत्व की खोज की थी और उसी की चिन्तना में रात-दिन लगे रहते थे। उनको यह दृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक युग के, मानव समाज में कोई एक ही कल्पना प्रमुखता से उद्भूत होती है। संस्कृति की न्यूनाधिकता के कारण इस कल्पना का स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार का होता हुआ भी मूल भूत कल्पना एक ही प्रकार की रहती है। इस मूल भूत कल्पना का जनक कोई एक समाज विशेष होकर अन्य समाज किसी न किसी पद्धति के रूप में उसे स्वीकार करते हों, यह बात नही है। किंतु भिन्न-भिन्न समाजों में एक ही समय में एक ही प्रकार की कल्पना का बीजारोपण हुआ दिखलाई पड़ता है। अपने इस नवीन शोधित प्रमेय की सिद्धि के लिये वे प्रत्यक्ष प्रमाण का संग्रह करने और उसे लिखने में सदा लगे रहते थे। यही एक व्यवधान उन्हें चैन नहीं लेने देता था। किसी भी उद्योग में उनका चित्त नहीं लगता था और पेट भरने का दूसरा कोई साधन नहीं था। अतः घर में चूहे लोटा करते थे। फिर शरीर पर ठीक वस्त्र कहां से आते। सतान में इनके लड़कियां थीं। उनका इस सिद्धांत पर विश्वास नही था और वे अपने पिता की खोज का बहुत थोड़ा आदर करती थीं। वे अपने पिता को विक्षिप्त समझा करतीं और मैं समझता हूं कि बार-बार उनको फटकारती रही होंगी। कभी-कभी उनके चेहरे पर एकदम आनन्द की छटा पसर जाती और उसपर से लोग समझते कि उन्हें कोई नवीन प्रमाण अपने सिद्धांत को प्रस्तावित करने के लिए मिला होगा। ऐसे समय मैं भी उनकी बात में चित्त लगाया करता था। उनकी स्फूर्ति देखकर मुझे भी आवेश आता था, परन्तु कभी-कभी इससे भी उलटा होता था। उनका सब आनन्द भाग जाता आवेश नष्ट हो जाता और दुख में इतने चूर हो जाते कि उन्हें सिर पर लिया हुआ यह भार असह्य हो जाता था। ऐसे समय में हमारी पढ़ाई की बात का क्या पूछना? पद पद पर ठहरना और अन्यमनस्क होकर किसी एक ओर टकटकी लगाकर देखते रहना। उस समय लैटिन व्याकरण की पहली पुस्तक मैं पढ़ रहा था, परन्तु इस ओर उनका मन काहे को लगने लगा। पुस्तक आगे रखी हुई है सीखने के लिए मैं सामने बैठा

हुआ हूं परन्तु गुरुजी का मन शून्य आकाश में हवा खा रहा है। शरीर से दुर्बल और उपर्युक्त तत्व के भार से दबे हुए गरीब शिक्षक पर दया आती थी, परन्तु सीखने में इनसे मुझे कुछ भी सहायता नहीं मिलती थी, तो भी इन्हें छोड देने का मुझसे निश्चय नहीं होता था। जब तक मैं इस कुटुम्ब में रहा, लैटिन सीखने का यही तरीका जारी रहा। कुछ दिनों बाद मुझे दूसरे स्थान पर रखने का निश्चय किया गया। अतः जाने के पहिले मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि आपको क्या देना चाहिये ? दुखित होकर उन्होंने उत्तर दिया कि "मैंने तुझे कुछ नहीं पढ़ाया, प्रत्युत तेरा समय ही लिया है अत: मुझे तुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहिये।" इस पर मैंने बहुत आग्रह किया और अन्त में फीस लेने के लिए उन्हें तैयार किया।

मेरे उक्त गुरुजी ने अपने तत्व के समर्थनार्थ एकत्रित किये हुए प्रमाणों को मुझे समझाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। इसलिये यद्यपि उनके कथन को मैं समझ नहीं सका तो भी आज तक इस सिद्धांत पर मैंने आक्षेप नहीं किया। उनका वह सिद्धांत मुझे उस समय भी सत्य मालूम हुआ और आज भी मालूम होता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि किसी अत्यन्त गूढ़ और अखंड तार के द्वारा मनुष्य प्राणियों के मन एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इसीलिये एक ओर 'खट' होने पर बीच के इसी अदृश्य तार के द्वारा दूसरी ओर तुरन्त 'खट' हो जाता है।

इसके बाद श्रीयुत पालित ने मुझे 'बार्कर' नामक एक शिक्षक के घर पर रखा। यह महाशय अपने घर पर विद्यार्थियों को रखकर उनकी परीक्षा की तैयारी करा दिया करते थे। ऐसे ही विद्यार्थियों में से मैं भी एक था। निरालस और सीधी-साधी स्त्री के सिवाय नाम लेने योग्य दूसरी कोई चीज उनके घर में नहीं थी। यह समझना कठिन नहीं है कि विद्यार्थियों को शिक्षक चुनने की संधि न मिलने के कारण ही ऐसे शिक्षक को ट्यूशन (पढ़ाई) मिला करती है। परन्तु पढ़ाई के समान स्त्री प्राप्त करना सहज नहीं है। स्त्री प्राप्त करने में क्या क्या कठिनाई आती हैं— यह सुनने पर मन चकित हो जाता है। श्रीमती बार्कर का एक कुत्ता था। इसके साथ खेलने में उन्हें बहुत संतोष मिलता था। जब बार्कर महाशय अपनी स्त्री को त्रास देना चाहते थे तो वे इस कुत्ते को सताया करते। परिणाम यह होता कि इस मूक जानवर पर उस बाई का प्रेम अधिक बढ़ता जाता, साथ में अपने पति से मन मुटाव भी।

इस परिस्थिति से मुझे अधिक दिनों तक नहीं रहना पडा और मेरी भौजाई ने मुझे डेव्हन शायर में टर्के स्थान पर रहने के लिए बुला लिया। उस समय मैं आनन्द से फूल गया और तुरन्त वहां चला गया। वहां की टेकड़ियां,

समुद्र पुष्पाच्छादित उपवन, पाइन वृक्षों की छाया, और अति चंचल दोनों खिलाडी साथियों की संगति में मैं कितना सुखी था, यह कहना शक्ति के बाहर है। इस प्रकार मेरे नेत्र सौन्दर्य से भर गये थे। मन प्रफुल्लित था और मेरे दिन सुख से व्यतीत हो रहे थे। ऐसे समय में भी काव्य स्फूर्ति क्यों नहीं होती, इस चिंता से मैं अपने आपको दुखी बना लेता था। एक दिन कवि का भाग्य अजमाने के लिए मैं कोरी पुस्तक और छतरी हाथ में लेकर पर्वत के किनारे की ओर चला गया। मेरी खोजी हुई जगह निःसंदेह अत्यन्त सुन्दर थी। उसका सौन्दर्य मेरी कल्पना शक्ति अथवा यमक के ऊपर निर्भर नहीं था। पर्वत का शिरा आगे आया हुआ था और वह जल तक चला गया था। आगे की ओर फेनपूर्ण लहरों में अस्त होते हुए सूर्य की किरणें विलीन हो रही थीं। सूर्यनारायण विश्रांति के लिए एकांत स्थान को जा रहे थे। थके हुए वन देवता के खुले हुए अंचल के समान पाइन वृक्षों की छाया, पीछे की ओर फैली हुई थी। ऐसे रमणीय स्थान में एक शिला तल पर विराजमान होकर मैंने 'भग्नतरी' (डुबी हुई नौका) नामक कविता की रचना की। उसी समय उस कविता को यदि समुद्रस्थ कर दी होती तो अच्छा होता। अब उसे मेरी अन्य कविताओं में स्थान मिल गया है। यद्यपि मेरे प्रकाशित काव्यग्रंथों में उसे स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, तो भी वह कविता इतनी सर्वतोमुखी हो गई है कि उसे कोई भी प्रकाशित कर सकेगा।

इस प्रकार कुछ दिनों तक मेरे दिन वहाँ व्यतीत हुए थे। ये दिन प्राय. आलस्य ही में व्यतीत हुए। मैं तो निश्चित हो गया था पर कर्तव्य थोड़े ही निश्चित होता है अत कर्तव्य का फिर तकाजा हुआ, और मुझे लंडन जाना पडा। इस बार डॉ॰ स्काट के यहां रहने का प्रबन्ध किया गया था। अत एक दिन सामान लेकर मैंने उनके घर पर चढाई की डॉ॰ स्कॉट के चेहरे पर वृद्धत्व स्पस्ट प्रगट हो रहा था। डा॰ स्कॉट, उनकी स्त्री, और उनकी बड़ी लडकी मुझे वहां मिली। दो लड़कियां उनके और थीं। पर वे अपने घर पर विदेशी भारतीय गृहस्थ की चढ़ाई के समाचारों से शायद डर कर एक नाते दार के घर चली गई थीं। जब मेरे पहुंचने पर उन्हें यह समाचार मिले होंगे कि मैं कोई भयंकर मनुष्य नहीं हूं, तब वे लौट आईं। थोडे ही दिनों में उस कुटुम्ब का और मेरा इतना स्नेह जम गया कि मैं उनमें से ही एक बन गया। श्रीमती स्काट मुझे अपने पुत्र के समान समझती थीं और उनकी लडकियों का मेरे साथ इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार था, जितना की निजी नातेदारों तक का नहीं होता।

इस कुटुम्ब में रहते हुए एक बात मेरे ध्यान में यह आई कि मनुष्य स्वभाव, कहीं भी जाओ एक ही प्रकार का मिलेगा। अपने प्रायः कहा करते हैं और मेरा भी

ऐसा ही मत था कि भारतीय स्त्रियों की पति-भक्ति अलौकिक हुआ करती है, वैसी यूरोपियन स्त्रियों में नहीं होती, परन्तु इस समय मुझे अपना वह मत बदलना पडा। श्रेष्ठ श्रेणी की भारतीय स्त्री की पति परायणता और श्रीमती स्काट की पति परायणता में मैं कुछ भी अन्तर नहीं जान सका। श्रीमती स्काट की पति परायणता अत्यन्त श्रेष्ठ थी। वे अपने पति में तन्मय हो गई थीं। उनकी सांपत्तिक स्थिति साधारण थी, इस लिए नौकर-चाकर भी मामूली तौर पर रखकर, फिजूल वडप्पन न वताकर छोटे वड़े सब काम श्रीमती स्काट अपने हाथों स्वयं करती थीं और सदा अपने पति के कार्यों में मदद देने के लिए तैयार रहती थीं। शाम के समय पति के वापिस आने के पहले वे स्वयं अपने हाथों से अगीठी तैयार करके आराम कुर्सी पर खडाऊ रख देतीं और पति के स्वागत के लिए तैयार रहती थीं। वे अपने मन में सदा इस वात का ध्यान रखती थीं कि पति को कौन सी वात पसन्द है और किस प्रकार का व्यवहार वे चाहते हैं। आठों पहर उन्हें केवल पति-सेवा का ही ध्यान रहता था।

प्रतिदिन सुबह श्रीमती स्काट अपनी नौकरानी को लेकर घर के ऊपर की मंजिल से नीचे तक आतीं-जातीं और सफाई करवातीं तथा अस्त-व्यस्त पड़े हुए सामान को व्यवस्था से जमवा देतीं। जीने के कठड़े की पीतल की छड़ें, दरवाजे की कड़ियाँ वगैरह घिसकर इतनी स्वच्छ करतीं कि वे फिर चमकने लगतीं। प्रति-दिन के निश्चित कामों के सिवाय कितने ही सामाजिक कर्तव्य उन्हें करने पड़ते थे। दैनिक कार्य हो जाने पर शाम के वक्त हमारे वाचन एवं गायन में सम्मिलित हुआ करती थीं, क्योंकि अवकाश के समय को आनन्द में व्यतीत करने में सहायक होना सुगृहिणी का एक कर्तव्य ही है।

कितनी ही वार शाम को डॉ० स्काट की लड़कियाँ टेविल फिरा-फिरा कर कोई खेल खेला करती थीं। मैं भी इस खेल में शामिल होता था। चाय की एक छोटी सी टेविल पर हम हमारी उंगलियाँ रखते और वह सव दीवान खाने में फिरने लगती। आगे जाकर तो ऐसा हो गया कि जिन वस्तुओं पर हम हाथ रखते, वे सब थर-थर कांपने लगतीं। श्रीमती स्काट को ये वातें रुचती नहीं थीं, परन्तु इस सम्वन्ध में वे कुछ विशेष नहीं वोला करती थीं। हाँ, कभी-कभी गम्भीर चेहरा वनाकर गर्दन हिला देतीं, मानो वे गम्भीरतापूर्वक यह कहती थीं कि ये वातें उन्हें पसंद नहीं हैं। तो भी हमारे उत्साह के भंग न होने के लिहाज से वे चुपचाप हमारे इस खेल को सहन करती थीं। एक दिन डॉ० स्काट की चाल के समान टोपी को फिराने के लिये हम लोगों की तैयारी हुई। उस समय यह वात श्रीमती स्काट को

बिलकुल असह्य हुई। घबड़ाती हुई वे हमारे पास आई और उस टोपी को हाथ न लगाने के लिए उन्होंने हमें सावधान कर दिया। संतानों का एक पलभर के लिए भी अपने पति के शिरस्त्राण के हाथ लगाना उन्हें सह्य नहीं हुआ।

उनके सब कार्यों में अपने पति के सम्बन्ध में आदर प्रमुखता से दिखलाई पड़ता था। उनके आत्मसंयम का स्मरण होते ही स्त्री-प्रेम की अन्तिम पूर्णता उपास्य बुद्धि में विलीन हो गई है, ऐसा मुझे विश्वास हो जाता है। स्त्री प्रेम की बाढ़ को कुंठित करने के लिये कोई कारण पैदा न हो तो फिर वह प्रेम नैसर्गिक रीति से उपासना में रूपांतरित हो जाता है। जहाँ ऐय्याशी की रेलपेल और छिछोर-पना रात-दिन रहता है, वहीं इस प्रेम की अवनति होती है और साथ ही इस प्रेम की पूर्ति से प्राप्त होने वाले आनन्द का स्त्री जाति उपयोग नहीं कर पाती।

यहां मैं कुछ ही महीने रह पाया क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता हिन्दुस्तान को लौटने वाले थे। मुझे भी साथ में आने के लिए पिताजी का पत्र आया। इस आशा से मुझे बड़ा आनन्द हुआ। मेरे देश का प्रकाश और आकाश मुझे मुग्ध रीत्या बुला रहे हैं, ऐसा भान होने लगा। हमारी तैयारियाँ हो गई और मैं जाने के पहिले श्रीमती स्काट से भेंट करने के लिये गया। उन्होंने अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर रोना शुरू किया। वे अपने को सभाल न सकीं। कहने लगीं—"अरे! तुझे इतना शीघ्र जाना था तो फिर हमारे दिल को प्रेम का धक्का लगाने के लिए फिर आया ही क्यों था। अरे परमात्मा, ऐसे प्रेमी व्यक्तियों का सहवास क्यों नहीं होने देता।"

अब लंडन में यह कुटुम्ब नहीं है। स्काट साहब के घर के कुछ आदमी किसी दूसरे दूरस्थ देश को चले गये हैं और कुछ इधर-उधर हैं, जिनका मुझे पता नही, परन्तु मेरे मन में उनका स्मरण आजन्म जागृत रहेगा।

मेरी इस पहली विलायत यात्रा की कुछ बातें स्पष्ट रीति से मेरी स्मृति में हैं। सर्दी के दिन थे। मैं टर्न ब्रिजवेल्स के एक रास्ते से जा रहा था। मार्ग के एक ओर एक आदमी को मैंने खड़े देखा। फटे पुराने जूतों में उसके पैर की उंगलियाँ बाहर निकल रही थीं। छाती आधी खुली थी। वह मुझसे कुछ नहीं बोला। संभवतः कानूनन भिक्षा मांगना वहाँ बन्द होने से वह मूक रहा होगा। सिर्फ क्षणभर उसने मेरे पैरों की ओर देखा। मैंने एक सिक्का खीसे में से निकाल कर उसे दिया। आशा से अधिक कीमती भिक्षा मिलने के कारण पहले तो वह चार कदम आगे बढ़ गया, पर तुरन्त ही लौटा और मुझसे कहने लगा—"महाशय! आपने भूल से मुझे सोने का सिक्का दे दिया है।" यह बात मेरे ध्यान में नहीं रही होती, परन्तु दूसरे एक प्रसंग पर ऐसी ही एक घटना और होने के कारण दोनों बातें मेरे ध्यान

में अच्छी तरह रह गई। टार्के स्टेशन पर जब मैं पहले पहल उतरा तब एक मजदूर आया और मेरा सामान स्टेशन के फाटक के बाहर खड़ी हुई एक गाड़ी में लाकर रख दिया। पैसे की थैली में मैं छुट्टे पैसे देखने लगा, पर न होने से मैंने उसे आधा क्राउन दे डाला। गाड़ी चलने लगी। कुछ समय बाद वह मजदूर दौड़ता हुआ गाड़ी रोकने के लिए आवाज देने लगा। मैं समझा कि मुझे भोला भण्डारी समझकर कुछ और ऐंठने की नियत से वह आ रहा है, परन्तु उसने आकर कहा कि "महाशय ! आपने भूल से एक पेनी की जगह आधा क्राउन दे डाला।"

यह नहीं कह सकता कि मैं विलायत में रहकर ठगाई में नहीं आया। आया तो होउंगा, परन्तु वे घटनाऐं ध्यान में रखने योग्य नहीं हैं। अनुभव से मेरा यही मत निश्चित हो गया है कि विश्वासपात्र लोगों को दूसरे पर विश्वास करने का तरीका अच्छी तरह मालूम रहता है। मैं एक अपरिचित मनुष्य था और सहज एवं निर्भय रीति से मैं व्यापारियों को चाहता तो उनके पैसे नहीं दे सकता था, परन्तु लडन के किसी भी दूकानदार ने मेरा कभी अविश्वास नहीं किया।

मेरे विलायत के निवास में कुछ हास्यजनक घटनाऐं भी हुईं। उनमें से एक मुख्यतया मेरी स्मृति में है। वह यह कि एक बार किसी स्वर्गीय बड़े एंग्लो इंडियन अफसर की स्त्री से मेरा परिचय हो गया। वह मुझे 'रवि' कहकर बुलाती थी। उसके एक भारतीय कवि मित्र ने उसके मृत पति के स्मरणार्थ अंग्रेजी में एक करुण रस पूर्ण कविता लिखी थी। इस कविता के गुण दोष अथवा भाषा पद्धति का विवेचन करने का यह स्थान नहीं है। मेरे दुर्दैव से कवि ने कविता पर यह लिख रखा था कि यह विहाग राग में गाई जाय। एक दिन वह कविता विहाग राग में गाने के लिए उसने विशेष आग्रहपूर्वक विनती की। मैं ठहरा भोला-भाला, अतः उसका कहना मान्य किया। इस कविता पर जबरदस्ती विहाग राग लादा गया था। यह हास्यास्पद और निंद्य बात पहिचानने योग्य वहां कोई नहीं था, यह भी मेरा दुर्दैव ही समझना चाहिये। अपने पति की मृत्यु का हिन्दुस्तानी मनुष्य द्वारा रचा हुआ शोक गीत हिन्दुस्तानी राग में सुनकर उस बाई का मन शोक से भर गया। मैं समझा कि चलो छुट्टी हुई, इसकी इच्छा पूर्ण हो गई, पर राम राम, वह यहाँ ही रुकने वाली बात नहीं थी। इस बाई की बार-बार भिन्न-भिन्न समाजों में मुझसे भेंट हुआ करती और भोजन के बाद ज्योंही मैं दीवानखाने में स्त्रियों के समुदाय में जाता, त्योंही वह बाई मुझे विहागराग गाने के लिए कहती और दूसरी स्त्रियां भी भारतीय गायन का उत्कृष्ट मसाला सुनने की इच्छा से आग्रह किया करतीं। साथ ही उस शोक गीत का छपा हुआ कागज बाई के खीसे में से बाहर

निकलता और मुझे अन्त में नीची गर्दन कर कम्पित स्वर से गाना प्रारम्भ करना पडता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे स्थानों पर मेरे सिवाय उस गाने में किसी दूसरे का हृदय विदीर्ण होने की संभावना नहीं थी। अन्त में सब स्त्रियां मन ही-मन हँसकर 'वाहवा-वाहवा' कहा करतीं। कडाके की ठंड होने पर भी मुझे इस घटना से पसीना छूटा करता था। उस बड़े अफसर का मृत्यु-गीत, मेरे ऊपर ऐसा भयंकर आघात करेगा, ऐसा भविष्य मेरे जन्म समय में या उस अफसर के मृत्यु समय में क्या कोई कर सकता था।

डॉ० स्काट के यहाँ रहकर यूनिवर्सिटी कालेज में अभ्यास करने के कारण इस बाई से कुछ दिनों तक मेरा मिलाप नहीं हुआ। बीच-बीच में उसके पत्र मुझे बुलाने के लिए आया करते थे। यह बाई लडन के एक उपनगर नें रहा करती थी, परन्तु मृत्यु गीत के भय के कारण मैं उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता था। अन्त में एक दिन तार से निमंत्रण आया। मैं कालेज जा रहा था। रास्ते में ही यह तार मिला। विलायत से भी अब मैं शीघ्र जाने ही वाला था, अतः इस बाई से मिलना उचित समझ, उसका आग्रहपूर्ण निमन्त्रण स्वीकार करने का निश्चय किया।

मैं कालेज गया। वहाँ का काम खत्म कर घर न लौट कर उस बाई के यहाँ जाने के लिये सीधे स्टेशन पर चला गया। यह दिन बड़ा ही भयंकर था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों ओर कुहरा छाया हुआ था। मुझे जिस स्टेशन पर जाना था, वह आखरी स्टेशन था, इसलिए मैंने वहाँ पहुंचने के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने की भी जरूरत नहीं समझी।

रास्ते में सब स्टेशनों के प्लेटफार्म दाहिनी बाजू की ओर पड़ते थे अतः मैं भी ट्रेन के डिब्बे में दाहिनी ओर एक कोने में बैठकर पुस्तक पढ़ने में तल्लीन हो गया। बाहर कुहरे के कारण इतना अन्धेरा हो गया था कि कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता था। एक के बाद एक मुसाफिर अपने-अपने स्थान पर उतरने लगे। आखरी स्टेशन से एक स्टेशन पहले जब हम पहुंचे, तब वहाँ थोड़ी देर गाड़ी ठहरी और फिर चलने लगी। कुछ ही दूर जाकर गाड़ी फिर ठहर गई, परन्तु आस-पास कोई भी दिखलाई नहीं पड़ा—न दीपक न प्लेटफार्म। कभी-कभी बेमौके गाड़ी ठहर जाने का कारण पूछने का भी मुसाफिरों को साधन नहीं रहता, इसलिये प्रयत्न भी नहीं करते। अतः मैं फिर अपने पढ़ने में लीन हो गया। देखता हूं तो गाड़ी पीछे जा रही है। रेलवे वालों के आश्चर्यजनक व्यवहार के प्रति कोई भी जवाबदार नहीं होता, यह समझकर मैं फिर पढ़ने लगा। अब हम एक स्टेशन

पीछे लौट आए। अब मुझे अपनी उदासीनता छोड़नी पड़ी और पूछना पड़ा कि अमुक स्टेशन को हमारी गाड़ी कब जावेगी। उत्तर मिला कि यह वहीं से लौट कर आ रही है। फिर पूछा कि अब यह गाड़ी कहाँ जा रही है। उत्तर मिला 'लंडन को' अच्छा अब अमुक स्टेशन की गाड़ी फिर कब मिलेगी। उत्तर मिला रातभर गाड़ी नहीं मिलेगी। पूछ-ताछ से यह पता चला कि पाँच मील के घेरे में कोई ठहरने व खाने पीने की जगह नहीं है। मैं सुबह 10 बजे खा पीकर घर से चला था। उसके बाद पानी तक मुंह में नहीं डाला था। जब भोग-परिभोग के साधन का कोइ दूसरा मार्ग नहीं रहता, तब संन्यासवृत्ति धारण करने में मनुष्य को देर नहीं लगती। ओव्हर कोट के बटन लगाकर प्लेटफार्म के एक लालटेन के नीचे मैं बैठ गया। मेरे पास सद्यः प्रकाशित 'स्पेंसर के नीति सिद्धान्त' नामक एक पुस्तक थी। ऐसे विषय पर चित्त को एकाग्र करने का अवसर इससे बढ़कर दूसरा नहीं मिलेगा, यह सोचकर मैंने पढ़ना आरम्भ किया।

कुछ समय बाद एक मजदूर मेरे पास आया और उसने कहा कि कुछ समय बाद एक विशेष ट्रेन यहां से जाने वाली है। यह आधे घंटे बाद आवेगी। यह सुनकर मुझे इतना हर्ष हुआ कि मैं पुस्तक आगे पढ़ ही नहीं सका। जहाँ मैं सात बजे पहुंचने वाला था, वहाँ 9 बजे पहुंचा। बाई ने पूछा 'रवि' तुझे इतनी देर क्यों हुई ? कहाँ ठहर गया। मुझे अपने साहस के सम्बन्ध में यद्यपि विशेष अभिमान नहीं था, तो भी मैंने खुले मन से सब बातें साफ-साफ कह दीं। मेरे पहुंचने के पहले ही उन लोगों का खाना पीना हो चुका था।

कुछ देर बाद मुझे चाय पीने के लिए कहा गया। मैं चाय कभी नहीं पीता था, परन्तु भूख से इस समय व्याकुल हो रहा था अतः दो बिस्किट और तेज चाय का एक प्याला किसी तरह गले के नीचे उतारा। फिर मुझे दीवानखाने में ले गये। वहां अनेक प्रौढ़ स्त्रियाँ एकत्रित थीं। एक अमेरिकन तरुण लड़की भी थी। मेरी परिचित बाई के भाजे से इसका विवाह ठहरा था। अतः विवाह के पहिले के प्रेम (*Courtship*) में वह मग्न सी दिख रही थी। बाई ने कहा आओ नाचें। यह कसरत करने योग्य मनःस्थिति मेरी इस समय नहीं थी और न शरीर की स्थिति ही नृत्य के अनुकूल थी। परन्तु कहा जाता है कि दुर्लभ-स्वभाव व्यक्तियों के हाथ से ही अशक्य बातें पार पड़ती हैं। चाय और बिस्किट पर क्षुधा का भार सौंपकर वर-वधू के मनोरंजन के लिए मुझे अपने से बहुत अधिक वय की स्त्रियों के साथ नाचना पड़ा।

मेरी संकट-परम्परा यहीं खत्म नहीं हुई। संकटरूपी शिखर पर मानो

कलश चढ़ाने के लिए ही मुझसे पूछा गया कि रात्रि को तू कहाँ रहेगा ? मैंने इस पर अभी तक विचार भी नहीं किया था। मैं सुन्न रह गया। एक भी शब्द न बोलकर बाई की ओर देखने लगा। तब यह कहने लगी कि यहाँ पास ही में एक पथिकाश्रम है। वह बारह बजे तक खुला रहता है। इसलिए अब देरी न करके तू वहाँ चला जा। वहां तेरे ठहरने का प्रबन्ध हो जायगा।

मुझे झख मारकर जाने के लिए तैयार होना पड़ा अन्यथा रात भर कहां निकालता। बाई ने इतनी दया की कि एक नौकर लालटेन देकर आश्रम बतलाने के लिये मेरे साथ कर दिया। पहले पहल तो मुझे यही मालूम हुआ कि आश्रम में भेजकर मेरे पर बड़ी कृपा ही की गई। पहुंचते ही मैंने खाने-पीने के सम्बन्ध में पूछा। होटल के मैनेजर ने उत्तर दिया कि खाने की कोई चीज तैयार नहीं है। हां, 'पेय पदार्थ' मौजूद हैं। सोने के लिए जगह बतला दी गई। इस जगह की पथरीली फर्श ठंडदार थी। वहां मुंह धोने को एक टूटी फूटी तश्तरी और पुराना पलग पड़ा हुआ था।

सुबह होते ही बाई ने मुझे फलाहार के लिए बुलाया। इस फलाहार की बात कुछ न पूछिये। सारी चीजें बासी थीं। गई रात का बचा खुचा सामान था। अगर इन्हीं में से कल रात को मुझे कुछ सामान दिया होता तो किसी की कुछ हानि नहीं हुई होती और न पानी मे से बाहर निकली हुई मछली की तड़फड़ाहट के समान मेरा नाच हुआ होता।

फलाहार हो जाने पर मुझसे कहा कि जिस बाई को गाना सुनाने के लिए तुझे बुलाया है, वह बीमार हो गई हैं, इसलिये उसके कमरे के द्वार पर बैठकर तू उसे गाना सुना। जीने के नीचे मुझे खड़ा रख कर एक बन्द दरवाजे की ओर इशारा करके कहा गया कि उस कमरे में बाई पड़ी हुई है। मैंने उस अज्ञेय की ओर अपना मुंह करके वही विहाग राग गाया। मेरे इस गायन का रोगी पर क्या परिणाम हुआ, इसके समाचार मुझे अभी तक नहीं मिले।

मुझे अपने इस दुर्बलतापूर्ण सौजन्य के प्रायश्चित में लंडन आकर बीमार पड़ना पड़ा। मैंने डॉ० स्काट की लड़कियों से इस मेहमानदारी का सब हाल कहा। तब उन्होंने कहा कि पूर्ण विचार के बाद तुम्हें यह मालूम होगा कि अंग्रेजी आतिथ्य का यह नमूना नहीं है, किंतु हिन्दुस्तान के अन्न का यह परिणाम है।

———

२५

लोकन पालित

यूनीवर्सिटी कालेज के अंग्रेजी साहित्य सम्बन्धी व्याख्यानों में मैं जाया करता था। उस समय "लोकन पालित" मेरा सहपाठी था। यह मुझसे चार वर्ष छोटा भी था। आज जिस अवस्था में मैं यह आत्म-कथा' लिख रहा हूं, उसमें चार वर्ष का अन्तर कुछ अधिक नहीं है। परन्तु 17 और 13 का अन्तर उस अवस्था में मैत्री के लिये बहुत अधिक माना जाता है. उस अवस्था में गम्भीर वृत्ति का प्राय: अभाव रहता है। अत: लड़के अपने बड़प्पन का बहुत ज्यादह खयाल रखते हैं, परन्तु हम दोनों में यह बात नहीं थी। बड़प्पन के कारण हमारे आपस में कभी दुजागरी नहीं हुई। पालित मुझे अपने से किसी भी बात में कनिष्ट मालूम नहीं होता था।

कालेज के पुस्तकालय में विद्यार्थी और विद्यार्थिनी पढ़ने के लिए एक साथ बैठा करते थे। मन-ही-मन बोलने की यह जगह थी। हम अगर मन-ही-मन धीरे-धीरे बातें करते तो किसी को कुछ बोलने की जगह नहीं रहती, परन्तु मेरा मित्र पालित उत्साह से इतना भर जाता कि थोड़ी ही छेड़छाड़ से उसकी हंसी और उत्साह बाहर निकल पड़ता था। सम्पूर्ण देशों में अभ्यास की ओर लड़कियों का लक्ष्य एक भिन्न प्रकार का ही होता है। अभ्यास करने में वे जरा हठीली हुआ करती हैं। हम में इस तरह स्वच्छन्द रीति से हास्य विनोद होता तब उन लड़कियों की नापसंदगी दिखलाने वाली तिरस्कारपूर्ण आँखें हम पर पड़तीं। आज उस बात का ध्यान आने पर मुझे पश्चाताप होता है परन्तु उस समय किसी के अभ्यास में विघ्न पडने पर मुझे बिल्कुल सहानुभूति नहीं होती थी। मेरे अभ्यास में विघ्न

पड़ने पर परमेश्वर की कृपा से मुझे कभी कष्ट नहीं हुआ और न मन को कभी कोई चिन्ता ही हुई।

हमारे हास्य रस का प्रवाह सतत बहता रहता था। कभी-कभी उसी में वाङमय विषयक वाद-विवाद भी हम करते थे। मेरी अपेक्षा लोकन पालित का बंगला साहित्य का व्यासंग कम था, तो भी वह उस कमी को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से पूरी कर देता था। हमारे विवादस्थ विषयों में बंगला शुद्ध लेखन भी एक विषय था। यह विवाद प्रारम्भ होने का कारण यह हुआ कि डॉ० स्काट की एक लड़की ने बंगला सिखाने के लिए मुझसे कहा। बंगला वर्णमाला सिखाते हुये बड़े अभिमान के साथ मैंने उससे कहा कि बङ्गाली भाषा पद पद पर अपने निश्चित नियमों का टूटना कभी सहन नहीं करती! यदि परीक्षा के लिये घोक-घोक कर हम लोगों को कंठस्थ न करना पड़ता तो अंग्रेजी वर्ण रचना की स्वच्छन्दता किस हास्योत्पादक स्थिति को पहुंचती यह नहीं कहा जा सकता। परन्तु मेरा यह गर्व ठहर नहीं सका, क्योंकि मुझे अंग्रेजी के समान बंगाली वर्ण रचना भी स्वतंत्र होने के लिये अधीर दिखलाई पड़ी। बंगाली वर्ण-रचना की नियत – भंगता अभ्यास वश मेरे ध्यान में अब तक नहीं आती थी।

अब मैं बंगाली वर्णरचना की अनियमितता में से नियमबद्वता ढूंढने का प्रयत्न करने लगा। इस कार्य में लोकन पालित की जो कल्पनातीत सहायता मुझे मिली, उसका मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।

विलायत में रहते हुये यूनिवर्सिटी कालेज के पुस्तकालय में होने वाले हास्य-विनोद की खलबलाहट में जिस कार्य का उद्गम हुआ, उसी का भारत के मुल्की खाते कर्मचारी होकर लोकन पालित के आने पर विस्तीर्ण प्रवाह बहने लगा। 'लोकन' का उत्साह से भरा हुआ साहित्यिक आनन्द, साहित्य सम्बन्धी मेरे साहस रूपी वायुयान को चाल देने वाला वायु ही था। ऐन तारुण्य में मैंने अपने गद्य और पद्य की गाड़ी पूरे वेग से छोड़ दी और लोकन की अवास्तविक स्तुति ने मेरे इस उत्साह को कायम भी रखा। क्षण भर के लिये भी वह मंद नहीं पड़ा। जहां 'लोकन' होता वहां जाकर और उस बंगले में रहकर गद्य पद्य की अनेक कल्पनातीत उड़ानें मैंने भरी हैं। कई बार शुक्र नक्षत्र की चांदनी डूबने तक हम लोग साहित्य और संगीत शास्त्र का ऊहापोह करते रहते थे।

सरस्वती के चरण तल में रहे हुए कमल पुष्पों में मैत्री का पुष्प संभवत: उसे अधिक पसंद होना चाहिए। कमल पुष्पों से भरे हुए सरस्वती के तट पर मुझे सुवर्ण पराग की प्राप्ति अधिक नहीं हुई, परन्तु प्रेम पूर्ण मैत्री के मधुर सुवास की विपुलता के सम्बन्ध में मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही।

२६

भग्न हृदय

विलायत में ही मैंने एक दूसरे काव्य की रचना प्रारंभ कर दी थी। विलायत से लौटते हुए रास्ते में भी उसकी रचना का कार्य चालू रहा। हिन्दुस्तान में आने पर इस काव्य रचना की समाप्ति हुई। प्रकाशित होते समय मैंने इस काव्य का नाम 'भग्न हृदय' रखा। लिखते समय मुझे मालूम हुआ कि यह रचना अच्छी हुई है और लेखक को अपनी कृति उत्तम प्रतीत हो तो इसमें आश्चर्य भी कुछ नहीं है। यह काव्य मुझे ही सुन्दर प्रतीत नहीं हुआ, किंतु पाठकों ने भी इसकी प्रशंसा की। इसके प्रकाशित होने पर टिपरा के स्वर्गीय नरेश के दीवान साहब स्वत: मेरे पास आये और मुझसे कहा कि आपके इस ग्रंथ के सम्बन्ध में राजा साहब (टिपरा) ने यह संदेश भेजा है कि उन्हें आपका यह काव्य बहुत पसन्द आया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है और भविष्य में लेखक बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, ऐसा उन्हें विश्वास है। यह बात आज भी ज्यों की त्यों मुझे स्मरण है।

यह काव्य मैंने अपनी आयु के 18 वें वर्ष में लिखा था। आगे जाकर अपनी आयु के 30 वें वर्ष में इसी काव्य के सम्बन्ध में मैंने एक पत्र में जो कुछ लिखा, उसे यहां उद्धृत करना मुझे उचित प्रतीत होता है—

जब मैंने 'भग्न हृदय' नामक काव्य लिखना प्रारम्भ किया, उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। यह अवस्था न तो बाल्यावस्था ही मानी जाती है और न तरुण ही। यह इन दोनों अवस्थाओं का संधि-काल है। यह वय सत्य की प्रत्यक्ष किरणों से प्रकाशित नहीं रहती। इस अवस्था में सत्य का अस्तित्व प्रत्यक्ष न दिखलाई पड़कर कहीं किसी जगह उसका प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है और शेष स्थान

पर केवल धुंधली छायामात्र दिखती है। संधि काल की छाया के समान इस अवस्था में कल्पनाएं दूर तक फैली हुई, अस्पष्ट और वास्तविक जगत को काल्पनिक जगत के समान दिखलाने वाली रहती है।

विशेष आश्चर्य की बात यह है कि उस समय मैं ही केवल 18 वर्ष का नहीं था, किंतु मुझे अपने आस पास के प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष के प्रतीत होते थे। हम सब एक ही आधार शून्य, स्वत्व रहित एवं काल्पनिक जगत में इधर-उधर भटक रहे थे, जहां कि अत्यधिक आनन्द और दुख दोनों ही स्वप्न के आनन्द और दुख की अपेक्षा भिन्न नहीं मालूम होते। दोनों की तुलना करने का प्रत्यक्ष कोई साधन नहीं था। इससे बड़ी बात की आवश्यकता छोटी बात से पूरी की जाती थी।

मेरी पंद्रह-सोलह वर्ष की अवस्था से लेकर बाईस-तेईस वर्ष तक की अवस्था का काल केवल अव्यवस्थित रीति से ही व्यतीत हुआ। पृथ्वी के बाल्य काल में जल और भूमि एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न नहीं हुए थे। उस समय बालुकामय दल-दल वाले अरण्यों में कोचर विहीन वृक्षों में से बड़े-बड़े आकार के जलचर और थलचर प्राणी इधर-उधर संचार करते रहते थे। इसी तरह आत्मा की अस्पष्ट बाल्यावस्था के प्रमाण शून्य विलक्षण आकार प्रकार के अप्रगल्भ मनोविकार, उक्त प्राणियों के समान आत्मा की मार्गरहित अटवी में दूर फैली हुई छाया में भटकते रहते हैं। इन मनोविकारों को न तो अपने आप का ज्ञान रहता है और न अपने भटकने के कारणों का ही। वे केवल अज्ञान अथवा मूढ़ता से भटकते रहते हैं। अपने निजी कार्यों का परिचय न होने से अपने को छोड़कर दूसरी बातों का अनुकरण करने की उनकी (मनोविकारों की सहज ही प्रवृति होती है। इस अर्थ-शून्य ध्येय, रहित और क्रियाशील अवस्था में अपने ध्येय से अपरिचित होने के कारण उसे सिद्ध करने में असमर्थ बनी हुई मेरी अविकसित शक्तियाँ बाहर निकलने के लिए एक दूसरे से स्पर्धा करती थीं। इस अवस्था में प्रत्येक शक्ति ने अतिशयोक्ति के बल पर अपना प्रभुत्व मुझपर जमाने का जोर शोर से प्रयत्न किया।

दूध के दांत निकलते समय बालक को ज्वर आया करता है। दांतों के बाहर निकलकर अन्न पचाने के काम में सहायता देने वाली पीड़ा का कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अप्रगल्भ अवस्था के मनोविकार, बाह्य जगत से अपने वास्तविक सम्बन्ध का ज्ञान होने तक मन को कष्ट दिया करते हैं। उस अवस्था में मैंने स्वानुभव से जो बातें सीखीं, वे यद्यपि नैतिक पुस्तकों में भी मिल सकती हैं, परन्तु इससे उनका मूल्य कम नहीं हो सकता। अपनी वासनाओं को अन्दर ही अन्दर बंद रखकर बाह्य जगत में उन्हें स्वच्छन्दता से संचार न करने देने वाली बातें हमारे

जीवन में विष फैलाती हैं। इनमें से स्वार्थ बुद्धि भी एक है। यह हमारी इच्छाओं को मन के मुताबिक संचार नहीं करने देती, न उन्हें अपने वास्तविक ध्येय के नजदीक जाने देती है। इसीलिए स्वार्थ रूपी भिलावां फूट निकलता है और उससे असत्य, अप्रमाणिकता और सब प्रकार के अत्याचार रूपी घाव हो जाते हैं। इसके विपरीत जब हमारी वासनाओं को सत्कार्य करने की अमर्यादित स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तब ये विकृति को दूरकर अपनी भूल स्थिति प्राप्त कर लेती हैं और यही उनका जीवन ध्येय अथवा अस्तित्व की वास्तविक आनन्ददायक स्थिति है।

मेरे अपरिपक्व मन की ऊपर कही हुई स्थिति का उस समय के उदाहरणों एवं नीति तत्वों ने पोषण किया था और आज भी उनका परिणाम मौजूद है। मैं जिस समय के सम्बन्ध में लिख रहा हूँ, उस पर दृष्टि फेंकने से मुझे यह बात ठीक प्रतीत होती है कि अंग्रेजी साहित्य ने हमारी प्रतिभा पोषण न कर उसे उद्योपित किया है। उन दिनों शेक्सपियर, मिल्टन और बायरन ये हमारे साहित्य की अधिष्ठात्री देवता बन रही थीं। हमारे मन को हिला देने वाला यदि इनमें कोई गुण था तो वह मनोविकारों का आधिक्य ही था। अंग्रेजों के सामाजिक व्यवहार में मनोविकारों की लगाम खींचकर रखते हैं। मनोविकार चाहे कितने भी प्रबल हों पर उनका बाह्य आविष्करण न होने देने की ओर पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। शायद इसीलिए अंग्रेजी वाङमय पर मनोविकारों का इतना अधिक प्रभाव है कि अंग्रेजी साहित्य का यह एक गुण ही बन गया है कि— उसमें से अन्नत जाज्वल्यमान मनोवृत्तियां अनिवार्य होकर भड़कतीं और उनमें से भयंकर ज्वालाऐं निकलने लगती हैं। मनोंवृत्तियों का यह भयकर क्षोभ ही अंग्रेजी साहित्य की आत्मा है। कम से कम हमारी तो यही धारणा थी और इसी दृष्टि से हम इस साहित्य कीओर देखना सीखे थे।

अक्षय चौधरी ने ही हमारे लिए साहित्य का द्वार खोला था। उनके अंग्रेजी के उत्साहपूर्ण और रसीले वर्णन में एक प्रकार का जादू था। उसमें वेहोश करने की शक्ति थी। रोमियो और जुलियट का प्रेमावेश, लियर राजा का शोक, अथेलो की सम्पूर्ण जगत को लील जाने वाली असूयायग्नि, आदि बातें हमें अंग्रेजी वांगमय की मनमानी प्रशंसा करने के लिए उद्यत करती थीं। हमारा सामाजिक जीवनक्रम और उसका संकुचित कार्य-क्षेत्र स्थाई रहने वाली नीरसता के परकोटे से इस तरह घिरा रहता है कि उसमें जाज्वल्यमान मनोविकार का प्रवेश हो ही नहीं सकता। जहाँ-तहाँ शांतता का कल्पनातीत साम्राज्य फैला हुआ रहता है। इसीलिए हमारा हृदय अंग्रेजी साहित्य को विकारपूर्ण भावनाओं की जाज्वल्यता प्राप्त करने के

लिए तड़फड़ा रहा था। अंग्रेजी साहित्य की यह मोहिनी हमपर वाङ्मय-कला के सौंदर्य का मन चाहा सेवन करने के कारण नहीं पड़ी थी. किंतु हमारे उदासीन मन को कुछ न कुछ खाद्य चाहिए, इसलिए हम उस मोहिनी में भूले हुए थे। जिन दिनों मनुष्य को डाँट डपट कर दबाये रखने के विरुद्ध जोर से प्रत्याघात करने वाली विद्या और कला को पुनरुज्जीवित करने का आन्दोलन यूरोप में शुरू हुआ उन दिनों के युद्धनृत्य का द्योतक शेक्सपियर के काल का अंग्रेजी साहित्य है। उन दिनों अपने जीवन की आन्तरिक पवित्रता की प्राप्ति में प्रतिबंधक होने वाले शास्त्रों को फाड़ फेंकने की चिता में मनुष्य-प्राणी अपनी प्रखर वासनाओं की अंतिम प्रतिमा ढूंढ़ने के विचारों में तल्लीन हो गया था। अतः अच्छा बुरा और सुन्दर कुरूप को पहिचानने का उसका हेतु नष्ट हो गया था। यही कारण है, जो उस समय के अंग्रेजी साहित्य में उपरोधिक और उच्छृङ्खल उद्गारों की रेलपेल दिखलाई पड़ती है।

यूरोप की इस प्रकार की विकारपूर्ण धूमधाम ने हमारे रूढ़िग्रस्त सामाजिक व्यवहारों में प्रवेश कर हमें जागृत किया और नवजीवन दिया। इस कारण प्रचलित रीति-रिवाज के नीचे दवे हुए, परन्तु अपने स्वरूप को प्रगट करने की संधि ढूंढने के लिए उत्सुक हमारे अन्तःकरण पर स्वच्छन्द जीवन-क्रम का प्रकाश पड़ा और उससे हमारे नेत्र चौंधिया गये।

अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इसी प्रकार का और एक दिन आया था। उस समय पोप कवि की गंभीर और व्यवस्थित रचना पद्धति पिछड़ गई और उसके स्थान पर फ्रेंच राज्य-क्रांति कारकों के नृत्य के समान उच्छृंखल और मदोन्मत्त रचना शुरू हुई। ऐसी रचना का मूल प्रवर्त्तक वायरन था। इसके काव्यों की उत्तान-विकारवशता से, घूंघट डालकर बैठी हुई हमारे मन रूपी वधू का अन्तःकरण भी खलवला उठा था।

इस प्रकार हाथ धोकर अंग्रेजी साहित्य के पीछे पडने से जो खलवली मची, उसने उन दिनों के तरुणों के अन्तःकरण पर अपना प्रभाव जमा लिया। मेरे पर तो उसका प्रहार चारों ओर से हो रहा था। मनुष्य मूढ़ावस्था से जब जागृत अवस्था में पहले पहल आता है, तब उत्साह का पूर इसी प्रकार आया करता है। यही साधारण स्थिति है। उत्साह रूपी जल का सूख जाना साहजिक अवस्था नहीं कही जा सकती।

इतने पर भी हमारी स्थिति यूरोप की स्थिति से बिलकुल भिन्न थी। वहां दासत्व के ज्ञान से उत्पन्न हुए क्षोभ और उससे मुक्त होने की अधीरता को इतिहास

में स्थान मिल चुका था। उसपर से वहाँ के साहित्य में भी ये बातें प्रतिध्वनित हुई थीं और साहित्य की इस आवाज का मनोभावना से सम्बन्ध हो चुका था। तूफान आया था, इसीलिये उसकी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। इस तूफान के एक हलके से धक्के ने हमारा जगत भी क्षुब्ध कर डाला था। इस धक्के में भी वही ध्वनि थी, परन्तु इतनी बारीक थी कि उससे हमारा सतोष नहीं होता था। अत हम झंझावात के महान झोंकों का अनुकरण करने लगे। हमारे इन प्रयत्नों का पर्यवसान सहजरी या अतिशयोक्ति में हो गया। हमारे मन की यह रुख आज भी हमें खींचे बैठी है और इससे मुक्त होना कोई सरल बात नहीं है।

पूर्णत्व को पहुंची हुई कला में जो मुग्धता दिखलाई पड़ती है, वह अंग्रेजी साहित्य में अभी तक नहीं आई। अंग्रेजी साहित्य की यह कमी हमारे उक्त विधान की साक्षी में पेश की जा सकती है। साहित्य की साधन-सामग्री नाना प्रकार की हुआ करती है। उनमें मानवीय भावना भी एक साधन ही है, वह अन्तिम साध्य नहीं, परन्तु अंग्रेजी साहित्य को अभी तक यह सिद्धांत पूर्णतया मान्य नहीं है।

बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक हमारा मन अंग्रेजी साहित्य के रंग-ढंग के साथ बढ़ता रहता है। अंग्रेजी साहित्य का ही खाद और उसी का पानी। जिन यूरोपीय भाषाओं की ओर देखने पर हम कह सकते हैं कि वे अधिक उन्नत हैं, उन्हीं लेटिन, ग्रीक आदि प्राचीन और फ्रैंच आदि अर्वाचीन भाषाओं का हम अभ्यास नहीं करते। इसपर से मेरा तो यह मत है कि साहित्य के वास्तविक ध्येय और उसकी योग्य कार्य पद्धति के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने की अभी योग्यता भी हममें नहीं आ पाई है।

हमारे मन में अंग्रेजी साहित्य की अभिरुचि और उसके पठन-पाठन की लालसा उत्पन्न करने वाले अक्षय बाबू स्वतः विकारपूर्ण जीवन के भक्त थे। मनोभावना उत्पन्न होने की अपेक्षा उस भावना को सत्यता का प्रत्यक्ष अनुभव होना, वे महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। यही कारण था, जो धर्म के सम्बन्ध में तो उनमें बौद्धिक आदर नहीं था, परन्तु 'श्यामा' (काली माता) के पद सुनने से उनकी आँखों में आंसू भर आते थे। फिर चाहे काली माता का सत्य स्वरूप किसी भी प्रकार का क्यों न हो। बात यह थी कि जो-जो बातें उनके मन को विकृत कर सकती थीं, वे बातें उन्हें उतने समय के लिए सत्य प्रतीत हुआ करती थीं। प्रत्यक्ष दिखलाई पड़नेवाली भूलों का भी उनपर कोई प्रभाव नहीं होता था।

उस समय के अंग्रेजी गद्य साहित्य का 'नास्तिकता' एक प्रधान लक्षण था। बेंथम, मिल, कोम्ट, यह उस समय के प्रसिद्ध और आदरणीय ग्रन्थकार थे। हमारे

युवकों की सब दारमदार इन्हीं की विचार-प्रमाणी पर निर्भर थी। प्रायः उन्हीं की युक्तियां लेकर हमारे युवक गण वाद-विवाद किया करते थे। तत्ववेत्ता 'मिल' का युग अंग्रेजी साहित्य का एक स्वतंत्र 'काल विभाग' है। वह राजकीय पद्धति की प्रतिक्रिया का काल था। वर्षों से संचित, हीन विचारों को निकालकर फेंकने के लिए मिल, बेंथम, कोम्ट आदि साहित्य वीरों का जन्म हुआ था। उनके ग्रन्थों में विध्व-सन शक्ति का काफी संचार था। हमने अपने देश में इस विध्वंसन शक्ति का पुस्तकीय ज्ञान के समान तो उपयोग कर लिया, परन्तु व्यवहार में हमने उसके उपयोग का बिलकुल प्रयत्न नहीं किया। अपने नीति तत्वों के भारी जुएं को नीचे डाल देने का आवेश उत्पन्न करने के ही लिये हम उत्तेजक औषधियों के समान उसका उपयोग कर लिया करते थे। इसलिये उन्माद उत्पन्न करने के काम में इन नास्तिक भावनाओं का उपयोग हुआ।

इन कारणों से उस समय के सुशिक्षित लोगों के प्रायः दो भाग हो गये थे। एक दल तो ऐसा था जो ईश्वरीय श्रद्धा को जड-मूल से उखाड़ फेंकना चाहता था और सदा वाद-विवाद के शस्त्रास्त्र के लिए बैठा रहता था। इसकी स्थिति पारधियों (शिकारियों) के समान थी। जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर अथवा नीचे शिकार देखते ही शिकारी के हाथों में खुजली चलने लगती है उसी प्रकार ईश्वर पर विश्वास रखने वाले मनुष्य को देखते ही वे अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगते थे। वे इस प्रकार के झूठे विश्वास को नष्ट कर देना अपना कर्तव्य कर्म माना करते थे और इसलिए ऐसे अवसरों पर हमारे इन वीरों में अधिक स्फूर्ति आ जाया करती थी। वे वाद-विवाद के लिए मौका ही ढूंढा करते थे। कुछ दिनों तक हमारे यहां भी घर पर पढ़ाने के लिए ऐसे ही एक शिक्षक आया करते थे। उन्हें भी वाद-विवाद अत्यन्त प्रिय था। उन दिनों मैं बालक ही था तो भी उनकी चंगुल से मैं छूट नहीं सका। वे कोई बड़े विद्वान थे अथवा बड़े उत्साह और प्रयत्नों के द्वारा कुछ वर्षों के अनुभव और श्रम से उन्होंने इस (ईश्वर के नास्तिकत्व) पर विश्वास किया हो, सो कुछ नहीं था। प्रत्युत वे केवल दूसरे लोगों के मत की पुनरुक्ति मात्र किया करते थे। हम दोनों की अवस्था में बहुत अन्तर होने के कारण हम दोनों समान प्रतिस्पर्धी नहीं थे, तो भी मैं अपनी सम्पूर्ण शक्ति एकत्रित कर उनपर आक्रमण किया करता था, परन्तु अंत में मुझे ही पराजित होना पड़ता। इससे मेरी जो मानहानि होती, उसका मुझे अत्यन्त दुख होता और कभी-कभी तो मैं रोने तक लगता था।

शिक्षितों का दूसरा दल भी ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाला तो नहीं था, पर धार्मिक बातों में मजा मानने वाला और चैन करने वाला था। वे लोग एक स्थान

पर इकट्ठे होकर धार्मिक विधियों के बहाने आल्हादकारक दर्शनीय वस्तुएं, कर्ण मनोहर ध्वनि और इत्र आदि की सुगंध आदि बातों में मग्न हो जाते थे। पूजन की भरपूर सामग्री ये लोग इकट्ठी किया करते और उसी को सर्वस्व समझकर उसी में तल्लीन हो जाते थे। इन दोनों प्रकार के लोगों को ईश्वर अस्तित्व में जो संदेह था, वह परिश्रमपूर्वक तत्व-संशोधन करने के बाद उत्पन्न नहीं हुआ था। प्रत्युत वह दूसरों के मतो का अनुवाद मात्र था।

धार्मिक रूढ़ियों का इस प्रकार अपमान होता देखकर मैं मन में कुढ़ा करता था, परन्तु इस पर से मैं यह नहीं कह सकता कि उन बातों का मुझपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तारुण्य के साथ-साथ बौद्धिक उन्मत्तता और उसी के साथ रूढ़ियों को तोड़ने की प्रेरणा भी मेरे मन में उत्पन्न हुई। हमारे घर में जो उपासना हुआ करती थी, उससे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता था। मैंने अपने उपयोग के लिए उन्हें स्वीकार नहीं किया था। मैं अपने मनोविकार रूपी भट्टी से एक ऊंची ज्वाला उत्पन्न करने में तल्लीन हो रहा था। इसी ज्वाला को बढ़ाने के लिए आहुति देने के सिवाय मेरा कोई ध्येय नहीं था और मेरे परिश्रम के आगे कोई निर्दिष्ट ध्येय न होने के कारण उन परिश्रमों की कुछ सीमा भी निश्चित नहीं थी। यह एक नियम ही है कि नियत सीमा का सदा अतिक्रमण हुआ करता है।

धर्म की जो दशा थी वही मेरे अन्तःकरण की वृत्ति की भी थी। जिस प्रकार धर्म के अस्तित्व अथवा नास्तित्व की इमारत के लिए मुझे सत्य के पाये की जरूरत नहीं मालूम देती थी, उसी तरह अन्तःकरण की वृत्ति के लिए भी सत्य-तत्वों के आधार की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती थी। भावनाओं में क्षोभ होना अथवा उनका प्रज्वलित होना ही एक मात्र मेरा ध्येय था।

वास्तव में देखा जाय तो हृदय को इस प्रकार बेचैन होने का कोई कारण नहीं है और न कोई बेचैन होने के लिए उस पर जबरदस्ती ही करता है। यद्यपि यह ठीक है कि कोई जान-बूझकर अपने आपको दुखी बनाना नहीं चाहता, परन्तु दुख की तीव्रता कम कर देने से वह भी रुचिकर मालूम देने लगता है। हमारे कवि, परमेश्वर की जिस उपासना में निमग्न हो गये थे, उसमें उन्होंने ईश्वर को एक ओर रखकर दुख में रहे हुए स्वाद को ही बहुत महत्व दे दिया है और अभी तक हमारा देश इस अवस्था से मुक्त नहीं हो पाया है। परिणाम यह होता है कि जब हमें धर्म तत्वों के ढूंढने में सफलता नहीं मिलती, तब हम धर्म सम्बन्धी आचार-विचारों पर ही अवलम्बित रह जाते हैं और उसी पर अपनी तृषा बुझा लेते हैं। मातृभूमि की सेवा भी हमारी धर्म पर रही हुई श्रद्धा के ही समान है। हमारे देशाभिमान-संबंधी कई कार्यों को मातृभूमि की सेवा का रूप नहीं दिया जा सकता। वे तो हमारे मन की चाह को पूरा करने के लिए अपने आपको प्रवृत्त करने की एक क्रिया मात्र हैं।

२७

यूरोपियन संगीत

जब मैं ब्रायटन में था, तब एक बार किसी संगीत नाटक में स्त्री पात्र का गायन सुनने गया था। इस स्त्री का नाम मुझे अच्छी तरह स्मरण नहीं है। संभवतः उसका नाम मेडम वेल्सन अथवा अल्बनी था। इससे पहिले अपनी आवाज पर इस प्रकार का प्रभुत्व मैंने किसी में नहीं देखा था। हमारे यहां के अच्छे से अच्छे गवैये भी अपने आलाप सम्बन्धी परिश्रम को प्रकट होने से रोकने में असमर्थ होते हैं। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि आलाप बिना परिश्रम के सहज रीति से लिया जा रहा है। वे निश्चित क्रम के विरूद्ध बिना कठिनाई के ऊंचा नीचा स्वर निकाला करते हैं और जानकार लोगों को भी उसमें कोई हानि प्रतीत नहीं होती, क्योंकि हमारे यहां यह धारणा है कि ठीक ठीक राग-रागिनी में बैठाई हुई चीज यदि उस राग-रागिनी में गाई जाय तो आवाज के उतार चढ़ाव या हाव भाव की न्यूनाधिकता का ऐसा कोई अधिक महत्व नहीं है। प्रत्युत कभी-कभी तो यह मत भी प्रतिपादन किया जाता है कि ऐसे तुच्छ दोषों के कारण तो उस चीज (गायन) की अन्तरंग रचना अधिक प्रकाशमान हो जाती है। संभवतः इसी नियम के अनुसार वैराग्य के राजा महादेव के अन्तरंग की महत्ता दिगंबर वृत्ति के कारण अधिक प्रकाशित होती होगी।

परन्तु यूरोप में यह बात नहीं है। वहां तो बाह्य ठाठ-बाट में जरा भी न्यूनता नहीं दिखलाई पड़ने देने की प्रवृत्ति है। तुच्छ से तुच्छ भूल पर भी वहां क्षमा प्रदान करने की पद्धति नहीं है। जरा चूके कि श्रोतृ समुदाय ने दिल्लगी उड़ाई। उस समय गाने वाले पर जो हवाइयां उड़ने लगती हैं, वे देखने लायक

होती हैं। हमारे यहां गाने की मजलिश में तंबूरे या सारंगी के तार ठीक करने, तबला या मृदंग को हथौड़ी से ठोकने पीटने, आदि में यदि घंटा-आध घंटा ले लिया जाय तो उसमें किसी को कुछ भी ऐतराज नहीं होता, परन्तु यूरोप में यह सब बातें पहले ही ठीक-ठाक करली जाती हैं। देखने वालों के आगे यह बातें नहीं होतीं। पर्दे के भीतर सब हो जाना चाहिए। देखने वालों के आगे तो जो कुछ भी किया जाय सब निर्दोष होना चाहिए, ऐसी वहाँ की प्रथा है। हमारे देश में राग ताल आदि संभाल कर ठीक-ठीक गाना ही मुख्य ध्येय माना जाता है, परन्तु यूरोप में सारा दारोमदार आवाज के ऊपर निर्भर है। वहाँ आवाज को कमाया जाता है। इसलिए कभी-कभी वे अशक्य प्रकार की आवाज भी निकाल सकते हैं। हमारे देश में हम गाना सुनने जाते हैं और ठीक ठीक राग में गाना सुनकर प्रसन्न होते हैं, पर यूरोप निवासी आवाज सुनने जाते हैं। वहाँ गाने को महत्व नहीं है, किन्तु कमाई हुई आवाज को है।

ब्रायटन में भी मैंने यही देखा। गाने और सरकस में मुझे कुछ भी अन्तर दिखलाई नहीं पड़ा। यद्यपि वहां उस गाने की मैंने प्रशंसा की थी; परन्तु उसका स्वाद मुझे कुछ नहीं आया। कोई-कोई आलाप तो मुझे पक्षियों की किलकारी के समान प्रतीत होता था। उस समय मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकता था। मैं इसे मानवीय आवाज का दुरुपयोग समझता था। उस गायिका के बाद एक गवैये ने गाया। वह मुझे कुछ ठीक मालूम हुआ। उस गायन में मुझे मध्यम सप्तक का स्वर विशेष रुचिकर मालूम पड़ा, क्योंकि वही कुछ मनुष्य की आवाज से मिलता जुलता था।

इसके बाद ज्यों-ज्यों मैं यूरोपियन संगीत सुनने लगा, त्यों-त्यों उस का मर्म मुझे मालूम होने लगा। परन्तु आज भी मेरी यही धारणा है कि यूरोप का संगीत और भारतीय संगीत एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और वे दोनों एक ही मार्ग से जाकर हृदय तक नहीं पहुंच सकते।

यूरोपियन लोगों के आदिभौतिक व्यवहारों से उनका संगीत प्रायः एकमेक हो गया है। उनके नाना प्रकारों के जीवन-व्यवहार के समान गायन सम्बन्धी विषय भी नाना प्रकार के हैं, परन्तु हमारे यहां यह बात नहीं है। यदि हम चाहें जिस विषय के गाने बनाकर अपनी रागिनी में गाने लग जांय तो उन रागों का प्रयोजन ही नष्ट हो जायगा, और वह एक हास्यजनक दशा होगी। इसका कारण यह है कि हमारी राग-रागिनियां व्यवहारातीत हैं। नित्य नैमित्तिक व्यवहार उन्हें सारहीन मालूम होते हैं। इसलिए वे (राग रागनियाँ) कारुण्य अथवा विरक्ति जैसी उदार भावनाओं को जन्म दे सकती हैं। उनका कार्य आत्मा के अव्यक्त, अज्ञेय और दुर्भेद्य

रहस्य का चित्र तैयार करना है। हमारे रागों को गाते-गाते गवैये का मन इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे फिर वनवास ही सूझता है और संकटग्रस्त मनुष्य समझने लगता है कि मेरी विनती से परमात्मा रीझ गया और मुझे प्राप्त हो गया है। हमारी राग रागनियों में ऐसी ऐसी भावनाओं को बहुत सुभीता प्राप्त है और उनमें से इन्हीं का आलाप निकलता है। हाँ, उनमें यदि किसी को स्थान प्राप्त नहीं है तो काम काज में गड़े हुए, मात्र संसारी मनुष्य को।

मैं यह बात मंजूर नहीं कर सकता कि मुझे यूरोपियन संगीत के आंतरिक रहस्य का परिचय प्राप्त हो चुका है। यद्यपि मैं उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर सका तो भी बाह्य रूप पर से मैं जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर सका उसने मुझे एक बात में तो मोहित कर लिया है। यूरोपियन संगीत मुझे अद्‌भुत रस-प्रचुर मालूम हुआ। जिस कारण से मैंने यहाँ "अद्‌भुत रस प्रचुर" शब्द का उपयोग किया है, उसका स्पष्टीकरण करना कठिन है। मै ज्यादह से ज्यादह यही कह सकता हूं कि यूरोपियन गायन के अमुक अमुक अंग हैं। बहु विधता, विपुलता, और संसार सागरों की लहरों तथा अखंड रूप से आन्दोलित होने वाले पूर पर फैले हुए परिवर्तनशील प्रकाश और छाया, यह उसका एक अङ्ग है। इसके साथ साथ दूसरा अंग है जो इससे सर्वथा ही भिन्न है। वह है—विस्तृत फैला हुआ आकाश, उसका नीला रंग, दूर दिखलाई पड़ने वाले क्षितिज की वर्तुलाकृति, और उसका चुपचाप विश्व की अनंतता की ओर इशारा। मेरे इस कथन में संदिग्धता का दोष भले ही हो, पर मैं यह कह सकता हूं कि जब–जब यूरोपियन गायन से मनोवृत्तियां चंचल हो उठती थीं तब-तब मैं मन ही मन कहने लगता था कि "यह संगीत अद्‌भुत रस प्रचुर है, जीवन की क्षण भंगुरता को गायन में जमा रहा है।"

मेरा यह प्रयोजन नहीं है कि हमारे गायन में ऐसा प्रयत्न नहीं दिखलाई पड़ेगा। हमारे गायन के भी किसी भेद-प्रभेद में इस प्रकार का प्रयत्न थोड़े बहुत अंशों में दिखलाई पड़ेगा। अन्तर इतना ही है कि हमारे यहाँ यूरोपियन संगीत के समान इन बातों को अधिक महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ इन बातों का बहुत कम उल्लेख है और जितना उल्लेख किया गया है उसमें सफलता नहीं मिली है। तारागणों के प्रकाश से प्रकाशित रात्रि में और सूर्य किरणों से आरक्त उषःकाल में हमारे राग गाये जाते हैं। मेघों की कृष्ण छाया में विलीन हो जाने वाले और संपूर्ण आकाश फैले हुए दुखों का और विर्जन वन में भरभर करके बहने वाले झरनों के निःशब्द और मोहित कर लेने वाले माधुर्य का करुण मधुर आलाप उसमें से निकला करता है।

— — —

२८

वाल्मीकी-प्रतिभा

मूर की आयरिश रागों की एक सचित्र पुस्तक हमारे पास थी। आनन्द में बेहोश होकर अक्षय बाबू जब इन रागों को छेड़ते तो मैं कई बार उन्हें बैठा-बैठा सुना करता था। इस पुस्तक में कविताएं सचित्र थीं। इन चित्रों की सहायता से मैं अपने मन ही मन जादू के समान, प्राचीन आयर्लैंड का स्वप्न चित्र देखा करता था। उस समय तक मैं इन रागों को अच्छी तरह सुन नहीं पाया था। पुस्तक में जो सादगी का चित्र था, उसी के सहारे यह राग मैंने मन-ही-मन गाया था। हां, मेरी उत्कंठ इच्छा जरूर थी कि आयर्लैंड की इन रागों को ठीक तौर से सुनूं, सीखूं और फिर अक्षय बाबू को भी सुनाऊं। जीवन में कुछ इच्छाएं अपने दुर्दैव से पूरी होती और पूरे होते होते ही नष्ट भी हो जाती हैं। विलायत जाने पर कुछ आयरिश रागों को सुनने का मुझे अवसर मिला। उन्हें मैंने सीखा भी। परिणाम यह हुआ कि मैंने जितने राग सीखे, उनसे ज्यादह सीखने का फिर उत्साह नहीं हुआ। यद्यपि यह ठीक है कि मेरे सीखे हुए राग सादे प्रेमपूर्ण, मीठे और करुण-रस-पूरित थे। परन्तु मैंने अपनी स्वप्न सृष्टि के द्वारा पुरातन आयर्लैंड के किसी दीवानखाने में जो गाने सुने थे उनसे इनका मेल नहीं बैठ सका।

जब मैं भारतवर्ष में लौट आया तो मैंने अपने मित्र मंडल को आयरिश गायन सुनाया। उसे सुनकर वे कहने लगे कि 'रवि' की आवाज कैसी हो गई। बड़ी विचित्र और विदेशी सी मालूम होती है। मेरा स्वर भी उन्हें बदला हुआ मालूम पड़ा।

इस प्रकार देशी विदेशी गायन का मुझमें बीजारोपण हुआ। 'वाल्मीकि प्रतिभा' नामक नाटिका इसी बीजारोपण का फल था। इस नाटक में बहुत से गायन भारतीय हैं, परन्तु उनमें वह उदात्त रस नहीं है जो अनादिकाल से हमारे भारत में

चला आ रहा है। गगन प्रदेश में ऊंचे ऊंचे चढ़कर उड़ने वाली वस्तुओं को इस नाटिका में पृथ्वीतल पर बलात् दौडाया गया है। जिसने यह नाटिका देखी होगी या उसके गायन सुने होंगे, मुझे विश्वास है कि वह कभी उन गायनों को भारतीय संगीत के लिए लज्जाजनक या निरुपयोगी नहीं समझेगा। देशी विदेशी गायनों का मिश्रण ही इस नाटिका का विशेष गुण है। राग रागनियों की शृंखला का मनमाना उपयोग करने के उत्साह ने मुझे पागल बना दिया था। 'वाल्मीकि प्रतिभा' के कुछ गायन पहले पहल शुद्ध भारतीय रागों में बनाये गये थे। इनमें कुछ गायन मेरे भाई ज्योतिरिंद्र ने रचे थे। कुछ गायन यूरोपियन राग में बनाये गये थे। भारतवर्ष में "तिल्लाना" राग का नाटक में बहुत उपयोग किया जाता है। अतः इस नाटिका में भी इस राग का खूब उपयोग किया गया है। मदिरा के नशे में मस्त लुटेरों के गाने के दो पद हैं। इनके लिए अंग्रेजी राग उचित समझा गया और वन देवता के शोकोद्गार प्रगट करने के लिए आयरिश राग का अच्छा उपयोग हुआ।

'वाल्मीकि प्रतिभा' केवल बांचकर समझने योग्य नाटक नहीं है। बिना गाए या रंगभूमि पर बिना सुने उसके गायनों से कोई रस प्राप्त नहीं होता। यूरोपियन लोग जिसे "ऑपेरा" कहते हैं वह यह नहीं है। यह तो एक छोटा सा पद्यमय नाटक है। प्रयोजन यह है कि यह कोई काव्य नहीं है। काव्य-दृष्टि से विचार करने पर इसके बहुत थोड़े गायन महत्वपूर्ण या रमणीय मालूम होंगे। नाटक में सगीत का काम पूरा करना, इतना ही इसका उपयोग है, अधिक नहीं।

विलायत जाने के पहिले हम अपने घर पर समय-समय पर साहित्य प्रेमी लोगों के सम्मेलन किया करते थे। इन सम्मेलनों में गाना बजाना, व्याख्यान देना और फिर कुछ खाना-पीना हुआ करता था। मेरे विलायत से आने पर ऐसा एक ही सम्मेलन हुआ और वह भी आखिरी ही था। इसी सम्मेलन में प्रयोग करने के लिए मैंने यह 'वाल्मीकि प्रतिभा" नाटिका लिखी थी। इसके प्रयोग में मैंने यह "वाल्मीकि" का रूप धारण किया था और मेरी भतीजी 'प्रतिभा' ने सरस्वती का। इसप्रकार से उसका नाम नाटक के नाम से संलग्न हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर के एक ग्रन्थ में मैंने पढ़ा था कि भाषण पर मनोविकारों का प्रभाव पड़ने पर, उसमें से ताल-स्वर अपने ही आप उत्पन्न होने लगते हैं। यह ताल स्वर भी शब्द के समान ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रेम, द्वेष, दुख, आनन्द, आश्चर्य आदि विकारों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य को अपनी आवाज में फर्क करना पड़ता है और इस कला में उन्नति करते करते ही मनुष्य ने संगीत शास्त्र को ढूंढ निकाला

है। हर्बर्ट स्पेंसर की इस कल्पना ने मुझपर भी असर किया और मैं विचार करने लगा कि गद्य-पद्यमय नाटक क्यों न तैयार किया जाय। हमारे कथाकार थोड़े बहुत अंशों में यह काम किया करते हैं। वे विषय निरूपण करते-करते बीच में ही गाने भी लग जाते हैं। इस प्रकार के भाषण पद्यमय भाषण कहे जा सकते हैं। इनमें राग-रागिनी, ताल वगैरह कुछ नहीं होता। केवल स्वर बदलता रहता है और तुक मिलाने पर ध्यान रखा जाता है। बेतुकी कविता, तुकवाली कविता की अपेक्षा अधिक ढीली-ढाली होती है, परन्तु इस प्रकार के भाषणों में तो तुकवाली कविता भी काफी ढीलीढाली हुआ करती है। वहां राग रागिनियों के कठिन नियम पालने अथवा ताल स्वर मिलाने का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि केवल मनोविकारों को व्यक्त करने का ही एक मात्र ध्येय रहता है और उससे श्रोताओं को भी कुछ बुरा नहीं मालूम होता।

'वाल्मीकि प्रतिभा' में जो इस प्रकार का नवीन उपक्रम किया गया था, उसमें सफलता भी प्राप्त हुई थी। इसीलिये फिर एक दूसरी नाटिका लिखी। इसका नाम था 'काल मृगया'। रामायण में एक कथा है कि एक बार दशरथ राजा शिकार खेलने गए थे। वहां उन्होंने भूल से शिकार की जगह एक ऋषि के एक मात्र पुत्र को मार दिया। इसी कथा के आधार पर यह नाटिका लिखी गई थी। हमने अपनी छत पर एक स्टेज खडा करके इस नाटिका का प्रयोग किया। इसे देखकर प्रेक्षक लोग करुण रस के प्रवाह में बहने लगे। पीछे से इस नाटिका में कुछ परिवर्तन किए गए और इसका बहुत सा हिस्सा 'वाल्मीकि प्रतिभा' में शामिल कर लिया गया। अतएव यह नाटिका स्वतंत्र रूप से छपकर प्रकाशित न हो सकी।

बहुत समय बाद 'माया का खेल' नामक एक तीसरी नाटिका मैंने लिखी। यह उक्त दोनों से एक भिन्न ही प्रकार की थी। इसमें पद्यों को अधिक महत्व दिया गया था। पहिली दोनों नाटिकाओं में पद्यों के बगीचे में नाट्य प्रसंग की माला गूंथी गई थी और इसमें नाटिका के विधानक में पद्य पुष्पों की माला। इसका मुख्य ध्येय अभिनय नहीं, भावना था। वास्तव में पूछा जाय तो मेरा मन यह नाटिका लिखते समय संगीतमय हो गया था।

'वाल्मीकि प्रतिभा' और 'काल मृगया'—ये दोनों नाटिकाएं लिखते समय मेरे में जो उत्साह था, वह दूसरी किसी भी पुस्तक लिखते समय मुझे अपने में प्रतीत नहीं हुआ। इसका कारण यही कहा जा सकता है कि ये दोनों नाटिकाएं उस समय के संगीत को उत्पन्न करने वाली प्रेरणा का दृश्य फल ही हैं।

नवीन बात को प्रचलित करने आनंदातिरेक के कारण ही ये दोनों नाटिकाएं लिखी गईं। इनके लिखते समय गानों की शुद्धता, अशुद्धता, राग-रागनियों का देशी, विदेशीपन आदि बातों पर ध्यान नहीं रखा गया। मैं तो उत्साहपूर्वक शीघ्रता के साथ इन्हें लिखता ही चला गया।

मैंने ऐसे बहुत से अवसर देखे हैं, जिन पर मेरे लेख अथवा मेरे मत से बंगला भाषा के पाठकों का मन व्याकुल हो जाता था। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि संगीत संबंधी रूढ़िग्रस्त कल्पनाओं को मेरे धैर्यपूर्वक धुतकार बता देने पर वे कुछ भी विचलित नहीं हुए। प्रत्युत मेरे नये तरह के गानों को सुनकर वे प्रसन्न हुआ करते थे। 'वाल्मीकि प्रतिभा' में सब गाने मेरे स्वतः के बनाये हुए नहीं हैं। कुछ गाने अक्षय बाबू ने भी बनाये थे और कुछ 'बिहारी चक्रवर्ती' की 'शरद मंगल माला' के पद्यों के रूपान्तर हैं।

इस पद्यमय नाटिका का प्रयोग करके दिखाने में मेरा ही मुख्य अंग था। बाल्यावस्था से ही अभिनय की ओर मेरी अभिरुचि थी और इसी ओर मेरा विशेष ध्यान भी था। मैंने अपनी इस अभिरुचि की सकारणता प्रमाणपूर्वक सिद्ध कर दी है। इससे पहिले मैंने सिर्फ एक ही बार अपने भाई ज्योतिरिंद्र के लिखे हुए एक प्रहसन के अभिनय के समय 'अलील बाबू' का पार्ट लिया था। इसलिये 'वाल्मीकि प्रतिभा' का अभिनय मेरे लिये करीब करीब नया ही प्रयोग था। उस समय मैं बहुत ही छोटा था। इसलिये मुझे कोई कष्ट नहीं मालूम हुआ।

उन दिनों हमारे घर में संगीत का झरना ही बह रहा था। उसके आस-पास उड़ने वाले तुषार बिन्दु हमारे अंतरंग में इन्द्रधनुष के रंग के समान सप्त स्वर प्रतिबिंबित किया करते थे। जब हमने तरुणावस्था में प्रवेश किया, तब एक प्रकार का नवीन उत्साह उत्पन्न हुआ और 'जिज्ञासा' ने और भी वृद्धि की।

चारों ओर से नये-नये मार्ग सूझने लगे प्रत्येक बात का अनुभव प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करने की इच्छा होने लगी। हमें कोई भी बात असम्भव नहीं दिखलाई पड़ती थी। कोई भी काम हाथ में लेने पर उसमें सफलता सामने खड़ी दिखाई पड़ती थी। लिखते, गाते, अनिभय करते उत्साह का पूर आ गया था। ऐसी दशा में मैंने बीसवें वर्ष में प्रवेश किया।

हमारे जीवन रूपी रथ को इतनी सफलता के साथ दौड़ाने वाले सामर्थ्य रूपी घोड़ों का मेरा भाई ज्योतिरिंद्र सारथी था। वह किसी से भी डरने वाला न था। यह भी कहा जा सकता है कि इसके कोश में भय नामक शब्द ही नहीं था। मैं

बाल्यावस्था में कभी घोड़े पर नहीं बैठा था। एक बार उसने अपने आगे मुझे घोड़े पर बिठला कर उसे खूब दौड़ाया। उस समय मुझे किसी प्रकार का डर नहीं मालूम हुआ। इन्हीं दिनों में हम अपनी जमींदारी के मुख्य स्थान 'शेलिडा' में थे। वहाँ आस-पास शेर होने के समाचार आये। फिर ज्योतिरिंद्र के उत्साह का क्या पूछना ? उसने तुरंत ही शिकार के लिए जाने की तैयारी की। मुझे भी अपने साथ ले लिया। मेरे पास बंदूक नहीं थी, पर यह अच्छा ही था, क्योंकि वह सिंह की अपेक्षा मेरे ही लिये अधिक भयदायक होती। जंगल के पास पहुंच कर हमने अपने जूते उतारे और नंगे पांव जंगल में घुसे। अंत में बांस के एक जाले में हम घुसे। उसके बीच की कटीली शाखाएं नष्ट हो गई थीं, इसलिए हमारे खड़े होने योग्य उसमें जगह थी। अपने भाई के पीछे मैं खड़ा हो गया। यदि उस हिंस्र पशु ने मुझपर अपने प्राणघातक पंजों का प्रहार किया होता तो उसे मारने के लिए मेरे पास जूते तक नहीं थे।

इस प्रकार मेरे भाई ने मुझे अंतर्बाह्य स्वतंत्रता दे रखी थी। किसी भी भयदायक कार्य में वह मेरी सार-संभाल नहीं करता था, चाहे जो करने के लिए मैं स्वतंत्र था। कोई भी रूढ़ि उसे अपने बंधन में नहीं बांध सकती थी। वह बड़ा साहसी था। इसलिए वह मेरा डरपोकपन और अपने संबध का अविश्वास दूर करने में पूर्ण समर्थ था।

— - ——

२९

संध्या-संगीत

जिस समय का मैं विवरण लिख रहा हूं, उन दिनों मैं कविता लिखने में व्यस्त हो रहा था और बहुत सी कविताएं लिख डाली थीं। 'मोहित बाबू' ने मेरी जो फुटकर कविताएं प्रसिद्ध की हैं, इनमें ये कविताएं 'हृदयवन' के नाम से संग्रहीत हैं। 'प्रभात-संगीत' के नाम से मेरी जो कविताएं प्रसिद्ध हुईं, उनमें एक कविता है, उसी कविता पर से 'हृदय-वन' नाम रखा गया था।

वाह्य जगत से मेरा संबंध था ही नहीं और इस कारण मैं उससे पूर्णतया अपरिचित था। अपने हृदय के चिंतन में मैं निमग्न हो गया था। कारण रहित मनोविकार और ध्येय रहित आकांक्षा, इन दोनों के बीच में मेरी कल्पना संचार किया करती थी। ऐसी अवस्था में मैंने जो कुछ रचना की, उसमें से बहुत सी रचनाएं 'मोहित बाबू' द्वारा प्रकाशित पुस्तक में नहीं छापी गईं। इस पुस्तक में 'संध्या संगीत' शीर्षक से प्रकाशित कविताओं में से थोड़ी सी कविताएं 'हृदय-वन' नाम से उधृत की गई हैं।

मेरे भाई ज्योतिरिंद्र और उनकी धर्म पत्नी एक बार लंबे प्रवास को गये थे। उस समय उनके कमरे मय सामने की गच्ची के खाली पड़े थे। मैंने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया और एकान्त में अपना समय मैं व्यतीत करने लगा। उस समय अपने आप की ही संगति मुझे प्राप्त थी। ऐसी अवस्था में भी मैं अपने परम्परागत और आज तक चले आये हुए काव्य रचना के व्यवसाय से क्यों पराङ्मुख हो गया? यह बतलाने में मैं असमर्थ हूं। संभव है कि जिन्हें मैं प्रसन्न करना चाहता था और जिनकी काव्य रुचि के अनुसार मेरे विचारों का रूप

घड़ा गया था, उनसे पृथक हो जाने के ही कारण उनके द्वारा लादे हुए काव्य रचना व्यवसाय से भी मैं परावृत्त हो गया होऊं ?

काव्य-रचना के लिये उन दिनों मैं स्लेट पट्टी का उपयोग किया करता था। काव्य-रचना के सम्बन्ध से मुक्त होने में मुझे इन चीजों की भी सहायता हुई। पहिले मैं अपनी कविता जिस पोथी में लिखा करता था, सम्भवत. उसे कवि (मेरी) कल्पना की उड़ान पसंद थी। तभी उस पोथी को प्रसन्न करने के लिए, दूसरो से अपनी तुलना करते हुए मैं काव्य-रचना किया करता था। परन्तु इस समय की मेरी मन:स्थिति के योग्य स्लेट पट्टी ही थी। इस समय मुझे मालूम होता था कि स्लेट-पट्टी मुझसे कह रही है—'अरे ! डरता क्यों है ? जो मन में आवे सो लिख ! एक बार हाथ फिराया कि साफ ! डरने का कोई कारण ही नहीं है।

इस प्रकार बंधनमुक्त होने पर मैंने खुले मन से एक दो कवितायें बनाई। उनसे मुझे भीतर ही भीतर बड़ा संतोष हुआ और मेरा हृदय कहने लगा कि 'मैं जो कुछ रचता हूं, वह मेरा है।" इसे कोई आत्माश्लाघा न समझे। वास्तव में तो मुझे अपनी पहली कृतियों का ही अभिमान था। उन कृतियों से उऋण होने के लिए मेरे पास सिवय अभिमान के दूसरा था ही क्या ? अपने आप का परिचय हो जाना कुछ कृतकृत्यता नहीं है। पहिले बालक के जन्म पर माता-पिताओं को जो आनन्द होता है, वह उसके जन्म के कारण नहीं, प्रत्युत वह बालक उनके हाड मांस का होता है, इसलिए आनंद होता है और आगे जाकर वह बालक यदि कोई अलौकिक व्यक्ति निकला तो उसके लिए भी उन्हें अभिमान जरूर होता है, परन्तु वह दूसरे प्रकार का होता है। काव्य रूपी अपनी कृति के सम्बन्ध में मेरी भी यही दशा थी।

इस समय अपनी कविता के श्रेष्ठत्वजन्य आनंद के कारण मैं यमकों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। जिस प्रकार कोई-कोई जल-प्रवाह सीधा न बहकर सर्पाकृति के समान टेढ़ा, तिरछा बहता है, उसी प्रकार मेरे कवित्व के प्रवाह की भी दशा थी। इससे पहिले मैं यमकहीन काव्य-रचना को अपराध समझा होता, पर अब उसमें मुझे कोई हानि नहीं मालूम होती। स्वतंत्रता पहिले नियमों को नष्ट कर नये नियम बनाती है और यह नये नियम ही उसे (स्वतंत्रता को) सच्चे स्वराज्य की छत्र-छाया में लाते हैं।

छंद-सम्बन्धी नियमों की अवहेलना करके मैं मनमानी तौर पर रचना किया करता था। ऐसी अनूठी कविता सुनने के लिए मुझे उन दिनों एक ही श्रोता

मिले थे। वे थे हमारे पूर्व परिचित अक्षय बाबू। उन्हें मेरी कविता पहले पहल सुनने पर जितना आनन्द हुआ, उतना ही आश्चर्य भी। वह मेरी स्तुति करने लगे। इससे मेरा उत्साह दूना बढ़ गया और मेरी स्वतंत्रता का संकुचित मार्ग अब और विस्तृत हो गया।

विहारी चक्रवर्ती की कविताएं 'तिरताल' राग में थीं। 'द्विताला' की अपेक्षा इस 'तिरताला' का परिणाम एक भिन्न ही प्रकार का हुआ करता है। यह बहुत सहज रीति से गाया जा सकता है। किसी समय मुझे यह राग बहुत पसंद था। इसे सुनते समय ऐसा मालूम होता है कि मानो हम पैदल न चलकर साईकिल पर दौड़े जा रहे हैं। मुझे इस चाल की ही आदत पड़ गई थी, पर न जाने क्यों 'संध्या संगीत' की रचना के समय मुझे यह आदत छोड़ देनी पड़ी। इससे कोई यह न समझ ले कि छन्द के बंधन में मैं जकड़ गया होऊंगा। मैं फिर कोई खास तरह के छंद के बंधन में नहीं पड़ा। 'संध्या संगीत' की रचना के समय मैं अपने आपको स्वतंत्र और बेपर्वाह समझने लगा। रूढि परंपरा को छोड़कर एक नये मार्ग से चलने के कारण कोई अपनी समालोचना करेगा, इसकी मुझे न तो कल्पना ही हुई और न भय ही मालूम पड़ा।

रूढ़ि के बन्धन से मुक्त होकर रचे हुए काव्य से मुझमें जो शक्ति उत्पन्न हुई, उससे मैं यह समझने लगा कि मुझमें जिस चीज का संग्रह था, वह मैं दूसरी ही जगहों पर ढूंढ़ता फिरता था। अपना स्वत्व प्राप्त करने के मार्ग में अपने सामर्थ्य के प्रति अविश्वास के सिवाय दूसरी कोई बात बाधक नहीं होती। अपनी आत्मा को श्रृंखला रहित देखकर मैं अपने आपको गुलामी के स्वप्न से जागृत समझने लगा और अपनी इस स्वतंत्रता का विश्वास करने के ही लिए मैं काव्य-क्षेत्र में लंबी-लंबी और ऊंची-ऊंची उड़ानें भरने लगा।

मेरे काव्य-रचना काल का यह भाग मैं अत्यंत स्मरणीय समझता हूं। काव्य-दृष्टि से शायद मेरे रचे हुए 'संध्या संगीत' हीन दृष्टि के मालूम होंगे और वास्तव में देखा जाय तो उनका रूप है भी ऐसा अटपटा ही। उनके छंद, उनकी भाषा अथवा विचार, किसी को भी निश्चित रूप प्राप्त नहीं हुआ है, पर उनमें एक विशेषता है, वह यह कि मेरे मन में जो कुछ था, वह मैंने अपने मनमाने ढंग से उनमें पहले पहल लिखना प्रारम्भ किया। उन कविताओं का मूल्य भले ही कुछ न हो, पर मैंने अपनी मनोभावनाओं को अपनी इच्छानुसार जो शाब्दिक रूप दिया, उससे मुझे होने वाला आनन्द तो कहीं नहीं गया है।

———

३०

'संगीत' पर निबंध

जब मैं विलायत में था, तब मेरा विचार बेरिस्टरी पढ़ने का था। इतने ही में पिताजी ने मुझे वापिस बुला लिया। मैं लौट आया। विचारपूर्वक निश्चित किया हुआ कार्य बीच में ही छोड़ देना कुछ मित्रों को बहुत अखरा और वे मुझे फिर एक बार विलायत भेजने के लिये पिताजी से आग्रह करने लगे। इनके आग्रह का परिणाम भी हुआ। मैं फिर अपने एक रिश्तेदार के साथ विलायत जाने के लिये घर से निकला। मेरा भाग्य वकील बनने के इतने विरूद्ध था कि पहिले तो मैं विलायत पहुंच भी गया था और कुछ दिन वहाँ रह भी आया था, परन्तु इस बार तो विलायत पहुंच भी नहीं सका। कुछ कारणों से हमें मद्रास से कलकत्ता वापस लौट आना पड़ा। इसमें संदेह नहीं कि लौटने का कारण कोई बड़े महत्व का नहीं था, तो भी हमारे इस व्यवहार पर कोई हँसा नहीं। इसीलिये मैं यहाँ कारण बतलाने की जरूरत भी नहीं समझता। लक्ष्मी के दर्शनों के लिये वकील बनने का मैंने दो बार प्रयत्न किया, परन्तु दोनों ही बार मुझे असफल होना पड़ा। मुझे विश्वास है कि लोग भले ही इस पर कुछ कहें, पर न्याय देवता मुझसे रुष्ट न होंगे। वकील बनकर उनकी लायब्रेरी में एक और अधिक वकील की जो मैं बिना कारण बढ़ती करता, वह नहीं हुई। इस पर वह मेरा ही पक्ष लेंगे और मेरी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखेंगे।

उस समय मेरे पिताजी मंसूरी पर्वत पर गये हुए थे। मैं भी डरते-डरते उनके पास गया। परन्तु उन्होंने नाराजी के कोई चिन्ह नहीं बतलाए। प्रत्युत ऐसा मालूम हुआ कि जो कुछ हुआ उसे वे ठीक ही समझते हैं। संभवतः मेरे लौटने में वे जगन्नियन्ता का कोई उत्तम हेतु ही समझते होंगे।

'बेथुन सोसायटी' की प्रार्थना से मेडिकल कालेज के हाल में मैंने विलायत जाने के पहिले दिन एक निबंध पढ़ा था। इस प्रकार का यह मेरा पहला ही प्रयत्न था। 'रेवरेंड के० एम० बनर्जी' सभापति थे। निबंध का विषय 'संगीत' था। इसमें वादन के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया। इस निबंध में मैंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि शब्द के सच्चे अर्थ को उत्तम रीति से प्रकट करना ही गायन का अंतिम ध्येय है। इस निबंध में अपने विषय का प्रतिपादन बहुत संक्षेप में किया गया था। अपने विषय को विषद करने के लिये प्रारम्भ से अंत तक मैंने अभिनययुक्त गाने गा-गा कर सुनाये। अन्त मे सभापति ने अपने भाषण में मेरी प्रशंसा की। संभवतः इसके कारण मेरी मीठी आवाज, विषय प्रतिपादन सम्बन्धी मेरी उत्सुकता और उदाहरण के लिये अनेक प्रकार के गायनों के चुनने में किया हुआ परिश्रम ये ही होंगे परन्तु आज मुझे स्पष्ट रीति से यह स्वीकार करना चाहिये कि उस दिन इतना उत्सुकता से प्रतिपादन किया हुआ मत भ्रमपूर्ण था।

गायन कला का कार्य और स्वरूप एक विशेष प्रकार का है। जब गायन को शब्द का रूप दिया जाता है, तब शब्दों को अपनी मर्यादा छोड़कर अपने को विशेष महत्वशाली न समझ लेना चाहिये। वे माधुर्य उत्पन्न करने के केवल साधन मात्र हैं गायन के ध्येय नहीं। इसलिये इन्हें गायन का महत्व कम करना उचित नहीं है। गायन में अपरिमित माधुर्य सचित है। उसे शब्द पर अवलम्बित रहने की आवश्यकता भी नहीं है। वास्तव में देखा जाय तो जहां शब्द की पहुंच नहीं है, वहीं गायन के कार्य का प्रारम्भ होता है। अज्ञेय बातों को विषद करके प्रकट करने की शक्ति गायन में है। हम शब्दों के द्वारा जो बात प्रकट नहीं कर सकते, गायन के द्वारा वही बात विषद कर सकते हैं।

इसलिये गायन पर शब्द का भार जितना कम पड़े, उतना ही अच्छा है। हिन्दुस्तानी गायन में शब्द को बिल्कुल भी महत्व नही दिया गया है। राग रागनियों को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। जब स्वतंत्रतापूर्वक बढ़ने के लिये राग रागनियों को अवसर दिया जाता है, तभी वे अपने चमत्कारजन्य क्षोभ में हमारी आत्मा को मुग्ध बना डालती हैं, और गायन को पूर्णत्व तक पहुचा देती हैं। बंगला में इससे उल्टा हुआ है। यहां शब्दों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण गायन अपनी शक्ति का विकास नहीं कर पाता और इसीलिये हमारा संगीत अपनी कविता-भगिनी का दास होकर बैठा है। पुरातन वैष्णव कवियों की कविता से लेकर आज कल के 'विधू बाबू' की कविता तक ने शब्दों के द्वारा अपना सौंदर्य प्रकट किया है। इतना होते हुए भी जिस प्रकार हम ने समाज में स्त्री-पुरुष का हस्तमित्र

स्वीकार करके भी अपना प्रभुत्व जमाती है, उसी प्रकार काव्य का दासत्व स्वीकार करने पर भी संगीत काव्य पर अपना प्रभुत्व जमाता ही है। अपनी कविताओं को रचते समय मुझे सदा यह बात ध्यान में आती रही है। एक बार अपने मन में गुनगुनाते हुए जब मैंने कविता रची, तब मेरे ध्यान में यह आया कि 'राग' की सहायता से जिस अज्ञात स्थान तक शब्द पहुंच सकते हैं, उस स्थान तक वे अपने सामर्थ्य के पर बल नहीं पहुंच सकते। राग' के कारण मुझे यह मालूम हो गया कि मैं जिस रहस्य को जानने के लिये इतना उत्सुक था, वह रहस्य जंगल के मैदानों की हरियाली में मिला हुआ है, चाँदनी रात की निस्तब्ध शुभ्रता में विलीन हो गया है, विस्तृत नीले आकाश के बुरके में से क्षितिज को झुक झुक कर देख रहा है और पृथ्वी, जल व आकाश से एकमेक होकर परस्पर में पूर्ण परिचित हो गया है।

अपनी बाल्यावस्था में मैंने किसी पद का एक चरण सुना था। उस एक ही चरण ने मेरे मन में इतने चमत्कारपूर्ण चित्र बनाये कि वह चरण आज भी मेरे मन में घुल रहा है। एक दिन मैं गायन बना रहा था। उसके स्वर को मन में जमाते हुए मैंने उसी चरण की समस्या पूर्ति कर डाली। यदि उस मूल पद्य के स्वर का साथ न मिला होता तो कविता को कौनसा स्वरूप प्राप्त हुआ होता, यह नहीं कहा जा सकता। परन्तु उन ताल सुरों ने मुझे सौंदर्य के प्रभामंडल से घिरी हुई उस अज्ञात व्यक्ति के दर्शन करा दिये। मेरी आत्मा मुझसे कहने लगी कि वह (रमणी) गहन गूढ़ता के सागर के उस पार से इस जगत को समाचार पहुंचाया करती है। वही आती जाती रहती है। ओस पड़े हुए शरद ऋतु के प्रभात समय में अथवा वसन्त ऋतु की सुगन्धित रात्रियों में हमारे हृदय के अन्तरतम प्रदेश में जो कभी-कभी अचानक दिखलाई पड़ती है, वही यह व्यक्ति है। उस सुन्दर स्त्री का गायन सुनने के लिए हम कभी-कभी आकाश में उड़ान मारा करते हैं। इस परकीय भुवन मोहिनी के दरवाजे तक ताल सुर मुझे उड़ाते हुए ले गये और इसलिए उस चरण के सिवाय शेष शब्द भी उसी को लक्ष्य करके लिखे गये।

इसके कई वर्षों बाद बोलपुर के एक रास्ते में एक भिखारी गाना गाता जा रहा था। उस समय भी मुझे यही मालूम हुआ कि वह भिखारी भी उसी बात की पुनरुक्ति कर रहा है। अज्ञात पक्षी (अन्तरात्म) लोहे के पींजरे में बंद होकर भी अमर्यादित और अज्ञेय बातों को गुनगुनाया करता है। हृदय ऐसे पक्षी को सदा के लिए अपने निकट रखना चाहता है पर हृदय में ऐसी शक्ति कहां ? उन अज्ञात पक्षियों के आने जाने की बात, भला सिवाय ताल सुरों के कौन कह सकता है ?

केवल शब्दों से भरी हुई संगीतकला की पुस्तक प्रकाशित करने से मुझे जो बहुत कष्ट होता है, उसका यही कारण है। ऐसे पदों में सरसता आना सम्भव ही नहीं है।

३१

नदी किनारे

दूसरी बार विलायत जाते समय मुझे रास्ते से लौटना पड़ा। उस समय मेरे भाई ज्योतिरिंद्र अपनी पत्नी सहित चंद्र नगर में नदी के किनारे पर रहते थे। लौटने के बाद मैं उन्हीं के पास रहने चला गया। अहा हा! फिर गंगा नदी। दोनों तटों पर वृक्षों की पंक्ति, उनकी शीतल छाया में से वहती हुई गंगा नदी का जल-प्रवाह, और उस प्रवाह के कल-कल नाद से मिला हुआ मेरा स्वर। उस समय इष्ट प्राप्ति न होने के कारण मैं दुखी था, परन्तु साथ ही आनन्ददायक वस्तुओं के उपभोग के कारण थका हुआ था। मेरी दशा अनिर्वचनीय थी। रात्रि के समय बंगाल प्रदेश का प्रकाशमान आकाश, दक्षिण की वायु गंगा नदी का प्रवाह, किसी राजा में दिखलाई पड़े ऐसी सुस्ती, एक ओर की क्षितिज से लेकर दूसरी ओर की क्षितिज तक तथा हरी-भरी भूमि से लेकर आकाश तक फैला हुआ निकम्मापन, ये सब बातें भूखे-प्यासे को अन्न-पानी के समान मेरे लिए थीं।

इस बात को कुछ बहुत वर्ष नहीं बीते। परन्तु 'काल' ने कितने ही परिवर्तन कर डाले हैं। नदी तट पर उस वृक्षराजी की शीतल छाया में बनी हुई हमारी झोंपड़ियों के स्थान पर अब मिलें खड़ी हो गई हैं। वे विकराल राक्षस के समान सूं-सूं करती हुई अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ी हैं। आजकल की रहन-सहन रूपी दुपहरी की चकचकाहट में मानसिक विश्रांति का समय नष्ट-प्रायः अवस्था को पहुंच चुका है। उस स्थान पर अनंत मुखवाली अशांतता ने चारों ओर से आक्रमण कर रखा है। कोई इसे भले ही हमारे कल्याण की बात समझे, पर मैं तो यह किसी भी अंश में स्वीकार नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कहे, पर मेरा तो यही मत है।

पवित्र गंगा नदी में देवता पर से उतरे हुए निर्माल्य कमल पुष्पों के बहने के

समान मेरे दिन भी सर-सर निकल गये। मुझे ऐसा मालूम होने लगा, मानो गंगा नदी में निर्माल्य कमल पुष्पों का झुंड ही बह रहा है। वर्षा ऋतु में दुपहर के समय प्राचीन वैष्णव पद अपने ताल सुर में गाते और हारमोनियम बजाते हुए किसी भ्रमित व्यक्ति के समान मैंने कुछ दिन व्यतीत किये। कभी कभी तीसरे पहर नाव में बैठकर हम लोग नदी में घूमा करते थे उस समय मैं गाता और ज्योतिरिन्द्र सारंगी बजाता था। पहिले 'पूरवी' राग में गाना शुरू करते फिर ज्यों-ज्यों दिन ढ़लता जाता त्यों-त्यों राग भी बदलता जाता; और अन्त में 'बिहाग' राग छेड़ते। उस समय पश्चिम दिशा अपने सुनहरी खिलौने की दूकान का दरवाजा बंद करती और वृक्षों की पंक्ति पर चन्द्र उदय होता हुआ दिखलाई पड़ता था।

फिर हमारी नाव उद्यान गृह के घाट पर आकर लगती। उद्यान की गच्ची पर जाजम डाल कर हम नदी की ओर देखा करते थे। उस समय पृथ्वी और जल पर सर्वत्र रुपहली शांतता फैली हुई दिखलाई पड़ती थी कहीं-कहीं कोई नाव भी दिखलाई पड़ जाती। तट पर की वृक्ष पंक्तियों के नीचे काली छाया फैली हुई होती और शांत प्रवाह पर चंद्र की चंद्रिका।

हमारे उद्यान गृह का नाम 'मोरेनची बाग' था। जल से लेकर उद्यानगृह के बरामदे तक सीढ़ियां थीं। उद्यानगृह के कमरे भी एक समान न होकर भिन्न-भिन्न प्रकार की रचना वाले थे। दालान भी एक ऊंचाई पर न होकर कुछ ऊंचे और कुछ नीचे थे। कुछ दालानों पर जीने से चढ़कर जाना होता। दीवानखाना भव्य था। उसका मुंह घाट की तरफ था। दीवानखाने की खिड़कियाँ कांच की थीं। उन पर रंग-बिरंगे चित्र बने हुए थे।

एक ऐसा चित्र था कि घनी छाया में आधी ढँकी हुई वृक्ष-शाखा पर एक झूला टँगा हुआ है, कहीं प्रकाश है और कहीं अंधकार। ऐसे कुन्ज में दो मनुष्य उस झूले पर बैठकर झूल रहे हैं। दूसरा एक चित्र था, उसमें दिखलाया गया था कि किले के सामने एक विशाल राज भवन है, उसकी कई सीढियां हैं और त्यौहार के समान श्रृङ्गार करके स्त्री पुरुषों के झुंड के झुंड इधर-उधर घूम रहे हैं। खिड़कियों पर प्रकाश पड़ने पर यह चित्र चमकने लगते और इस कारण बड़े सुन्दर दिखने लगते थे। उनकी सुन्दरता ऐसी मालूम होती थी, मानो वह नदी के ओर के वातावरण को उत्सव-संगीत से पूरित कर रही है। बहुत प्राचीन काल में होने वाली जिस मिजवानी का यह दूसरा चित्र है उस मिजवानी का ठाट-बाट मुग्ध प्रकाश में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहा है और पहले चित्र के झूले पर गाया जाने वाला प्रणय संगीत,

नदी-तट के वन को अपने कथानक से सजीव कर रहा है। उद्यान गृह के सबसे ऊपर का कमरा गोल मीनार के ऊपर था। इसके चारों ओर खिड़कियां थीं। कविता बनाने के लिए मैं इस कमरे में बैठा करता था। नीचे वृक्ष और ऊपर आकाश के सिवाय वहां से और कुछ नहीं दीखता था। उस समय मैं 'संध्या संगीत' की रचना में व्यस्त हो गया था। इसमें मैंने अपने इस स्थान के सम्बन्ध में भी एक कविता लिखी थी।

३२
संध्या-संगीत

इस समय साहित्य समालोचकों में, ताल-सुर के परम्परागत नियमों को एक ओर रखकर नये नियमों को चलाने और तोतले गाने वाले के नाम से मैं प्रसिद्ध हो गया था। मुझपर यह आरोप था कि मेरे लेख स्पष्ट नहीं होते। उस समय भले ही यह आरोप मुझे न रुचा हो, पर यह निराधार आरोप नहीं था। इसमें थोड़ा बहुत सत्य भी जरूर था। वास्तव में मेरे कवित्व को संसार के अनुभव का बल नहीं था और यह बल मिल भी कैसे सकता है, जब कि बाल्यावस्था में एकांतवास में बंदी बनाकर मैं रखा गया था।

मेरे पर किया हुआ आरोप भले ही निराधार न हो, पर उस आरोप के पीछे छिपी हुई एक बात तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वह यह कि मैं लोगों के मन पर अधिक परिणाम होने के लिए जान बूझ कर ऐसी गूढ़ पद्धति का अवलम्बन करता हूं। इस आक्षेप से मुझे बहुत दुख होता था। सुदैव से जिनकी दृष्टि निर्दोष है उनके लिए किसी युवक को चश्मा लगाते हुए देखकर यह कहना कि यह केवल फैशन के लिए लगाया गया है व आंखें मिचकाना सम्भव हो सकता है और व्यवहार में ऐसा होता भी है पर वह नहीं दीखने का ढोंग करता है, ऐसा उस पर आक्षेप करना अत्यन्त निंद्य है। धूम्रमय स्थिति सृष्टि की उत्क्रांति की एक अवस्था है। इस अवस्था पर किसी हेतु विशेष का आरोप करना उचित नहीं है।

जिस कवित्व में निश्चितता न हो, उसे किसी काम का न समझने से, साहित्य के वास्तविक तत्वों की हमें कभी प्राप्ति न होगी। यदि ऐसे कवित्व में मनुष्य स्वभाव की कोई वास्तविक बाजू प्रकट की गई हो तो वह कवित्व अवश्य संग्राह्य है।

मनुष्य स्वभाव का यदि कोई यथार्थ चित्र उस कविता में न हो, तभी उसे दूर करना चाहिये। मनुष्य जीवन में ऐसा भी एक समय होता है जब कि अनिर्वचनीय बातों के सम्बन्ध में करुणावृत्ति और अस्पष्टता की चिंता ही उसकी मनोभावना बन जाती है। जिन कविताओं में कोई भी मनोभावना प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता है, वे कविताएं अप्रयोजनीय नहीं मानी जा सकतीं। बहुत हुआ तो उनका कोई मूल्य नहीं है ऐसा कहा जा सकता है परन्तु वह भी विश्वासपूर्वक नहीं। यह दोष उन भावनाओं का नहीं हो सकता जिन्हें व्यक्त किया गया है, किंतु उस असफलता का दोष है जिसके कारण भावनाओं को स्पष्ट रूप नहीं दिया जा सका।

मनुष्य में भी अन्तर और बाह्य ऐसा द्वैत है। आचार-विचार और भावनाओं के प्रवाह के पीछे रहे हुए अन्तरात्मा का प्रायः बहुत कम ज्ञान हो पाता है जीवन की वृद्धि का अन्तरात्मा एक साधन है। उसे छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। जब बाह्य और अन्तर व्यवहारों का परस्पर मेल नहीं रहता, तब अन्तरात्मा घायल सा हो जाता है और उसकी वेदना बाहर भी प्रकट होने लगती है। उसका वर्णन करना अथवा उसका नामाभिधान करना कठिन है। निश्चित अर्थ वाले शब्दों के समान उस वेदना का उच्चारण नहीं किया जा सकता। वह तो अस्पष्ट आर्त-स्वर के समान हुआ करती है।

संध्या संगीत में परिस्फुटित खेद और दुख रूपी विकार मेरे अन्तरात्मा प्रदेश में उत्पन्न हुए थे। भीतर ही भीतर दबाकर रखा हुआ अन्तरात्मा, बन्धनमुक्त होकर स्वतंत्र वातावरण में आने का प्रयत्न किया करता है। संध्यासंगीत के गायन ऐसे प्रयत्न का इतिहास मात्र है। सृष्टि के अन्य पदार्थों के समान काव्य में भी एक दूसरे के विरुद्ध शक्तियां रही हुई हैं। उनका परस्पर में मेल नहीं बैठता। एक शक्ति एक ओर खींचती है और दूसरी उसके विरुद्ध। इन परस्पर विरुद्ध शक्तियों में यदि अत्यन्त विरोध हो जाए अथवा अत्यन्त मेल हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि काव्य की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। यदि वैमनस्य से उत्पन्न हुआ दुख नष्ट होकर इन शक्तियों का परस्पर मेल हो जाय, तो सारंगी से निकलने वाली ध्वनि के समान काव्य में से संगीत उत्पन्न होने लगता है।

'संध्या संगीत' के जन्म समय में यद्यपि किसी ने 'रणसिंगा' फूंक कर उसका स्वागत नहीं किया, तो भी उसे रसिक पाठकों की कमी नहीं रही। एक जगह मैंने यह बतलाया ही है कि रमेश चन्द्र दत्त की बड़ी लड़की का विवाह था। श्री बंकिम बाबू दरवाजे पर खड़े थे और रमेश चन्द्र रिवाज के मुताबिक उनके गले में हार डाल कर उनका स्वागत कर रहे थे कि इतने ही में मैं पहुंचा। बंकिम बाबू ने अपने गले

से हार निकाल कर मेरे गले में डालते हुए कहा—रमेश ! पहिले इनके गले में हार डालना चाहिये । क्या तुमने इनका 'संध्या संगीत नहीं पढ़ा ? रमेश बाबू ने उत्तर दिया कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा । तब उसमें के कुछ पद्यों पर बंकिम बाबू ने अपनी सम्मति प्रकट की । उस सम्मति से मैंने अपना परिश्रम सफल समझा ।

'संध्या संगीत' के कारण मुझे एक उत्साही मित्र प्राप्त हुए । इनके द्वारा की हुई मेरी प्रशंसा ने सूर्य किरणों के समान मेरे नवीन उद्भूत परिश्रम में नवजीवन का संचार किया और योग्य मार्ग दिखलाया । इनका नाम 'बाबू प्रियनाथ सेन' है ! संध्या संगीत के पहले 'भग्न हृदय' नामक मेरे काव्य ने इन्हें मेरे सम्बन्ध में बिलकुल निराश कर दिया था । परन्तु 'संध्या संगीत' के कारण इन्हें फिर मुझपर प्रेम उत्पन्न हुआ । इनसे परिचय रखनेवाले लोगों को मालूम ही है कि ये साहित्य रूपी सप्त समुद्र मे सुरक्षित रहकर पर्यटन करने वाले एक चतुर नाविक थे । ये प्रायः सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं और कई विदेशी, भाषाओं के साहित्य के जानकर एवं मर्मज्ञ भी थे । इनसे बातचीत करते समय विचारसृष्टि के छिपे-छिपाये दृश्यों का भी चित्र देखने को मिल जाता था । इनके साथ की मेरी मैत्री अत्यन्त मूल्यवान थी और उससे मुझे कल्पनातीत लाभ भी हुआ ।

प्रियनाथ बाबू सीमा रहित आत्मविश्वास पूर्वक साहित्य सम्बन्धी अपने मत प्रतिपादन किया करते थे । अधिकारयुक्त भाषा और आत्मविश्वास पूर्वक उन्होंने जो साहित्य की समालोचना की उससे मुझे बहुत सहायता मिली । उसका मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता । उन दिनों मैं जो कुछ लिखता, वह सब उन्हें सुनाया करता था । उचित अवसर पर अपने प्रशंसापूर्ण उद्‌गारों से उन्होंने मुझ में उत्साह उत्पन्न किया । यदि उन्होंने मेरी प्रशंसा न की होती तो उस अवस्था में मैंने जो जमीन तैयार की और आज उसकी फसल काट रहा हूँ —फल प्राप्त कर रहा हूं—वह फल प्राप्त होता कि नहीं, यह कहना कठिन है ।

———

३३
प्रभात संगीत

गंगा तट पर रहते हुए मैंने थोड़ा सा गद्य भी लिखा था। यह गद्य किसी खास विषय पर या कोई विशेष हेतुपूर्वक नहीं लिखा था। किन्तु जिस प्रकार बालक पतंग उड़ाते हैं, उसी प्रकार साहजिक रीति से मैंने यह सब लिख डाला था। अंतरंग में जब वसत का आगमन होता है, तब अनेक प्रकार की क्षणिक कल्पनाएं भी उत्पन्न हुआ करती हैं। ये कल्पनाएं मन में इधर-उधर दौड़ा करती हैं। बिना विशेष घटना हुए अपना ध्यान भी उनकी ओर नहीं जाता। यह अवकाश का समय था। सभवत: इसीलिए जो ध्यान में आवे, उसी का संग्रह करने की इच्छा मुझे हुई होगी अथवा मेरी आत्मा ने जो बन्धन मुक्त होने पर मन में आवे सो लिखने का निश्चय किया था, उसी निश्चय का यह दूसरा पहलू होगा। मैं जो कुछ उस समय लिखता, उसका कोई साध्य नहीं रहता। केवल 'मैं लिखने वाला हू" इतनी भावना ही मेरे लिखने के उत्साह के लिए काफी थी। आगे जाकर मेरे यह सब गद्य लेख विविध प्रबन्ध' के नाम से प्रकाशित हुए, और पहली आवृत्ति में ही उनका अन्त भी हो गया। पुनरावृत्ति के द्वारा बेचारों को फिर पुर्नजन्म न मिल सका।

मुझे स्मरण है कि मैंने इसी समय अपना पहला उपन्यास 'बऊ ठकुरानीर हाट' प्रारम्भ किया था।

नदी तट पर कुछ दिन रहने के बाद ज्योतिरिन्द्र कलकत्ता चले आये। यहां म्यूजियम के समीप आम रास्ते पर एक मकान लेकर ये रहने लगे। मैं भी इन्हीं के समीप रहता था। इस जगह पर रहते हुए उक्त उपन्यास और सध्या-संगीत लिखते-लिखते मेरे अंतरंग में कुछ महत्वपूर्ण क्रांति हुई।

एक दिन सन्ध्या के समय मैं 'जोड़ा सांको' वाले घर की गच्ची पर घूम रहा था। अस्त होने वाले सूर्य का प्रकाश, संध्या काल के प्रकाश से इस तरह मिल गया था कि सर्वत्र फैला हुआ संध्याऽगमन मुझे विशेष चित्ताकर्षक मालूम हुआ। इस दृश्य ने मुझे मोहित कर डाला। सौंदर्य की अतिशयता से मेरा मन इतना भर गया कि नजदीक वाले घर की दीवलें भी अधिकाधिक सुन्दर होती जा रही हैं ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा। आश्चर्यचकित होकर मैं अपने आपसे पूछने लगा कि 'नित्य के परिचित जगत पर से क्षणभंगुरत्व का आच्छादान आज दूर हो जाने का क्या कारण है? इस सायंकालीन प्रकाश में कोई जादू तो नहीं है?—नहीं! ऐसा तो नहीं हो सकता।

तुरन्त ही मेरे ध्यान में आ गया कि यह सायंकाल का अंतरंग पर हुआ परिणाम है। सायंकाल की कृष्ण छाया ने मेरी आत्मा को घेर लिया था। दिन के चकचकित प्रकाश में मेरी आत्मा के भ्रमण करते समय में जो कुछ दीखता, वह सब उसमें विलीन होकर अदृश्य हो जाया करता था, परन्तु अब आत्मा को पार्श्व में छोड़ देने से जगत को उसके इस वास्तविक रूप में मैं देख सका कि उसमें क्षुद्रता का अंश भी नहीं है। वह तो सौंदर्य और आनन्द से ओत-प्रोत है। यह अनुभव प्राप्त होने पर अपने अहंकार को दबाकर जगत की ओर केवल द्रष्टा बनकर देखते रहने का मैं प्रयत्न करने लगा। उस समय मुझे एक विशेष प्रकार का आनन्द प्रतीत होने लगा। एक बार मैं अपने एक रिश्तेदार को यह समझाने लगा कि जगत की ओर किस रीति से देखना चाहिये और उस रीति से देखने पर मन का भार किस प्रकार हलका हो जाता है। मैं समझता हू कि मेरा यह प्रयत्न संभवतः सफल नहीं हो सका। इसके बाद इस गूढ़ रहस्य के संबंध में मेरी और भी प्रगति हुई और वह चिरस्थायी हुई।

हमारे सदर रास्ते वाले घर से इस रास्ते के दोनों छोर दिखलाई पड़ते थे। एक छोर पर फ्री स्कूल था। इस स्कूल के क्रीडांगण में जो वृक्ष थे, उन्हें मैं एक दिन बरामदे में खड़ा-खड़ा देख रहा था। उन वृक्षों के पत्तों से बने हुए शिखर पर से सूर्य-नारायण की सवारी ऊपर आ रही थी। इस दृश्य के देखते देखते मेरे नेत्रों पर से जैसे पटल दूर हो गया हो, मुझे दीखने लगा कि संपूर्ण जगत चमत्कारजन्य प्रकाशित है और उनमें चारों ओर से सौंदर्य तथा आनन्द की लहरों पर लहरें उठ रही हैं! इस प्रकाश ने मेरे हृदय पर जमे हुए खेद और नैराश्य के थरों को एकदम नष्ट कर दिया और अपने विश्वव्यापी तेज से मेरा हृदय भर डाला।

उसी दिन 'जलपात जागृति' नामक कविता मेरे हृदय से बाहर निकल

पड़ी और झरने के समान उसका प्रवाह बहने लगा। कविता पूरी हो गई, पर विश्व के आनन्दमय रूप पर कोई आवरण नहीं पड़ा। आगे जाकर तो यह कल्पना इतनी दृढ़ीभूत हो गयी कि मुझे कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु क्षुद्र, कष्टप्रद अथवा आनन्दरहित प्रतीत नहीं होती थी। इसके दूसरे या तीसरे ही दिन एक और बात हुई, वह मुझे विशेष चमत्कारपूर्ण मालूम हुई।

एक बड़ा विचित्र मनुष्य था। वह मेरे पास बारम्बार आता और पागलों जैसे प्रश्न किया करता था। एक दिन उसने पूछा 'आपने अपनी आंखों से कभी परमेश्वर को देखा है?' मैंने कहा नहीं। उसने कहा - मैंने परमेश्वर को देखा है। जब उससे यह पूछा कि वह कैसा है? उसने कहा कि परमेश्वर की मूर्ति एक दम मुझे दिखलाई पड़ी और तुरन्त ही अदृश्य हो गई।

ऐसे मनुष्य के साथ इस प्रकार की बातचीत से किसी को भी आनन्द नहीं होगा और मैं तो उस समय लेखन कार्य में अत्यन्त व्यस्त भी था। परन्तु वह आदमी बहुत सीधा सादा था। इसलिये उसके श्रद्धालु भावों को मैं दुखाना नहीं चाहता था और उसकी सब बातें यथा शक्ति शांत चित्त से सुन लिया करता था।

परन्तु मैं जिन दिनों की बातें यहां लिख रहा हूं, उन दिनों तो सभी कुछ बदल गया था। इन्हीं दिनों में वह एक दिन शाम के समय आया। उसके आने से दुःख होने की अपेक्षा मुझे आनन्द हुआ और मैंने उसका यथोचित स्वागत भी किया। इस समय उस पर से विक्षिप्तता का आवरण मुझे हटा हुआ प्रतीत हुआ मुझे मालूम होने लगा कि मैं जिस मनुष्य का इतने आनन्द से स्वागत कर रहा हूं, वह मेरी अपेक्षा किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, प्रत्युत उसका मेरा निकट सम्बन्ध है। पहले जब वह आता तब मन को कष्ट हुआ करता और मैं अपना समय व्यर्थ गया हुआ समझता। परन्तु इस समय वह बात नहीं थी। अब तो मेरा मन आनन्दित हो रहा था और प्रतीत हो रहा था कि बिना कारण दुःख और कष्ट उत्पन्न करने वाले असत्य के जाल से मैं मुक्त हो गया हूं।

बरामदे के कठहरे के पास खड़ा होकर रास्ते से आने जाने वाले लोगों को मैं देखा करता था। हर एक के चलने की रीति, उनके शरीर का गठन, नाक, कान आदि अवयव, देखकर मेरा मन 'चक' हो जाता और मालूम होता कि ये सब बातें विश्व-सागर की तरंगों को पीछे ढकेल रही हैं। लड़कपन से मैं ये सब बातें केवल अपने चर्मचक्षुओं से ही देखता आ रहा हूं। परन्तु अब आत्म-शक्ति की संयुक्त सहायता से मैंने देखना प्रारम्भ किया। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर हंसते-खेलते जाने वाले

दो तरुणों को देखता तो मैं उसे कोई क्षुद्र बात न समझ कर यह समझता कि मैं आनन्द के शाश्वत और अनन्त झरने के तल को देख रहा हूं, जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत में रहस्य के अनन्त तुषार फैला करते हैं।

मनुष्य के जरा भी हिलने-डुलने पर उसके अवयव और स्नायुओं का कार्य शुरू होता है। इनका यह खेल मैंने पहिले कभी लक्ष्यपूर्वक नहीं देखा था। अब तो प्रति समय उनकी लीलाओं के नाना भेद मुझे सर्वत्र दीखने लगे और उससे मैं मोहित हो गया, पर इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व मुझे नहीं दिखा, किन्तु सम्पूर्ण मानवी सृष्टि में, प्रत्येक घर में और उनकी नाना प्रकार की आवश्यकताओं तथा कार्यों में जो आश्चर्यजनक सुन्दर नृत्य सदा होता रहता है, उसी का यह भी एक विभाग है, ऐसा प्रतीत होने लगा।

एक मित्र दूसरे मित्र के सुख-दुख का हिस्सेदार बनता है। माता सन्तान को प्यार करती है, उसे कंधे पर बिठला कर खिलाती है। एक गाय दूसरी गाय के पास खड़ी हो जाती और चाटती है। इन सब घटनाओं को देखकर इनके पीछे रहा हुआ 'अनन्तत्व' मेरी दृष्टि के आगे खड़ा हो जाता है। उसका मुझपर ऐसा परिणाम होता है कि मैं घायल हो जाता हूं। इस समय के सम्बन्ध में आगे जाकर मैंने एक स्थान पर लिखा था कि 'मेरे हृदय ने एकाएक अपने द्वार कैसे खोल दिये और अनन्त सृष्टि को हाथ में हाथ मिलाये हुए किस तरह अन्तर में प्रवेश होने दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया। यह कवि की अतिशयोक्ति नहीं थी मैं तो अपने मन को जो ठीक प्रतीत हुआ और मेरे अनुभव में जो आया—वह सब ज्यों का त्यों योग्य शब्दों में प्रकट ही नहीं कर सका।

इस स्वतः को भूल जाने वाली स्थिति में मैं कई दिनों तक रहा और इसका मीठा अनुभव लेता रहा। फिर मेरे भाई ने दार्जिलिंग जाने का निश्चय किया 'अयं विशेषः' यह भी विशेषता ही हुई, यह जानकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ। मुझे मालूम होने लगा कि जिस गूढ़ बात का मुझे सदर रास्ते पर रहते समय ज्ञान हुआ वही बात हिमाचल की उत्तुङ्ग शिखर पर मुझे और भी अच्छी तरह से देखने को मिलेगी। उसके अन्तरंग का मुझे गहन ज्ञान होगा और नहीं तो मेरी नूतन दृष्टि को हिमालय कैसा दीखता है, इसी का मुझे अनुभव होगा।

परन्तु मेरा अनुभव भ्रमपूर्ण निकला। विजय श्री ने मेरे उस सदर रास्ते वाले घर को ही जयमाला पहनाई थी। पर्वत शिखर पर चढ़कर जब मैं आसपास देखने लगा तो क्षणमात्र में मेरी नूतन दृष्टि नष्ट हो गई और यह बात भी तुरन्त ही मेरे ध्यान में आ गई। बाह्य सृष्टि से सत्य की अधिक प्राप्ति की मेरी आशा ही

गलत थी। मैंने जो यह आशा की थी, वह एक तरह से पाप ही किया था। पर्वतराज की शिखरें भले ही गगन-चुम्बी क्यों न हों, परन्तु मुझे दिव्य दृष्टि देने योग्य उनके पास कुछ नहीं था। जो दाता है वह तो किसी भी जगह गंदी गलियों तक में—क्षणमात्र का विलम्ब किए विना शाश्वत जगत की दिव्य दृष्टि का दान कर सकता है।

वृक्षों और पौधों में मैं भटका। धवधवों के पास बैठा। उनके पानी में यथेच्छ डुबकियां लगाईं। मेघ रहित आकाश में कांचन गंगा की शोभा देखी। परन्तु वह चीज मुझे नहीं मिली। मुझे उसका ज्ञान हो गया था। पर वह अब दीखती नहीं थी। हीरे के रत्नखंड की ओर मैं देख ही पाया था कि उसकी पेटी का ढक्कन बंद हो गया। मैं चित्र के समान बंद पेटी की ओर देखता रह गया। उस पेटी की नक्काशी सुन्दर और चित्ताकर्षक होने पर भी मेरी दृष्टि में वह पेटी खाली थी, परन्तु मेरी इस भ्रमपूर्ण समझ से उसकी कोई हानि नहीं।

मेरी 'प्रभात-संगीत' रचना पूर्ण हो गई थी। दार्जिलिंग में लिखी हुई 'प्रतिध्वनि' नामक कविता ही उसकी अन्तिम कविता थी। लोगों को मालूम होने लगा कि इसमें अवश्य कुछ-न-कुछ रहस्य छिपा है। इसी पर एक बार दो मित्रों में परस्पर होड़ हुई। संतोष की बात इतनी ही थी कि वे दोनों मेरे पास ही अर्थ समझने के लिये आये, परन्तु उस कविता का रहस्य भेद करने मे उनके समान मैं भी असमर्थ निकला। अरेरे! वे कैसे दिन थे, जब मैं कमल और कमलाकर पर अत्यन्त सीधी सादी कविता रचा करता था वे दिन कहां गये।

क्या कोई मनुष्य कुछ बात समझाने के लिये कविता लिखा करता है? बात यह है कि मनुष्य के हृदय को जो प्रतीत होता है, वह काव्य रूप में बाहर निकलने का प्रयत्न किया करता है। यदि ऐसी कविता को सुनकर कभी कोई यह कहता है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं समझता, तो उस समय मेरी मति कुंठित हो जाती है। पुष्प को सूंघकर यदि कोई कहने लगे कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता, तो उसका यही उत्तर हो सकता है कि इसमें समझने जैसा है भी क्या? यह तो केवल 'भासमात्र' है। इस पर भी वह यदि यही कहे कि 'हां, यह तो ठीक है, मैं भी जानता हूं, पर इसका अर्थ क्या?' और इसी तरह बार-बार प्रश्न करने लगे तो उससे छुटकारा पाने के लिये दो ही मार्ग हैं। या तो उस विषय की चर्चा ही बदल दी जाय अथवा यह सुगंध, फूल में विश्व के आनन्द की धारण की हुई आकृति है, यह कहकर उस विषय को और भी अधिक गहन बना दिया जाय।

शब्द अर्थात्मक होते हैं। इसीलिये कवि यमक और छंद के सांचे में उन्हें ढालता है। उसका उद्देश्य शब्द को अपने दबाव में रखने का होता है। जिससे उनका प्रभाव न बढ़ सके और मनोभावनाओं को अपना स्वरूप प्रकट करने का अवसर मिले।

मनोभावनाओं को इस प्रकार प्रकट करना कुछ मूलतत्वों का प्रतिपादन नहीं है। न शास्त्रीय चर्चा ही है। न नैतिक तत्वों की वह शिक्षा ही है। वह तो अश्रु अथवा हास्य आदि अंतरंग सम्बन्धी बातों का चित्र है। शास्त्र अथवा तत्वज्ञान को काव्य से कुछ लाभ प्राप्त करना हो तो वे भले ही कर लें, पर यह निश्चित नहीं है कि काव्य से उन्हें लाभ होना ही चाहिए। वे (तत्वज्ञान आदि) काव्य के अस्तित्व के कारण नहीं हैं। नाव में बैठकर जाते समय यदि मछलियाँ मिलें और उन्हें पकड़ सकें तो यह पकड़ने वाले का सुदैव, परन्तु इस कारण वह नाव, मछली पकड़ने वाली नाव नहीं कहला सकती और न उस नाव के मांझी को मछली पकड़ने का धधा न करने के कारण कोई दोष ही दे सकता है।

'प्रतिध्वनि' नामक कविता लिखे, इतने दिन हो चुके हैं कि वह अब किसी के ध्यान में भी नहीं आती और न अब कोई उसका गूढ़ार्थ समझने के लिए ही मेरे पास आता है। उसमें दूसरे गुण-दोष भले ही कुछ हों, पर मैं पाठकों से यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि उस कविता के रचने में मेरा उद्देश्य किसी रहस्य का प्रतिपादन करने का नहीं था और न अपनी भारी विद्वता प्रकट करने का ही था। किन्तु बात तो यह थी कि मेरे हृदय में एक प्रकार की छटपटाहट थी, वही कविता रूप में प्रकट हुई और दूसरा कोई नाम ध्यान में न आने के कारण उसका 'प्रतिध्वनि' यह नामाभिधान कर डाला।

विश्व के मध्य में रहे हुए झरने से संगीत का प्रवाह बहकर विश्व भरा में फैलता है और उसकी प्रतिध्वनि हमारे प्रियजनों और आस-पास की सुन्दर वस्तुओं से टकरा कर दूर रहनेवाले हमारे हृदय में वापस लौट आती है। मेरे ऊपर कहे अनुसार हम जो प्रेम करते हैं वह उन वस्तुओं पर नहीं करते, जिनमे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, किन्तु प्रतिध्वनि पर ही आयद करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक समय हम जिस चीज को देखना तक नहीं चाहते दूसरे समय में वही चीज हमारे मन पर अत्यंत प्रभाव जमा लेती है। हम उसके दास बन जाते हैं और वह हमारी देवता।

इतने दिनों तक मैं जगत का बाह्य स्वरूप ही देखा करता और इस कारण उसका सर्वव्यापी आनन्दमय रूप मुझे नहीं दीखता था। इसके बाद एक बार प्रकाश

की एक किरण अचानक चमकी और उसने सर्व जगत प्रकाशित कर डाला। उस समय से मुझे यह जगत असंख्य वस्तुओं का ढेर मात्र अथवा उसमें होने वाले कार्यों का एक विशाल संग्रह मात्र न दीखकर वह एक 'पूर्ण वस्तु' दीखने लगा और तब से मुझे मालूम होने लगा कि यह अनुभव मुझसे यह कह रहा है कि -'विश्व की गहन गूढ़ता में से गाने के प्रवाह का उद्गम होकर वह काल और क्षेत्र पर फैल रहा है और वहां से आनन्द की लहरों के समान उसकी प्रतिध्वनि निकल रही है।

जब कोई मुचतुर कवि हृदय के भी हृदय में से संगीत का आलाप निकालता है, तब उसे वास्तविक आनन्द प्राप्त होता है और वही गाना जब सुनने को मिलता है तो वह आनन्द दुगुना हो जाता है। इस तरह कवि की कृति आनन्द के पूर में वहकर उसके पास वापस आती है और तब वह स्वयं भी उस पूर में निमग्न हो जाता है ऐसा होने पर प्रवाह के ध्येय का उसे ज्ञान हो जाता है। पर वह इस रीति से होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्यों-ज्यों इस प्रकार का ज्ञान होता जाता है त्यों त्यों आनन्द भी बढ़ता जाता है और आनन्द के प्रवाह के साथ साथ उसके अपरिमित ध्येय की ओर अपने दुःख कष्ट आदि को एक ओर रख वह स्वतः जाने लगता है। सुन्दर वस्तु के दीखते ही उसकी प्राप्ति के लिये मन में जो छटपटाहट होने लगती है उसका यही कारण है।

अपरिमित से निकल कर परिमित की ओर बह कर जाने वाले प्रवाह को ही 'सत्य' 'सत्व' कहा जाता है। वह निश्चित नियमों के द्वारा नियंत्रित होता है। अपरिमित की ओर लौट कर आने वाली उस प्रवाह की प्रतिध्वनि ही 'सौंदर्य' और 'आनन्द' है। इन दोनों को स्पर्श करना या कसकर पकड़ रखना अत्यन्त कठिन है; इसलिये यह हमें पागल बना देते हैं। प्रतिध्वनि नामक कविता में मैंने यही बात प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है। मेरा यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ अथवा अपना कथन मैं विशद न कर सका, इस पर आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस समय मुझे ही मेरी बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ था।

कुछ वर्षों के बाद बड़े हो जाने पर अपने 'प्रभात संगीत' के सम्बन्ध में मैंने एक लेख लिखा था। पाठकों की आज्ञा लेते हुए मैं यहां उस लेख का सार देना उचित समझता हूं:—

'एक विशिष्ट अवस्था में यह मालूम होने लगता है कि जगत में कुछ नहीं है। जो कुछ है, सब अपने हृदय में है। जिस प्रकार दांत निकलते समय बालक यह समझता है कि सब वस्तुएं अपने मुंह में रखने के ही लिए हैं, उसी तरह जब हृदय जागृत होता है तब वह भी सम्पूर्ण जगत को लपेट कर छाती से लगाने के

लिए हाथ पसारता है। हेयोपादेय (त्याज्य और ग्राह्य) का ज्ञान उसे पीछे क्रमशः होता है। हृदय पर पसरे हुए मेघ संकुचित होने लगते और उसमें से उष्णता उत्पन्न होती है और वह उष्णता फिर साहजिक रीति से दूसरों को संतप्त करने लगती है। सम्पूर्ण जगत की प्राप्ति की इच्छा करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब अपनी सर्व शक्तियों को एकत्रित कर किसी एक वस्तु पर, फिर वह कुछ भी क्यों न हो अपनी इच्छा के द्रीभूत की जाती है तब 'अपरिमित' तक पहुंचने का द्वार दीखने लगता है। 'प्रभात 'संगीत' के द्वारा प्रथम ही मेरी अन्तरात्मा बाहर प्रकट हुई थी, इस कारण उक्त प्रकार के केन्द्रीभूत होने के कोई चिन्ह उसमें नहीं दिखलाई पड़ते।'

यह प्रथम प्रकटीकरण का सार्वत्रिक-आनद, वस्तुविशेषाता से हमारा परिचय करा देता है। जब कोई सरोवर लबालब भर जाता है तब उसका जल निकलने का मार्ग ढूंढ़ता हैं। फिर वह जल एक स्थान पर न रहकर चारों ओर बहने लगता है। इस तरह आगे अग्रसर होने वाला, शाश्वत प्रेम, प्रथम प्रेम की अपेक्षा संकुचित कहलाता है। प्रथम प्रेम का कार्य क्षेत्र निश्चित स्वरूप का होता है और फिर वह प्रत्येक भाग विभाग में से 'सम्पूर्ण अविच्छिन्न' वस्तु को खोजने की इच्छा करता है और इस रीति से वह प्रेम अपरिमित की ओर खिचने लगता है। अंत में उसे जो वस्तु प्राप्त होती है, वह हृदय का पूर्वकालीन अमर्यादित आनंद न होकर अपने से से दूर रहने वाला 'अपरिमित सत्य होता है उसी में वह प्रेम विलीन हो जाता है और इस प्रकार अपनी ही इच्छा में से सम्पूर्ण 'सत्य तत्व' की उसे प्राप्ति होती है।

मोहित बाबू ने मेरी जो कविताएं प्रकाशित की हैं, उनमें 'प्रभात संगीत' का शीर्षक 'निष्क्रमण' रखा है क्योंकि अन्धकारमय 'हृदय भवन' मे से खुले जगत मे मेरे आने के समाचार इन्ही कविताओं में से प्रकटीभूत हुए हैं। इसके बाद इस— यात्री हृदय — ने अनेक प्रकार से और की भिन्न-भिन्न स्थितियों में क्रमशः जगत से परिचय प्राप्त किया और उससे स्नेह संबध जोड़ा है। सदा परिवर्तनशील वस्तुओं की असंख्य सीढियों पर चढ़ जाने के बाद अन्त में यह यात्री अपरिमित तक जा पहुंचेगा। इसे अनिश्चितता की अस्पष्टता न कहकर पूर्ण सत्य में मिल जाना ही कहना उचित होगा।

मैं अपनी बहुत ही छोटी अवस्था में बिल्कुल सीधी-सादी तौर पर और प्रेमपूर्वक सृष्टि से बातचीत किया करता था। उससे मैंने मैत्री कर ली थी, जिसके आनन्द का मुझे बहुत ही अनुभव हुआ है। मुझे अपने बगीचे के नारियल के प्रत्येक वृक्ष भिन्न भिन्न व्यक्ति के समान प्रतीत होते थे। नार्मल स्कूल से जब मैं शाम को

लौटकर आता और गच्ची पर जाता, तब आकाश में नीले और काले रंग के अभ्र (बादल) देखते ही मेरा मन किस प्रकार बेहोश हो जाया करता था, यह मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। प्रतिदिन प्रातःकाल जग कर ज्योंही मैं आँख खोलता त्योंही मुझे मालूम होता कि प्रेम से जागृत करने वाला जगत खेल में अपना साथी बनाने के लिए मुझे बुला रहा है।

दोपहर का तप्त आकाश, विश्राम के प्रशांत समय में उद्योग निमग्न जगत से उड़ाकर मुझे किसी दूरस्थ तपोभूमि में ले जाता था और रात्रि का निविड़ अंधकार राक्षस रास्ते के द्वार खोलकर सात समुद्र तेरह नदी को पार कर सम्पूर्ण शक्य-अशक्य बातों को पीछे छोड़ते हुए मुझे अपनी ठेठ आश्रमभूमि में ले जाया करता था।

आगे जाकर तारुण्य का प्रभातकाल उदय हुआ। मेरा तृषित हृदय क्षुधा से व्याकुल होकर रोने लगा। तब अंतर व बाह्य के इस खेल में एकाएक विघ्न उपस्थित हो गया। मेरा 'जीवन सर्वस्व' दुखी हृदय के चारों ओर चक्कर मारने लगा। उसमें भंवर उठने लगे और अन्त में अपने 'जीवन सर्वस्व' का ज्ञान उनमें विलीन हो गया, डूब गया। दुखी होकर हृदय अपना अधिकार जमाने लगा। अंतर्बाह्य की विषमता बढ़ने लगी। उससे अभी तक जो सृष्टि पदार्थों में हिल-मिल कर बात-चीत किया करता था, वह बंद हो गया और इससे मुझे जो दुख हुआ उस दुख का मैंने 'संध्या-संगीत' में वर्णन किया है। आगे जाकर 'प्रभात संगीत' में इस विघ्न की किलेबंदी को तोड़ा। इसे तोड़ने के लिए मुझे किस वस्तु से उस पर आघात करना पड़ा, यह मुझे विदित नहीं है। परन्तु विघ्न की किलेबन्दी के टूटने से मेरी खोई चीज मुझे फिर मिली। उस वस्तु का लाभ मुझे केवल पूर्ण परिचित स्वरूप में ही नहीं हुआ, किन्तु संध्याकालीन वियोग के कारण अधिक गंभीर और पूर्ण परिणत स्थिति में मुझे उसका लाभ हुआ।

इस प्रकार मेरे जीवन रूपी पुस्तक के पहले भाग की समाप्ति मानी जा सकती है। इस भाग में संयोग-वियोग और पुनः संयोग इस प्रकार से तीन खंड हैं। परन्तु वस्तुस्थिति के अनुसार यही कहना अधिक सुसंगत होगा कि इस पुस्तक के पहिले भाग का अभी तक अन्त होना बाकी है वही विषय आगे भी चालू रखना पड़ता है। उसकी उलझनें सुलझानी पड़ती हैं। उनका संतोषकारक अन्त करना पड़ता है। मुझे तो यह मालूम होता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी पुस्तक का एक भाग ही समाप्त करने के लिये जगत में अवतरित हुआ करता है।

'संध्या-सङ्गीत' के रचनाकाल में लिखे हुए गद्य लेख 'विविध प्रबंध' के नाम से प्रकाशित हुए, और 'प्रभात संगीत' के रचनाकाल में लिखे हुए गद्य लेख 'आलोचना' के नाम से। इन दोनों गद्य लेख-मालाओं की विशिष्ट लक्षणता में जो अन्तर है, अस्तु, वह इन दोनों संगीतों के रचनाकाल के मध्य में मेरे में कौन-से परिवर्तन हुए उनका स्पष्ट निदर्शक है।

— — —

३४

राजेन्द्रलाल मित्र

इन्हीं दिनों में मेरे भाई ज्योतिरिंद्र के मन में प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वान लोगों की विद्वत्परिषद स्थापित करने की कल्पना उठी। बंगला भाषा में अधिकारयुक्त वाणी से पारिभाषिक शब्द निश्चित करना, तथा दूसरे मार्गों से इस भाषा की उन्नति करना ये दो इस परिषद के मुख्य ध्येय थे। वर्तमान बंग साहित्य परिषद जिस रूप से काम कर रही है, हमारी परिषद का ध्येय इससे कुछ भिन्न था।

डॉ० राजेन्द्रलाल मित्र को भी यह कल्पना बहुत अच्छी मालूम हुई और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने इस कल्पना का स्वागत किया। इस परिषद के अल्प जीवन-काल में ये ही उसके सभापति भी थे। हमारी इस परिषद के सभासद होने के लिए प्रार्थना करने के अर्थ मैं श्री विद्यासागर के पास गया और परिषद के उद्देश्य तथा आज तक बने हुए सभासदों की नामावली मैंने उन्हें पढ़कर सुनाई। मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम हम लोगों को छोड़ो। बड़े-बड़े पत्थरों को परिषद में रखकर तुम कुछ भी न कर सकोगे, क्योंकि वे लोग न तो कभी एक मत होंगे और न उनका परस्पर में कभी प्रेम ही होगा ऐसा उपदेश देकर सभासद बनना अस्वीकार कर दिया। बंकिम बाबू सभासद हो गये, परन्तु उन्होंने कभी परिषद के काम में विशेष लक्ष्य नहीं दिया और न कभी उत्साह ही बतलाया।

सच बात तो यह है कि जब तक परिषद चलती रही, तब तक राजेन्द्रलाल मित्र ही अकेले उसका सब काम उत्तरदायित्वपूर्ण रीति से किया करते थे। हमने भूगोल सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों के निर्णय करने का काम पहले-पहल हाथ में

लिया। इन शब्दों की सूची को डॉ० राजेन्द्रलाल ने स्वयं तैयार की और फिर छपवा कर सब सभासदों के पास भेजी। हमारी एक यह कल्पना थी कि देशों के नाम, वहाँ के रहने वाले जिसप्रकार उच्चारण करते हैं, बंगला में उसी प्रकार लिखे जांय।

श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का कहा हुआ भविष्य ठीक उतरा। बड़े आदमियों के द्वारा कोई भी काम इस परिषद का न हो सका और ज्योंही अंकुर फूटने के बाद पत्ते निकलने का समय आया, त्योंही परिषद का जीवन भी समाप्त हो गया। डॉ० राजेन्द्र सब बातों में निष्णात थे। प्रत्येक बात में वे तज्ञ थे। उस परिषद के कारण ही राजेन्द्र बाबू से परिचय होने का अलभ्य लाभ मुझे प्राप्त हुआ और इस लाभ से परिषद में किये हुए परिश्रम को मैंने सफल समझा। मुझे अपने जीवन में बहुत से बंगाली विद्वानों की मुलाकात का अवसर मिला है, परन्तु राजेन्द्रलाल मित्र के समान अपनी चतुराई की छाप मुझपर कोई न जमा सका।

माणिक टोला में कोर्ट आफ वार्ड्स के दफ्तर में जाकर मैं उनसे मिला करता था। जब-जब मैं जाता, उन्हें लेखन-वाचन व्यवसाय में व्यस्त पाता था। अपनी युवावस्था सम्बन्धी उद्धतता के कारण उनका अमूल्य समय लेने में मैं बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाता था और न कभी मुझसे मिलने में उन्हें दुखी होता देखता ही था। मुझे आता हुआ देखकर वे अपना काम एक ओर रख देते थे और मुझसे बातचीत करने लगते थे। वे जरा सुनते कम थे, इसलिये मुझे पूछने का वे बहुत ही कम अवसर देते थे। वे कोई गंभीर विषय को उठाते और उसी की चर्चा तथा ऊहा-पोह किया करते थे। उनके मिष्ट और विद्वतापूर्ण सम्भाषण से आकर्षित होकर ही मैं उनके पास जाया करता था। दूसरे किसी भी मनुष्य के सम्भाषण में भिन्न-भिन्न विषयों पर इतने गम्भीर विचारों का संग्रह मुझे प्राप्त नहीं हुआ। उनके सम्भाषण की मोहिनी से आनन्दित होकर मैं उनका कहना सुना करता था।

पाठ्य पुस्तकों का निर्णय करनेवाली समिति के वे एक सभासद थे ऐसा मुझे स्मरण है। जांच पड़ताल के लिये उनके पास जो पुस्तकें आतीं उन्हें वे पूरी पढ़ते और फिर पेन्सिल से निशान और टिप्पणी लिखा करते थे। कभी-कभी वे उन्हीं पुस्तकों में से किसी पुस्तक पर मुझसे चर्चा भी करते। चर्चा का विषय मुख्यतः बंगला की रचना और भाषा शास्त्र होता था। इन विषयों के सम्बन्ध में मित्र बाबू के सम्भाषण से मुझे बहुत लाभ हुआ। ऐसे बहुत ही थोड़े विषय थे, जिनका उन्होंने परिश्रमपूर्वक अध्ययन नहीं किया हो। वे जिस विषय का परिश्रमपूर्वक अध्ययन करते उसको स्थिर करने की [illegible] [illegible] उन्हें प्राप्त थी।

हमने जो परिषद स्थापित करने का प्रयत्न किया था उसके कामों में मित्र

दूसरे सभासदों पर अवलम्बित न रहकर यदि राजेन्द्र बाबू पर ही सब काम छोड़ दिया जाता, तो आज साहित्य परिषद ने जो काम हाथ में ले रखे हैं, वे सब उस एक ही व्यक्ति के कारण बहुत उन्नत अवस्था में पहुंचे हुए साहित्य परिषद को मिलते।

राजेन्द्रलाल पंडित थे और व्युत्पन्न थे। उनके शरीर का गठन भी भव्य था। चेहरे पर एक प्रकार का विलक्षण तेज था। सार्वजनिक व्यवहार में बड़े प्रखर थे। परन्तु अपनी विद्वता के अभिमान का कभी प्रदर्शन नहीं होने देते थे और मेरे जैसे छोकरे से भी गहन विषयों पर चर्चा करने में कभी अपनी मानहानि नहीं समझते थे। अपने बड़प्पन का ख्याल न कर मुझसे व्यवहार करते। इस व्यवहार का मैंने उपयोग भी किया और अपने पत्र 'भारती' के लिए उनसे लेख भी लिखाये। उनके समय में उनकी अवस्था के बहुत से बड़े-बड़े आदमी थे, परन्तु उनसे परिचय करने में मुझे कभी साहस नहीं हो पाता और यदि हो भी जाता तो राजेन्द्र बाबू के समान मुझे उनसे प्रोत्साहन कभी नहीं मिलता।

जब वे म्युनिसिपल कार्पोरेशन और युनिवर्सिटी सिनेट के चुनाव में खड़े होते तो प्रतिस्पर्धी के चेहरे पर हवाईयां उड़ने लगतीं और भय से उसकी छाती धड़कने लगती थी। उस समय क्रिष्णदास पाल' चतुर मुत्सद्दी थे और राजेन्द्रलाल मित्र रण-शूर योद्धा।

'रायल एशियाटिक सोसायटी' पुस्तकों का संशोधन और प्रकाशन किया करती थी। इस कार्य के लिए केवल शारीरिक परिश्रम करने वाले कई संस्कृत पंडित नियत करने पड़ते थे। इसी कारण कई क्षुद्र-बुद्धि के ईर्षालु लोग, मित्र बाबू पर यह आरोप किया करते थे कि संशोधन का सब काम पंडितों से करवाकर राजेन्द्र-लाल स्वत श्रेय लेने को तैयार रहते है।

किसी काम की जवाबदारी सिर पर उठाकर उसकी सिद्धि का श्रेय लेने वाले लोगों को केवल मंदिर की प्रतिमा समझने वाले व्यक्ति कई बार समाज में दिखलाई पड़ते हैं। ऊपर कहे हुए लोग भी इसी श्रेणी के थे। शायद गरीब, बेचारी लेखनी को भी यदि वाणी होती तो अपने भाग्य में काली स्याही और लेखक के भाग्य में कीर्ति की शुभ्र पताका देखकर खेद प्रकट करने का प्रसंग आया होता।

आश्चर्य है कि मृत्यु के बाद भी इस असामान्य व्यक्ति को उसके देशवासियों की ओर से जैसा चाहिये, आदर नहीं मिला। संभव है इसका एक कारण यह भी हो कि उनकी मृत्यु के थोड़े दिनों बाद ही ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की मृत्यु हुई थी और उससे सारा देश शोकग्रस्त हो गया था। इस कारण देश को राजेन्द्रलाल के प्रति आदर व्यक्त करने का अवसर ही न मिला हो। दूसरा भी एक कारण हो सकता है कि उनके सब लेख प्राय: दूसरी भाषाओं में होने के कारण उनका सम्बन्ध लोग-गंगा से जैसा चाहिये, नहीं हो सका हो।

———

३५
कारवार

कलकत्ते के सदर रास्ते पर रहना छोड़कर फिर हम सब लोग समुद्र के पश्चिम किनारे के 'कारवार' शहर में रहने को चले गये । बम्बई प्रान्त के दक्षिणी विभाग में कनड़ा जिले का यह शहर मुख्य स्थान है । संस्कृत साहित्य में मलय पर्वत के बीच के जिस प्रदेश का बार बार उल्लेख हुआ है उसी का यह भी एक भाग है । यहां वेलादोना की वेलें और चन्दन के वृक्ष बहुतायत से पाये जाते हैं । उन दिनों मेरे बड़े भाई वहां न्यायाधीश थे ।

इस छोटे से बंदर को टेकरियों ने घेर रखा है । यह बंदर ऐसे कोने में और एकांत स्थान में है कि वहाँ बंदर होने का कोई चिन्ह तक नहीं दिखता । अर्द्धचन्द्राकृति का तट ऐसा मालूम होता है मानों उसने समुद्र में अपनी भुजाएं ही फैला रखी हों । इस बालुकामय विस्तीर्ण तट पर नारियल, ताड़ी आदि के वृक्षों का अरण्य ऐसा मालूम होता है मानो अनंत को धुतकारने के प्रयत्न में उत्सुक हों । इस अरण्य में काली नदी बहती है जो इसी तट पर आकर समुद्र में मिल गई है । यह नदी समुद्र में मिलने के पहले दोनों किनारों पर की टेकरियों के बीच में से छोटे से पाट में बहती हुई आई है ।

मुझे स्मरण है कि एक बार चांदनी रात में हम लोग छोटी सी नाव में बैठ-कर नदी के ऊपर की ओर गये थे । रास्ते में हमें शिवाजी का एक पहाड़ी किला मिला । उसके नीचे हम लोग रुके और किनारे पर उतर कर जरा आगे बढ़े । एक किसान का झाडझूड कर साफ किया आंगन मिला । वहां एक जगह पसंद करके हमने साथ वाले खाने पीने के सामान पर हाथ साफ किया । लौटते समय नदी के प्रवाह के साथ साथ हमने अपनी नाव छोड़ दी । सम्पूर्ण [illegible] टेकरियों, अरण्यों

और शांति से वहनेवाली काली नदी पर चंद्र प्रकाश रूपी अस्त्र फेंक कर रात्रि ने अपना शासन जमा रखा था।

नदी के मुंह तक जाने में हमें बहुत समय लगा। इसलिये समुद्र के रास्ते से न लौटकर हम वहीं नाव से उतर पडे और फिर वालुकामय प्रदेश-स्थल रास्ते से घर को लौटे। उस कमय रात्रि बहुत बीत चुकी थी। समुद्र शान्त था। उस पर एक भी लहर नहीं उठती थी। सदा हवा से हिलकर आवाज करने वाले ताड़ वृक्ष भी इस समय निस्तब्ध थे। विस्तृत वालुकामय प्रदेश के आजू-बाजू की वृक्ष--राजी की छाया भी निश्चल थी और क्षितिज से मिली हुई काले रंग की टेकरियाँ वर्तु लाकृति में आकाश की छाया में शाँत चित्त से निद्रा ले रही थीं।

इस सर्वत्र फैली हुई निस्तब्धता और स्फटिकवत् चंद्र प्रकाश में हम मुट्ठी भर मनुष्य भी मुंह से एक अक्षर भी न निकालते हुए चुपचाप चले जा रहे थे। हमारे साथ केवल हमारी छाया जरूर थी। हम घर पहुंचे और बिस्तरे पर पडे रहे, परन्तु मुझे नींद ही नहीं आती थी। अपने से भी अधिक गूढ़ और गहन विषय में मेरी निद्रा शायद विलीन हो गई थी। उस समय मैंने एक कविता रची। यह कविता अति दूर स्थित समुद्र तट की रात्रि से एकमेक हो गई है। जिस स्मृति ने उस काव्य की रचना की, मेरे पाठक उससे अपरिचित हैं। अत: कह नहीं सकती कि वह कविता मेरे पाठकों के हृदय से किस तरह भिड़ सकेगी। मोहित बाबू ने जो मेरे काव्यों का संग्रह प्रकाशित किया था शायद इसी भय से उसमें भी इस कविता को उन्होंने स्थान नहीं दिया था। मैं अपनी 'जीवन स्मृति' में उसे स्थान देना उचित समझता हूं और पाठक भी ऐसा ही समझेंगे, ऐसी मुझे आशा है। (हिन्दी पाठकों को बंगला कविता का आनन्द न आने से यहाँ वह कविता नहीं दी गई है।)

यहाँ पर यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि भावनाओं से जब मन भर जाता है, तब लेखनी से कुछ बाहर निकल ही पडता है परन्तु इतने ही कारण से वह लेखन उत्तम रीति का नही माना जा सकता। अपने जो कुछ लिखते और बोलते हैं, उसपर मनोविकारों की छटा फैली रहती है। प्रकट करने योग्य मनोभावनाओं से अलिप्त रहना कभी ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह मनोभावनाओं में सर्वथा तल्लीन हो जाना भी अनुचित है। यह कवित्व के लिए पोषक नहीं हो सकता। कवित्व रूपी चित्र में रंग भरने के लिए स्मृति रूपी तूलिका कूची ही समर्थ है। मनोभावनाओं के निकट सानिध्य से कल्पना जकड़ जाती है और उसपर दवाव आकर पड़ जाता है। मनोविकारों के बंधनों को तोड़कर उन्हें दूर किए विना कल्पना शक्ति स्वतंत्रतापूर्वक विहार नहीं कर सकती। यह नियम केवल काव्य-शक्ति पर ही लागू नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक कला के लिए भी यही नियम है। कलाकुशल मनुष्य को प्रयत्न करके थोड़ी बहुत अलिप्तता प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अपनी कला के सर्वसाधारण नियमों के गुलाम हो जाना उचित नहीं है।

२६

प्रकृति प्रतिशोध

'कारवार' में रहते हुए ही मैंने 'प्रकृति प्रतिशोध' नामक नाटिका लिखी। इसका नायक एक सन्यासी था। सम्पूर्ण कामनाओं और प्रमोत्पादक वस्तुओं के बंधन से मुक्त होकर प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के वह प्रयत्न में था। उसका विश्वास था कि मिथ्या जगत के बन्धनों को तोड़ने से आत्मा का वास्तविक रहस्य और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस नाटिका की नायिका एक बालिका कुमारी थी। यह उस सन्यासी को फिर अपने पूर्वाश्रम में खींच लाई। अनन्त के साथ वाले व्यहार से उस सन्यासी को विमुख कर पुनः मानवी प्रेम बन्धन और उस संसार में ला पटका पूर्वाश्रम में लौट आने पर उस सन्यासी को मालूम पड़ा कि 'छोटे में ही बड़ा मिलेगा साकार में अनन्त की निराकारता विलीन होती हुई दिखलाई पड़ेगी और आत्मा का नित्य स्वातंत्र्य, प्रेम के मार्ग में प्राप्त होगा। वास्तव में देखा जाय' तो प्रेम के प्रकाश में ही संसार के बन्धन अनन्त में विलीन होते हुए अपने को दिखलाई पड़ेंगे।

सृष्टि का सौन्दर्य कल्पना निर्मित मृगजल नहीं है। उसमें अनन्त का आनन्द पूर्णतया प्रतिबिंबित हो रहा है। इस आनन्द में तल्लीन होकर मनुष्य किस प्रकार अपने आपको भूल जाता है, इसका अनुभव प्राप्त करने के लिए 'कारवार' का समुद्र तट एक योग्य स्थान है। जब सृष्टि अपने नियमन रूपी जादू के द्वारा अपना परिचय कराती है, तब 'अनंत' की अनंतता हमसे छुपी नहीं रह सकती। उस समय यदि सृष्टि के क्षुद्र पदार्थों के साथ सम्बन्ध होते ही उनके सौंदर्य से मन प्रसन्न हो जाय तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ? परिमित के सिंहासन पर विराजमान अनंत का परिचय प्रकृति ने सन्यासी को प्रेम मार्ग के द्वारा करवा दिया 'प्रकृति प्रतिशोध' में दो प्रकार के, एक दूसरे से विरुद्ध, चित्र चित्रित किये गये हैं। एक ओर रास्ता चलने वाले

पथिक और गावों के लोगों का चित्र, दूसरी ओर ऊपर कहे हुए सन्यासी का। रास्ता चलने वाले पथिक और ग्रामीण लोग किस प्रकार होते हैं, यह बात सब जानते ही हैं। वे अपने क्षुद्र काम में तल्लीन रहने वाले और अपने घरेलू कामों के सिवाय दूसरे कामों की रत्ती भर भी कल्पना जिन्हें नहीं है, ऐसे होते हैं। ये लोग भाग्य से प्राप्त परिस्थिति में संतोष मानते है और अपने बाल-बच्चे ढोर-ढाँकर खेती-बाड़ी, उद्योग-धंधे में ही व्यस्त रहते है। इस प्रकार सृष्टि पदार्थों से स्नेह रखकर उनमें आत्मभाव स्थापित करने वाले इन लोगों का चित्र एक ओर, और दूसरी ओर सर्व सङ्ग परि-त्याग करने में व्यस्त और अपनी ही कल्पना से उत्पन्न तथा पूर्णत्व प्राप्त अनंनत्व के प्रति अपना सर्वस्व और अपने आपको अर्पण करने के लिए तत्पर सन्यासी का चित्र। इस प्रकार एक दूसरे से विरूद्ध दो चित्र उस नाटिका में चित्रित किये थे। अन्त में जाकर नाटिका में यह दिखलाया गया है कि परिमित और अनंत इन दोनों के बीच में रहे हुए अन्तर पर प्रेम का पुल बांधा गया और उसके कारण आकस्मिक रीति से परिमित और अनंत का सम्मेलन हो गया। सन्यासी और गृहस्थी परस्पर में छाती से छाती लगाकर मिले। ऊपरी तौर पर दिखलाई पड़ने वाली परिमित की निःसारता और अपरिमित की शुष्कता, दोनों ही नष्ट हो गईं।

मेरे निज के अनुभव की भी प्रायः यही दशा है। केवल उसके स्वरूप में थोड़ा सा अन्तर है। बाह्य जगत से संबध तोड़कर जगत से अत्यन्त दूरी पर स्थित गहन गुफा में जाकर में बैठ गया। वहां इसी प्रकार का देह भाव नष्ट करने वाला किरण आ पहुंचा और उसने मुझे फिर जगत से मिला दिया। 'प्रकृति प्रतिशोध' नाटिका मेरे भविष्य जीवन के वांगमय व्यवसाय की प्रस्तावना ही थी, क्योंकि इसके आगे मेरें सब लेखों में प्राय. इसी विषय की चर्चा हुई है। अर्थात् परिमित में अपरिमित खोजना और आनंद प्राप्त करना ही उन लेखों का ध्येय रहा है।

'कारवार' से लौटते हुए रास्ते में जहाज पर 'प्रकृति प्रतिशोध, के लिए मैंने कुछ पद्य तैयार किए। पहला ही पद प्रथम मैंने गाया, फिर उसे लिख डाला। उस समय मुझे अत्यंत आनन्द हुआ।

उस गायन का भाव यह है कि:—'सूर्य उदीयमान है। फूल, फूल रहे हैं। ग्वालों के बालक गायों को चराने ले जा रहे हैं। वनश्री पूर्ण शोभायमान है, परन्तु ग्वाल बालों को उससे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। और न वे गायों को चराते हुए छोडकर मनमाने ढंग से खेलहीं रहे है। उन्हें इस समय अटपटा सा मालूम होता है। मनमें उदासी है। यह सब क्यों? इसलिये कि उनका साथी श्याम (कृष्ण) उनके बीच में नही है। उसके लिये उनका मन छटपटा रहा है। प्रकृति

के इस सौन्दर्य में वे कृष्ण के रूप में अनन्त को देखना चाहते हैं। वे इतने सवेरे अनन्त के साथ खेल खेलने को उठे हैं। दूर से ही देखकर अथवा उसके प्रभाव से प्रभावित होकर अनन्त का गुणगान करना वे नहीं चाहते। न इस सम्बन्ध में उनके हृदय रूपी वही में कुछ 'जमा' 'नाम' ही है। उन्हें तो केवल एक सादा पीत वस्त्र और वन-पुष्पों की माला की जरूरत है। इसी सादे रूप में वे अनन्त का दर्शन कर सकते हैं। जहां चारों ओर आनंद का साम्राज्य फैला हुआ हो वहां उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम करना अथवा बड़ी धूम-धाम से प्रयत्न करना, उस आनन्द पर पानी फेरना है। वहां तो सीधे-सादे रूप में ही उसका दर्शन हो सकता है और वही ग्वाल-बाल चाहते हैं।

'कारबार' से लौटने पर मेरा विवाह हुआ। उस समय मेरी अवस्था बाईस वर्ष की थी।

३७

चित्र और गायन

इस समय मैंने जो कविताऐं लिखीं, उस पुस्तक का नाम 'छबी ओ गान' (चित्र और गायन) रखा था। उस समय हम लोअर सरक्यूलर रोड पर रहते थे। हमारे घर में एक बाग था और उसके दक्षिण की ओर एक बड़ी 'वस्ती'* थी। मैं कई बार खिड़की में बैठकर इस गजगजाती हुई बस्ती के दृश्य देखा करता था। अपने अपने काम में तल्लीन मनुष्य, उनके खेल, उनके विनोद, इधर उधर आना जाना आदि देखकर मुझे बड़ा आनन्द प्राप्त होता और एक चलती फिरती कथा का भास होता था।

किसी एक बात की ओर भिन्न भिन्न दृष्टिबिंदुओं से देखने की शक्ति इस समय मुझमें विशेष रूप से थी। मैंने अपनी कल्पना के प्रकाश और हृदय के आनंद के द्वारा छोटे छोटे चित्र बना डाले थे और प्रत्येक चित्र में उसकी विशेषता के अनुसार करुण रस के द्वारा एक दूसरे से भिन्न रंग भरे गये थे। इस प्रकार प्रत्येक चित्र भिन्न भिन्न रूप से सजाना, चित्र में रंग भरने के ही समान आनंददायक था, क्योंकि दोनों कार्य एक ही इच्छा के फल थे। नेत्रों से जो दिखता है, उसे मन देखना चाहता है और जिसकी मन कल्पना करता है, उसे नेत्र देखना चाहते हैं। मैं यदि चित्रकार होता तो अपने मन के द्वारा बनाई हुई सम्पूर्ण कृतियों और सम्पूर्ण दृश्यों में कूंची से रंग भर कर उनका स्थाई स्मारक बना डालता। परन्तु मुझे यह साधन प्राप्त होने योग्य नहीं थे। मेरे पास तो ताल और स्वर ही साधन थे और इन

---

*जहाँ कवेलु से छाये हुए बहुत—घने घर होते हैं और बीच बीच में छोटी छोटी गलियाँ होती है शहर के उस स्थान को ही वस्ती कहा गया है। कलकत्ता में पहिले ऐसी वस्तियाँ बहुत थीं।

साधनों से स्थायी ठप्पा उठाना भी मैं सीखा नहीं था। निश्चित मर्यादा से बाहर भी रंग फैल जाया करता था। परन्तु जिस प्रकार छोटे छोटे लड़के चित्रकला का शुरू में अभ्यास करते समय अपनी रंग की पेटी का लगातार उपयोग करते हैं उसी प्रकार मैं भी अपने नूतन तारुण्य के विविध रंगों से सुसज्जित कल्पना चित्रों को रंगने में दिन के दिन व्यतीत कर देता था। मेरी अवस्था के बाईसवें वर्ष के प्रकाश में यदि वे चित्र देखे जांय तो अभी भी उनका कुछ भाग अटपटी आकृति और पुछे पुछाये रंग के रूप में दिखलाई पड़ेगा।

मैं पहिले कह चुका हूं कि मेरे साहित्यिक जीवन का प्रथम भाग 'प्रभात संगीत' के साथ-साथ समाप्त हो गया था और उसके आगे के भाग में भी मैंने वही विषय दूसरे रूप में चालू रखा। मेरा यह विश्वास है कि इस भाग के कई पृष्ठ बिल्कुल ही निरुपयोगी हैं। किसी भी नये कार्य को प्रारम्भ करते समय कुछ बातें योंही फिजूल करनी पड़ती हैं। यही यदि वृक्ष के पत्ते होते तो उचित समय पर सूख कर झड़ जाते। परन्तु पुस्तकों के पत्ते तो ग्रंथकार के दुर्दैव से आवश्यकता न होते भी पुस्तक से चिपक कर लगे रहते हैं। इस कविता का मुख्य गुण यह था कि इसमें छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान दिया गया था। ठेठ हृदय में उत्पन्न भावनाओं के रंग में इन तुच्छ बातों को रंग कर उन्हें महत्वपूर्ण बनाने का एक भी अवसर मैंने इस 'छवि ओ गान' नामक पद्य में नहीं खोया। इतना ही नहीं, जिस समय मन के तार को विश्व के गान के साथ एक तानता होती है, उस समय विश्व गायन का प्रत्येक नाद, प्रतिनाद उत्पन्न कर सकता है और इस प्रकार से अन्तर्गान के प्रारम्भ होने पर फिर लेखक को कोई भी बात और कोई भी प्रसंग निरर्थक प्रतीत नहीं होता। जो जो मैंने अपने नेत्रों से देखा, अंतरंग उन सबको स्वीकार करता गया। रेती, पत्थर, ईंट जो मिले उनसे छोटे बालक खेलने लगते हैं। वे यह नहीं सोचते कि ईंट का ढेला किस काम का और रेती से कैसे खेला जाय। इसका कारण यह कि उनकी आत्मा उस समय क्रीड़ामय होती है। उसी प्रकार जब हम तारुण्य के नवीन संगीत से पूरित हो जाते हैं, तब हमें यह मालूम होता है कि विश्ववीणा के सुरीले तार सर्वत्र फैले हुए हैं। अपने हाथ के पास और दूसरा पास, किसी भी तार पर हाथ रखो, उनसे सुस्वर ध्वनि निकलेगी ही।

———

३८

कुछ बीच का समय

'छवि ओ गान' और 'कड़ी ओ कोमल' इन दोनों रचनाओं के बीच के समय में 'बालक' नामक बालकों का मासिक पत्र प्रकाशित हुआ, और एक छोटे से पौधे के गल जाने के समान वह थोड़े से समय में बन्द भी हो गया। मेरी दूसरी बहिन की बालकों के लिए सचित्र मासिक पत्र प्रकाशित करने की बड़ी इच्छा थी। अतएव उसने इस प्रकार के मासिक पत्र के प्रकाशन की बातचीत शुरू की। उसकी पहली कल्पना यह थी कि कुटुम्ब के छोटे-छोटे बालक ही उसके लिए लेख लिखें और वे ही उसका संचालन करें, परन्तु इस योजना के सफल होने में संदेह प्रतीत होने पर वह स्वयं ही उसकी संपादक बनी और मुझसे लेखों द्वारा सहायता करने के लिए कहा। इस प्रकार उस 'बालक' का जन्म हुआ। पहला या दूसरा अंक निकलने के बाद मैं राजनारायण बाबू से मिलने योंही देवगढ़ चला गया था। वहाँ थोड़े दिन रहकर मैं लौटा। रास्ते में बड़ी भीड़ थी। किसी तरह एक डिब्बे मे ऊपर की बैठक पर मुझे जगह मिली। मेरे सिर पर ही रोशनी थी। उस पर कोई ढक्कन न होने से उसका तीव्र प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़ता था। अत मुझे नींद नहीं आई। मैंने विचार किया कि बालक' के लिए कोई कहानी लिखूं। कहानी के लिए कथानक सोचने का यह ठीक अवसर है। मैंने इसके लिए खूब प्रयत्न किया, परन्तु कोई कथानक ध्यान में नहीं आया। हाँ, नींद जरूर आ गई। कुछ देर बाद मैंने एक स्वप्न देखा कि 'एक देवमंदिर की सीढ़ियाँ वध किए हुए प्राणियों के रक्त से लथपथ हो रही हैं। एक छोटी लड़की अपने पिता के पास खड़ी होकर करुणामय शब्दों में कह रही है—'पिताजी यह क्या ? यहां रक्त कहां से आया ? उसका पिता भी भीतर ही भीतर अधीर हो रहा है, परन्तु वह अपनी

स्थिति प्रकट न होने देकर बालिका को चुप करने का प्रयत्न करता है।' बस इसके आगे मेरी नींद खुल गई। मुझे कहानी के लिए मसाला मिल गया। यही क्यों मुझे कई कहानियों के लिये इसी तरह स्वप्न में कथानक सूझे हैं। मैंने अपना यह स्वप्न 'टिपरा' के राजा माणिक के चरित्र में मिलाकर कहानी लिख डाली। इसका नाम राजर्षि' रखा। वह 'बालक' में क्रमश प्रकाशित; हुई।

मेरे जीवन का यह समय चिंता से बिलकुल विहीन था। मेरे पीछे किसी भी तरह की चिन्ता न थी। मेरे इस जीवन के लेखों अथवा कहानियों में किसी भी प्रकार की चिन्ता दिखलाई नहीं पड़ती। जीवन रूपी मार्ग के पथिकों के झुण्ड में मैं अब तक शामिल नहीं हुआ था। मैं तो इस मार्ग की ओर अपनी खिड़की में से झांक-झांक कर देखने वाला एक प्रेक्षक था। मुझे अपनी खिड़की में से इधर से उधर अपने अपने कामों के लिये आने जाने वाले लोग दिखलाई पड़ते थे और मैं अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ देखता रहता था। हाँ, बीच-बीच में वसंत अथवा वर्षा ऋतु बिना परवाना लिए मेरे कमरे में घुस आते और कुछ समय तक मेरे ही पास रहते।

मुझसे न केवल ऋतुओं का ही सम्बन्ध होता था, किन्तु कभी-कभी समुद्र में भटकने वाले लंगर विहीन जहाज के समान कितने ही लोग मेरी इस छोटी सी कोठरी पर आक्रमण करते और उनमें से कुछ लोग मेरी अनुभवहीनता से लाभ उठाकर और अनेक युक्ति-प्रयुक्तियाँ लड़ा कर अपना काम बना लेने का प्रयत्न भी किया करते थे। वास्तव में देखा जाय तो मेरे द्वारा अपना काम बना लेने के लिये उन्हें इतना परिश्रम करने की जरूरत भी न थी क्योंकि एक तो मुझमें जैसी चाहिए, गंभीरता न थी और दूसरे मैं भावुक व्यक्ति था। मेरी निज की जरूरतें बहुत ही थोड़ी थीं। मेरा रहन-सहन बिल्कुल सादा था और विश्वस्त तथा अविश्वस्त लोगों को पहचान लेने की कला मुझे बिल्कुल ही मालूम न थी। कई बार मेरी यह समझ हो जाती थी कि मैं विद्यार्थियों को जो फीस की सहायता देता हूं उसकी इन्हें उतनी ही जरूरत है जितनी कि उनकी पढ़ी हुई पुस्तकों की है।

एक बार एक लंबे बालों वाला तरुण अपनी बहिन का एक पत्र लेकर मेरे पास आया। उस पत्र में लिखा था कि 'इस तरुण की सौतेली माता इसे बहुत कष्ट देती है। अतः इसको मैं अपने आश्रम में रखूं।' पीछे से मुझे मालूम पड़ा कि उस तरुण व्यक्ति के सिवाय जो कुछ लिखा या कहा गया था, सब काल्पनिक था।

बहिन काल्पनिक सौतेली माता काल्पनिक और सब कुछ काल्पनिक। मालूम नहीं उसे इतने झगड़े करने की क्या जरूरत पड़ी। अरे उड़ न सकने वाले पक्षी के शिकार के लिए अमोघ अस्त्र चलाने की भला क्या जरूरत है?

दूसरी बार फिर इसी तरह का एक तरुण मनुष्य मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बी० ए० का अभ्यास करता हूं, परन्तु मेरे मस्तिष्क में विकार हो जाने के कारण परीक्षा देने में असमर्थ हूं। यह सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। वैद्यक शास्त्र में मेरी गति न होने के कारण मुझे यह नहीं सूझता था कि मैं इसे क्या उत्तर दूं। कुछ समय बाद उसी ने कहा कि आपकी स्त्री पूर्वजन्म की मेरी माता है ऐसा मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा है। मुझे यदि उनका चरणामृत प्राशन करने को मिले तो मैं अच्छा हो जाऊं। इस बात पर वह अपना विश्वास प्रकट करने लगा। जब उसने देखा कि मुझ पर इसका कुछ भी परिणाम नहीं होता तब अंत में हंसते-हंसते उसने कहा कि संभवत ऐसी बातों पर आप की श्रद्धा नहीं होगी। मैंने उत्तर दिया कि इस बात का मेरी श्रद्धा से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु तुझे यदि यह विश्वास है कि इससे तुम्हे लाभ होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 'तुम बैठो' कहकर मैंने अपनी स्त्री के पैरों का नक़ली चरणामृत लाकर दे दिया। प्राशन करने के बाद उसने कहा कि अब मुझे तबीयत ठीक मालूम होती है। पानी के बाद अन्न की स्वभावत: बारी आती ही है। यहां भी वही हुआ और भोजन की इच्छा प्रदर्शित कर वह मेरी कोठरी में जम गया। अंत में उसकी धृष्टता यहां तक बढ़ गई कि वह मेरी कोठरी में ही रहने लगा और अपने सगे साथियों को इकट्ठा कर धूम्रपान के सम्मेलन भरने लगा। अंत में धूम्र से भरी हुई उस कोठरी में से मुझे ही भागना पड़ा। उसने अपने कार्यों से निःसंशय यह तो सिद्ध कर दिया कि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया है, परन्तु उसका मस्तिष्क निर्बल अवश्य नहीं था।

इस अनुभव ने उक्त तरुण के मेरे पुत्र होने के सम्बन्ध में मेरा पूर्ण विश्वास करा दिया। इस घटना से मैं समझता हूं कि मेरी कीर्ति भी बहुत फैल गई थी, तभी तो कुछ दिनों बाद मुझे फिर एक लड़की का (मेरी स्त्री के पूर्व जन्म की लड़की का) एक पत्र मिला। परन्तु इस बार तो मैंने चित को दृढ करके शान्ति के साथ इस बात को टाल ही दिया।

इन दिनों बा० श्रीशचन्द्र मजूमदार से मेरा स्नेह सम्बन्ध शीघ्रता से बढ़ रहा था। प्रतिदिन शाम को प्रिय बाबू और श्रीशचन्द्र मजूमदार मेरे पास इस छोटी सी कोठरी में आते और हम तीनों बहुत रात बीते तक साहित्य और संगीत पर मनमानी चर्चा भी किया करते। कई बार तो इस प्रकार के वाद-विवाद में दिन-दिन भर लग जाता था। बात यह है कि इस समय तक मेरे जीवन की कोई रूप रेखा ही नहीं बनी थी, इस कारण उसे निश्चित और बलवान स्वरूप भी प्राप्त नहीं हुआ था। यही कारण है कि मेरा जीवन शरद्‌काल के निस्सत्व और हलके मेघों के समान मारा-मारा फिरता था।

३९

बंकिमचन्द्र

इन्हीं दिनों बंकिम बाबू के साथ मेरा परिचय होना प्रारम्भ हुआ। यों तो मैंने उन्हें कई दिनों पहिले ही देख लिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थियों ने अपना एक सम्मेलन करने का विचार किया था। इसके एक अगुआ बाबू चन्द्रनाथ वसु भी थे। आगे पीछे मुझे भी उन्हीं में का एक होने का अवसर प्राप्त होगा, संभवत: ऐसा उन्हें मालूम हुआ होने के कारण अथवा दूसरे कोई कारण से उन्होंने एक अवसर पर अपनी कविता पढ़ने के लिये मुझसे निवेदन किया। चन्द्रनाथ बाबू उस समय बिलकुल नवयुवक थे। मुझे ऐसा स्मरण है कि शायद उन्होंने एक जर्मन युद्ध-गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और उसे वे उक्त सम्मेलन में पढ़कर सुनाने वाले थे। इसकी तामील के लिये वे हमारे यहां आये और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने वह गीत हमें बार-बार सुनाया। एक सैनिक के अपनी प्यारी तलवार को उद्दिष्ट करके रचे हुए गीत में चन्द्रनाथ बाबू को तल्लीन होते देखकर पाठक सहज ही अनुमान कर सकते हैं कि चन्द्रनाथ बाबू तरुण थे और तारुण्य के उत्साह ने उन पर अधिकार भी जमा रखा था। इसके सिवाय सचमुच वे दिन भी कुछ दूसरे ही प्रकार के थे। विद्यार्थी सम्मेलन की भीड़-भाड़ में इधर-उधर फिरते-फिरते मुझे एक विशेष व्यक्ति दिखलाई पड़ा। वहां एकत्रित मनुष्यों में अथवा दूसरे भी जगह वह व्यक्ति छिप नहीं सकता था। वह तो तुरन्त ही आंखों में भर जाता था, क्योंकि वह भव्य, ऊंचा और अच्छे गठनवाला था। उसका तेज पुंज व प्रभावशाली चेहरा देखकर उसके विषय में मैं अपनी जिज्ञासा तृप्त किये बिना न रह सका। जिसका नाम जानने की मुझे इतनी छटपटाहट थी, वह बंकिम बाबू है, ऐसा जब मुझे मालूम हुआ, तब मेरे आश्चर्य की सीमा ही न रही। [illegible]

समान उनकी आकृति का भी सतेज और उठावदार होना, यह एक चमत्कारिक और अनुभूत संयोग था। उनकी वह सरल और गरुड़ के समान नासिका दबे हुए होंठ और तीक्ष्ण दृष्टि, यह सब उनकी मर्यादा रहित शक्ति के द्योतक थे। अपनी छाती पर भुजाओं को मिलाकर उस भीड़ में उन्हें अकेले फिरते हुए देखकर मैं उनके प्रति तल्लीन हो गया। उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता का वह एक बड़ा सा संग्रह दिखलाई पड़ता था और उच्च श्रेणी के मनुष्यत्व के चिन्ह उनके मस्तिष्क पर स्पष्ट दिखलाई पड़ रहे थे।

इस सम्मेलन के अवसर पर एक ऐसी छोटी सी बात हुई, जिसका चित्र मेरे स्मृति पटल पर स्वच्छ रूप से उघड़ आया है। वह यह कि एक दालान में एक पंडितजी अपनी बनाई हुई संस्कृत कविताएं श्रोता जनों को सुना रहे थे और बंगला भाषा में उनका भाव समझाते जाते थे। उनमें एक उल्लेख ऐसा आया जो यद्यपि अत्यन्त वीभत्स तो नहीं था, परन्तु घृणित जरूर था। जब पंडितजी उस उल्लेख का भाष्य करने लगे तो बंकिम बाबू अपने हाथों से अपना मुंह ढांककर वहाँ से चले गये। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। अभी भी दालान से निकलती हुई उस समय की उनकी रोमांचित मूर्ति मेरे नेत्रों के आगे खड़ी हो जाती है।

इस सम्मेलन के बाद उनके दर्शनों के लिये मैं अत्यन्त उत्सुक हो गया, परन्तु उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला। अन्त में एक बार जब वे हवड़ा में डिपुटी मजिस्ट्रेट थे, मैं बड़ी धृष्टतापूर्वक उनके पास गया। मुलाकात हुई और बड़े प्रयत्नों से उनके साथ बातचीत करने का मुझे साहस हुआ। बिना बुलाए, बिना किसी के द्वारा परिचय हुए, इतने बड़े मनुष्य से अपने आप मिलने जाना उच्छृंखल तरुण का ही काम हो सकता है, ऐसा जानकर मुझे बड़ी लज्जा मालूम होने लगी।

कुछ वर्ष बाद मैं थोड़ा बड़ा हो गया, तो मेरी गणना साहित्य भक्तों में — छोटी अवस्था का साहित्य भक्त इस दृष्टि से होने लगी। गुण की दृष्टि से तो मेरा नंबर अभी भी निश्चित नहीं था। मेरी जो थोड़ी बहुत कीर्ति फैली थी, उसके संबन्ध में यह मत था कि उसका कारण प्राय: संशय और लोगों की कृपा है। उस समय बङ्गला में यह रिवाज हो गया था कि अपने यहाँ के प्रसिद्ध कवियों को पाश्चात्य कवियों का नाम दिया जाय। इस रीति से एक कवि बंगाल का 'बायरन' हुआ। दूसरा 'इमर्सन' माना जाने लगा। किसी को 'वर्डस्वर्थ' बनाया और कुछ लोग मुझे 'शैले' कहने लगे। वास्तव में यह 'शैले' का अपमान था और मेरी दूनी हँसी का कारण।

मेरा छोटा सा सर्वमान्य नाम था 'तोतला कवि'। मेरा ज्ञान संचय बहुत ही थोड़ा था और जगत का अनुभव तो नाममात्र को भी नहीं। मेरे गद्य-पद्य लेखों में तत्त्वार्थ की अपेक्षा भावनाओं को ही अधिक स्थान प्राप्त था। इसका यह परिणाम होता कि मेरे लेखों में मन को संतोषकारक स्तुति करने योग्य कोई बात किसी को नहीं मिलती। मेरी पोशाक और चाल ढाल भी विसंगत थी। लम्बे-लम्बे बाल मैंने रखाए थे। सारांश यह कि 'कवि' को शोभा देने योग्य मेरी चाल ढाल नहीं थी। एक शब्द में मेरा वर्णन किया जाय तो वह शब्द 'विक्षिप्त' हो सकता है। साधारण मनुष्य के समान दैनिक सांसारिक व्यवहारों से मेरा मिलान होना कठिन था।

इन्हीं दिनों बाबू अक्षय सरकार ने 'नव-जीव' नामक समालोचना सम्बन्धी मासिक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। मैं भी इसमें बीच-बीच में लेख दिया करता था। बंकिम बाबू ने बंग दर्शन का संपादकत्व अभी छोड़ा ही था। वे धार्मिक चर्चा में लग गये थे और इसके लिये 'प्रचार' नामक मासिक पत्र निकाला था। इसमें भी मैं कभी-कभी कविता भेजा करता था और कभी वैष्णव कवियों की स्तुति से भरे हुए लेख भी भेजता रहता था।

अब मैं बंकिम बाबू से बार-बार मिलने लगा। उन दिनों वे भवानी दत्त स्ट्रीट में रहते थे। यद्यपि मैं उनसे बार-बार मिलता जरूर था, परन्तु हमारा संभाषण आपस में बहुत कम होता था। उन दिनों मेरी अवस्था बोलने की नहीं, सिर्फ सुनने के योग्य थी। यद्यपि वाद-विवाद करने की मुझे इच्छा तथा उत्कंठा होती और वाद विवाद शुरू करने के लिये मैं छटपटाने भी लगता, परन्तु अपने सामर्थ्य का अविश्वास मेरी बोलती बन्द कर दिया करता था। कभी कभी संजीव बाबू (बङ्किम बाबू के एक भ्राता) तकिए से टिककर पड़े बैठे हुए मुझे मिलते। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आनन्द होता, क्योंकि वे बड़े आनन्दी जीव थे। बातचीत से उन्हें बहुत ही आनन्द होता। उनकी बातचीत विनोद प्रचुर हुआ करती। जिन्होंने उनके लेख पढ़े होंगे, उन्हें उनके सीधे सादे संभाषण के समान उनका लेखन-प्रवाह भी सहज, सरल और शांत दिखलाई पड़ा होगा। भाषण शक्ति की यह देन बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त होती है और लेखों में भी उस शक्ति का स्पष्टीकरण करने की योग्यता तो उससे भी थोड़े लोगों में।

इसी समय पं० शशधर की प्रसिद्धि होने लगी। यदि स्मरण शक्ति ठीक है तो मैं कह सकता हूँ कि बंकिमबाबू ही उन्हें सामने लाये। वे पाश्चात्य शास्त्रों की सहायता से अपने लुप्तप्राय महत्त्व को पुनः प्रकाशित करने के पुराण सम्बन्धी

हिन्दुओं के प्रयत्नकर्ताओं में से थे। वे प्रयत्न सम्पूर्ण देश में शीघ्रता के साथ फैल गये। इसके पहिले से थियासफी इस आन्दोलन की पूर्व तैयारी कर ही रही थी। बंकिम बाबू इस ध्येय में पूर्णतः तदात्म्य नहीं हुए थे। बंकिम बाबू हिन्दू धर्म पर 'प्रचार' में जो लेख लिखते उस पर पं० शशिधर की नाम मात्र भी छाया नहीं पड़ती थी और न ऐसा होना संभव ही था।

मैं उस समय अपनी अज्ञान स्थिति में से बाहर आ रहा था। इसका प्रमाण वाग्युद्ध में फेंके हुए मेरे बाण देंगे। इन बाणों में कुछ उपहासजनक काव्य थे, कुछ विनोदयुक्त प्रहसन और कुछ समाचार पत्रों को भेजे हुए मेरे पत्र। इस प्रकार भावना के वन में से निकल कर मैं अखाड़े में उतर पड़ा और युद्ध के जोश में आकर बंकिम बाबू पर टूट पड़ा। इस घटना का इतिहास 'प्रचार' और 'भारती' में सन्निबद्ध है। अतएव उसकी पुनरुक्ति करने की यहां आवश्यकता नहीं। इस वाद-विवाद के अन्त में बंकिम बाबू ने मुझे एक पत्र लिखा। दुर्दैव से वह पत्र कहीं खो गया। यदि वह पत्र आज उपलब्ध होता तो पाठक उससे भली-भांति यह जान सकते कि बंकिम बाबू ने अपने उदार अन्तःकरण में से इस दुर्दैवी घटना की शल्य किस प्रकार निकाल डाली थी।

४०

निकम्मी जहाज

किसी समाचार-पत्र में विज्ञापन पढ़कर मेरे भाई ज्योतिरिंद्र एक नीलामी में गये। वहां से शाम को लौटने पर उन्होंने हम लोगों से कहा कि मैंने नीलाम में सात हजार रूपयों में एक फौलादी जहाज खरीदा है। जहाज था तो अच्छा, परन्तु उसमें न तो एंजिन था और न कमरे। उस जहाज को सर्वाङ्ग परिपूर्ण करने के लिए सिर्फ उक्त बातों की ही जरूरत थी।

सम्भवत: उस समय मेरे इस भाई को मालूम हुआ होगा कि अपने देशबंधु केवल मुंह से बड़बडाने वाले हैं। मुंह और लेखनी को जोर शोर के साथ चलाने के सिवाय उनसे और कोई काम नहीं होता। एक भी जहाजी कंपनी भारतीयों के हाथ में न होने से उन्हें बड़ी लज्जा प्रतीत हुई होगी। मैं पहले कह आया हूं कि उन्होंने एक बार आग काड़ी (दियासलाई) तैयार करने का प्रयत्न किया परन्तु उनकी सलाइयां सुलगती ही न थीं। इसी तरह भाप से चलने वाला करघा खरीदा उसपर भी कपडा बुनने का खूब प्रयत्न किया, परन्तु सफलता नहीं मिली। जैसे-तैसे उसपर एक टाविल ही तैयार हो पाया और फिर यह सदा के लिए बंद हो गया। इस बार उनके मस्तिष्क में देशी जहाज चलाने की धुन पैदा हुई और ऊपर कहे अनुसार वे जहाज़ खरीद लाए। आगे जाकर क्रमश: आवश्यक यंत्र उसमें लगाये और कमरे भी बनाए गये। वह जहाज, यंत्र, कमरे आदि उपकरणों से भर गई और कालान्तर में हानि और विनाश से भी वह खूब भरी।

इतना होने पर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इस प्रयत्न का कष्ट और हानि मेरे भाई को ही उठाना पड़ा, परन्तु उस अनुभव का लाभ देश के उपयोग में

आता। वास्तव में व्यापारी-बुद्धि-विहिन, व्यवहार में हिसाबी पद्धति न रखने वाले और देश-हित की चिंता मे छटपटा कर काम में लग जाने वाले व्यक्ति ही अपनी कार्य शक्ति से उद्योग धंधे के क्षेत्रों को सदा भरने रहते हैं।

ऐस लोगों के कार्यो का पूर जितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी वह उतर भी जाता है, परन्तु पूर के साथ-साथ जमीन को कसदार बनाने वाली मिट्टी का जो प्रवाह बहकर आता है, वह पूर उतर जाने पर भी बच रहता ही है। झाड़ झंगड़ काट कूट कर जमीन को तैयार करने वाले का परिश्रम पीक (फसल) पैदा करते समय किसी के भी ध्यान में नहीं आता। नवीन खोज करने वाले को जो परिश्रम, शक्ति और धन खर्च करना पड़ता है, यहां तक कि उसका सर्वस्व नष्ट नहीं हो जाता है, उसका लाभ उसे नहीं मिलता। केवल उसका अनुभव ही बच रहता है, जिसका उपयोग आगे की पीढ़ी को होता है। कष्ट उठाकर पूर्वजों द्वारा लगाये हुए वृक्षों के मधुर फल चखते समय फिर उन पूर्वजों का स्मरण तक न होना, वह एक तरह से उनका दुर्दैव ही है। जीवन पर्यन्त आनन्दपूर्वक जबाबदारी और धोखे के कार्यो को जो मनुष्य सिर पर लेते हैं और उनको करते हुए अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं, उनके परिश्रम से लाभ उठाने वाले लोग उन्हें हीभूल जाते हैं। कम से कम मृत्यु के बाद इसका उन्हें कष्ट नहीं होता, यह एक दुख में सुख ही समझना चाहिये।

भाई ज्योतिरिंद्र का प्रतिस्पर्धी बलवान था। एक ओर यह थे, दूसरी ओर यूरोपियन फ्लाटिला कंपनी। इन दोनों के व्यापारी जहाजों में कितना भारी संग्राम हुआ, यह बात खुलना और बरीसाल के लोग अब भी जानते और उसे कह सकते हैं। चढ़ा-ऊपरी के द्वन्द्व युद्ध में एक के बाद एक जहाज खरीदे जाने लगे। एक की हानि में दूसरे की हानि बढ़ी। इस प्रकार हानि रूपी इमारत के मंजिल पर मंजिल चढ़ने लगे। आगे जाकर तो ऐसा अवसर आया कि टिकिट छपाने लायक पैसे भी उनसे पैदा होना कठिन हो गया। खुलना और बरीसाल के बीच में चलने वाले जहाजों की कंपनियों का सुवर्ण युग शुरू हुआ। जहाजों में यात्री लोग मुफ्त बैठाए जाने लगे। इतना ही नहीं जहाजों पर उनके भोजनादि की भी व्यवस्था बिना किसी प्रकार का चार्ज लिये होने लगी। जब इतने से भी काम नहीं चला, तब स्वयंसेवकों की सेना तैयार की गई। यह सेना हाथ में झंडा लेकर देशाभिमान के गीत गाते-गाते यात्रियों को जुलूस के साथ-साथ देशी जहाज पर ले जाने लगी। इतना होने से यात्रियों की तो कमी नहीं रही। हां, दूसरी सब बातों की कमी शीघ्रता के साथ बढ़ने लगी।

देशाभिमान की ज्योति जागृत रहने के कारण बेचारे व्यापारिक गणित को कहीं जगह ही नहीं रही। उत्साह की जाज्वल्यता अधिकाधिक बढ़ती गई और उसमें

से देशाभिमानपूर्ण पदों का सुस्वर आलाप निकलने लगा। परन्तु गणित के हिसाब में इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वह तो अपने ही सिद्धांत के अनुसार चल रहा था। तीन बार तीन जोड़ने से नौ ही आते थे। हां, अन्तर इतना ही था कि इस जहाजी कंपनी के हिसाब में यह जोड़ जमा की तरफ न आकर नाम की तरफ आता था। व्यापारी दृष्टि विहीन लोगों को सदा सताने वाली बात यह है कि दूसरे लोग उन्हें अत्यन्त सुगमता से पहचान जाते हैं, पर वे दूसरों के स्वभाव को कभी नहीं पहचान पाते। अपने स्वभाव की इस न्यूनता को ढूंढ़ने में ही उनका जीवन और उनके साधन समाप्त हो जाते हैं और इस कारण वे अपने अनुभव का लाभ उठा नहीं पाते। अस्तु, इस जहाज पर यात्रियों को तो मुफ्त में भोजन मिलता ही था, पर साथ में कर्मचारियों को भी कभी भूखे रहने का अवसर नहीं आता था। हां, सबसे बडा लाभ मेरे भाई को हुआ, वह यह है कि उन्होंने इस साहस में उठाई हुई हानि को शौर्यपूर्वक सहन किया।

प्रतिदिन रणभूमि—जहाजी स्थान—के जय-पराजय के समाचारों से भरे हुए पत्र हम लोगों को अधीर करते रहते थे। अन्त में एक ऐसा दुर्दिन आया जिस दिन हवडा के पुल से टकराकर हमारा जहाज, जल समाधिस्थ हो गया। हानि के शिखर पर कलश चढ़ गया और इस कारण यह व्यापार वन्द करने के सिवाय दूसरी गति ही न रही।

४१

इष्ट वियोग

इन्हीं दिनों में हमारे कुटुम्ब पर मृत्यु ने जो आक्रमण किया उसके पहले मैंने किसी की भी मृत्यु होते नहीं देखी थी। जब मेरी माता का देहान्त हुआ, उस समय मैं बहुत छोटा था। वह बहुत दिनों से बीमार थी। परन्तु हमें यहां तक मालूम नहीं पड़ा कि उसकी बीमारी कब बढ़ी। वह हमारे ही कमरे में दूसरे बिस्तरे पर सोया करती थी। मुझे याद है कि बीमारी में ही उसे एक बार नदी में नाव पर घुमाने के लिये ले गये थे और वहां से लौटने पर उसे तीसरे मंजिल के एक कमरे में रखा गया था।

जिस समय उसका देहावसान हुआ, हम नीचे की मंजिल के एक कमरे में गहरी निद्रा में सो रहे थे। याद नहीं उस समय कितने बजे थे। हमारी बूढ़ी दाई मां हुंकारा देती हुई उस समय हम लोगों के पास आई और कहने लगी—अरे बच्चों! तुम्हारा सर्वस्व चला गया, अरे! देव तूने यह कैसा घात किया उस भयंकर समय में हमें दु:ख का धक्का न बैठने पावे, इसलिये मेरी भौजाई उस पर नाराज हुई और उसे दूसरी जगह ले गई। उसके शब्द सुनकर मैं कुछ-कुछ जाग पड़ा और मेरा हृदय धड़कने लगा। डर के मारे आँखों के आगे अन्धेरी सी आने लगी। पर खास बात मेरे ध्यान में उस समय तक भी न आई। सुबह उठने पर माता की मृत्यु के समाचार हमें मिले, परन्तु उन समाचारों से मेरा कितना और क्या सम्बन्ध है, यह मैं समझ नहीं पाया।

बरामदे में आकर मैं देखता हूं तो मेरी माता खाट पर सुलाई गई है। उसके चेहरे पर मृत्यु का भय पैदा करने वाले कोई चिन्ह न थे। उस प्रातः समय

में मृत्यु का स्वरूप प्रशांत और स्वस्थ निद्रा के समान आल्हादकारक था। जीवन और मृत्यु के गूढ़ अन्तर की कोई छाप हमारे हृदय पर उस समय नहीं पड़ी थी।

बड़े फाटक से माता का शव बाहर निकला। हम सब श्मशान में गये। उस समय इस फाटक में पुनः प्रवेश कर गृह-व्यवस्था में अपने स्थान पर मेरी माता अब फिर विराजमान नहीं होगी, यह विचार आते ही मेरा हृदय शोक-सागर के तूफान में डगमगाने लगा। दिन की घड़ियां एक के बाद एक व्यतीत होने लगीं। सन्ध्याकाल हुआ। हम लोग श्मशान से लौटे। अपने मुहल्ले में आते ही मेरी दृष्टि पिताजी के कमरे पर गई। वे बरामदे में अब तक उपासना में तल्लीन निश्चल बैठे थे।

घर की सबसे छोटी बहू ने हम मातृ-विहीन बालकों की सार संभाल का काम अपने हाथों में लिया। हमारे भोजन, कपड़े-लत्ते आदि की व्यवस्था उसने अपने ऊपर ले ली थी। इसके सिवाय वह सदा हमें अपने ही पास रखती, जिससे कि हमें माता की याद न आने पावे। सजीव वस्तुओं में यह एक गुण होता है कि उपायातीत बातों को वे अपने आप ही ठीक कर लेती हैं और जिन बातों की पूर्ति नहीं हो सकती, उन बातों को भुलाने में सहायता देती हैं। बाल्यावस्था में यह शक्ति विशेष होती है। इसीलिए कोइ भी घाव इस अवस्था में गहरा नहीं हो पाता और न कोई व्रण ही स्थायी हो पाता है। हमारे पर पड़ी हुई मृत्यु की यह छाया भी अपने पीछे अन्धकार न छोड़कर शीघ्र ही नष्ट हो गई। आखिर छाया ही तो ठहरी !

जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो वसंत ऋतु में जब कि वनःश्री अपने पूर्ण सौंदर्य से प्रफुल्लित रहती है, चमेली के कुछ फूल मैं अपने दुपट्टे के कोने में बांध लिया करता और पागल के समान इधर-उधर भटकता रहता था। उन सुन्दर कोमल कलियों का जब मेरे मस्तक से स्पर्श होता तो मैं समझता कि जैसे मेरी स्वर्गीय माता की अंगुलियों का ही स्पर्श हो रहा है। माता की उन कोमल अंगुलियों में भरा हुआ प्रेम और इन कोमल कवियों का प्रेम मुझे एक सा ही प्रतीत होता था। उन दिनों मुझे ऐसा भी प्रतीत होता था कि भले ही हमें मालूम पड़े या न पड़े अथवा प्राप्त हो या न हो, परन्तु इस जगत में प्रेम लबालब भरा पड़ा है।

मृत्यु का उक्त चित्र मेरी बहुत छोटी अवस्था का है, परन्तु मेरी अवस्था के चौबीसवें वर्ष में मृत्यु से मेरा जो परिचय हुआ वह चिरकाल से ज्यों का त्यों बना हुआ है। मृत्यु एक के बाद एक आघात करती जा रही है और उसके कारण अश्रुओं का प्रवाह भी वह रहा है।

बाल्यावस्था में कोई चिन्ता नहीं रहती। यह अवस्था बड़ी बेपरवाही की अनस्था है। बड़े से बड़े संकटों का थोड़े ही समय में विस्मरण हो जाता है। परन्तु अवस्था की वृद्धि के साथ-साथ संकटों का विस्मरण करना भी अधिकाधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए बाल्यावस्था रम्य और युवावस्था दुखद मानी गई है। बाल्यावस्था में हुआ मृत्यु का आघात मैं कभी का भूल गया, परन्तु प्रौढावस्था के आघात ने मेरे हृदय में बड़ा गहरा जख्म किया।

जीवन के सुख-दुख के अखण्ड प्रवाह में भी कभी रुकावट खड़ी हो जाती है, यह मैं अब तक नहीं जानता था। इसी कारण मैं जीवन को ही सर्वस्व समझता था। उसके सिवाय और कुछ नहीं है, यह मेरी दृढ़ भावना थी। परन्तु जब मेरे कुटुम्ब में मृत्यु का आगमन हुआ, तब उसने मेरे जीवन की शाँतता के दो टुकड़े कर दिए और उस कारण मैं हड़बड़ा गया। मेरे चारों ओर सर्वत्र—वृक्ष, पक्षी, जल, सूर्य, आकाश, चन्द्र तारागण आदि सब चराचर पदार्थ पहले के ही समान जैसे के तैसे मौजूद थे। उनमें रंच मात्र भी अन्तर नहीं पड़ा था। परन्तु इन्हीं पदार्थों के समान सत्यतापूर्वक पृथ्वीतल पर रहने वाला तथा मेरे जीवन आत्मा और हृदय से परमार्थ रूप में संलग्न होने के कारण जिसकी सत्यता मौजूदगी—मुझे अधिक परिज्ञात थी, वही प्राणी क्षणमात्र में स्वप्न के समान नष्ट हो गया। जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे आस-पास की सारी बातें विसंवादपूर्ण-असत्य प्रतीत होने लगीं। भला, गये हुओं का रहे हुओं से अथवा दृश्य का अदृश्य से मेल कैसे बैठाया जा सकता है?

जीवन-प्रवाह के टुकड़े हो जाने के कारण जो गहरी खोह हो गई, उसने मुझे निविड़ एवं भयङ्कर अन्धकार में ला पटका। वह अन्धकार आगे जाकर मुझे रात दिन अपनी ओर खींचने लगा। मैं उस ओर बार-बार जाने भी लगा और यह चिंतन करते हुए उस अन्धकार को टकटकी लगाकर देखने लगा कि अदृश्य हुई वस्तुओं के स्थान की कौन सी वस्तुओं ने पूर्ति की है। शून्यत्व ऐसी ही चीज है। उसके अस्तित्व के सम्बन्ध में मनुष्य का विश्वास होना अशक्य है। जिस बात का अस्तित्व नहीं वह मिथ्या है। जो मिथ्या है, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। यह अपना विश्वास रहता है। अतः जहाँ कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता, कुछ-न-कुछ ढूंढ़ने का हम लोग सदा प्रयत्न करते रहते हैं।

जिस प्रकार अंकुर, अंधकार में से प्रकाश में आने की खटपट करता है, उसी प्रकार मृत्यु के द्वारा चारों ओर फैलाये हुए निवृत्ति रूप अन्धकार से आत्मा घिरा हुआ होने पर प्रवृत्ति के प्रकाश में आने का सदा खटपट करता रहता है।

अंधकार के कारण अंधकार में से निकलने का मार्ग न मिलने के समान और दुख क्या हो सकता है ? ऐसे दुःखांधकार में भी मेरे हृदय में बीच-बीच में आनन्द के किरण फैलते और उनसे मुझे आश्चर्य होता । मेरा मन का भार इसी एक दुःखदायक बात से हलका हुआ करता था कि जीवन स्थिर और अविनाशी नहीं है, किन्तु वह अत्यन्त क्षणभंगुर और चंचल है । यह विचार आनन्द की लहरों पर लहरें उत्पन्न करते हुए बार-बार मेरे सामने आ उपस्थित होता कि –"जीवन के मजबूत पत्थरी के भीतर हम सदा के लिये कैदी नहीं है ।" जो चीज या बात को मैं पकड़े हुए होता और उसे लाचार होकर मुझे छोड़नी पड़ती तो उससे मुझे पहिले तो दुःख होता, परन्तु जब मैं उसके छूट जाने के कारण मिले हुए स्वातंत्र्य की दृष्टि से विचार करने लगता तो मुझे शांति और सुख ही प्राप्त होता !

एक ओर जीवन और दूसरी ओर मृत्यु । इस प्रकार दो छोर होने के कारण इस लोक-संबंधी निवास का भार हलका हो जाया करता है और अपने इस चक्की में पिस जाने से बच जाते हैं । उस दिन चमत्कार पूर्ण रीति से अचानक और वे जाने मेरे मन पर यह तत्व जम गया कि अबाध जीवन-शक्ति का भार मनुष्य को सहन नहीं करना पड़ता ।

जीवन का आकर्षण कम हो जाने के कारण मुझे मालूम पड़ने लगा कि सृष्टि-सौंदर्य रहस्य से भरा पड़ा है । मृत्यु की घटना के कारण विश्व को अतिशय सौंदर्यमय देखने की ठीक-ठीक कला मुझे प्राप्त हुई और उसके कारण मृत्यु की पृष्ट भूमि पर मैं विश्व का चित्र देखने लगा । यह चित्र मुझे बड़ा ही मोहक मालूम पड़ा ।

इस समय फिर मेरे विचार और व्यवहार में एक अजीबपन दीखने लगा । चालू रीति-रिवाज और संप्रदाय के भारी जुए के आगे कंधा झुका देने के लिये अपने को बाध्य होते देख मुझे हँसी आती । मुझे इन बातों में सत्य का अंश कभी प्रतीत नहीं हुआ । इसी तरह दूसरे लोगों के कहने-सुनने की पर्वाह का भार भी मैंने मन पर से हटा दिया था । सुन्दर रीति से सजाई हुई पुस्तकों की दूकान पर एक मोटा सा वस्त्र शरीर पर डालकर और पैर में चप्पल पहन कर मैं कई बार गया हूं । वर्षा, शीत और उष्ण - इन तीनों ऋतुओं में तीसरे मंजिल पर मैं बरामदे में सोया करता था । वहां से तारका-मंडल और मैं, ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह देखा करते । बिना एक क्षण का विलंब किए मुझे उषा देवी के स्वागत का भी यही प्रायः अवसर मिला करता ।

यह ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार के व्यवहार से विरक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं था। यदि विद्यार्थी यह समझने लग जाँय कि 'अध्यापक कोई प्रत्यक्ष वस्तु न होकर एक काल्पनिक प्राणी है तो परिणाम यह होगा कि वे पाठशाला की व्यवस्था के नियमों को तोड़-मरोड़ कर अपनी छुट्टी समझते हुए खेल-कूद में दिन व्यतीत कर देंगे। मेरी यही दशा थी। मैं समझने लगा था कि यह जीवन एक मिथ्या वस्तु है। अतएव इससे सम्बन्ध रखने वाली रूढियां भी काल्पनिक ही हैं और उन रूढियों को तोड़ने का अपने में सामर्थ्य है। ऊपर कही हुई मेरी चाल ढाल इसी समझ का परिणाम था। आनन्दजनक प्रभात समय में यदि अपने को यह ज्ञान हो जाय कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नष्ट हो गया है तो क्या उस समय भी हम पृथ्वी पर धीरे-धीरे ही चलते रहेगें! जगत के बंधनों के टूट जाने पर आनन्द मग्न होकर नवीन प्राप्त होने वाली शक्ति के आनन्द का अनुभव करने के लिए ऊंची-ऊंची इमारतों पर कूदते हुए जाना क्या अपने को पसंद न होगा? मार्ग में यदि कोई पर्वत के समान मंदिर मिला तो उसकी परिक्रमा देने के कष्ट को सहन करने की अपेक्षा उसकी शिखर पर उड़ते हुए जाना ही क्या अपने को श्रेयस्कर न मालूम होगा? मेरे पैरों ने संसार के भार को पटक दिया था। अतः मेरे लिए भी रूढियों से चिपटे हुए रहना, जो अशक्य हो गया था, उसका कारण भी यही था।

मृत्यु के कृष्ण-शिला द्वार पर कोई चिन्ह या आकृति ढूंढने का प्रयत्न करने वाले अन्धे के समान मैं भी रात्रि के अंधकार में गच्ची पर अकेला ही फिरता रहता था। फिर जब मैं प्रातःकाल अपने बिछौने पर सूर्य-किरणों के पड़ने के कारण जागृत होता और आखें खोलता तो मुझे ऐसा मालूम होता कि मेरे नेत्रों पर फैले हुए अंधकार के पटल पारदर्शक हो रहे हैं और जिस प्रकार कोहरा नष्ट हो जाने के कारण वातावरण स्वच्छ होने पर पर्वत, नदी, उद्यान आदि पदार्थ स्पष्ट चमकने लगते हैं, उसी प्रकार मेरे आगे फैले हुए जीवन चित्र पर से कोहरा नष्ट हो जाने के कारण वह चित्र मुझे रमणीय और प्रफुल्लित दीखने लगता था।

———

४२

वर्षा और शरद ऋतु

हिन्दू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई न कोई ग्रह प्रत्येक वर्ण का स्वामी माना जाता है। इसी प्रकार मेरे अनुभव की बात यह है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में किसी न किसी ऋतु का सम्बन्ध रहता ही है और उसे ही विशेष प्रकार का महत्व भी प्राप्त होता है। मेरी बाल्यावस्था के वर्षाऋतु के चित्र मेरे स्मृति पटल पर ज्यों के त्यों मौजूद हैं। हवा के झोंकों से पानी भीतर आ रहा है और बरामदे की जमीन पर पानी ही पानी हो गया है। बरामदे में से भीतर जाने के दरवाजे बन्द कर लिये गये हैं। साग का पिटारा सिर पर लेकर हमारी वृद्ध नौकरानी पीरी पानी से भींजती हुई कीचड़ में से निकलने का रास्ता ढूंढ़ रही है और ऐसे समय में मैं बिना कोई कारण के आनन्द में मग्न होकर बरामदे में इधर-से उधर चक्कर मार रहा हूं।

ऐसी ही एक बात और मुझे याद है। मैं पाठशाला में हूं। गैलेरी में हमारी कक्षा लगी हुई है। बाहर चिकें पड़ी हैं। दोपहर का समय है। इतने ही में आकाश-बादलों से भरने लगा। हम यह सब अभी देख ही रहे हैं कि जल धारा शुरू हो गई। भय उत्पन्न करने वाली मेघ गर्जना भी बीच-बीच में हो जाती है। मालूम होता है कि कोई पागल-स्त्री विद्युत रूपी छुरी हाथ में लेकर आकाश को इस छोर से उस छोर तक चीर रही है। झंझावात से चिकें जोर-जोर से हिल रही हैं। इतना अंधकार हो गया है कि बड़ी कठिनाई से हम लोग अपनी पुस्तक पढ़ सकते हैं। पंडितजी ने अपनी-अपनी पुस्तकें बन्द करने की हमें आज्ञा दे दी है। हमारे हिस्से में आई हुई धूमधाम और हाँ हूं करने के लिए इस समय हमने मेघों को आम इजाजत दे रखी है। अधर लटक कर अपने झूलते हुए पैरों को हम हिला रहे हैं।

ऐसे समय में जिस प्रकार किसी काल्पनिक कहानी का नायक राजपुत्र कोई जंगल में भटकता हो, उस प्रकार मेरा मन भी उस अति दूरस्थ अरण्य में सीधा चला जा रहा है, ऐसा मालूम होता था।

इसके सिवाय श्रावण मास की गंभीर रात्रियों का मुझे अच्छी तरह स्मरण है। बीच-बीच में नींद खुल जाती है। पानी की बूंदे प्रशांत निद्रा की अपेक्षा अधिक प्रशान्त और आनन्ददायक प्रतीत होती हैं। जागृत होने पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि रात भर पानी इसी प्रकार पड़ता रहे। हमारा हौज पानी से लबालब भर जाय और स्नान करने की 'वापी' में इतना पानी आ जाय कि वह ऊपर की सीढ़ी तक जा पहुंचे।

इसके बाद मैं जिस अवस्था का वर्णन करता हू, उसमें निश्चित: शरद ऋतु का साम्राज्य है। आश्विन मास के शांत वातावरण में यह साम्राज्य फैला हुआ दीख रहा है। ओस से भींजी हुई हरियाली के तेज से प्रतिबिंबित शारदीय सुनहले सूर्य प्रकाश में मैं बरामदे में चक्कर मारा करता।

शरद ऋतु का दिन अब ऊपर चढ़ आया है। घर के घंटे ने बारह बजा दिये हैं। इसके साथ-ही-साथ मेरे मन की स्थिति और उसके साथ गाने का राग भी बदल गया है। मेरा मन संगीत में तल्लीन हो गया है। अब उद्योग या कर्तव्य की पुकार के लिये कोई स्थान नहीं रह गया है। मैं अपना गीत आगे रचने में लगा ही हुआ हूं।

दोपहर के बाद में अपने कमरे में चित्र बनाने की पोथी हाथ में लेकर चित्र बनाने के प्रयत्न में अपनी बैठक पर पड़ा हुआ हूं। यह कोई चित्रकला का पीछा पकड़ना नहीं माना जा सकता, यह तो चित्र बनाने की इच्छा के साथ खेल-खेलना हो सकता है। इन सबके बीच में रही हुई मुख्य बात तो मन के मन ही में रह जाती है। उसका तो नाम मात्र भी कागज पर नहीं लिखा जाता। इतने ही में शरद ऋतु का तीसरा पहर कलकत्ते की उन छोटी-छोटी भींतों पर से जाता हुआ दीख पड़ता है और जाते-जाते मेरे कमरे को सुवर्ण के प्याले के समान उन्माद से भरता जाता है।

खेतों में फसल पक जाने के समान जिस शरद ने मेरे काव्य की वृद्धि कर उसे पूर्णता को पहुंचाया, जिसने मेरे अवकाश की कोठी को प्रकाश से प्रकाशित कर दिया, पद और गायन रचते समय जिसने मेरे खुले मन पर आनन्द और वैर्य का प्रवाह बहाया, मानों उस शरदऋतु के आकाश में से ही उस समय के दिनों को

मैं देख रहा हूं, अथवा मानो मैं उस शरद के प्रकाश के द्वारा अपने जीवन का निरीक्षण कर रहा हूं, ऐसा मुझे मालूम होता था। परन्तु ऐसा क्यों मालूम होता था, यह मुझसे नहीं कहा जा सकता।

मेरी बाल्यावस्था की वर्षाऋतु और तारुण्य की शरदऋतु में मुझे एक बड़ा अन्तर दिखलाई पड़ रहा है। वह यह कि बालपन में तो अपने असंख्य साधनों, चमत्कारपूर्ण स्वरूपों तथा नाना विध गायनों के द्वारा मुझे तल्लीन बनाकर आश्चर्य-चकित करने वाली वस्तु बाह्य सृष्टि थी। परन्तु तारुण्य-शरदऋतु के दिव्य प्रकाश में होने वाले उत्सवों का जनक स्वयं मनुष्य ही होता है। तरुणाई शरद में मेघ और सूर्य-प्रकाश की लीलाओं को कोई नहीं पूछता। उस समय तो मन आनन्द और दुःख से लबालब भर जाया करता है। शरदऋतु के आकाश को खुल उठने का अथवा उसमें रंग की छटा फैल जाने का कारण तो उसकी ओर हमारा एक टक देखना ही है। इसी प्रकार शरद की वायु लहरों में तीव्रता उत्पन्न करने वाली वस्तु भी अंतःकरण की छटपटाहट ही है।

अब मेरे काव्य का विषय मानव प्राणी बन गया है। यहाँ तो पूर्व परम्परा छोड़ने की गुन्जाइश ही नहीं है, क्योंकि मानवीय रहन-सहन के द्वार तो निश्चित ठहरे हुए हैं। द्वार के बाद द्वार और दालान के बाद दालान, इस प्रकार एक सी रचना है। इस राजभवन की खिड़की में अचानक प्रकाश पहुंचने पर भी अथवा द्वार के भीतर से वाद्य नाद कान पर पड़ते हुए भी हमें कितने ही बार इस भवन में से लौटना पड़ता है। लेनदेन का व्यवहार शुरू होने के पहले मार्ग के कितने ही दुःखदायक विघ्नों को हटाना पड़ता है और मन दूसरा मन बन जाता है। असली नहीं रह पाता। इच्छा शक्ति से उसे प्रेम जोड़ना पड़ता है। जीवन का फव्वारा इन विघ्नों पर पड़ते हुए, उसमें से जो हास्य और अश्रुओं के तुषार उड़ते हैं उनसे दिशाएं धूसरित बन जाती हैं। इस फव्वारे में इतना जोर होता है कि वह बहुत ऊंचे तक उड़ता है और जल भंवर के समान एक सरीखा नाचता रहता है। इस कारण उसके यथार्थ मार्ग की ठीक-ठीक कल्पना किसी को भी नहीं हो पाती।

४३

कड़ी ओ कोमल

यह एक संध्याकालीन गीत है, जो मानव देह रूपी गृह के आगे से जाने वाले रास्ते पर से गाया जाने योग्य है। अथवा उस रास्ते पर से सुनने योग्य है। उस गूढ़तम प्रदेश में प्रविष्ट होकर रहने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये यह गीत गाया गया है। इस गीत में की हुई प्रार्थना मनुष्य प्राणी विश्वात्मा से करता रहता है।

जब मैं दूसरी बार विलायत को जाने लगा तो जहाज पर ही आशुतोष चौधरी से मेरा परिचय हो गया। इन्होंने हाल ही में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम० ए० पास किया था और बैरिस्टरी पास करने विलायत जा रहे थे। कलकत्ते से मद्रास तक जाने में हमारा उनका साथ हुआ। इनकी संगति से ऐसा प्रतीत हुआ कि स्नेह की गंभीरता परिचय की अधिकता या न्यूनता पर निर्भर नहीं है। इस थोड़े से ही समय में चौधरीबाबू ने हमें प्रेमपूर्ण सदे और अकृत्रिम गुणों से इतना अपना लिया कि मानो हमारी उनकी जन्म से ही मैत्री हो और उसमें कभी भी बाधा न पड़ी हो।

विलायत से लौटने पर 'आशु' हमारे में का ही एक बन गया।* अभी उसके धंधे का जाल अधिक नहीं फैला था, और न उसके ग्राहकों के पैसे की थैलियाँ ही इतनी अधिक ढीली हुई थीं। इसलिये उसमें साहित्य के विविध उद्यानों से मधु एकत्रित करने का उत्साह मौजूद था :

---

*रविबाबू की भतीजी के साथ आशुबाबू का विवाह हो जाने के कारण यह कहा गया है।

उसे फ्रेंच साहित्य से बड़ा प्रेम था। उस समय मैं कुछ कविता रच रहा था। ये कविताएं आगे जाकर 'कड़ी ओ कोमल' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुईं। 'आशु' कहा करता था कि मेरी कविता में और प्राचीन फ्रेंच कविता में साम्य है। इस काव्य में 'विश्वजीवन के खेल से कवि पर पड़ी हुई मोहिनी' इसी तत्व का प्रतिपादन किया है और उसे भिन्न-भिन्न स्वरूप में व्यक्त किया है, ऐसा उसका मत था। विश्व-जीवन में प्रवेश करने की इच्छा ही इन सब कविताओं का एक मात्र उद्देश्य था।

इन सब कविताओं को एक स्थान पर क्रमपूर्वक एकत्रित कर उन्हें छपवाने और प्रकाशित करने का काम आशु ने अपने ऊपर लेने की इच्छा प्रदर्शित की, अतः यह काम उसे सौंपा गया। 'कड़ी ओ कोमल' नामक कविता उसे सब कविताओं की कुन्जी मालूम हुई। इसलिये उसने उस कविता को ग्रन्थ में प्रथम स्थान दिया।

आशु का कहना बिलकुल ठीक था। बाल्यावस्था में मुझे घर से बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी। उस समय मैं अपनी गच्ची पर की दीवालों के झरोखों में से बाह्य सृष्टि के विविध स्वरूपों की ओर आशा लगाये देखना और उसे अपना हृदय अर्पण किया करता था। तारुण्य में प्रविष्ट होने पर मानवी सृष्टि के समान मुझे मोहित कर डाला। बाल्यावस्था में बाह्य सृष्टि के साथ एक अपरिचित मनुष्य के समान मैं दूर से ही बातचीत किया करता था। तारुण्य में भी वही हालत है। मानवीय सृष्टि से मैं रास्ते की एक ओर खड़ा होकर दूर से ही परिचय करता हूँ। मुझे मालूम होता है कि मेरा मन सागर के तट पर खड़ा हुआ है। सागर के उस तट पर से नाव की पतवार चलाता हुआ नाविक मुझे उत्सुकतापूर्वक अपने हाथ के इशारे से बुला रहा है और कहना चाहिये कि मन भी इस प्रवास के लिये एक सरीखा छटपटा रहा है।

यह कहना ठीक नहीं है कि मुझे समाज में मिल जाना नहीं आता। एक विशेष प्रकार के एकांत जीवन में मेरा लालन-पालन हुआ है और इसलिये सांसारिक जीवन से हिल मिल जाने में यह बात बाधक हो गई है। परन्तु सामाजिक व्यवहारों में सर्वथा गड़ जाने वाले देश-बान्धवों में भी मुझसे अधिक समाज स्नेह के चिन्ह दिखलाई नहीं पड़ते। हमारे देश के जीवन-प्रवाह का किनारा ऊंचा है। उस पर घाट बने हुए हैं। उसके काले-काले पानी पर प्राचीन वृक्षों की ठंडी छाया फैली हुई है। वृक्षों की शाखाओं पर पत्तों में छिपी कोकिला प्राचीन गीत गा रही है। यह सब कुछ है, परन्तु अब वह प्रवाह बहना बन्द हो गया है। पानी एक जगह रुका पड़ा है। भला, ! उसका वह प्रवाह क्यों बन्द हो गया ? उस पर उठने वाली

लहरें क्यों बन्द हो गई ? सागर की भर्ती का पानी किस समय इस प्रवाह में घुमता होगा ।

मनुष्य यदि एकांत में—आलस्य में—दिन व्यतीत करता है तो उसका मन क्षुब्ध हो जाता है । उस पर निराशा का साम्राज्य छा जाता है । क्योंकि इस स्थिति में जीवन व्यवहार से निकट सम्बन्ध नहीं रह पाता । इस निराशाजनक स्थिति से छुटकारा पाने का मैंने खूब प्रयत्न किया । उस समय के राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने को तो मेरा मन स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि उसमें जीवनी-शक्ति का अभाव दिखलाई पड़ता था । साथ में देश का पूर्ण अज्ञान और मातृ भूमि की सेवा की छटपटाहट का पूर्ण अभाव भी मौजूद था । मुझे अपने आपके प्रति और इसी प्रकार मेरे आस पास की सब बातों के प्रति बड़ा असंतोष था । इस कारण मैं अधीर बन गया था और मैं अपने ही आप से कहा करता था कि मैं स्वच्छन्दतापूर्वक भटकने वाला 'अरब बे दुईन' हुआ होता तो कितना अच्छा होता ।

जगत के दूसरे हिस्सों में स्वतंत्र जीवन-क्रम का आन्दोलन कभी बन्द नहीं होता । वहाँ मनुष्य-मात्र का इसके लिये अव्याहत प्रयत्न चलता रहता है और हम ? हम तो कहानी की भिखारिणी के समान एक ओर खड़े रहकर बड़ी लालसा से रास्ता जोहते रहते हैं । अपनी तैयारी करके जगत के स्वातन्त्र्योत्सव में शामिल होने का क्या हमें भी कभी अवसर मिला है ? जहाँ फूट का साम्राज्य है, एक दूसरे को अलग करने वाली हजारों बातें प्रचलित हैं, ऐसे देश में जगत के स्वातंत्र्य का स्वतः अनुभव प्राप्त करने की लालसा अपूर्ण ही रहेगी ।

बाल्यावस्था मे अपने नौकरों द्वारा खींची हुई सफेद खड़ी की रेखाओं के भीतर रहकर जिस जिज्ञासा से मैं बाह्य सृष्टि को देखता रहता था, उसी जिज्ञासा से अपनी इस तरुणावस्था में भी मानव सृष्टि की ओर देखता रहता था । ये बातें यद्यपि मुझे कभी तो प्राप्त होने वाली, कभी प्राप्त न होने वाली और कभी मुझसे अत्यन्त दूर रहने वाली प्रतीत हुई, तो भी उनसे यदि सम्बन्ध न हुआ, उनके द्वारा कभी वायु की लहरें उत्पन्न न हुईं, उनका प्रवाह बहने न लगा और प्रवासियों के आने-जाने योग्य वहाँ रास्ता न हुआ तो फिर हमारे चारों ओर एकत्रित मृत वस्तुएं कभी दूर न होंगी और उनका एक बड़ा भारी ढेर हो जायगा, जिसके नीचे हमारा जीवन बिना कुचले न रहेगा ।

वर्षाकाल में केवल काले मेघ आकाश में जमा हो जाते हैं और फिर पानी गिरने लगता है । शरद ऋतु के आकाश में बिजली चमकती है, मेघ गरजते हैं परन्तु

पानी नहीं पड़ता और एक दृष्टि से यह ठीक भी होता है, क्योंकि यह फसल आने का समय होता है। यही बात मेरे कवित्व के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। कवित्व के जीवन में जब वर्षा ऋतु का साम्राज्य था, तब कल्पना के भाफ के सिवाय उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। कल्पना के मेघ जमते और मूसलधार पानी पड़ने लगता। उस समय मैं जो कुछ लिखता वह अस्पष्ट होता और मेरी कविता स्वैर संचार किया करती। परन्तु मेरे कवि जीवन के शरद काल में रचे हुए 'कड़ी भ्रो कोमल' नामक पद्य समुच्चय के सम्बन्ध में ऐसा कहा जा सकेगा कि आकाश मेघों से व्याप्त था और पृथ्वीतल पर फसल आती हुई दिखलाई पड़ती थी। उस समय वास्तविक जगत से मैं परिचय कर रहा था। इन्हीं दिनों मेरी भाषा और छन्दों ने निश्चयत: नाना प्रकार के रूप धारण करने का प्रयत्न किया।

इस प्रकार मेरी जीवन-पुस्तिका के दूसरे भाग का अंत हुआ। अब "अन्त-र्वाह्य के एकत्रित होने के" परिचित से अपरिचित का मेल करा देने के दिवस चले गये। अब मुझे अपना जीवन प्रवास मनुष्यों के निवास स्थान में ही रह कर पूरा करना है। इन प्रवास में प्राप्त होने वाली भली बुरी बातों या सुख-दुख के प्रसंगों की ओर अब हेतु रहित होकर चित्र के समान द्रष्टा बनने से काम नहीं चलेगा। अब तो इनका गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। एक ओर नई-नई बातें उत्पन्न हो रही हैं और दूसरी ओर कुछ बातें लय होती जाती हैं। एक ओर जय दुन्दुभी नाद हो रहा है और दूसरी ओर मुख पर अपयश की कालिमा छा रही है। एक ओर आपसी झगड़े बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर अन्त:करण के मिलने से आनन्द ही आनन्द छा रहा है। इस प्रकार इस जीवन में एक दूसरे के विरुद्ध अनेक प्रकार की अनंत घटनाएं प्रति समय घटित हो रही हैं।

जीवन के अन्तिम रहस्यमय साध्य तक पहुंचने के मार्ग में अनंत अड़चनें अनेक शत्रु और विषमताएं हैं। इन सबों के बीच में से मेरा पथ-प्रदर्शक बड़े उत्साह और कौशल्य से मेरे लक्ष्य की ओर मुझे ले जा रहा है। उस कुशलता का वर्णन करने की अथवा उस मार्ग की रूप रेखा चित्रित करने की शक्ति मुझमें नहीं है। इस मार्ग की गहन गूढ़ता को स्पष्ट करने की शक्ति मेरे में न होने से मैं इस संबंध में यदि कोई चित्र खींचूंगा तो मुझे आशा है कि उसमें पद-पद पर भ्रम ही उत्पन्न होगा। उस प्रतिमा की रूप-रेखा चित्रित कर उसके भिन्न-भिन्न भागों को दिखाने का प्रयत्न असफल होगा। उसमें सफलता नहीं मिलेगी। हां ऊपर की तृप्ति भले ही मिल जाय, पर अन्तरङ्ग की भेंट का आनन्द भरने को प्राप्त न होगा।

इसलिये अन्तरात्मा के देवालय के द्वार तक अपने पाठकों को पहुंचा कर अब मैं उनसे विदा होता हूं।

———